सप्तम माला, खंड 49, अंक 4, गुरुवार 26 जुलाई, 1984/4 श्रावण, 1906 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(पन्द्रहवां सत्र)

7th Lok Sabha



(खंड 49 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 26 जुलाई 1984/4 श्रावण, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (iv), पंक्ति 16, "श्री रामावतार शास्त्री" के नीचे "श्री एस॰एम॰ कृष्ण" पढ़िये ।

पृष्ठ 10, प्रश्न संख्या 71, "श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती" का नाम "श्री सोमनाथ चटर्जी" से पहले पढ़िये ।

पृष्ठ 23, पंक्ति नीचे से 4, "श्री जगत पाल सिंह" के स्थान पर "श्री जगपाल सिंह" पढ़िये ।

पृष्ठ 24, पंक्ति 11, श्री चन्द्र देव प्रसार वर्मा" के स्थान पर "श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा" पढ़िये ।

पृष्ठ 25, पंक्ति 20, "श्रीमती सुशोजा गोपालन के स्थान पर "श्रीमती सुशोला गोपालन" पढ़िये ।

प्रश्न 34, पंक्ति 22, "अकादमाशियनो" के स्थान पर "अकादमोशियनों" पढ़िये।

पृष्ठ 41, पंक्ति 24, "श्री बनवारी लाल [illegible]" के स्थान पर "श्री बनवारी लाल बैरवा" पढ़िये ।

पृष्ठ 54, पंक्ति 4, पृष्ठ 79, पंक्ति 8, पृष्ठ 89, पंक्ति 4, पृष्ठ 92, पंक्ति 6, पृष्ठ 94 पंक्ति 7, पृष्ठ 97, पंक्ति 4, "श्री पो॰के॰ थुगुन" के स्थान पर "श्री पो॰ के॰ थुंगन" पढ़िये ।

पृष्ठ 55, पंक्ति प्रथम, "कयपस" के स्थान पर "कैम्पस" पढ़िये ।

पृष्ठ 56, पंक्ति 14, "श्री के॰डो॰ कौसलराम" के स्थान पर "श्री के॰ टी॰ कोसलराम" पढ़िये ।

पृष्ठ 61, नीचे से पंक्ति 3, पहले वाले "श्री" का लोप कीजिए ।

पृष्ठ 62, नीचे से पंक्ति 2, "रामुलु" के पश्चात "मल्लु" जोड़िये ।

सप्तम माला, खण्ड 49, पंद्रहवाँ सत्र, 1984/1906 (शक)

अंक 4. गुरूवार 26 जुलाई, 1984/4 श्रावण 1906 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		1—18
* तारांकित प्रश्न संख्या : 60क, 61, 64, 65 और 71		1—10
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या : 62, 66, 69, 69क, 70क, 73, 74 और 76 से 80		18—26
अतारांकित प्रश्न संख्या :	613 से 620, 622, 624 से 627, 629 से 632, 634 से 638, 640 से 648, 650 से 653, 655, 656, 658 से 663, 666 से 692, 694 से 698, 700 से 710, 713 से 719, 721, 723, 726, 728, से [736, 740 से 744, 746 से 749, 754 से 761, 763 से 771, 774, 775, 777, 779 से 790, 792, 793, 796क, 796कक, 796ख, 796खख, 796ग, 796गग, 796घ, 796घघ, 796ङ, 796ङङ, 796च, 796चच, 796छ, 796छछ, 796ज, 796जज, 796झ, 796झझ, 796ञ, 796ञञ, 796ट, 796टट, 796ठ, 796ठठ, 796ड, 796डड, 796ढ, 796ढढ, 796ण, 796णण, 796त, 796तत, 796थ, 796थथ, 796द, 796दद, 796ध, 796धध, 796न, 796नन, 796प, 796पप, 797फ, 796फफ, 796ब, 796बब, 796भ, 796भभ, 796म, 796मम, 796य, 766यय, और 796ककक, 796खखख	26—192

* किसी नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 196—200

राज्य सभा से संदेश 201

राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक 202

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना : 202—220

19 जुलाई, 1984 को दिल्ली तथा भारत के उत्तरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में विद्युत व्यवस्था का पूर्णतः ठप्प हो जाना

श्री जगपाल सिंह 202

श्री आरिफ मोहम्मद खां 203

श्री नवल किशोर शर्मा 210

श्री मनोहर लाल सैनी 215

श्री राजेश कुमार सिंह 217

जम्मू और कश्मीर में हाल की घटनाओं के बारे में वक्तव्य

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या 220

समिति के लिए निर्वाचन

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में एक सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए राज्य सभा से सिफारिश 222

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) घोसी-खुर्द सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार 222

(दो) भाखड़ा नहर की सुरक्षा तथा उस नहर में पड़ी दरार के कारण प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री मनीराम बागड़ी 223

(तीन) तमिलनाडु में सैन्ट्रल बोर्ड आफ सैकेन्डरी एज्यूकेशन से संबद्ध विभिन्न स्कूलों के प्रबंध का सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता

डा० ए० कलानिधि 223

(चार) मध्य प्रदेश के इन्दौर, देवास, उज्जैन, नागदा, मंदसौर और नीमच नगरों में पर्याप्त रेल सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री सत्यनारायण जटिया 224

(पांच) सूखे से प्रभावित मिर्जापुर तथा वाराणसी जिलों में पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने और प्रभावित मजदूरों के लिए रोजगारोन्मुख योजनाएं आरम्भ करने की आवश्यकता

श्री उमाकान्त मिश्र 224

(छः) उत्तर प्रदेश के आंवला संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का तेजी से औद्योगिक विकास करने कीआवश्यकता

श्री जगपाल सिंह कश्यप 225

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अनुरूप एक अखिल भारतीय तकनीकी सेवा का गठन करने की आवश्यकता

प्रो० अजित कुमार मेहता 225

(आठ) हल्दिया में प्रस्तावित ड्रैजर रिपेअरिंग कॉम्पलेक्स स्थापित करने की आवश्यकता

श्री सत्यगोपाल मिश्र 226

(नौ) सेतुसमुद्रम नहर परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित करने की आवश्यकता

श्री के०टी० कोसलराम 226

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव

श्री एस०एम० कृष्ण 227

श्री दिगम्बर सिंह 229

श्री जेवियर अराकल 231

श्री सतीश अग्रवाल 233

श्री मूलचन्द डागा 240

प्रो० अजित कुमार मेहता 242

श्री राम प्यारे पनिका 244

डा० ए० कलानिधि 246

श्री गिरधारी लाल व्यास 248

श्री सुधीर गिरि 250

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 252

श्री भोगेन्द्र झा 254

प्रो० सत्यदेव सिंह 256

श्री मगनभाई बरोट 256

श्री पी० नामग्याल 261

श्री राम लाल राही 262

श्री एस०टी०के० जक्कायन 264

श्री अब्दुल रशीद काबुली 265

श्री विष्णु प्रसाद 268

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा 269

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी 270

श्री रामावतार शास्त्री 271

खंड 2 से 5 और 1

पारित करने का प्रस्ताव

श्री एस०एम० कृष्ण 281

लोक सभा

गुरुवार, 26 जुलाई 1984/4 श्रावण, 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कम्पोजिट कपड़ा मिलों की प्रोसैसिंग क्षमता

*60-क : श्री के० राममूर्ति : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि कपड़े की प्रोसैसिंग करना कपड़ा तैयार करने संबंधी एक प्रक्रिया है, जो उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम की परिधि के अन्तर्गत आती है;

(ख) यदि हां, तो क्या कम्पोजिट कपड़ा मिलों की प्रोसैसिंग क्षमता को कम करके उसे 1977-78 के स्तर पर स्थिर करने का अर्थ घरेलू और निर्यात बाजारों हेतु अधिक मूल्य के (हायर एडेड वैल्यू) कपड़ा तैयार करने के लिए गत छः वर्षों में स्थापित की गई नई क्षमताओं के बड़े भाग को समाप्त करना होगा; और

(ग) वर्ष 1977-78 को आधार-वर्ष निर्धारित करने के क्या कारण हैं;

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) उद्योग मंत्रालय की 13 जनवरी, 1978 की अधिसूचिना के अनुसार वस्त्र उद्योग में कार्यरत औद्योगिक उपक्रमों सहित सभी औद्योगिक उपक्रमों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र पर क्षमता पृष्ठांकित करवाना आवश्यक था। इस सम्बन्ध में जारी किए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, क्षमता का निर्धारण 31 मार्च, 1978 से पहले के किन्हीं तीन वर्षों के दौरान हुए उत्पादन द्वारा जांची गई सन्तुलित लाइन क्षमता को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। क्षमता का

निर्धारण उद्योग के कार्यकलापों पर प्रतिबन्ध न लगाकर उनके उपर्युक्त नियमन का सुनिश्चय करने की दृष्टि से किया जाता है। वर्ष 1977-78 को आधार वर्ष उपर्युक्त अधिसूचना की तारीख को ख्याल में रखते हुए निश्चित किया गया था।

श्री के० राममूर्ति : सभी औद्योगिक उपक्रमों के बारे में 13 जनवरी, 1978 की अधिसूचना को जारी करने का अभिप्राय मैं यही समझता हूं कि वे सभी 1977-78 के अपने क्षमता स्तर पर स्थिर रहे ताकि माँग और पूर्ति के बीच सन्तुलन बना रहे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कपड़ा उद्योग एक श्रम-उन्मुख उद्योग है और कृषि उद्योग के बाद इसका ही नम्बर आता है। यदि अभिप्राय पूरा हो गया हो तो क्यों 400 से 500 करोड़ रुपये मूल्य का भण्डार गैर-सरकारी क्षेत्र तथा राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के भण्डारों में एकत्र हुआ पड़ा है ? क्या हम अधिसूचना के अन्तर्गत गैर-सरकारी कपड़ा उद्योग को पहले ही नियमित कर दिया गया है। यदि हां, तो उन्होंने लक्ष्य को क्यों बढ़ा दिया जोकि 1977-78 के स्तर पर स्थिर था ? राष्ट्रीय कपड़ा निगम की 103 मिलों में कपड़े का भण्डार इकट्ठा होने की समस्या है। क्या निजी क्षेत्र की मिलों तथा राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों का उत्पादन 1977-78 स्तर के अनुसार स्थिर है ? यदि हां, तो देश में यह भण्डार इकट्ठा क्यों हो गया है?

श्री नारायण दत्त तिवारी : माननीय सदस्य सहमत होंगे कि भण्डार सांख्यिकीय तथा इस प्रश्न में जो पूछा गया है। उसमें कोई सीधा संबंध नहीं है। यह मात्र एक संगीत्यकीय अथवा पंजीयन आवश्यकता है ताकि यह पता चल सके कि सभी उद्योगों के लिए क्या इसे एक ही तारीख से लागू किया गया है। अत: कपड़ा उद्योग भी उन उद्योगों में से एक था क्योंकि यह अधिसूचना सभी उद्योगों पर लागू की थी। जहां तक भण्डार के संचयन का संबन्ध है, यह कपड़ा विभाग से सम्बन्धित है जिससे मेरा सीधे कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां तक पंजीयन का सवाल है' कपड़ा आयोग ने अभी तक 235 पंजीयन प्रमाणपत्रों को क्षमता का अनुमोदन करने की सिफारिशों के साथ कपड़ा विभाग को भेज दिया है। इनमें से कपड़ा विभाग ने 55 प्रमाणपत्रों को बकायदा स्वीकृत कर संबन्धित उपक्रमों को वापस कर दिया था जबकि 25 मामले एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार से सम्बन्धित उसके पास निपटान के लिए लम्बित पड़े हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य कपड़ा उत्पादन तथा भण्डार के संचयन से संबंधित प्रश्न मेरे प्रतिष्ठित सहयोगी, कपड़ा मन्त्री जी से पूछें।

श्री के० राममूर्ति : मुझे वाणिज्य मंत्री जी की ओर निर्दिष्ट करने के लिए मैं माननीय मंत्री जी का अत्यधिक आभारी हूं। उन्होंने अपने उत्तर में बताया है कि यह सिर्फ सांख्यिकी जानकारी के लिए है। तो इस अधिसूचना से मन्त्रालय किस तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है क्या वे भी इससे सिर्फ सांख्यिकी संतुष्टी प्राप्त करना चाहते हैं ? मुझे खेद है कि न तो यह उत्पादन बढ़ाने में और न ही मांग और आपूर्ति को पूरा करने में ही मदद करेगा। अत: मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उनके मन्त्रालय में किस प्रकार का तन्त्र उन्होंने यह देखने के लिए बनाया है कि क्या यह अधिसूचना गैर-सरकारी क्षेत्र की तथा राष्ट्रीय कपड़ा निगम दोनों की मिलों में पूरी तरह क्रियान्वित की जा रही है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं इस बात से सहमत हूं कि कपड़ा उद्योग को इस विशेष अनुबन्ध को क्रियान्वयन करने में कतिपय दिक्कतें हैं। इसलिए, अब हमने निश्चय किया है कि हम प्रक्रिया सम्बन्धी स्थिति की समीक्षा करेंगे क्योंकि वे कहते हैं कि प्रक्रिया पूरी तरह से उत्पादन नहीं है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य संतुष्ट होंगे। मैंने सम्बन्धित अधिकारियों से सिर्फ प्रक्रिया संबंधी सम्पूर्ण विषय पर समीक्षा करने के लिए कहा है।

शारीरिक दोषों से ग्रसित जन्मे बच्चे

*61. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जन्म से ही शारीरिक दोषों से ग्रसित होते हैं अथवा बाल्यकाल में ही वे उनसे ग्रसित हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) भारत के महापंजीयक द्वारा 1979 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 0—6 वर्ष तक की आयु के जन्मजात अथवा जन्मोत्तर अंगहीनता वाले बच्चों का प्रतिशत क्रमशः लगभग 0.06 और 0.08 है। वैसे, शिशु मृत्यु-दर का 1978 में 127 से घटकर 1980 में 114 हो जाना इस बात का द्योतक है कि शिशुओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार हुआ है।

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, यह सच है कि शिशु मृत्यु-दर जो 1978 में 127 प्रति हजार थी, घटकर 1980 में 114 प्रति हजार हो गई है। इसके बावजूद, जन्मजात अथवा जन्मोन्तर अंग हीनता 0—6 वर्ष तक की आयु वर्ग में अभी भी बहुत अधिक है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि 0—6 वर्ष तक की आयु वर्ग में अंगहीनता की वृद्धि को रोकने के लिए क्या कोई उपाय किए गये हैं। अथवा किये जा रहे हैं।

श्रीमती मोहसिना किदवई : दो सर्वेक्षण किये गये थे। एक 1979 में और एक 1981 में। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने अंगहीन व्यक्तियों का राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया। मूल रूप में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर, 1981 के सर्वेक्षण से अनुमान लगा कि देश में 120 लाख व्यक्ति कम से कम एक अंगहीनता से ग्रसित हैं और देश की कुल आबादी का लगभग 1.8 प्रतिशत है। हम बच्चों में इन बीमारियों की रोकथाम के बारे में कई कदम उठा रहे हैं। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सम्पूर्ण स्वास्थ्य चिकित्सा, प्रसूति, परिवार कल्याण तथा जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के विस्तार से बच्चों में कुरचना में कमी आयेगी। 110 चिकित्सा कालेजों, 440 जिले तथा उपजिलों में बाल-चिकित्सा इकाइयों तथा 30 नई स्थापित इकाइओं द्वारा विशिष्ट बाल-चिकित्सा सेवा प्रदान की जा रही है। लगभग 300 विशेषज्ञों को नवजात शिशु विज्ञान में अभी तक

प्रशिक्षण दिया जा चुका है और लगभग 700 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र डाक्टरों को नौकरी के दौरान ही ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाऐं प्रदान करने के लिए अनुकूलन प्रशिक्षण दिया गया है । बहुत से संस्थान जैसे कि अखिल भारतीय तांत्रिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान बम्बई, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर तथा अखिल भारतीय वाक् और श्रवण संस्थान, मैसूर, अपंग व्यक्तियों के पुर्नवास तथा उपचार के लिए बहुत सी सुविधाऐं एवं सेवायें प्रदान कर रही हैं ।

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, माननीया मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि बहुत से कदम उठाये गए हैं परन्तु मुझे खेद है कि ये सुविधाएं मुख्य रूप में शहरों तक ही सीमित हैं। मेरे अनुभव से मैं यह बता सकता हूं कि बहुत से अस्पतालों, चिकित्सालयों अथवा सार्वजनिक (जन) स्वास्थ्य केन्द्रों में इस प्रकार की कोई सुविधायें नहीं हैं और फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के अंगहीनता की घटनाऐं बढ़ती जा रही हैं । इसलिए मैं माननीया मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस संबन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ? हम ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं । इसलिए, क्या माननीया मंत्री जी सदन को आश्वासन देगीं कि ये सुविधायें विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान करने के लिए सरकार क्या कदम उठायेगी ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा स्टेप्स ले रहे हैं इसलिए यह कहना कि रूरल एरियाज में यह फैसिलिटीज नहीं हैं यह बात सही नहीं है । चूंकि 80 फीसदी आबादी रूरल एरियाज में है इसलिए जितनी भी स्कीम्स बन रही हैं, ज्यादातर रूरल एरियाज के लिए हैं । जो डिसएबिलिटीज होती हैं उसके बहुत से कारण होते हैं । एक तो फीमेल्स में इल्लिट्रेसी क्योंकि बच्चे की पैदाइश के बाद की परिस्थितियां ही काउन्ट नहीं करती है, बल्कि प्रेगनेंसी के वक्त भी एहतियात होनी चाहिये जिसके न होने की वजह से बहुत सी चीजें हो जाती हैं । बच्चों में जो पोलियो होती है उसकी वैक्सीन की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वह लग सके । इस साल 1 करोड़ 20 लाख बच्चों को पोलियो की वैक्सीन दी जानी है, और अगली पांचसाला योजना के अन्त तक यानी 1990 तक हमारा लक्ष्य है कि 85 फीसदी बच्चों को हम यह वैक्सीन दे सकेंगे । जितना भी हमारा इनफ्रास्ट्रक्चर है पी० एच० सी०, सब-सेंटर्स और सोशल वेलफेयर की स्कीम्स के अन्तर्गत सारी जगह इन्तजाम है कि पी० एच० सी० के फंक्शनरीज बच्चों को जाकर वैक्सीन दें । इस काम में मांओं का भी कोआपरेशन चाहिये क्योंकि तीसरे महीने से बच्चे को पोलियो वैक्सीन शुरू की जाती है 1 महीने के इंटरवेल से । अगर वक्त पर न दी जा सके तो सारी उसकी ताकत खत्म हो जाती है । इस काम के लिए हम महिला मंडलों और अन्य संस्थाओं का कोआपरेशन ले रहे हैं । और पोलियो वैक्सीन में दो खास चीजें होती हैं—एक वैक्सीन और दूसरी कोल्ड चेन दोनों स्ट्रेन्दन करने की हम कोशिश कर रहें हैं ।

श्री प्रताप भानु शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा इंटेगरेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम सारे देश में चलाया जा रहा है । इस योजना के अन्तर्गत विगत 4 सालों में कितने विकास खंडों को इस योजना से लाभ मिला है और कितने बच्चों को लाभान्वित किया गया ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : अध्यक्ष जी, यह सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है। इंटेगरेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ब्लाक्स में लेते हैं। मैं एग्जेस्ट फिगर्स तो नहीं दे सकती कि कितने चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं और सुचारु रूप से चल रहे हैं, यह मैं बता सकती हूं।

श्रीमती ऊषा वर्मा : अध्यक्ष जी, ग्रामीण स्तर की सारी योजनाएं डाक्टरों को पहुंचा दी गई हैं, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं, हमारे लखीमपुर-खीरी में ही बहुत से अस्पताल खाली हैं जहां डाक्टर ही नहीं हैं। तो जहां डाक्टर ही नहीं हैं उस क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है ? कारण यह है कि डाक्टर आप ने दिये, प्रदेश सरकार ने भी बताया कि इतने डाक्टर हमने ग्रामीण इलाके में भेज दिये लेकिन वास्तव में डाक्टर वहां जाते नहीं हैं और उसका कारण यह है कि जो सुविधायें उनको शहरों में मिलती हैं वह गांवों में नहीं हैं इसलिये कोई भी डाक्टर गांवों में नहीं जाना चाहता है और इसकी वजह से देहात वालों को चिकित्सा सुविधायें नहीं मिल पाती हैं जो कि शहर वालों को मिलती हैं। मैं जानना चाहती हूं कि देहातों के लिए कितने गये ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : यह स्टेट सबजेक्ट है, लेकिन मैं अपनी बहिन से सहमत हूं। स्टेट सबजेक्ट होने की वजह से मैं यह नहीं बता सकती कि किस पी० एच० सी० पर डाक्टर है और किस पर नहीं है, लेकिन हमेशा चिट्ठियां जाती रहती हैं कि कोई भी पी० एच० सी० ऐसा न हो जहां डाक्टर न हों।डाक्टर ज्यादा से ज्यादा गांव में जायें और लोगों की मदद करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 62—श्री छोटेसिंह यादव—अनुपस्थित।

प्रश्न संख्या 64—प्रो० रूप चन्द पाल।

(व्यवधान)

श्री सी० टी० दंडपाणि : महोदय, प्रश्न संख्या 63 का क्या होगा। श्री लंका में पिछले वर्ष मारे गये युवकों की स्मृति में आज शोक दिवस मना रहे हैं अतः यह एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं नहीं जानता यह किस प्रकार स्थानांतरित हो गया था।

अध्यक्ष महोदय : यह किसी तकनीकी कारण की वजह से है। हम आपको बतायेंगे।

श्री सी० टी० दंडपाणि : मैं प्रश्न संख्या 63 के बारे में पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह किसी तकनीकी कारण की वजह से हुआ है।

श्री सी० टी० दंडपाणि : मैं नहीं जानता तकनीकी क्या कारण है ?

अध्यक्ष महोदय : हम आपको बतायेंगे।

(व्यवधान)

भारत में टेण्डकोट और टेण्ट्रिल जैसी औषधियों पर:
प्रतिबन्ध लगाने के लिए कार्यवाही

*64. **प्रो० रूप चन्द पाल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को मालूम है कि टैन्डकोट और टेन्ड्रिल जैसी शक्तिशाली दर्द मारक औषधियों पर कुछ देशों में पहले से ही प्रतिबन्ध लगा है क्योंकि इनसे रक्तचाप जैसी गम्भीर शिकायतें पैदा हो जाती हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो हमारे देश में इस प्रकार की औषधियों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) जी हाँ।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारतीय चिकित्सा संघ की यह राय है कि आक्सीफेनबूराजोन/फ्रेनिलबूटाजोन औषधियाँ लाभकारी औषधियां हैं। अतः इन औषधियों को पूरी तरह से बाजार से हटा लेने का कोई मामला नहीं बनता।

वैसे, इन औषधियों को केवल ऐंकीलूसिंग स्पौंडेलाइटिस और गौटी आरथ्रीटिस का इलाज करने में इस्तेमाल की अनुमति दी जा रही है। इन औषधियों के निर्माताओं को उनकी एसोसिएशनों तथा राज्य औषध प्राधिकारियों के जरिये ये निदेश दिये गए हैं कि वे इन औषधियों के डिब्बों में रखी जाने वाली पर्चियों तथा इनके प्रचार साहित्य में इनके प्रयोग में बरती जाने वाली सावधानियों और निषेधक लक्षणों का उल्लेख करें।

प्रो० रूप चन्द पाल : महोदय, औषधि सूत्रों तथा सम्मिश्रणों पर विभिन्न देशों में खुशी में प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता। जब अनुभव से यह सिद्ध हो जाता है कि मूलतः हानिकारक हैं, तभी ऐसे कठोर निर्णय लिये जाते हैं। विश्व में 24 प्रतिबन्धित औषधियों में से हमारे देश में 18 को बाजार से तुरन्त हटा लेने के लिये कहा गया है तथा 6 के बारे में यह सहमति हो गई है कि उन्हें इन सावधानियों के साथ बाजार में चलने दिया जाए कि उनके साथ निषेधक लक्षण आदि दिये जाने चाहिये। लेकिन आपको याद होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने 1974 में यह चेतावनी दी थी कि भारत जैसे देश रद्द की गई तथा प्रतिबन्धित औषधियों के भंडारण स्थल बन गए हैं तथा आप जानते हैं कि कुछ व्यक्तियों की भूमिका—मैं किसी संगठन पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं—लेकिन कुछ व्यक्ति भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् (आई० सी० एम० आर०) तथा भारतीय चिकित्सा संघ (आई० एम० ए०) जैसे सहयोजित संगठनों को पूर्व में कुछ बहुराष्ट्रकों को ऐसी प्रतिबन्धित औषधियों के विपणन की अनुमति देने के लिए बहुत अधिक प्रभावित किया गया है—यह प्रकट भी हो चुका है।

इसे दृष्टिगत रखते हुए, मेरा प्रश्न यह है कि (क) क्या प्रश्न में उल्लिखित टेन्ड्रिल तथा टेंडाकोट जैसी औषधियों के विकल्प बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। यदि ये उपलब्ध हैं और उल्लिखित रोगों के लिए अहानिकर माने जाते हैं तो इन विशिष्ट निषेधक लक्षणों वाली तथा ब्रिटेन व अन्य विकसित देशों में प्रतिबन्धित दो औषधियों के विपणन की अब भी अनुमति क्यों दी जा रही है ? (ख) क्या यह सच नहीं है कि निषेधक लक्षणों की पर्चियां तथा उल्लेख साथ रखने के सम्बन्ध में लिए गए निर्णयों के बावजूद, एन्ट्रोवायरोफार्म तथा फेनासिटीन जैसी औषधियाँ बाजार में न केवल दवाइयों की दुकानों पर बल्कि पंसारियों की दुकानों पर भी बिक रही हैं तथा अनपढ़ और अनजान लोग उन्हें खरीद रहे हैं तथा वे उनके स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचा रही हैं ?

कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी : महोदय, सर्वप्रथम तो मैं माननीय सदस्य के इस कथन से असहमत हूं कि जो औषधियां अन्य देशों में प्रयोग नहीं की जाती या लाभकारी नहीं हैं, भारत उनका भंडारण स्थल है। श्रीमन्, ऐसी बात नहीं है।

(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्य के कथन से पूरी तरह असहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे माननीय मंत्री को माननीय सदस्य से असहमत होने से वंचित न करें।

(व्यवधान)

कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी : यह देश अलाभकारी औषधियों का भंडारण स्थल नहीं है। इसके विपरीत, यह देश··· **(व्यवधान)**

यह देश भंडारण स्थल नहीं है और हम इसकी अनुमति नहीं देते हैं। **(व्यवधान)** कृपया धीरज रखें। मैं आपके मुख्य प्रश्न का भी उत्तर दूंगी। **(व्यवधान)**

दूसरे हमने उल्लेख भी किया है कि औषधियों तथा उनकी गुणवत्ता का ध्यान रखने के लिए हमारे पास सशक्त बुनियादी ढांचा है। मेरे मंत्रालय में औषधि नियंत्रक एक योग्य व्यक्ति है। लाभकारी औषधियों पर नजर रखने तथा देश के लोगों के लिए हानिकर औषधियों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए एक अच्छा क्रियाशील संगठन है।

हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के भी सदस्य देश हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन से हमें सदैव यह जानकारी मिलती रहती है कि अमुक औषधि अमुक देश में प्रतिबन्धित है, न कि अमुक औषधि सर्वत्र प्रतिबंधित है। यदि सदस्य चाहें तो मैं उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हमें दी गई औषधियों की विस्तृत सूची देने के लिए तैयार हूं जिसमें यह कहा गया गया है कि उस औषधि पर सारे देश में प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिये। यह देश की आवश्यकता पर निर्भर करता है। यह देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। हमें अपने देश में विश्व स्वास्थ्य संगठन से रिपोर्ट प्राप्त होती हैं। हमें भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा अन्य संगठनों से जो इस समय

हमारे देश के स्वास्थ्य अनुसंधान कार्यक्रम की देखरेख में संलग्न हैं, से भी रिपोर्टें प्राप्त होती हैं।

उन्होंने दो औषधियों का उल्लेख किया है। अपने उत्तर में मैंने टेंडकोट तथा टैन्ड्रिल का नाम लिया है। वे औषधियों के ब्रांड नाम हैं, जिनके मैंने प्रजातिगत नाम दिए हैं। अन्ततः, यह एक ब्रांड नाम है। इसलिए, दोनों में कोई अन्तर नहीं हैं।

जहां तक गुणवत्ता तथा अन्य बातों का सम्बन्ध है, ब्रांड नाम तथा प्रजातिगत नाम में कोई अन्तर नहीं हैं।

इन औषधियों के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हमें रिपोर्ट दी है कि कुछ देशों ने इसके प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया है तथा कुछ ने इसका प्रयोग सीमित कर दिया है। जब हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन से रिपोर्ट प्राप्त हुई तो हमने तुरन्त भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा भारतीय चिकित्सा संघ को इसके ब्यौरों का अध्ययन करने तथा इसके प्रयोगोपरांत प्रभावों के बारे में रिपोर्ट देने के लिए कहा। रिपोर्ट मिलने पर हमने सभी राज्य सरकारों को सूचित कर दिया है कि हमारे देश में उन रोगों के लिए, जिनका उल्लेख मैंने अपने मुख्य उत्तर में किया है, कोई अन्य औषधि नहीं है। हमने उन्हें स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इन औषधियों का ध्यान रखें तथा ये औषधियां तभी दी जानी चाहिए जब किसी योग्यता प्राप्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा इनका नुस्खा लिया गया हो और उस स्थिति में भी सात दिन से अधिक नहीं। तत्पश्चात् उन्हें इसकी प्रतिक्रिया देखनी चाहिए। अभी तक हमें इससे विपरीत प्रभावों की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देती हूं कि जब भी हमें पता चलेगा कि औषधि देश में किसी भी व्यक्ति के लिए हानिकारक है, तो हम औषधि की बाजार में आपूर्ति करने की अनुमति नही देंगे। लेकिन इन दो औषधियों के लिए देश में कोई वैकल्पिक औषधि नहीं है। केवल दो या तीन देशों ने इस पर प्रतिबन्ध लगाया है और दो देशों ने इसका प्रयोग आंशिक रूप से सीमित किया है। इसलिए औषधि नियंत्रक द्वारा राज्य सरकारों को दिए गए मार्ग दर्शन के अन्तर्गत हमने इस औषधि को चलने दिया है।

प्रो० रूप चन्द पाल : प्राक्कलन समिति ने अपने हाल ही के एक प्रतिवेदन में कहा है कि हमारे देश में औषधि नियंत्रण से सम्बन्धित बुनियादी ढांचा बहुत अपर्याप्त है। इसके अतिरिक्त भारतीय औषध-कोष, जो इस क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शक है, 17 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था और मार्ग दर्शन के लिए कोई सही भारतीय औषध-कोष नहीं है। हम इस दिशा में विफल हो रहे हैं, जबकि बंगलादेश जैसे देश ने, जिन औषधियों के बारे में आवश्यक था, बाजार में उन्हें प्रतिबन्धित करके यह कर दिखाया है। इसलिए, क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार डाक्टरों तथा जनता को सरकारी संचार माध्यमों तथा समाचार पत्रों के द्वारा किन्हीं विशेष सम्मिश्रणों तथा सूत्रों के हानिकर प्रभाव के बारे में आवश्यक जानकारी देने के लिए एक निगरानी कक्ष तथा एक औषधीय सूचना केन्द्र स्थापित करने के लिए राजी होगी ?

कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी : जहां तक औषध अधिनियम के कार्यान्वयन का सम्बन्ध

है, यह राज्यों का विषय है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकती हूं कि मेरे मन्त्रालय में भारत के औषधि नियंत्रक के अधीन जो बुनियादी ढांचा है, वह पर्याप्त है। जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, हम सदैव उन्हें लिखते हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने भी मुख्य मन्त्रियों तथा स्वास्थ्य मन्त्रियों को भी लिखा है। मैं भी इस मामले में प्रयत्नशील हूं कि राज्य का औषधि नियंत्रक भी एक तकनीकी व्यक्ति होना चाहिए।

प्रो० रूप चन्द पाल : आपकी कितनी प्रयोगशालाएं हैं ?

कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी : हमारी अपनी प्रयोगशालाएं हैं। राज्य सरकारों को प्रयोगशालाओं की भी देखरेख करनी होती है। हमने राज्य सरकारों को कई बार लिखा है कि उन्हें प्रयोगशालाओं को सशक्त बनाना चाहिए। प्रयोगशालाओं को जिस प्रकार के भी उपकरण तथा मशीनें चाहिए थीं, उन्हें दी गयी हैं। इसके साथ-साथ हमने उनसे अनुरोध किया है कि वे औषधि नियंत्रक के पद पर तकनीकी व्यक्ति को नियुक्त करें। इसके अतिरिक्त, हमने निर्माता एजेंसियों को कहा है कि औषधिओं की गुणवत्ता पर नजर रखें। इस प्रकार, इसका इन तरीकों से ध्यान रखा जाएगा।

कलकत्ता की मैट्रो रेलवे परियोजना का पूरा किया जाना

*65 **श्री आर० आर० भोले :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता की मैट्रो रेलवे परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी;

(ख) एस्प्लनेड़ और श्याम बाजार के बीच सुरंग का कार्य क्यों रोक दिया गया है जिससे व्यक्तियों को कठिनाई हो रही है; और

(ग) मिडिल सेक्शन सुरंग के निर्माण के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा आमन्त्रित किए गये विश्व-व्यापी टेण्डर के क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) परियोजना को पूरा करना इस विशिष्ट परियोजना के लिए वर्षानुवर्ष मंजूर की जाने वाली धनराशि पर पूर्णत: निर्भर करेगा, इसलिए इस समय इसे पूरा करने के संबंध में निश्चित तारीख बताना संभव नहीं है।

(ख) और (ग) एस्प्लेनेड और श्याम बाजार के बीच जिस लम्बाई में मैट्रो सुरंग बनाती है वह चित्तरंजन एवेन्यू के साथ-साथ पड़ती है जो कलकत्ता की व्यस्तम सड़कों में से एक है और जहां पर सामान्य सड़क यातायात परिस्थितियों में कार्य शुरू करना होगा। इस क्षेत्र में अत्यधिक घनी

और ऊंची इमारतें होने तथा भूगत कठिन मृदा परिस्थितियों के कारण भी अधिक सावधानी तथा एहतियातें बरतनी होगी और इस कार्य को करने के लिए विशिष्ट विशेषज्ञों की सेवाएं लेनी होगी। इस प्रयोजन के लिए विश्व में अन्यत्र उपलब्ध विकसित आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा मैट्रो के इस भाग में विशेष किस्म की डायाग्राम दीवारों तथा अन्य सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करने के लिए पंजीकृत उपकरणों का इस्तेमाल करना जरूरी है। तदनुसार विश्व निविदाएं आमन्त्रित की गयी हैं। इन निविदाओं के प्रत्युत्तर में केवल दो पार्टियां ही यह कठिन कार्य करने के लिए सक्षम समझी गयी हैं और वह भी दोनों मामलों में जापानी विशेषज्ञों की सेवाओं का इस्तेमाल करके। इनमें से एक पार्टी को मांग पत्र भी जारी कर दिया गया है और काम शुरू करने के लिए ठेके को अन्तिम रूप दिए जाने से पहले इस सम्बन्ध में अन्तिम शर्तें निर्धारित करने के बारे में बातचीत की जा रही है।

कलकत्ता मैट्रो रेलवे के सुरक्षा उपायों का असफल होना

*71. **श्री सोमनाथ चटर्जी**
श्री सत्य साधन चक्रवर्ती } : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता मैट्रो रेलवे में जो हाल ही की भारी वर्षा से बाढ़ में डूब गई थी, सुरक्षा उपायों की असफलता के कारणों का कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अब ऐसा अध्ययन करवाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) कलकत्ता मैट्रो रेलवे के सुरक्षा उपायों के असफल होने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि अभी यह निर्माणाधीन है और इस अवधि के दौरान इसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। लेकिन पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मैट्रो में पानी भर जाने के कारणों और मैट्रो सुरंग में पानी के प्रवेश के स्रोतों की जांच की गई है।

इस मामले की जांच करने के लिए 16-6-1984 को रेलवे बोर्ड के तीन वरिष्ठ निदेशकों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था जिसकी रिपोर्ट शीघ्र ही मिलने की आशा है।

इस बीच इसकी जांच करने के लिए लन्दन भगत मेट्रो परिवहन से एक विशेषज्ञ को बुलाया

गया था जिसने अपने निष्कर्ष तथा परामर्श प्रस्तुत कर दिए हैं।

विदेशी विशेषज्ञ अभिकल्प की मुख्य विशिष्टियों और उनमें उल्लिखित निर्देशों से संतुष्ट था वह चाहता था कि पानी के प्रवेश को रोकने के लिए बाहर से मेट्रो सुरंग में प्रवेश के अन्य सभी प्रवेश स्थलों जैसे रोशनदान शाफ्ट, सतह पर सुरंग पथ, कोचिंग स्टाक को मेट्रो सुरंग में पहुंचाने तथा बाहर निकालने के लिए मेट्रो सुरंग के ऊपर खुले स्थानों को उपयुक्त रूप से ढक दिया जाये, जिस पर पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी गयी है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री आर० आर० भोले : माननीय मन्त्री जी से यह प्रश्न मैंने पूछा था। मैं बम्बई निर्वाचन क्षेत्र का हूं। किन्तु बम्बई और कलकत्ता नगर बहनों के समान हैं। वास्तव में, कलकत्ता, जिस निर्वाचन क्षेत्र से आये हैं।' बम्बई की बड़ी बहन के समान है।

प्रो० मधु दंडवते : बहन होना इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सास होना।

श्री आर० आर० भोले : मैंने कलकत्ता की मेट्रो रेलवे परियोजना के पूरा होने तथा भीड़-भाड़ से युक्त कलकत्ता के यातायात की कठिनाइयां दूर करने तथा कम करने के बारे में पूछा था। उसका उत्तर निम्नलिखित है :—

'(क) परियोजना को पूरा करना इस विशिष्ट परियोजना के लिए वर्षानुवर्ष मन्जूर की जाने वाली धनराशि पर पूर्णतः निर्भर करेगा, इसलिए इस समय इसे पूरा करने के संबन्ध में निश्चित तारीख बताना संभव नहीं है।

(ख) और (ग) एस्प्लेनेड और श्याम बाजार के बीच जिस लम्बाई में मेट्रो सुरंग बनानी है, वह चित्तरन्जन एवेन्यु के साथ-साथ पड़ती है जो कलकत्ता की व्यस्त सड़कों में से एक है और जहां पर सामान्य सड़क यातायात परिस्थियों में कार्य शुरू करना होगा। इस क्षेत्र में अत्यधिक बड़ी और ऊंची इमारतें होने तथा भूमिगत कठिन मृदा के कारण अधिक सावधानी तथा एहतियातें बरतनी होगी और इस कार्य को करते समय विशिष्ट विशेषज्ञों की सेवाएं लेनी होगीं। इस प्रयोजना के लिए विश्व में अन्यत्र उपलब्ध विकसित प्रौद्योगिकी तथा मेट्रो के इस भाग में विशेष किस्म की डायाफ्राम दीवारों अन्य सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करने के लिए पंजीकृत उपकरणों का इस्तेमाल करना जरूरी है। तदनुसार विश्व निविदायें आमन्त्रित की गई हैं। इन निविदाओं के प्रत्युत्तर में केवल दो पार्टियां ही यह कठिन कार्य करने के लिए सक्षम समझी गयी हैं और वह भी दोनों मामलों में जापानी विशेषज्ञों की सेवाओं का इस्तेमाल करके। इनमें से एक पार्टी को मांग पत्र भी जारी कर दिया गया है और कार्य शुरू करने के लिए ठेके को अन्तिम रूप दे दिये जाने से पहले इस सम्बन्ध में अंतिम शर्तें निर्धारित करने के बारे में बात-चीत की जा रही है।"

अब मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर में जिन बातों का उल्लेख किया गया है। क्या जिस समय परियोजना सर्व प्रथम आरम्भ की गई थी। उस समय उन सभी बातों का ध्यान रखा गया

था, अथवा नहीं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि सम्पूर्ण परियोजना का प्रथम प्राक्कलन क्या था और इस योजना को कब तब पूरा किया जाना था।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : उनके प्रश्न का उत्तर में दो खण्डों में देना चाहूंगा। प्रथम खण्ड में उन्होंने यह आलोचना की है कि केवल ईश्वर ही जानता है कि यह कब तक पूरी होगी, इत्यादि, इत्यादि···

अध्यक्ष महोदय : आप तो इस बात का विश्वास करेंगे नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं भी आप की इजाजत से बोलूंगा।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : इसके उत्तर में मुझे यह कहना है कि कुल भूमिगत निर्माण 16.43 कि० मी० लम्बा है। हमने इसे कई शाखाओं में बांट दिया है।

एक शाखा एस्प्लेनेड से मोनानीपुर तक है। वह 3.6 कि० मी० है। प्रचालन के लिए उसे तैयार किया जा रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन सबके बारे में विस्तार से बता दिया गया है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : पहले मुझे पूरी बात कह लेने दीजिए। इसके बाद आपको प्रश्न पूछने के अनेक अवसर मिल जायेंगे।

मोनानीपुर से टोली गंज की दूरी 3.8 कि० मी० है। यह लगभग पूरा हो चुका है—90% कार्य पूरा हो गया है और 10 प्रतिशत कार्य पूरा करना शेष है। हमें आशा है कि अगले छः महीने में वह पूरा हो जायेगा।

दमदम से बेलगछिया की दूरी 2.5 कि० मी० है। यह मार्ग भी पूरा हो चुका है। बेलगछिया से श्याम बाजार 1.5 कि० मी० की दूरी पर है। यह मार्ग निर्माणाधीन है।

जहां तक श्याम बाजार तक के मार्ग का प्रश्न है जो 5 कि० मी० है, हमने कार्य आरम्भ कर दिया है। हमारे विचार से विभिन्न कारणों यथा यातायात, घनी आबादी, ऊंची इमारतों आदि के कारण, यह इस योजना का सबसे अधिक कठिन कार्य है। इस कार्य में अब तक हुई प्रगति के बारे में मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं।

प्रश्न के अन्य भाग के बारे में, दमदम से टोलीगंज तक मेट्रो रेलवे निर्माण की परियोजना 140 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 1972 में स्वीकृत की गई थी। वर्तमान मूल्य स्तर पर इस परियोजना की बढ़ी हुई लागत अनुमानतः 800 करोड़ रुपये है और अगले कुछ वर्षों के दौरान जब तक यह परियोजना पूरी होगी, इसकी लागत बढ़कर 1000 करोड़ रुपए हो जायेगी। अब तक

1972 से 1980 तक, इन 7 वर्षों में इस परियोजना के लिए केवल 68 करोड़ रुपया आबंटित किया गया है। वर्ष 1980 से उत्तरोतर हर वर्ष और अधिक धनराशि आबंटित की जा रही है, 1980-81 में 27 करोड़ रुपए से आरम्भ की गई थी और 1984-85 में इसे बढ़ाकर 80.70 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 1984-85 के अन्त तक आबंटित राशि 315 करोड़ रुपये हो जायेगी और इतनी राशि हो जाने के बाद भी परियोजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि की और आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए धनराशि सीमित होने के कारण इस परियोजना के बारे में हमारे लिए यह बताना संभव नहीं है कि हम इस परियोजना को कब तक पूरा कर लेंगे। किन्तु यह मानते हुए कि धनराशि उपलब्ध है—धनराशि की कोई कमी नहीं है—जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि लगभग 8 कि० मी० या 9 कि० मी० मार्ग पर कार्य पूर्ण हो चुका है। जो श्याम बाजार से एस्प्लेनेड तक का केवल 5 कि० मी० का मार्ग पूरा होना शेष रहता है। हमारा इरादा' कार्य को यथाशीघ्र आरम्भ करने का है।

श्री आर० आर० भोले : जिन प्रतिबन्धों से मंत्री जी को परेशानी है, उसके संदर्भ में ऐसा प्रतीत है कि इस सदन में उन्होंने यथा सम्भव सर्वोत्तम उत्तर दिया है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है। अब उनका कहना है कि "इस परियोजना का कुछ अंश बहुत ही कठिन है।" वहां सड़क यातायात, ऊंची इमारतों, कठिन भूमिगत मृदा है। हमें इसका अनुभव नहीं है। हमारे पास उन्नत आधुनिक तकनीक विशेषता है और यांत्रिक उपकरण भी। "दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ यह है कि विरंजन एवेन्यु की योजना पूरी करने के लिए हमारे पास लगभग सभी साधन उपलब्ध हैं।"

मैं एक प्रश्न पूछता हूं। विश्व निविदायें आन्तत्रित करने के बाद जापान के निर्यातक की निविदा स्वीकार की गई है ; तो इस परियोजना के विशेष कर इस भाग को पूरा करने पर मोटे तौर पर कितनी लागत आयेगी।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : एस्प्लेनेड और श्याम बाजार के बीच की 5 कि० मी० की बड़ी शाखा के निर्माण के लिए यदि राष्ट्रीय निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं; तो ओवर-सीज इकोनोमिक कारपोरेशन फन्ड, जापान 408 बिलियन येन अर्थात् लगभग 20 करोड़ रुपये का ऋण देने को तैयार है। प्राप्त हुए पांच प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव जापान का और चार प्रस्ताव भारत के हैं। जापान के विशेषज्ञों की केवल दो फर्में हैं पर्याप्त अनुभव, वित्तीय क्षमता और तकनीकी जानकारी वाली समझी गई हैं जो इस काम को कर सकती हैं। ओवरसीज इकानोमिक कारपोरेशन फन्ड के मार्ग निर्देशक के सिद्धांतों के अनुसार सफल निविदा दाताओं को आशय-पत्र जारी कर दिए गये हैं और बातचीत जारी है। इस मार्ग निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार औपचारिक रूप से टेन्डर स्वीकार करने तथा निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व सैविदा सम्बन्धी कागजात ओवरसीज इकानोमिक कारपोरेशन फन्ड द्वारा अनुमोदित कराये जाने चाहिए।

सक्षम समझ कर चुनी गयी इन दो फर्मों में से एक भारतीय सहयोग प्राप्त जापानी फर्म है और दूसरी जापानी सहयोग प्राप्त भारतीय फर्म है। माननीय सदस्यगण इस बात से सहमत होंगे कि

सुरंग बनाने तथा निर्माण कार्य के बारे में जापानियों को बहुत अधिक अनुभव है। इस कार्य को पूरा करने हेतु ठेके की अवधि चार वर्ष की है। ठेके का यथा विज्ञापित मूल्य लगभग 59 करोड़ रुपया है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : महोदय, मुझे विश्वास है कि अब तक आप यह समझ गये होंगे कि रेल मंत्रालय कलकत्ता के 1 करोड़ व्यक्तियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उन्होंने परियोजना आरम्भ कर दी है, काम चालू है, किन्तु उन्हें यह नहीं पता कि एस्प्लेनेड से श्याम बाजार तक की भूमि कब तक काम के योग्य बनाई जा सकेगी। रोगी आपरेशन की मेज पर है और वह भारी सासें ले रहा है तथा उसकी मेज के पास खड़ा डाक्टर यह सोच रहा है कि उसकी शल्य चिकित्सा के लिए और अन्य उपचार के लिए उसे किन यन्त्रों का इस्तेमाल करना है।

प्रो० मधु दंडवते : आपरेशन सफल रोगी मर गया।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : जब आपने परियोजना आरम्भ की थी, आपने तभी उसके बारे में क्यों नहीं सोचा था ? अब जबकि सारे नगर निवासियों को परेशानी हो रही है तब आप कह रहे हैं, यदि धन उपलब्ध हुआ तो; 'जापान की फर्मों के साथ बात-चीत चल रही है; इत्यादि इत्यादि। श्री गनी खान चौधरी, बताइये बेचारे कलकत्ता का क्या होगा ? इसके अलावा मेरा प्रश्न यह है। आपने देखा होगा कि हाल ही में सुरंग के भाग में बाढ़ आ गई थी और 30 करोड़ रुपये के उपस्कर नष्ट हो गये। मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा है।

"कलकत्ता मेट्रो रेलवे के सुरक्षा उपायों के असफल होने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि अभी यह निर्माणाधीन है और इस अवधि के दौरान इसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय किये गये है।"

यदि ऐसा है, यदि सब कुछ ठीक है, तो सुरंग में पानी कैसे घुस गया ? यह कैसी त्रिडम्बना है, जब उन्होंने सुरक्षा उपाय पूर्ण नहीं किये थे तो मन्त्री जी ने साढे तीन किलो मीटर रास्ते में रेल चलाने का निर्णय कैसे ले लिया। मंत्री जी से, संक्षेप में, यह जानना चाहता हूं कि मेट्रो रेलवे में पानी भर जाने के क्या कारण हैं···(**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी : रेलवे की अनुपूरक मांगों के बारे में भाषण देते समय वह इसके बारे में बता सकते हैं। यह प्रश्न काल है···(**व्यवधान**)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : महोदय, मेरा यह अनुरोध है कि इन्हें कम से कम प्रारम्भिक पाठ तो सिखा दें ···

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर तिवारी यह सोच रहे हैं कि प्रश्न सुरंग बनाने से भी अधिक समय ले रहा है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के अनुसार सुरक्षा उपाय पूरे नहीं

किए गये थे। यदि ऐसा था, तो ऐसे विशेष मार्ग पर रेल चलाने का निर्णय क्यों ले लिया गया था जिसके कारण वहां पानी भर गया था ? सुरक्षा उपाय पूर्ण किए बगैर यह निर्णय क्यों लिया गया था ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अध्ययक्ष महोदय, मुझे खेद है, कुछ माननीय सदस्यों का विचार है कि पश्चिम बंगाल के एकमात्र अभिरक्षक नहीं हैं··· (**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्हें विनोद प्रिय होना चाहिए।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैं अपने कुछ मित्रों को बता देना चाहता हूं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आप मुझे बताइये। मैंने प्रश्न पूछा है।

एक माननीय सदस्य : वह सारे सदन को बतायेंगे।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : हावड़ा नगर पालिका चुनाव परिणामों को मत भूलिए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने आपको प्रश्न तक ही सीमित रखिये।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : एक पूर्व प्रश्न का उत्तर देते समय मेट्रो रेलवे की सारी कहानी बता दी है। जो कुछ मैंने कहा है, उसके बारे में कोई संदेह और गलत फहमी नहीं होनी चाहिये और मैं सभा से यही विनम्र निवेदन कर सकता हूं कि मेट्रो रेलवे बनाने वालों ने एक अदभुत कार्य किया है।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : मैं बाढ़ की बात पर भी आ रहा हूं। कई वर्षों तक धन की कमी और वित्त नियंत्रण के कारण 1980 के बाद ही धन उपलब्ध हो सका और तब कार्य आश्चर्यजनक गति से किया गया···

कुछ माननीय सदस्य : हां. हां।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अब बाढ़ का प्रश्न लीजिए। सज्जन···

(**व्यवधान**)

श्री नवलकिशोर शर्मा : सज्जन नहीं हैं। वह एक माननीय सदस्य हैं।

श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी : हां, माननीय सदस्य ने मुझसे पूछा है कि इसमें बाढ़

क्यों कर आई। हम इस बारे में विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं और माननीय सदस्य हानि के जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके बारे में मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि ये पूर्णतया निराधार है। यह चुनावों पर दृष्टि रखकर कहा गया है। वे मेट्रो रेलवे के बाढ़ग्रस्त होने से चिंतित नहीं है वे तो केवल जनता को गुमराह करने में लगे हैं··· **व्यवधान** हर कोई यह जानता है···

(व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या आप मंत्री महोदय से सही ढंग से उत्तर देने के लिए कहेंगे ?

एक माननीय सदस्य : ये सब असंगत बातें हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : आप चिल्ला क्यों रहे हैं ?

श्री आनन्द गोपाल मुखर्जी : सारा कलकत्ता शहर ही बाढ़ ग्रस्त हो गया था।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : चिल्लाइये मत। आपको फिर हस्पताल जाना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री हाल्दर जी बैठे जाइये। कृपया उत्तर दीजिये। हमें अपने समक्ष प्रश्न तक ही सीमित रहना चाहिये।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हर कोई यह जानता है कि मानसून आरम्भ होने पर 3 और 6 जून के बीच भारी जल प्लावन के कारण शहर बाढ़ में डूब गया था, जाल-निकासी प्रणाली के पूर्णतया नष्ट हो जाने के कारण समस्त जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और सभी प्रकार का यातायात, रेलसेवा वायु सेवा और मेट्रो सुरंग के बाढ़ग्रस्त होने के अतिरिक्त बस सेवाएं भी अस्त-व्यस्त हो गई थीं। (**व्यवधान**) इन तीन दिनों में कुल मिलाकर 500 मि० मी० वर्षा हुई।

मेट्रो रेलवे की कहानी यह है कि बाढ़ आदि को रोकने के लिए तथा सुरंग के निर्माण को सुविधाजन्य बनाने के लिए विभिन्न खुले स्थानों के मुख पर कुछ बन्ध लगा दिए गये थे।

मैं विशेषज्ञों की राय बाद में बताऊंगा। इस पर हमने रेलवे की एक समिति गठित की है जिसमें तीन निदेशक है। हमें उनकी रिपोर्ट नहीं मिली है। इसके अतिरिक्त लोगों के मन में कुछ सन्देह हो सकते हैं कि रेलवे अपनी बदनामी बचाने का प्रयास कर सकती है। अतः मैंने मेट्रो की बाढ़ के बारे में स्वतन्त्र और रचनात्मक परिप्रेक्ष्य जानने के लिए कुछ विशिष्ट अभियन्ताओं की एक अन्य विशेषज्ञ समिति गठित की है। किसी प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए राजननीतिक कार्यवाही उपयोगी रहेगी है। रेलवे से बाहर के तीन विशिष्ट अभियन्ताओं की एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है। मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है।

इसके अतिरिक्त, मैंने यह किया कि तत्काल एक निवेदन पर लन्दन भूमिगत परिवहन प्रणाली के सिविल इंजीनियरी निदेशक श्री सी० एफ० बोनट ने 21—24 जून को कलकत्ता की मेट्रो ट्यूब का दौरा किया और मेट्रो परियोजना का अध्ययन किया। उनका यह अभिमत था कि इस अवधि में लगातार वर्षा होने तथा तल से उपयुक्त और सामयिक जलनिकासी के अभाव में नगर के बड़े भाग मे भारी बाढ़ आ गई और प्रातः कमर तक पानी था जिससे सभी मुख्य सेवाओं में अस्त व्यस्त पड़ गई उन कुछ कारणों पर चर्चा करते हुए जिसका कलकत्ता में निर्माण कार्यों पर प्रभाव पड़ता है, उन्होंने कहा कि सिविल इन्जीनियरिंग कार्य बहुत ही कठिन परिस्थितियों में किया जा रहा है, जिनमें से एक यह है कि बाढ़ के पानी के वहां के निवासियों ने अपने घरों और दुकानों को पानी में डूबने से बचाने के लिए उसे कही भी सुराखों द्वारा मेट्रो सुरंग में छोड़ दिया है।

श्री बोनेट ने कहा कि वहां इतनी भीड़ भाड़ है कि वहां लकड़ी के खम्भे आदि खड़े नहीं किये जा सकते हैं और काम लगभग यातायात में करना पड़ता है। लोग कार्यस्थल के साथ रहते हैं और काम करते रहते हैं और जहां काम पूरा हो चुकता है उस क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं या जब चाहा वहां से सामान उठा लेते हैं। अन्य प्राधिकरण भी व्यापक निर्माण, विशेषकर सीवर लाइन और ट्राम लाइनें बिछाने का कार्य कर रहे हैं।

"स्थानीय लोगों ने अपने घरों और दूकानों को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए उसे कहा भी सुराखों द्वारा सुरंग में छोड़ दिया जाता है।"

अध्यक्ष महोदय, जहां तक तिथि की घोषणा करने की बात है, हमने तारीख की घोषण इसलिए की थी, हम पेरिस और लन्दन के विशेषज्ञों की सलाह लिए बिना उसे चालू नहीं कर सकते थे। चूंकि मैं फरवरी, 1984 में पहले ही सलाह ले चुका था, हमने उन्हें स्थायी सलाहकार नियुक्त कर दिया था और इसे तभी चालू करेंगे, जब लन्दन और पेरिस के हमारे स्थायी सलाहकार हमें यह बतायेंगे कि यह हर प्रकार से सही है। (**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय उन्होंने जो उत्तर दिया है, मैं उसके राजनीतिक पहलू पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं··· (**व्यवधान**) कि क्या आपने भूमि के अन्दर रेल चलाने के लिए जो सुरंग खोदी थी उसमें सवारी डिब्बे और अन्य उपस्कर को अन्दर ले जाने हेतु जो मुहाना बनाया था, उसे बिना किसी प्रकार की सुरक्षा के छोड़ देने के कारण उसमें पानी घुस गया था। यदि हाँ तो आपने जितनी दूरी तक रेल चलाने का वायदा किया था तो क्या आप विशेषज्ञ की राय जाने बिना तब तक उसे नहीं चलायेंगे जब तक आप शत-प्रतिशत आश्वस्त नहीं हो जाते हैं कि यातायात का कोई खतरा नहीं है। यह आश्वासन आपको सभा को देना होगा।

ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, में पहले ही कह चुका हूं और सभा के प्रत्येक सदस्य को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि मेट्रो रेलवे को तब तक नहीं चलाया जायेगा, जब तक हमारे विदेशी विशेषज्ञों द्वारा यह आश्वासन नहीं दिया जायेगा कि इसे चालू करने का समय

आ गया है और तभी हम इसे चालू करेंगे ।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उठाए गये इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि क्या बाय का मुहाना मजबूत है, इसके बारे में ही में हम ब्यौरा प्राप्त कर रहे हैं और केवल ब्यौरा प्राप्त करने के बाद ही मैं उन्हें बताऊंगा । इस समय मैं इसके बारे में बताने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : फिर आप पानी जमा होने और सीवर प्रणाली को दोष क्यों देते हैं ? (**व्यवधान**)

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैं इसको दोष इसलिए देता हूं कि श्री बोनट ने यह बात अपनी रिपोर्ट में कही है । (**व्यवधान**) महोदय समस्या यह है कि विपक्ष के माननीय सदस्य तथ्यों को मानने के लिए तैयार नहीं है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

21 मई, 1984 को हावड़ा के समीप रेलगाड़ी की टक्कर

*62. **श्री छोटे सिंह यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 मई, 1984 की सुबह के हावड़ा के समीप हुई रेलगाड़ी की एक टक्कर में अनेक व्यक्ति हताहत हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दुर्घटना की, यदि कोई जांच की गई है तो उसके क्या परिणाम रहे और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) दुर्घटना में आहत व्यक्तियों तथा मृतकों के परिवारों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (**श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी**) : (क) और (ख) 21-5-1984 को हावड़ा स्टेशन पर दो (ई० एम० यू०) स्थानीय बिजली गाड़ियों के बीच हुई टक्कर में मरे तथा घायल हुए व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है :—

मारे गये	—	12
घायल हुए	—	25

इस दुर्घटना की जांच रेल संरक्षा आयुक्त, पूर्व सर्किल द्वारा की गयी थी और उनके अन्तिम निष्कर्ष के अनुसार, अनुवर्ती स्थानीय गाड़ी के ड्राइवर द्वारा स्वचालित सिगनल जिसकी बत्ती

बुझ गयी थी, पर गाड़ी न रोकने तथा ऐसी असामान्य परिस्थितियों में नियमानुसार यथापेक्षित सावधानी न बरतने के कारण टक्कर हुई।

उपनगरीय खंड़ों पर गाड़ी संचालन में कार्यरत कर्मचारियों में संरक्षा संबंधी जागरुकता पैदा करने के लिए, एक अभियान चलाया गया था जो अभी जारी है। इस अभियान में मोटरमैन की संरक्षा नियमों की जानकारी की जांच की जा रही है और इसे अद्यतन बनाया जा रहा है। महाप्रबन्धकों को अनुदेश दिये गये हैं कि बिजली गाड़ियों में एक अन्य मोटरमैन की व्यवस्था करें। इसे उत्तरोत्तर रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे मोटरमैन की व्यवस्था करने के परिणामस्वरूप मानसिक दृढ़ता बढ़ेगी तथा सिगनलों और विभिन्न रफ्तार प्रतिबंधों का अनुपालन करने में पर्याप्त सहायता मिलेगी और इस प्रकार दुर्घटनाओं की संभावना न्यूनतम हो जायेगी। इस सिलसिले में उपलब्ध सभी फालतू भाप इंजन कर्मचारियों को, प्रशिक्षण के बाद यथा संभव अधिक से अधिक गाड़ियों में मोटरमैनों के सहायक के रूप में कार्य करने के लिए तैनात किया गया है।

(ग) इस दुर्घटना संबंधी दावों के निर्णय के लिए राज्य सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीश को तदर्थ दावा आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए मनोनीत किया है।

दिल्ली में बस यात्रियों के लिए कूपन प्रणाली प्रारम्भ करना

*66. **श्री के० ए० राजन**
श्री निहाल सिंह } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की बसों में कन्डक्टरों के पास 5 और 10 पैसे की रेजगारी न होने के कारण यात्रियों को 30/40 पैसे वाली टिकटें खरीदतें समय पैसे छोड़ने पड़ते है;

(ख) यदि हां, तो यात्रियों की सहायतार्थ क्या कदम उठाये जा रहे है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि जनवरी, 1984 में बम्बई में "बेस्ट" को अग्रिम कूपनों को बिक्री करने की अनुमति दी गई थी और ये बसों में टिकटें खरीदने के लिए वैध थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड़) क्या सरकार का दिल्ली में भी ऐसी योजना प्रारम्भ करने का विचार है;

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम कंडक्टरों को अधिक से अधिक रेजगारी देने का हर समय प्रयास

करता है तथापि दिल्ली में छोटे सिक्कों की सकल कमी के कारण, निगम को, कभी-कभी यात्रियों के छोटे सिक्के रह जाने की शिकायतें प्राप्त होता रहती हैं। जब कभी कंडक्टर 5 या 10 पैसे की राशि वापस नहीं कर पाते तब ऐसी स्थिति में उन्हें यह स्थायी अनुदेश दिया गया है कि वे टिकटों के पीछे बकाया राशि का उल्लेख कर दें और यह बकाया राशि दिल्ली परिवहन निगम के सिंधिया हाउस स्थित कार्यालय से वसूली जा सकती है।

(ग) और (घ) हां। बेस्ट ने 5 पैसे, 20 पैसे और 40 पैसे के कूपनों की श्रृंखला जारी की है। यात्री इन कूपनों को पहले ही खरीद सकते हैं और इसका प्रयोग छोटी रेजगारी के स्थान पर कर सकते हैं। कंडक्टर इन कूपनों को स्वीकार करते हैं और इन कूपनों को पंच कर देते हैं जिससे उनको फिर से प्रयोग में नहीं लाया जा सके। वे उन कूपनों को अपनी एकत्र की गई राशि के साथ जमा करा देते हैं तब इन बेकार कूपनों को नष्ट कर दिया जाता है।

(ड़) अभी नहीं।

मालदा, अहमदाबाद और सम्बलपुर में रेलवे डिवीजन

*69. **श्री शिव शरण वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालदा, अहमदाबाद और सम्बलपुर में नए रेल डिवीजन खोले जाते का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक डिवीजन में कुल कितना व्यय होगा; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही कोई डिवीजन बनाने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) रेल मंत्रालय नेनये मण्डलों के सृजन करने का निर्णय लिया है जिसके मुख्यालय अहमदाबाद, सम्बलपुर और मालदा में होंगे। उड़ीसा राज्य सरकार ने सम्बलपुर में मण्डलरे ल प्रबन्धक कार्यालय और कर्मचारी कालोनी बनाने के लिए अपेक्षित भूमि मुफ्त देने का वचन दिया है। जहां तक अहमदाबाद का संबंध है, मण्डल कार्यालय और कर्मचारी कालोनी की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। मालदा के मामले में रेलवे के पास पहले से ही भूमि उपलब्ध है मण्डल कार्यालय तथा सम्बद्ध कार्यों का निर्माण चल रहा है जिसकी अनुमानित लागत 2 करोड़ रुपये है।

इस समय, उत्तर प्रदेश में किसी नये मण्डल की स्थापना के लिए इस मंत्रालय में कोई प्रस्ताव नहीं है। नये मंडलों के प्रश्न पर मण्डल के विस्तार क्षेत्र, कर्मचारियों की संख्या और कार्यभार के आधार पर विचार किया जाता है।

विश्व के औद्योगिक देशों में भारत का स्थान

*69-क **श्री राम स्वरूप राम**
श्री के० लकप्पा } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान हाल ही में प्रकाशित रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है, जिनमें यह कहा गया है कि गत पांच वर्षों के दौरान औद्योगिक देशों में भारत का स्थान 10 वें से घटकर 20 वां हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के स्थान का निर्धारण ठीक तरह से किया गया है;

(ग) क्या विश्व के औद्योगिक देशों में भारत के स्थान के नीचे आने के कारणों की जांच की गई है; और

(घ) भारत का स्थान ऊपर लाने के लिए क्या कदम उठाने का बिचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) सरकार का ध्यान द्यौद्योगिक राष्ट्रों में भारत के स्थान सम्बन्धी समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है। किन्तु, यह कहना सही नहीं है कि भारत 10 वें से नीचे हटकर 20 वाँ हो गया है।

विभिन्न उत्पादक देशों के स्थान का निर्धारित करने में अनेक समस्याएं सामने आती हैं। पहली यह कि जिस आधार पर स्थान का निर्धारण किया जाता है, वह समान मापदंड पर आधारित नहीं होता। दूसरी यह कि ऐसी सुविधा के लिए देशों को दिया जाने वाला स्थान तुलना की अवधि के लिए न तो विशद होता है और न समान ही। तीसरी बात यह कि खनन, तेल उत्पादन जैसे कुछ क्षेत्रों को जो महत्व दिया जाता है उसका युक्तिसंगत तुलना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वास्तव में, विश्व बैंक रिपोर्ट 1984 के आधार पर भारत ने गत दस वर्षों में मूल्य वृद्धि (वैल्यू ऐडेड) वस्तुओं के उत्पादन के क्षेत्र में अपनी स्थिति और अच्छी बना ली है।

(घ) सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस और आयात विषयक नीतियों में उपयुक्त परिवर्तन करके तथा आर्थिक एवं राजकोषीय अभ्युपाय करके औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985-90 में अवस्थापना सम्बन्धी कठिनाइयों से निपटने के लिए पर्याप्त अवस्थापना सम्बन्धी विकास पर बल दिया गया है। सातवीं योजना में औद्योगिक विकास का केन्द्र बिन्दु भी प्रौद्योगिकी का उन्नयन, आधुनिकीकरण परिसम्पत्तियों का बेहतर उपयोग तथा कार्यकुशलता को बढ़ाना होगा, जिससे औद्योगिक विकास की दर में और अधिक तेजी लाई जा सके।

ट्रक के चेसिसों के मूल्यों में वृद्धि

*70-क. **श्री एम०राम गोपाल रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या अभी हाल में टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी ने अपने यहां तैयार ट्रकों की चेसिसों के मूल्यों में 4000 रुपये की वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हाँ तो मूल्यों में उक्त वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्ष 1983-84 में टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी के ट्रकों की बिक्री पिछले वर्ष 1982-83 की तुलना में कम हुई है ;

(घ) क्या मूल्यों में वृद्धि करने से पहले केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त कर ली गई थी; और

(ङ) यदि नहीं, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सम्भवत: मानवीय सदस्य टेल्को से सम्बन्धित हाल ही के समाचार का उल्लेख कर रहे हैं जो हाल ही में संशोधित इस्पात के मूल्यों के कारण टाटा ट्रक चेसिस की कीमत में 4,000 की बढ़ोतरी हो जाने के बारे में है वास्तव में इस प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) तथा (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठते । किन्तु ऐसा कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है जिसके लिए सरकार की मंजूरी अपेक्षित हो ।

एक रेलवे डिवीजन के लिए निर्धारित क्षेत्र

*73. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के एक डिवीजन के लिए 60 किलोमीटर का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कुछ मामलों में इस मानदंड का उल्लंघन किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उन डिवीजनों के नाम क्या हैं जहां इस प्रकार का उल्लंघन किया गया है और जहां एक डिवीजन के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र 60 किलोमीटर से अधिक है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

पीलिया महामारी उत्पन्न करने वाले वायरस इन्फेक्शन का अध्ययन

*74. **श्री लक्ष्मण मलिक**
श्री जी० बाई० कृष्णन } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को यह पता है कि प्रमुखतः हेपाटिट्स बी नामक वाइरस से होने वाली पीलिया की महामारी के कारण गत 6 महीनों के दौरान बहुत सी जानें गई हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस हेपाटिट्स वाइरस इन्फैक्शन का पता लगाने के लिए कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) गुजरात में पीलिया महामारी के फैलने का कारण केवल हेपेटाइटिस बी वाइरस ही नहीं था बल्कि हेपेटाइटिस ए और नान-ए, नान-बी वाइरस भी था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इसकी रोकथाम के लिए जो कदम उठाए गए हैं वे इस प्रकार हैं : पीलिया के रोगियों को अलग कर विशेष वार्डों में रखना, वातावरण को पूरी तरह से रोग फैलाने वाले जीवाणुओं से मुक्त रखना, प्रयोग के बाद फेंक दी जाने वाली सीरिंजों और सुइयों तथा आई० वी० इनफयूशन सेटों का इस्तेमाल, अस्पतालों में सभी वार्डों और आपरेशन थियेटरों को धूमन द्वारा शुद्ध करना, महामारी रोग अधिनियम (1897) के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेटों को निवारक उपाय करने के अधिकार देना, बम्बई राज्य नगर अधिनियम के अन्तर्गत नगर निगमों के आयुक्तों को विशेष अधिकार देना, स्वास्थ्य शिक्षा का विस्तार, सार्वजनिक जल प्रणाली को प्रदूषण से बचाये रखने के लिए स्थानीय निकायों को सक्रिय करना आदि। केन्द्रीय सरकार ने हेपेटाइटिस-बी वेक्सीन और हाइपर इम्यून सीरम हेपा-बी ग्लोबलिन उपलब्ध कराने में सहायता दी है।

बिजली घरों के प्रयोजन हेतु कोयले का अन्यत्र भेजा जाना

*76. **श्री जगतपाल सिंह**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री } : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं जिनमें बिजली घरों के प्रयोजन हेतु उच्च किस्म के कोयले को रेलवे द्वारा चोरी-छिपे कुछ निजी पार्टियों को भेज दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कोयले के अन्यत्र भेजने के लिए उत्तरदायी रेल कर्मचारियों के विरुद्ध तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में फिर से न हों सरकार द्वारा कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां, बिजली घरों को भेजे जाने वाले कोयले को प्राइवेट पार्टियों को भेजे जाने की कुछ रिपोर्टें मिली थीं, जिनकी रेल मंत्रालय के सतर्कता निदेशालय द्वारा जांच की जा रही है।

(ख) जांच कार्य चल रहा है और यह अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही किसी व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी, ऐसी घटना फिर न होने देने के लिए उसके विरुद्ध निवारक कार्रवाई की जाएगी।

रेल पुलों की मियाद और उनके स्थान पर नये पुल बनाना

*77. **श्री चन्द्र देव प्रसार वर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की प्रमुख नदियों पर अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान बनाये गये बहुत से रेलवे पुलों की मियाद, सुरक्षा की दृष्टि से समाप्त हो चुकी है; और

(ख) जिन पुलों की मियाद पूरी हो चुकी है, उनके स्थान पर नये पुल बनाने के लिये तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) श्रीमान, पुलों के पुनर्निर्माण/पुनःस्थापन के प्रयोजनार्थ उनकी कोई मियाद निर्धारित नहीं है और इस कार्य की योजना हालत के आधार पर बनाई जाती है। नियमित वार्षिक निरीक्षणों के परिणामस्वरूप 35 पुल ऐसे पाये गये हैं जिन्हें कार्यक्रमबद्ध आधार पर फिर से बनाने/पुनः गार्डर लगाने/सुदृढ़ करने की जरूरत है। ऐसे 10 पुलों के कार्य को मंजूरी दी जा चुकी है। शेष पुलों पर सातवीं योजना अवधि के दौरान कार्य करने के लिये योजना बनाई जा रही है।

शिक्षा के व्यावसायिकरण हेतु केन्द्र द्वारा वित्त पोषण

*78. **श्री चित्त बसु** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी में यह सिफारिश की गई है कि शिक्षा के व्यावसायिकरण संबंधी योजना केन्द्र द्वारा प्रायोजित की जानी चाहिये और उनका शत-प्रतिशत वित्तपोषण किया जाना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन)

(क) जी हां। राष्ट्रीय शैक्षिक तथा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् द्वारा 23-25 अप्रैल, 1984 को शिक्षा के व्यावसायिकरण के लिये एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया था। अन्य सिफारिशों के साथ-साथ सेमिनार ने यह भी सिफारिश की कि शत प्रतिशत वित्त-पोषण सहित व्यावसायिकरण के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना होनी चाहिये।

(ख) भारत सरकार इस बात से सहमत है कि +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इसका विकास किया जाना चाहिये। तथापि 7वीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है और इस क्षेत्र में आरम्भ की जाने वाली विशिष्ट योजनाओं की जानकारी इसे अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही उपलब्ध होगी।

सातवीं योजना के दौरान बन्दरगाहों का विकास

*79. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषतः पश्चिम तट पर, सातवीं योजना अवधि के दौरान प्रारम्भ किये जाने वाले बंदरगाहों के विकास कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस उद्देश्य के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) प्रमुख पत्तनों के लिये सातवीं पंचवर्षीय योजना स्कीमों को तैयार करने के लिये एक कार्यदल का गठन किया गया है। इस कार्यदल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

रोग प्रवण राज्यों का वर्गीकरण करने के लिए अध्ययन

*80. **श्री बसुदेव आचार्य**
श्रीमती सुशीजा गोपालन } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ रोग-प्रवण राज्यों का वर्गीकरण करने हेतु कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त अध्ययन न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों के मुख्य संचारी रोग कैसे और किस हद तक फैलते हैं इसके बारे में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय नियमित रूप से सूचना एकत्र करता रहता है और उसका विश्लेषण करता है। इसके

अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में कोई रोग स्थानीय रूप से तो नहीं फैलता इसका पता लगाने के लिये 'अनेक रोग नियंत्रण/उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत समय-समय पर विशेष अध्ययन और सर्वेक्षण किये जाते हैं। ऐसे विश्लेषणों एवं सर्वेक्षणों के कतिपय मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

1. क्षय रोग देश भर में लगभग एक जैसा फैला हुआ है।

2. देश के लगभग 19 राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में गलगण्ड एक स्थानीय बीमारी है।

3. छह राज्यों के 87 जिलों में गिनी कृमि स्थानीय बीमारी है।

4. 9 से 11 राज्यों में जापानी इन्सेफेलाइटिस फैलता है।

5. काला ज्वर केवल बिहार और पश्चिम बंगाल में ही होता है।

6. कुछेक राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को छोड़कर मलेरिया की घटनाओं में आम तौर पर कमी आई है।

7. के० एफ० डी० (मंकी रोग) फलूरोसिस, वानामैथी आदि जैसे रोग निश्चित रूप से स्थानिक हैं और दक्षिण के कुछेक राज्यों में ही फैले हुए हैं।

8. कुष्ठ रोग 18 राज्यों के 97 जिलों में अति स्थानिक रूप में व्याप्त है।

अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के समीप एक पहुंच मार्ग के निर्माण के कारण निगमबोध घाट और यमुना बाजार को बाढ़ का खतरा

613. **श्री सुशील भट्टाचार्य**
श्री नारायण चौबे } : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उपरि पुल के निर्माण से, जिनका पहुंच-मार्ग अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के समीप है, निगमबोध घाट के पास यमुना नदी का घाट संकरा हो गया है और इससे घाट तथा यमुना बाजार कालोनी को बाढ़ का भारी खतरा पैदा हो गया है;

(ख) क्या यह लोक निर्माण विभाग और बाढ नियंत्रण विभाग के बीच अपेक्षित समन्वय की कमी है, जिससे नदी के इस संकरे विस्तार पर जल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए यमुना बांध का निर्माण नहीं हो पाया है; और

(ग) यदि हां, तो लोक निर्माण विभाग की इस चूक और अदूरदर्शिता से धन और असुविधा के रूप में सरकार और जनता का कितना नुकसान होगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी

नहीं। दिल्ली प्रशासन के लोक निर्माण विभाग के अनुसार अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के निकट प्रस्तावित पुल के पूर्वी पहुंच मार्ग के निर्माण से नदी का मुख्य जलमार्ग संकरा नहीं हुआ है। निगम बोध घाट हमेशा बाढ़ वाला क्षेत्र रहा है। 1978 में बाढ़ का पानी यमुना बांध के ऊपर तक चढ़ आया था और रिंग रोड तथा यमुना कालोनी में भी बाढ़ आ गई थी। किनारे-किनारे पत्थर डालकर बाढ़ के पानी से इन घाटों की रक्षा करना अनिवार्य है। यह मामला दिल्ली प्रशासन बाढ़ नियंत्रण विभाग से सम्बद्ध है और वह इस बारे में आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

(ख) जी नहीं। परियोजना के बारे में विभिन्न स्थितियों में बाढ़ नियंत्रण विभाग की हमेशा सहायता ली गई है और उससे विचार-विमर्श किया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए पश्चिम बंगाल को दी गई सहायता

614. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल सरकार को चालू वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी सहायता उपलब्ध की गई है और इसमें से कितनी धनराशि राज्य में अनुसूचित जातियों के लिये निर्धारित की गई है और इस राज्य में इस कार्यक्रम की उपलब्धियां क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के संचालन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को अनुसूचित जातियों के लिए 5 लाख सहित 25 लाख रुपए की पहली किस्त पर तदर्थ आधार पर मुक्त की गई है। राज्य सरकार को और अनुदान, प्रस्ताव प्राप्त होने पर मुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के आयोजन के लिये तीन स्वैच्छिक संगठनों को सहायता के रूप में 2.69 लाख रुपए की राशि अनुमोदित की गई है। पश्चिम बंगाल में श्रमिक विद्यापीठों के लिये निर्धारित राशि 5.30 लाख रुपए है।

राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट में अनुसार मार्च, 1984 के अन्त तक, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 15-35 आयु वर्ग के शामिल किये गये प्रौढ़ निरक्षरों की संख्या 4,52,227 थी।

देश में पानी से उत्पन्न होने वाले रोग

615. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 मई, 1984 को "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित "वाटर बोर्न डिसिसिज स्प्रैडिंग इन कन्टरी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस रिपोर्ट पर विचार करेगी और उचित जांच कराएगी और उन पर अनुवर्ती कार्यवाही करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) सरकार ने यह समाचार देखा है ।

इस वर्ष के दौरान पेचिश की घटनाओं की सूचना पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और उड़ीसा राज्यों से मिली थी । जांच करने पर पाया गया कि शिगेला पेचिस टाइप—1, ई. कौली और शिगेला वाइब्रो कॉलरा तथा शिगेला फ्लैक्सनरी के कारण विभिन्न राज्यों में यह महामारी फैली थी । लोगों में व्यक्तिगत सफाई की कमी, सफाई की अस्वास्थ्यकर अवस्थाएं तथा दूषित पानी की सप्लाई इस बीमारी के फैलने के प्रमुख कारण थे। इसकी जांच-पड़ताल राष्ट्रीय हैजा और आन्त्रशोध रोग संस्थान कलकत्ता के दलों द्वारा की गई थी । इन राज्यों के अनुरोध पर उन्हें चिकित्सा सामग्री भंडार के जरिये औषधियां अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध की गई थीं जिनमें एन्टीबायोटिक, ओ० आर० एस० पैकेट, हेलोजन टेबलेट, रोगाणुनाशक आदि भी शामिल हैं ।

गुजरात राज्य से वायरल हेपाटाइटिस की घटनाओं की सूचना मिली थी । इस संबंध में राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली, राष्ट्रीय विषाणु-विज्ञान संस्थान, पुणे और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के दलों द्वारा अन्वेषण किए गये । अन्वेषणों से पता चला है कि ये घटनाएं हेपाटाइटिस-बी, हेपाटाइटिस-ए और वायरल नान-ए तथा नान-बी वायरस के कारण हुई थी । केन्द्र सरकार ने हेपाटाइटिस-बी वैक्सीन और हाइपर इम्यून सीरम हेपाटाइटिस-बी ग्लौबुलिन की खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा मांगी गई सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध की थी।

बड़े पैमाने पर मिलावट और खाद्य नियंत्रण प्रशासन में सुधार लाने के लिए कदम

616. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अरहर की दाल में "मेटनिल यलो" की व्यापक रूप से मिलावट की जा रही है और यदि हां, तो क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है;

(ख) क्या यह सच है कि खाद्य तेलों, धनिया पाउडर और दुग्ध चूर्ण में बड़े पैमाने पर मिलावट हो रही है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय मानक संस्थान सहित राज्यों और केन्द्र दोनों में किस्म नियंत्रण ढांचे में पूरी तरह लापरवाही और खराबी है और यदि हां, तो खाद्य नियंत्रण प्रशासन को सुधारने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाये गए/ उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) इस मंत्रालय के ध्यान में ऐसी कोई खबर नहीं आई है। किन्तु 1960-70 के दौरान लखनऊ इंडस्ट्रियल टाक्सीकोलोजिकल रिसर्च सैंटर में खाद्यान्नों के विश्लेषण पर आधारित किए गए कुछेक पुराने अध्ययनों से पता चला कि ग्रामीण क्षेत्रों में मेटानिल येलो का रंगने वाली सामग्री के रूप में प्रयोग किया गया था। राज्य सरकारों को सचेत कर दिया गया था।

(ख) नहीं।

(ग) यह कहना ठीक नहीं है कि राज्यों और केन्द्रों दोनों में किस्म नियंत्रण ढांचे में लापरवाही और खराबी है। खाद्य नियंत्रण प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर विभिन्न उपाय सुझाये गये हैं। नई दिल्ली में 9 से 11 जुलाई, 1984 को हुए स्वास्थ्य मंत्रियों की केन्द्रीय परिषद के सम्मेलन में भी राज्य खाद्य नियंत्रण प्रशासन को सुव्यवस्थित करने पर बल दिया गया था।

सातवीं योजना के दौरान पत्तन क्षेत्र के लिए योजना परिव्यय

617. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में पत्तन क्षेत्र के लिए कुल कितना योजना परिव्यय निर्धारित किया गया है, और

(ख) योजनावधि के दौरान देश में और विशेषकर उड़ीसा तट पर विकसित किए जाने वाले पत्तनों का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) प्रमुख पत्तनों के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना स्कीमों को तैयार करने के लिए एक कार्य दल का गठन किया गया है। उस कार्य दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

दिल्ली और दिल्ली से बाहर केन्द्रीय विद्यालयों के लिए स्कूल भवनों का निर्माण

618. **श्री भीखाभाई** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/दिल्ली से बाहर केन्द्रीय विद्यालयों के लिए स्कूल भवनों के निर्माण में आम तौर पर कितना समय लग जाता है;

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ए० जी० सी० आर० कालोनी, नई दिल्ली का निर्माण कब आरम्भ किया गया था;

(ग) क्या यह वायदा किया गया था कि स्कूल भवन का अर्ध-स्थायी ढांचा 1983 के अन्त तक तैयार हो जाएगा;

(घ) क्या उन्हें मालूम है कि मानसून शीघ्र आने वाली है और स्कूल के इस अर्ध स्थायी भवन पर टीन आदि अभी तक नहीं बिछाए गए हैं जिनके न होने के कारण कइ सौ बच्चों को कठिनाई होगी और अन्य सामग्री भी खराब होगी;

(ङ) क्या इसमें विलम्ब होने के सम्बन्ध में कोई जांच कराने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) दिल्ली/दिल्ली से बाहर स्थित केन्द्रीय विद्यालय के स्थायी स्कूल भवय के निर्माण में सामान्यत: 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं।

(ख) महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व कालोनी, दिल्ली स्थित केन्द्रीय विद्यालय ने दिसम्बर, 1981 से कार्य करना प्रारम्भ किया।

(ग) जी, नहीं।

(घ), से (च) कक्षाओं के लिए ऐस्वेस्टांस शीट की छतों वाले अस्थाई कमरे का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने मई, 1983 में मंजूरी दी थी। इस मामले में, निर्माण एजेंसी, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को इस कार्य के लिए 10 महीने का समय दिया गया था। इन अस्थायी भवनों को पूरा करने में हुए विलम्ब के कारण लोगों को हो रही कठिनाई के बारे में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अवगत करा दिया गया है और उनसे कार्य शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया गया है।

क्लोरोफार्म के प्रयोग की नई तकनीक

619. **श्री ई० एन० होरो** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जून, 1984 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि चिकित्सा अनुसंधान, क्लोरोफार्म का प्रयोग प्रारम्भ होने के बाद से अब तक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में सर्वाधिक सरल और कारगर चेतना हरण करने के तरीके की खोज करने वाला है; और

(ख) यदि हां, तो इस नई प्रणाली के प्रयोगों के बारे में क्या ब्यौरा है और इस नई तकलीफ के माध्यम से यह कहां तक सुविधाजनक और अनुकूल सिद्ध हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) हां।

(ख) प्रेस रिपोर्ट में किये गये दावे उचित समय से पहले किये गये प्रतीत होते हैं। जिस विशेष तकनीक का हाल ही में विकास किया गया है वह अभी प्रायोगिक अवस्था में प्रतीत होती है और इस उत्पाद का एक सुनियोजित क्लीनिकल परीक्षण किया जा सके इससे पहले इसका आगे परिष्करण करने की जरूरत है।

राज्य पाठ्य पुस्तक ब्यूरो के लिए केन्द्रीय निधि

620. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य पाठ्य पुस्तक ब्यूरो को क्षेत्रीय भाषाओं में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकों और संदर्भ पुस्तकों को तैयार करने और उन्हें प्रकाशित करने के लिए धन का आबंटन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए विभिन्न राज्यों को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान (वर्ष वार) कितनी धनराशि अनुदान के रूप में दी गई है; और

(ग) उक्त योजना अवधि में अब तक विभिन्न राज्य पाठ्य पुस्तक ब्यूरो द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर कितनी पुस्तकें तथा संदर्भ पुस्तकें तैयार की गईं और प्रकाशित की गई हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हाँ।

(ख) छठी योजना अवधि के दौरान सहभागी राज्यों को दिए गए अनुदान (वर्षावार) के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

क्र०सं०	राज्य का नाम	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85 (30-6-84) तक (लाख रु० में)	कुल आंकड़े
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	1.00	—	—	1.00
2.	बिहार	3.67	—	—	—	—	3.67

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	केरल	—	—	—	2.00	—	2.00
4.	महाराष्ट्र	—	6.00	8.41	1.51	—	15.92
5.	पंजाब	—	—	—	4.69	—	4.69
6.	राजस्थान	—	4.87	—	8.00	—	12.87
7.	पश्चिम बंगाल	—	—	15.59	8.00	—	23.59
		3.67	10.87	25.00	24.10	—	674

(ग) 1980 से 31 मार्च, 1984 तक क्षेत्रीय भाषाओं में 1855 विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनारों में विश्वविद्यालयों के शिक्षाविदों का भाग लेना

622. **श्री बाबूराव परांजपे :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री विदेशी सम्मेलनों में भाग लेने वाले शिक्षाविदों के लिए आई० सी० एस० एस० आर० अनुदानों के बारे में 15 दिसम्बर 1983 के अतारंकित प्रश्न संख्या 3927 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कि :

(क) क्या मंत्रालय के पास ऐसी कोई योजना है जिसके अन्तर्गत वह अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों गोष्ठियों में पत्र प्रस्तुत करने अथवा समय-समय पर चर्चाओं में भाग लेने के लिए विश्वविद्यालयों के भाग लेने का समर्थन करता है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय की योजना आई० सी० एस० एस० आर० अथवा विश्वविद्यालयों की योजनाओं से भिन्न है; और

(घ) 1980-81, 1981-82, 1982-83 और चालू वर्ष के दौरान विदेशी सम्मेलनों में भाग लेने में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षाविदों का ब्यौरा क्या है तथा उन सम्मेलनों का जिनमें उन्होंने भाग लिया, प्रस्तुत किए पत्रों और दी गई वित्तीय सहायता का क्या ब्यौरा है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित आंशिक वित्तीय सहायता की योजना आई० सी० एस० एस० आर० द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए शिक्षाविदों के लिये अनुदान दिये जाने की समान योजना से थोड़ी भिन्न है। इस योजना में केवल विश्वविद्यालयों तथा तुलनीय स्तर की शैक्षिक संस्थाओं के अध्यापकों को ही विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में कागज प्रस्तुत करने के लिए किफायती श्रेणी से वापसी हवाई जहाज भाड़े का अधिक-से-अधिक 50 प्रतिशत तक की आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है बशर्ते कि वे प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अधिवेशनों की अध्यक्षता भी करें। सामान्य नियमानुसार उसी व्यक्ति को तीन वर्षों की अवधि के अन्दर दूसरी बार वित्तीय सहायता नहीं दी जाती।

(घ) विवरण अनुबन्ध में संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० [8471/84]

जल्दी खराब हो जाने वाले पदार्थों के लिए रेल भाड़ा

624. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्यां रेलवे द्वारा जल्दी खराब हो जाने वाले पदार्थों के लिए लिखे जाने वाले रेल भाड़े की दर सड़क परिवहन की दर से कहीं अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो अधिक भाड़ा लिए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) एक क्विंटल नाशवान पदार्थों के लिए रेलवे द्वारा लिए जाने वाले भाड़े की तुलना में सड़क परिवहन द्वारा कितना भाड़ा लिया जाता है और इस सम्बन्ध में अन्य ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री श्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी): (क) लम्बी दूरी तथा ट्रक भार से क्रम मात्रा के लिए रेल दरें अधिकांशत: सस्ती हैं। सड़क दरें एक समान नहीं हैं और समय-समय तथा स्थान-स्थान पर अलग-अलग होती हैं तथा वापसी दिशा में यातायात की उपलब्धता पर निर्भर होती हैं। यदि ट्रक खाली लौट रहे होते हैं तो वे केवल अपने संचलन खर्च की पूर्ति के लिए बिल्कुल कम दरों का प्रस्ताव करते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेल दरें पण्यों, दूरी स्लैब तथा गाड़ी की किस्म पर आधारित होती हैं जबकि सड़क दरें सर्व संग्रह प्रकृति की होती हैं जो ढोये जाने वाले पण्य अथवा सेवा की किस्म को ध्यान में रखे बिना प्रस्तावित होती हैं तथा स्थान-स्थान तथा समय-समय पर भिन्न-भिन्न होती हैं। इसलिए रेल तथा सड़क दरों का एक तुलनात्मक विवरण देना व्यावहारिक नहीं है।

वर्तमान तौल-प्रणाली को बदलना

625. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या रेल मन्त्री वर्तमान तौल-प्रणाली को बदलने के बारे में

3 मई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9630 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्मों से इलेक्ट्रानिक इन मोसन वे ब्रिजों को खरीदने हेतु ऋयादेश दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ये ऋयादेश कब दिये गये और उसकी डिलीवरी कब तक मिल जाने की आशा है तथा प्रत्येक यूनिट पर कितनी लागत आएगी और फर्मों द्वारा कितने ब्रिजों की सप्लाई का वायदा किया गया है तथा कितने तौल ब्रिजों की वास्तव में सप्लाई की जाएगी ; और

(ग) वर्तमान प्रणाली के स्थान पर शीघ्रातिशीघ्र नई इलैक्ट्रानिक प्रणाली लागू करने के लिए और क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जैसा कि 3.5.84 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9630 के उत्तर में कहा गया है, रेलों द्वारा इलैक्ट्रोनिक इन-मोशन तुला चौकियों के लिए दो विकासात्मक आर्डर दिये गये थे ।

(ख) फरवरी 1980 में 3.71 लाख रुपये की अनुमानित लागत (इंजीनियरी कार्यों को छोड़कर) पर एक आर्डर दिया गया था जिसकी सुपुर्दगी फरवरी, 1982 में की गयी थी और तुला-चौकी की स्थापना कर दी गई है । 12.72 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर (इंजीनियरी कार्यों सहित) अप्रैल, 1981 में एक और आर्डर दिया गया था जिसकी सुपुर्दगी भी प्राप्त हो गई है तथा तुला-चौकी की स्थापना कर दी गई है । ये दोनों इलैक्ट्रोनिक इन-मोशन तुला चौकियां जल्द ही चालू होने वाली हैं ।

(ग) तीसरी इलैक्ट्रोनिक इन-मोशन तुला चौकी के लिए विकासात्मक आर्डर देने के हेतु प्रबन्ध किए जा रहे हैं । मौजूदा यांत्रिक तुला चौकियों का इलैक्ट्रोनिक तुला चौकियों से बदलाव करने के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही विकासात्मक आर्डरों से प्राप्त इलैक्ट्रोनिक तुला चौकियों के सेवा अनुभव पर निर्भर करेगी ।

विदेशी सम्मेलनों में भाग लेने के लिए अकादमशियनों के आवेदनों की जांच करने के लिए बाहरी सलाहकारों का चयन

626. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री आई० सी० एस० एस० आर० द्वारा अकादमीशियनों को आर्थिक सहायता दिये जाने के बारे में 15 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3927 तथा 26 अप्रैल, 1984 के अतरांकित प्रश्न संख्या 8881 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सम्मेलनों में भाग लेने ने लिए अकादमीशियनों के आवेदनों की जांच करने लिए "बाहरी सलाहकारों" का चयन किस प्रकार किया जाता है; और

(ख) आई० सी० एस० एस० आर० के किस नियम, विनियम संकल्प अथवा अन्तनियम

के अन्तर्गत उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर के अनुबन्ध I से II में उल्लिखित प्रत्येक 'बाहरी सलाहकार" उपयुक्त सीमित "विशेष तदर्थ समिति" की नियुक्ति की गई तथा उन संकल्पों की संख्या तथा तारीखों और नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और सांस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) अध्येताओं द्वारा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् को प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति की पद्धति जनवरी, 1970 में हुई अनुसंधान समिति की तीसरी बैठक में निर्धारित की गई थी। समिति ने निम्नलिखित पद्धति निर्धारित की :

(I) प्रस्ताव की भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के कार्यालय में नियमों के अनुसार जांच की जानी चाहिए और यह देखने के लिए उपाय किए जाने चाहिएं कि यह अनुसंधान अनुदान योजना, 1969 के अनुरूप है।

(II) प्रस्ताव के लिए निर्णायकों के रूप में नियुक्ति के लिए जिन व्यक्तियों के नामों पर विचार किया जा सकता हो उनके नामों के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए सम्बन्धित विषय के परिषद् के सदस्यों अथवा विषय से सम्बन्धित अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों को पत्र भेजे जाने चाहिएं।

(III) इस प्रकार से प्राप्त सभी नामों में से अध्यक्ष द्वारा दो निर्णायकों को नियुक्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार चुने गए निर्णायकों के नामों को गोपनीय रखा जाना चाहिए।

1971 में यह देखा गया था कि समितियों की लगातार बैठकें होने से सम्बन्धित कठिनाईयों को देखते हुए और निर्णय लेने में बहुत अधिक समय लगने के कारण इस पद्धति को संशोधित किया गया और परामर्शदाताओं को नियुक्त करने के लिए भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद् के अध्यक्ष को प्राधिकृत किया गया था। बाद में जब परिषद् के अवैतनिक अध्यक्ष बम्बई के स्थाई निवासी थे और वह केवल समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए ही दिल्ली आते थे, तब पद्धित को और संशोधत किया गया था और सदस्य सचिव को अध्यक्ष की स्वीकृति से परामर्शदाताओं की नियुक्ति का अनुमोदन करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

(ख) परामर्शदाताओं की नियुक्त में केवल 4 अध्येताओं के मामले को छोड़कर, उपर्युक्त पद्धति अपनाई जाती रही, जिनके मामले में उन 25 से अधिक अध्येताओं, जिन्होंने कनाडा के वैंकोवेर और क्वेबेक में आयोजित XI अन्तर्राष्ट्रीय मानव विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने के लिए परिषद् को आवेदन किया था, की सापेक्ष योग्यताओं और प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन करने के लिए अध्यक्ष द्वारा एक तदर्थ विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी।

जिन अध्येताओं को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनारों में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान की जाती है, उनके सभी मामलों में परिषद् की अनुसंधान समिति द्वारा स्वीकृति सम्मेलन के समय, आवेदन-पत्र की तिथि और अनुसंधान समिति की की बैठक की तिथि के आधार पर अध्येताओं के प्रस्थान करने से पहले अथवा प्रस्थान करने के बाद प्रदान की जाती है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में विकास और अनुसन्धान हेतु 1930 से लेकर अब तक किया गया धन का आबंटन

627. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में विकास और अनुसंधान हेतु किया गया धनराशि का आबंटन अनुसंधान करने वाले चार शीर्ष निकायों अर्थात्

(एक) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद्, (दो) केन्द्रीय यूनानी औषध अनुसंधान परिषद्, (तीन) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद्, और (चार) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त शीर्ष निकायों को 1980 से लेकर अब तक आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए बनाए गए विस्तार कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में और विदेशों में भी भारतीय चिकित्सा पद्धति का प्रचार करने और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) इस विषय पर पुस्तकों के प्रकाशन के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) इन अनुसन्धान परिषदों के लिए पर्याप्त धन का नियतन किया गया है ।

(ख) इन चारों अनुसंधान परिषदों को 1980-81 और उसके बाद वर्ष-वार दिए गए धन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) भूतपूर्व भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् का 1979 में विभाजन करके चार अनुसंधान परिषदें अर्थात् केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद्, केन्द्रीय यूनानी अनुसंधान परिषद्, केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् तथा केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् बनाने के बाद इन वर्षों में इन परिषदों के अनुसंधान कार्यों का विस्तार हुआ है । आयुर्वेद एवं सिद्ध, यूनानी तथा होम्योपैथी की तीन अनुसंधान परिषदों, के केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थानों, क्लीनिकी अनुसंधान यूनिटों औषधि मानकीकरण अनुसंधान यूनिटों, औषधीय पादपों का सर्वेक्षण करने वाले यूनिटों की संख्या में वृद्धि होती रही है जो विभिन्न बीमारियों के बारे में अनुसंधान कर रहे हैं । योग और प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा विभिन्न रोगों का इलाज करने के लिए केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्

विभिन्न योग/प्राकृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता दे रही है। इन परिषदों के अनुसंधान कार्य को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप रखने का विचार है।

(घ) सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी को, शिक्षा, अनुसंधान, औषधियां बनाने और उनका मानकीकरण करने, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की योजनाओं के कार्यान्वयन के जरिये लोकप्रिय बना रही है। इन चिकित्सा पद्धतियों के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 85.39 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। जिसमें केन्द्रीय सेक्टर की योजनाओं के लिये 29.00 करोड़ रुपये का प्रावधान भी शामिल है। केन्द्रीय सेक्टर में इन योजनाओं से सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्यकलाप इस प्रकार हैं :

1. चार अनुसंधान परिषदों अर्थात् केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद्, केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् और केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् की स्थापना की गई है। ताकि वे अपनी-अपनी पद्धति में अनुसंधान कार्य वैज्ञानिक आधार पर कर सकें।

2. आयुर्वेद और होम्योपैथी की उन्नति और विकास को बढ़ावा देने, इन पद्धतियों में स्नातकपूर्व और स्नानकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, कलकत्ता की स्थापना की गई है।

3. स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाये जा रहे भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के कालेजों को प्रयोगशाला उपकरण खरीदने और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए बुक बैंक स्थापित करने हेतु प्रत्येक संस्था को 1.60 लाख की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

4. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के स्नातकपूर्व कालेजों के अध्यापकों के स्तर में सुधार लाने के लिए छः सप्ताह और दो सप्ताह की अवधि के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम शुरू किये गये हैं।

5. भारतीय चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में अध्यापन, अनुसंधान, चिकित्सा सहायता एवं फार्मास्युटिकल कार्यक्रमों में पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध करने के लिए स्नातकोत्तर शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान विभागों का दर्जा बढ़ाने की एक केन्द्र प्रायोजित योजना चौथी एवं पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी। इस योजना के अन्तर्गत स्नातकोत्तर शिक्षा के इन संस्थाओं के रख-रखाव के लिए राज्य सरकारों को शत-प्रतिशत सहायता दी जाती है। यह सहायता निर्धारित पैटर्न के अनुसार दी जाती है। अब तक विभिन्न विभागों में 31 विभागों का दर्जा बढ़ाया जा चुका है।

6. भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त सहयोग से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन उत्तर प्रदेश के मोहान नामक स्थान पर स्थापित की गई इण्डियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कारपोरेशन लिमिटेड ने पिछले वर्ष से भारतीय चिकित्सा पद्धति की मानक और गुणकारी दवाओं का उत्पादन शुरू कर दिया है।

7. भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की दवाओं के मानक निर्धारित करने के उद्देश्य से गाजियाबाद में स्थापित फार्माकोपियल लेबोरेटरी आफ इण्डियन मेडिसिन्स को और अधिक मजबूत बना दिया गया है।

8. आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों की सरकारी फार्मुलरी/फार्माकोपिया प्रकाशित करने के काम को तेज करने के लिए आयुर्वेद और यूनानी की फार्माकोपिया समितियों का गठन किया जा चुका है।

आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध पद्धतियों के अनेक चिकित्सक, जो अपना कारोबार चलाते हैं, देश के देहाती इलाकों में काम कर रहे हैं। देश के देहाती तथा दूसरे इलाकों में राज्य सरकारों तथा अन्यों द्वारा काफी संख्या में इन पद्धतियों के अस्पताल तथा औषधालय स्थापित किये जा चुके हैं। कुछ राज्यों में देहाती लोगों की सेवा के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इन चिकित्सा पद्धतियों के डाक्टर नियुक्त किये जा चुके हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी को विदेशों में लोकप्रिय बनाने की कोई विशिष्ट योजना नहीं है।

(ङ.) एक केन्द्रीय योजना के अधीन भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की पुस्तकों के प्रकाशन के लिये वर्ष 1984-85 के दौरान 5 लाख रुपए की रकम प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, अनुसंधान परिषदों के पास अपने-अपने अनुसंधान कार्य के प्रकाशन के लिए धन की व्यवस्था होती है।

विवरण

क्रम सं	परिषद् का नाम	योजना/गैर-योजना के अधीन दिया गया धन रुपये लाखों में									
		1980-81		1981-82		1982-83		1983-84		1948-85	
		योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (आवंटन)
1.	केन्द्र आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसन्धान परिषद्	35.00	101.49	118.80	110.23	151.75	128.40	171.50	155.09	220.00	171.69
2.	केन्द्र यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद्	50.00	12.10	61.47	12.36	66.30	15.06	82.25	16.49	95.00	18.29
3.	केन्द्र योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसन्धान परिषद्	0.15	0.30	19.39	0.61	25.00	—	16.83	0.51	30.00	0.87
4.	केन्द्र होम्योपैथी अनुसन्धान परिषद्	13.75	14.50	15.17	13.35	26.11	17.81	40.01	21.06	40.00	21·35

न्हावा सेवा पत्तन प्रोजेक्ट के सिविल इन्जीनियरिंग कार्यों के लिए निविदायें

629. **श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्हावा सेवा पत्तन प्रोजेक्ट प्राधिकरण को बम्बई बन्दरगाह के पार पोत परियोजना के सिविल इन्जिनियरिंग कार्यों के लिए निविदायें आमंत्रित की थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या निविदा प्रेषकों ने अपनी-अपनी निविदाएं भेज दी हैं और क्या इन निविदाओं की प्रारम्भिक जांच पूरी हो चुकी है; और

(ग) उक्त परियोजना के लिए और अधिक निविदा-प्रेषकों को नियंत्रित करने के लिए अब क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) हां।

(ख) इन टेंडरों की प्रारम्भिक जांच चल रही है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय टेंडर प्रक्रिया के अनुसार ठेकेदारों की प्रि-क्वालिफिकेशन के लिए विश्व व्यापी आधार पर जांच-पड़ताल का काम किया गया। प्रि-क्वालिफिकेशन के आवेदन पत्रों की जांच करने के बाद अर्हता प्राप्त ठेकेदारों की एक संक्षिप्त सूची बनाई गई। उसके बाद संक्षिप्त सूची के योग्य ठेकेदारों से टेंडर आमंत्रित किए गए। इसके उत्तर में पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुए। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से टेंडर आमंत्रित करने की कोई जरूरत या औचित्य नहीं है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बेहतर अनुशासन के लिये उपाय

630. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी:** क्या **शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में राजनीतिक गतिविधियों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ख) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बेहतर अनुशासन लाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) (क) और (ख) विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय में अनुशासन की सामान्य स्थिति में सुधार करने के लिए सिलसिले वार कई उपाय किए हैं इनमें छात्रों तथा कर्मचारियों के लिए पृथक शिकायत निवारण तन्त्र की, स्थापना, विश्वविद्यालय के सभी वर्गों के लिए कुछ आचार-संहिता अपनाना

जिसके अन्तर्गत हिंसा, डराने धमकाने और बल प्रयोग के तरीके का सहारा नहीं लिया जा सकता ; छात्रावासों में दाखिले और उनके प्रबन्ध के नियमों में संशोधन तथा उनका कड़ाई से पालन करना आदि शामिल है। विश्वविद्यालय ने अपनी दाखिला पद्धति संशोधित कर दी है जिसके अन्तर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और अनुसंधान कार्यक्रमों में दाखिला योग्यता के आधार पर किया जाता है, जिसे अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। जहां तक परिसरों के राजनीतिकरण से रहित करने का संबन्ध है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की समीक्षा के लिए नियुक्त समिति ने कुछ सिफारिशें करते समय यह विचार व्यक्त किया कि राजनीतिक दल शिक्षा के व्यापक हित को देखते हुए विश्वविद्यालयों को ऐसी राजनीति, जिसका वे कभी-कभी शिकार हो जाते हैं, से बचाने के लिए अपेक्षित संयम बरतें। इस समिति द्वारा की गई सिफारिशें अभी जांच की प्रक्रिया में है।

मथुरा-अलवर रेल लाइन का निर्माण

631. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा-अलवर रेल लाइन के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस परियोजना के लिए कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है, इस लाइन को पूरा होने और यातायात के उपयुक्त होने में कितना समय लगेगा ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी): (क) लगभग 25 कि० मी० भूमि अधिग्रहण के कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिये गए हैं। ठेका दे दिया गया है और एक खंड के लिए अभी हाल ही में कार्य शुरू किया गया है। दूसरे खंड के लिए निविदाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) इस परियोजना के लिए 1984-85 तक स्वीकृत किया गया कुल परिव्यय 2.01 करोड़ रुपये हैं। इस परियोजना के पूरा करने की कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गयी है क्योंकि इसका पूरा होना आगामी कुछ वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

नई दिल्ली नगर पालिका के सहायक नर्सरी शिक्षकों को सिलेक्शन ग्रेड

632. **श्री बनवारी लाल बेला** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री नई दिल्ली नगर पालिका के नर्सरी सहायक शिक्षकों को सिलेक्शन ग्रेड मंजूर किए जाने के बारे में 26 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8891 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 नवम्बर, 1962 तक नियुक्त किये गये अन्य शिक्षकों सहित कितने शिक्षकों को सिलेक्शन ग्रेड नहीं दिया गया और किस-किस तारीख से नहीं दिया गया है ;

(ख) इन शिक्षकों को 8 शिक्षकों सहित किस निश्चिय समय तक सिलेक्शन ग्रेड दिये जाने

की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 8891 में संदर्भित 30-11-1982 तक नियुक्त 8 अध्यापकों को अभी तक प्रवरणग्रेड प्रदान नहीं किया गया है। इन अध्यापकों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। उनके मामले पर कार्यवाही की जा रही है और उन्हें 31-8-1984 तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्रम संख्या	नर्सरी शिक्षक का नाम	नियुक्त की तारीख	प्रवरण ग्रेड की स्वीकृति के लिए सम्भवित तारीख
1	2	3	4
1.	श्रीमती मीना कुमारी धवन	7.8.62	1.4.81
2.	श्रीमती सन्ता आर्य	10.8.62	1.4.81
3.	श्रीमती बृज रानी	13.9.62	1.4.81
4.	श्रीमती प्रभा लता मेहरा	13.9.62	1.4.81
5.	श्रीमती लक्ष्मी मैत्रीया	12.11.62	12.3.82
6.	श्रीमती रक्षा सक्सेना	19.11.62	12.3.82
7.	श्रीमती राज कुमारी	19.11.62	13.3.82

1	2	3	4
8.	श्रीमती सन्तोष कुमारी चौहान	19.11.62	13.3.82
9.	श्रीमती सरला पुरी	19.11.62	13.3.82
10.	श्रीमती शशि चौपड़ा	19.11.62	13.3.82
11.	श्रीमती चन्द्र मोहिनी ओबराय	19.11.62	13.3.82

नोट: 19.11.62 से 30.11.62 के बाद कोई भी नर्सरी शिक्षक नियुक्त नहीं किया गया था।

गुजरात में समेकित बाल विकास सेवाओं का विस्तार

634. **श्री छोतूभाई गामित** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक वर्ष के दौरान 6 वर्ष की आयु से कम के बच्चों के कल्याण के लिए समेकित बाल विकास सेवाओं की अपनी योजना का व्यापक विस्तार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो खासतौर पर गुजरात राज्य में इस योजना की प्रगति का क्या ब्यौरा है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) 1984-85 तक 1015 केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। इनमें से 47 परियोजनाएं गुजरात में हैं।

मई, 1984 में, समेकित बाल विकास सेवा सम्बन्धी 758 परियोजनाओं की रिपोर्टों में पूरक पोषाहार से लाभान्वित होने वालों की संख्या 47.65 लाख और स्कूल-पूर्व शिक्षा के लिए लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या 9.30 लाख बताई गई है। इनमें 43 परियोजनाओं की रिपोर्ट गुजरात की शामिल हैं जिनके अन्तर्गत 2.11 लाख बच्चों और माताओं को और 0.97 लाख बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए पूरक पोषाहार प्रदान किया गया।

भुवनेश्वर, उड़ीसा में नया पुरातत्व मंडल

635. **श्री गिरिधर गोमांगो :**
श्री हरिहर सोरेन : } क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष, 1984-85 के दौरान भुवनेश्वर, उड़ीसा में एक नया पुरातत्व मंडल खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो नए मंडल के अधीन कौन-कौन से क्षेत्र होंगे; और

(ग) भुवनेश्वर में नया खंड कार्यालय कब काम करना शुरू कर देगा तथा इस संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) उड़ीसा और मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के स्मारकों की देखभाल करने के लिए भुवनेश्वर में एक मंडल स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

जयनगर में रेल कर्मचारियों के क्वार्टरों का पानी में डूब जाना

636. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के अन्तर्गत जयनगर में रेल कर्मचारियों के क्वार्टर बरसात के दिनों में लगभग पानी में डूब जाते हैं जिससे वे क्वार्टर रहने योग्य नहीं रहते हैं;

(ख) क्या वहाँ जमा हुए पानी को निकालने के लिए माल गोदाम के पास एक पुल बनाने तथा क्वार्टरों को भिन्न माडल का बनाने का कार्य किया जा रहा है;

(ग) क्या जयनगर स्टेशन का पुनरुद्धार करने का, वहां द्वितीय श्रेणी का प्रतीक्षालय बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या कमतोल रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षालय और प्लेटफार्म की छतों को आपस में जोड़ने का कार्य शुरू कर दिया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) भारी वर्षा के दौरान, जयनगर के रेलवे क्वार्टरों के इर्द-गिर्द पानी इकट्ठा हो जाता है जिसकी निकासी में, वर्षा रुकने के पश्चात् लगभग एक घण्टा लगता है। क्वार्टरों में न तो पानी भरता है और न ही ये रहने के अयोग्य हो गए हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जयनगर में दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालय का नवीकरण करने या निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) कमतोल में प्रतीक्षालय और प्लेटफार्म की छतों को तोड़ने का कार्य प्रगति पर है ।

कटक और भुवनेश्वर रेल स्टेशनों पर रेल आरक्षण में कालाबाजारी

637. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कटक और भुवनेश्वर रेल स्टेशनों पर रेल आरक्षण में बड़े पैमाने पर हो रही कालाबाजारी और भ्रष्टाचार/अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकारियों ने कटक और भुवनेश्वर में कोई आकस्मिक निरीक्षण किया है; और

(ग) रेल आरक्षण में कालाबाजारी को रोकने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ख) जनवरी और जुलाई, 84 के बीच इन स्टेशनों पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा छः बार निवारक जांच की गई थी ।

(ग) इस सम्बन्ध में किए गए उपायों में वाणिज्यिक और सतर्कता संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से आरक्षण/बुकिंग कार्यालयों की नियमित निगरानी करना, संदिग्ध मामलों में आरक्षणों की सदाशयता के सत्यापन की दृष्टि से जवाबी पत्र भेजकर अथवा घर-घर जाकर जांच करके मांग-पत्रों की कड़ाई से छान-बीन करना, गाड़ी कर्मचारियों द्वारा रिक्त शायिकाओं का मनमाना आबंटन रोकने के उद्देश्य से चलती गाड़ियों में स्थानांतरित आरक्षणों और आर० ए० सी० (संभावित रद्द आरक्षणों के बदले आरक्षण) योजना आरम्भ करने के लिए ऐसे मामलों का पता लगाने के लिए गहन जांच करना, शामिल हैं । रेल टिकटों की खरीद और सप्लाई में अनधिकृत लेन-देन करने के लिए कठोर दण्ड निर्धारित करने के उद्देश्य से भारतीय रेल अधिनियम को समुचित रूप से संशोधित भी कर दिया गया है ।

पूर्व रेलवे इंजीनियरिंग कामगार यूनियन आसनसोल डिवीजन से ज्ञापन

638. **श्री ए० के० राय** : क्या **रेल मंत्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्व रेलवे इंजीनियरिंग कामगार यूनियन आसनसोल, डिवीजन द्वारा 14 जून, 1984 को व्यापक प्रदर्शन के दौरान डी० आर० एम० ई० पूर्वी आसनसोल को दिया गया ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी क्या मांगे हैं; और

(ग) उक्त मांगों को पूरा करने के लिए रेलवे प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां। अपने आप को पूर्व रेलवे इंजीनियरिंग कामगार यूनियन, आसनसोल कहने वाले एक ग्रुप ने मंडल रेल प्रबन्धक/आसनसोल को एक ज्ञापन दिया था। इस ग्रुप को एक यूनियन के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

(ख) और (ग) ज्ञापन में अंतर्विष्ट अधिकांश मांगें स्थानीय किस्म की हैं। इन स्थानीय मांगों की जांच मान्यता प्राप्त यूनियनों के परामर्श से स्थानीय रेल प्रशासन द्वारा की जाती है और जहां आवश्यक समझा जाता है वहां प्रशासनिक तथा वित्तीय सीमाओं के भीतर कार्रवाई की जाती है।

ठेका पद्धति का समापन, मृतक के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति, मशीनीकरण को रोकना, गैंगमैनों का नियमित समाहन आदि जैसी साधारण मांगों पर सरकारी नीति के दायरे के भीतर विचार किया जाता है। जहां कहीं आवश्यक होता है वहां स्थायी वार्ता तंत्र तथा संयुक्त परामर्श तंत्र के अधीन दोनों मान्यता प्राप्त लेबर फेडरेशनों अर्थात् ए० आई० आर० एफ० और एन० एफ० आई० आर० जो सभी कोटियों के रेल कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, से परामर्श किया जाता है।

इलाहाबाद मंडल में वर्ष 1980 से मई, 1984 तक हुई रेल दुर्घटनाएं

640. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद मंडल में 1980 से मई, 1984 तक कितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन रेल दुर्घटनाओं के लिए, यदि किसी रेल कर्मचारी को उत्तरदायी पाया गया है तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या अप्रैल, 1984 के विरोही स्टेशन के नजदीक ब्लाक सेक्शन में एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और रेल विभाग को इससे कितना नुकसान हुआ, यदि इसके लिए रेलवे के अधिकारियों को उत्तरदायी पाया गया है तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) 1980 से मई, 1984 तक इलाहाबाद मंडल में गाड़ी दुर्घटनाओं का कोटिवार विवरण इस प्रकार है :

दुर्घटना की कोटि	प्रत्येक वर्ष में दुर्घटनाओं की संख्या				
	1980	81	82	83	84 (मई तक)
टक्करें	2	5	3	3	1
पटरी से गाड़ी उतरना	17	18	18	16	8
समपारों पर दुर्घटनाएं	3	2	3	1	2
गाड़ियों में आग	—	—	3	—	—

(ग) जिम्मेदार ठहराये गए रेल कर्मचारियों के विरुद्ध सेवा से हटाने, ग्रेड कम करने, उपदान रोकने, वेतन-वृद्धि तथा सुविधाएं रोकने जैसी अनुशासनिक कार्रवाई की गई है।

(घ) और (ङ) जी, हां। 17.4.84 को इलाहाबाद-मुगलसराय खंड पर बिरोही स्टेशन के डाउन होम सिगनल के निकट डाउन सी० बी० एफ० खाद्यान्न विशेष माल गाड़ी का इंजन तथा 16 माल डिब्बे पटरी से उतर गए थे। पटरी से उतरने की दुर्घटना रेल पथ की खराबी के कारण हुई। इस रेल दुर्घटना में लगभग 11 लाख रुपये की रेल सम्पत्ति के नुकसान होने का अनुमान है।

रेल पथ निरीक्षक, मिर्जापुर को इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार पाया गया है। जिम्मेदार पाए गए अन्त कर्मचारी हैं, बिरोही स्टेशन के स्टेशन मास्टर तथा स्विचमैन और उप-मुख्य नियंत्रक, इलाहाबाद।

भरतपुर में रेल डिब्बा कारखाने की स्थापना

641. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के भरतपुर में एक रेल डिब्बा कारखाने की स्थापना की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब और इस कार्य में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) हाल ही में राजस्थान सरकार से एक सुझाव प्राप्त हुआ है जिसमें सिफारिश की गई है कि प्रस्तावित नयी सवारी डिब्बा उत्पादन इकाई की स्थापना भरतपुर में की जाए। मैसर्स रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकोनामिक सर्विसेज को स्थान निर्धारण सर्वेक्षण सहित ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिए जाने के पश्चात ही फैक्टरी के स्थान और स्थापना के बारे में निर्णय लिया जाएगा। राजस्थान सरकार से प्राप्त सुझाव नोट कर लिया गया है और फैक्टरी का स्थान निर्धारण करते समय अन्य दावों के साथ इस सुझाव पर भी यथावत् विचार किया जाएगा।

सऊदी अरब और खाड़ी देशों के लिए इरकोन द्वारा श्रमिकों की भर्ती

642. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम्** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊदी अरब तथा अन्य खाड़ी देशों के लिए इरकोन श्रमिकों की भर्ती करता है;

(ख) यदि हां, तो भर्ती का तरीका क्या है, क्या उनकी सीधी भर्ती की जाती है अथवा ठेकेदारों के माध्यम से;

(ग) यदि ठेकेदारों के माध्यम से भर्ती की जाती है तो सम्बन्धित ठेका कम्पनियां कौन-कौन सी हैं;

(घ) ठेकेदारों के माध्यम से भर्ती करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या ऐसे ठेकेदारों को विज्ञापन के माध्यम से स्वीकृति दी जाती है अथवा किसी अन्य तरीके से ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) सऊदी अरब और खाड़ी देशों में इरकान द्वारा अपेक्षित सभी कर्मचारी जिनमें कामगार भी शामिल हैं, या तो भारतीय रेलों से अथवा भारत में इरकान में पहले से कार्यरत कर्मचारियों में से प्रतिनियुक्ति कर लिए गए हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

चारमीनार स्मारक की मरम्मत, अनुरक्षण और संरक्षण

643. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में चारमीनार स्मारक की हालत कुछ बिगड़ने लगी है और इसकी मरम्मत, अनुरक्षण और संरक्षण के तुरन्त उपाय करने की आवश्यकता है;

(ख) क्या पुरातत्व विशेषज्ञों के एक दल ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि ऐतिहासिह और इंजीनियरी के अत्यधिक महत्व के 400 वर्ष पुराने इस स्मारक की ओर ध्यान दिया जाए; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के थुंगन) : (क) जी, नहीं। हैदराबाद स्थित चार मीनार संस्मारक परिरक्षण अच्छी स्थिति में है।

(ख) और (ग) तारीख 23.6.84 को बिड़ला पुरातत्तवीय तथा सांस्कृतिक अनुसंधान/संस्थान हैदराबाद के तत्वाधान में "चारमीनार का परिक्षण" नामक विषय पर एक वादविवाद का आयोजन किया गया था।

दिल्ली परिवहन निगम के बस-चालकों द्वारा तेज और जल्दबाजी में गाड़ी चलाये जाने के कारण बसों में चढ़ते समय घायल हुए यात्री

644. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम के बस चालकों द्वारा तेज और जल्दबाजी में गाड़ी चलाए जाने के कारण दिल्ली परिवहन निगम की बसें राहगीरों को मारने/घायल करने के अतिरिक्त बसों में चढ़ने के इच्छुक यात्रियों को भी घायल करती आ रही हैं;

(ख) क्या दिल्ली परिवहन निगम की बसों के कर्मचारियों को बसों में चढ़ते समय सवारियों के घायल हो जाने की स्थिति में बसों को रोकने और घायल सवारियों की चिकित्सा का इन्तजाम करने के अनुदेश दिए गए हैं;

(ग) क्या दिल्ली परिवहन निगम के बस चालकों को ऐसी दुर्घटनाओं की रिपोर्ट दिल्ली परिवहन निगम मुख्यालय और नजदीक के पुलिस स्टेशन देनी आवश्यक है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान की गई ऐसी रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है और कोई चालक दोषी पाए गए हों तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) क्या दिल्ली परिवहन निगम को इस तरह की दुर्घटनाओं के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हुई इन दुर्घटनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) इस प्रकार की दुर्घटनाएं कभी-कभी हुआ करती हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) से (ङ) जी, हां । यद्यपि इस प्रकार की सूचनाओं का अलग से कोई लेखा-जोखा नहीं रखा जाता, तथापि इस प्रकार की दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में सूचना निम्नलिखित है :

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या
1981-82	19
1982-83	59
1983-84	50

दोषी ड्राइवरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के अलावा स्थानीय पुलिस भी इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है ।

इन्दौर/दोहद रेलवे लाइन

645. **श्री सत्य नारायण जाटिया** . क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर और दोहद के बीच रेलवे लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय के इस बारे में क्या विचार हैं और प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) इन्दौर और महू के बीच मिले-जुले आमान सहित दोहद से महू तक नई बड़ी लाइन के लिए प्राथमिक इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण की स्वीकृति दी गई है जो प्रगति पर है। इस परियोजना की सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने उसकी जांच पड़ताल करने पर निर्णय लिया जाएगा बशर्ते इसके लिए धनराशि उपलब्ध हो और योजना आयोग द्वारा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाए।

रेलवे कोच फैक्ट्री और रेलवे वैगन बिल्डिंग फैक्ट्री का स्थान

646. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने रेल मंत्रालय के रेलवे कोच फैक्ट्री और रेलवे वैगन फैक्ट्री शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो रेल मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव और मंजूर किए गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे ने ऐसी कितनी फैक्ट्रियाँ खोलने का प्रस्ताव रखा था और योजना आयोग ने ऐसी कितनी फैक्ट्रियों को मंजूरी दी है;

(च) इन फैक्ट्रियों को स्थापित करने के लिए रेलवे ने किन-किन स्थानों का प्रस्ताव रखा था और योजना आयोग ने किन स्थानों पर फैक्ट्रियां लगाने की मंजूरी दी है;

(ङ) क्या गोरखपुर में एक फैक्ट्री खोलने का कोई प्रस्ताव है उत्तर प्रदेश सरकार ने रेल मंत्रालय से इस फैक्ट्री को वहां पर खोलने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है और भारत सरकार ने इस प्रस्ताव पर क्या फैसला किया है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) रेलवे क्षेत्र में एक नया सवारी डिब्बा उत्पादन यूनिट स्थापित करने के लिए योजना आयोग की फरवरी, 1982 में स्वीकृत प्राप्त हुई है। माल डिब्बा उत्पादन यूनिट स्थापित करने का अभी कोई विचार नहीं है।

(ख) प्रस्ताव नया सवारी डिब्बा कारखाना, जिसकी प्रारम्भिक उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष

400 सवारी डिब्बे हो और जिसे भविष्य में प्रतिवर्ष 750 सवारी डिब्बों तक बढ़ाया जा सके, स्थापित करने का था, जिसे सिद्धांत रूप में योजना आयोग ने अनुमोदित कर दिया था।

(ग) योजना आयोग को केवल एस सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित करने के लिए अनुमोदन देने का अनुरोध किया गया था।

(घ) से (च) : मैसर्स रेल इण्डिया टेक्नीकल एन्ड इकानोमिक सर्विसिज लि० (राइट्स) जो रेलवे बोर्ड के परामर्शदाता हैं, को इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया है, जिसमें स्थान सर्वेक्षण और लागत अनुमान आदि शामिल हैं। कारखाना स्थापित करने के स्थान का निश्चय परियोजना रिपोर्ट के पूर्ण होने पर किया जायेगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से गोरखपुर में एक सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित करने का सुझाव प्राप्त हुआ था इस सुझाव को नोट कर लिया गया है और कारखाने के स्थान के बारे में अंतिम रूप देते समय अन्य दावों के साथ-साथ इस पर भी विचार किया जायेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय बस अड्डे पर उपरि-पुल के कार्य में प्रगति

647. **श्री नारायण चौबे** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्यीय बस अड्डे (दिल्ली) पर उपरि पुल कार्य प्रारम्भ हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उसमें क्या प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन का लोक निर्माण विभाग इस परियोजना की व्यवस्था कर रहा है। उन्होंने बताया है कि मुख्य पुल का निर्माण कार्य 19.6.1984 को राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को सौंप दिया गया है। उन्होंने पश्चिमी पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए टेंडर 16.7.1984 को मंगाये और वे इन टेंडरों की छानबीन कर रहे हैं। पूर्वी पहुंच मार्ग के पुश्ते पर मिट्टी का काम तीन खण्डों में पूरा किया गया है और यह चौथे खंड पर हो रहा है। पांचवें खंड के लिए टेंडर प्रलेखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

मॉडल अध्ययन के आधार पर केन्द्रीय जल शक्ति अनुसंधान केन्द्र, पूना से सुझाव प्राप्त कर लेने के बाद, बाएं गाइड बांध के निर्माण के लिए टेंडर आमंत्रित करने के लिए, टेंडर मंगाने की सूचना को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

औषधीय पौधों की खेती

648. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी**
श्री राम बिलास पासवान } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जड़ी-बूटियों के द्वारा बीमारियों का इलाज करने के लिए देश के विभिन्न भागों में औषधीय पौधों की खेती करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का क्या ब्यौरा है;

(ग) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां पर इस प्रकार के औषधीय पौधों की खेती की जाने की संभावना है; और

(घ) इस उद्देश्य हेतु यदि कोई धन राशि निर्धारित की गई है तो कितनी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना आयोग द्वारा गठित भारतीय चिकित्सा पद्धतियों एवं होम्यो-पैथी से संबंधित कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट में अन्य योजनाओं के साथ-साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति की दवाओं के लिए देश में उपयुक्त केन्द्रीय समन्वय कक्ष खोलने, तथा जड़ी-बूटी कच्ची औषधियों को एकत्र करने, उनके संरक्षण और पुनरूत्पादन को सुव्यवस्थित करने तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति की दवाओं के उत्पादन की योजनाएं चलाने का सुझाव दिया है।

गंकर रेल पुल

650. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने गंकर रेल पुल की आधार शिला वर्ष 1974 में रखी थी और इसे 1984 तक पूरा किया जाना था और यदि हां, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : इस परियोजना का उद्घाटन 22.10.73 को प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था इस परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया गया था और बगहा तथा वाल्मी किनगर रोड़ के बीच का खंड भी यातायात के लिए खोल दिया गया था। इस परि-योजना पर अब 61 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है, जिसमें से 38 करोड़ रुपये की अधिकांश राशि का अंशदान केन्द्रीय सिंचाई मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सरकारों

द्वारा नियंत्रण प्वाइंटों और नदी के बहाव को नियंत्रित करने से संबंधित कार्यों आदि की व्यवस्था के लिए, किया जाना है। उनसे अपने-अपने हिस्सों की शेष 28 करोड़ की राशि जमा कराने का अनुरोध किया गया है;

और उनसे कहा गया है कि कीमतों में वृद्धि होने के कारण यदि लागत में आगे कोई वृद्धि होती है, तो उसे वहन करने की स्वीकृति संसूचित करें। इस सम्बन्ध में, उनके पूर्ण अंशदान तथा कीमतों में वृद्धि के कारण बढ़ी लागत को वहन करने की वचनबद्धता की प्रतीक्षा है। पुल और गाइड बांधों पर कार्य शुरू करने से पहले, संसाधनों के लिए ठोस वायदों को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। रेलें चल रही नयी लाइन परियोजनाओं के लिए संसाधनों की कठिन तंगी का भी सामना कर रही हैं और यह काम तब शुरू किया जा सकता है जब संसाधनों की स्थिति में सुधार हो।

कलकत्ता मैट्रो रेलवे के नाममात्र के उद्घाटन के बारे में संशय

651. **श्री अजित बाग** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विशेषज्ञों ने कलकत्ता मैट्रो रेलवे के 1 जुलाई, 1984 को नाममात्र के उद्-घाटन के बारे में संशय व्यक्त किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये मैट्रो रेलवे के सुरक्षा उपायों से सम्बन्धित है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) पेरिस भगत रेल प्रणाली और लंदन भगत रेल प्रणाली, इंगलैंड के कुछ विशेषज्ञों ने फरवरी, 1984 के अन्त में कलकत्ता में मैट्रो रेलवे और सर्कुलर रेलवे का दौरा किया था। उन्होंने न तो कलकत्ता मैट्रो को खोलने के प्रश्न पर विचार किया था और न ही कलकत्ता मैट्रो को किसी तारीख तक शुरू करने के बारे में किसी मुद्दे को उठाया था।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते .

संविधान की समवर्ती सूची में से "शिक्षा" को हटाया जाना

652. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 जून, 1984 के 'इन्डियन एक्सप्रैस' में 'लैट स्टेट्स हैन्डल एजुकेशन" शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या हाल में हुए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया था कि शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में से हटा दिया जाना चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० के०थुंगुन) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) 24 मई, 1984 को नई दिल्ली में हुए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की कार्य सूची में शिक्षा को राज्य सूची में लाने के बारे में कोई विषय नहीं था। तथापि, चर्चा के दौरान पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के शिक्षा मंत्रियों ने शिक्षा को पुनः राज्य सूची में लाये जाने की आवश्यकता के बारे में कहा।

नौवहन कम्पनियों के विलय के लिए राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की सिफारिशें

653. **श्री के० राममूर्ति**
श्री धर्मदास शास्त्री
श्री के० लक्कप्पा : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवहन कम्पनियों को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ कम्पनियों को विलय करने अथवा उनका समूह बनाने हेतु राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान 60 भारतीय नौवहन कम्पनियों के लिए नौवहन विकास कोष समिति द्वारा (वर्ष-वार) कितना-कितना आवंटन किया गया ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने भारत सरकार से किसी भी प्रकार की कोई सिफारिश नहीं की है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में नौवहन विकास निधि समिति ने भारतीय नौवहन कम्पनियों को निम्नलिखित धन ऋण के रूप में आबंटित की :

वर्ष	कम्पनियों की संख्या जिन्हें ऋण आवंटित किये गये	आवंटित धन (करोड़ रुपये में)
1981-82	13	105.27
1982-83	11	83.97
1983-84	11	40.29

दिल्ली विश्वविद्यालय कम्पस में आरक्षण कार्यालय खोला जाना

655. **श्री राजेश कुमार सिंह**
श्री राम किंकर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छात्रों की सुविधा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय कैम्पस में एक आरक्षण कार्यालय खोलने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यालय को खोलने में क्या कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं तथा इस सम्बन्ध में अनुमानत: कुल कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ग) यह कार्यालय, कब तक वहां खोल दिया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विश्वविद्यालय परिसर में आरक्षण कार्यालय खोलने के लिए कर्मचारियों के अतिरिक्त पदों का सृजन तथा कुछ और भी खर्च करना पड़ेगा, जिसका औचित्य नहीं समझा जाता है।

हाल में आई बाढ़ से कलकत्ता मेट्रो रेल को हुआ नुकसान

656. **श्री कृष्ण चंद्र हाल्दर**
श्री अमर राय प्रधान
श्री नारायण चौबे
श्री नीरेन घोष : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में आई बाढ़ कलकत्ता मेट्रो रेल की व्यापक और भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो श्रम, सामग्री, धन और समय के रूप से हुए उक्त नुकसान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किए गए उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) हाल ही में हुई अति वृष्टि के दौरान मेट्रो सुरंग के कुछ खण्डों में बाढ़ आ गई और कोचिंग स्टाक सहित सुरंग में लगे कुछ उपस्करों में कुछ ऊँचाई तक पानी भर गया। सुरंग में से कीचड़ निकालने के बाद पाया गया कि सिविल इन्जीनियरी-संरचनाओं और बिजली के केबलों को बहुत कम क्षति पहुंची है जहां तक बिजली सम्बन्धी उपस्करों और चल स्टाक का सम्बन्ध है, इस समय उनकी जांच की जा रही है और केवल जांच

करने के पश्चात ही, इन पर आवश्यकतानुसार ध्यान देने से ही इन उपस्करों को हुई क्षति का सही-सही मूल्यांकन किया जा सकेगा तथा इन्हें ठीक-ठाक करने की लागत का पता लगाया जा सकेगा। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी सफाई तथा छोटी-मोटी मरम्मत करने को छोड़ कर नुकसान न तो बहुत अधिक होगा और व ही व्यापक।

(ख) हुई क्षति तथा इसे इसे ठीक-ठाक करने की मजदूरी, सामग्री आदि के खर्च का ब्यौरा केवल इसमें लगे बिजली सम्बन्धी उपस्कर के साथ-साथ चल स्टाक की जांच करने के पश्चात् ही चलेगा।

(ग) तुरन्त उपाय के रूप में ऐसे प्रत्यक्ष प्रवेश द्वारों, जिन के द्वारा पानी भवानीपुर-एसप्लेनेड खण्ड में दाखिल हुआ, को सील कर दिया गया है। तुरन्त-की गई कार्रवाई सन्तोषजनक है जिसका पता इस तथ्य से लगता है कि बाद में हुई भारी वर्षा के बावजूद, मेट्रो सुरंग में और पानी नहीं घुसा।

तूतीकोरिन पत्तन से निर्यात किए जाने वाले नमक को उतारने और चढ़ाने के लिए क्रेनें

658. **श्री के०डी० कौसलराम :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तूतिकोरिन पत्तन के चेयरमैन ने इस बात की शर्त रखी है कि माल उतारने और चढ़ाने के लिए क्रेन केवल तभी दी जायेगी जब 10 लाख टन नमक का निर्यात किया जाता है जबकि राज्य व्यापार निगम ने तूतीकोरिन पत्तन से केवल 5 लाख टन नमक का निर्यात निर्धारित किया है, जोकि नमक का कुल वार्षिक निर्यात है; और

(ख) यदि हां, तो तूतीकोरिन पत्तन से निर्यात का शीघ्रता से निपटान करते के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) तूतीकोरिन पत्तन ने ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि जब तूतीकोरिन पत्तन से 10 लाख टन नमक का निर्यात हो तब यहां माल लादने/उतारने के लिए क्रेनों का प्रबन्ध किया जायेगा। यहां मौजूदा सुविधाओं की सहायता से 5 लाख टन नमक को उतारने-चढ़ाने में पोर्ट के प्रशासन को कोई कठिनाई नहीं है, जो राज्य व्यापार निगम ने यहां से निर्यात के लिए आबंटित कर रखा है।

पंजाब में रेल सेवाएं रद्द किए जाने के कारण रेलवे को हुआ नुकसान

659. **श्री सज्जन कुमार :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब आपरेशन के दौरान पंजाब में रेल गाड़ियों को रद्द किए जाने के कारण रेलवे को भारी क्षति उठानी पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो पंजाब में रेल सेवाओं को रद्द किए जाने के कारण रेलवे को प्रतिदिन कितना घाटा हुआ ?

रेल मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) :(क) और (ख) रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सरकारी उपक्रमों द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य किट की सप्लाई

660. **श्री दौलत सिंह जी जडेजा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण स्वास्थ्य किटों की खरीद हेतु सरकारी उपक्रमों को राज्यवार दिए गए आदेशों का क्या ब्यौरा है;

(ख) क्या यह सच है कि इनमें से कुछ सरकारी उपक्रमों ने इनका स्वयं निर्माण करने के बजाय विभिन्न लघु एककों से लेकर इनकी सप्लाई की है और अनैच्छिक लाभ कमाया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) भारत सरकार ने स्वास्थ्य गाइड योजना के अन्तर्गत चिकित्सा किटों की सप्लाई के लिए सार्वजनिक उपक्रमों के साथ केवल एक समझौता किया है। यह समझौता राज्यों को किटें खरीदने में मदद करने के लिए किया गया है। वैसे, राज्य सरकारें इस बात के लिए बाध्य नहीं हैं कि वे केवल उन सार्वजनिक उपक्रमों से ही ऐसी किटें खरीदें जिनके साथ दर समझौता हुआ है। यह दरें विभिन्न फर्मों से कोटेशन मंगवाने के बाद ही तय की गई थी और सबसे कम दर को स्वीकार किया गया था। दर-समझौता में यह शर्त नहीं है कि सभी वस्तुएँ सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा ही बनाई जाए किन्तु जो भी वस्तुएं सप्लाई की जायेगी उसकी क्वालिटी की जिम्मेदारी सप्लाई करने वाली उस फर्म की है जिसके साथ दर-समझौता किया गया हैं ।

दक्षिण रेलवे में विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

661. **श्री एस० ए० दोराई सेवस्तियन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौनसी योजनाएं हैं, जिनके लिए हाल ही में तमिलनाडु के अपने दौरे के दौरान उन्होंने दक्षिण रेलवे के लिये 30 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की थी; और

(ख) आवंटित धनराशि का जोन वार ब्यौरा क्या है और जोनल रेलवे द्वारा विकास योजनाओं पर 1983-84 में कितनी राशि खर्च की गई ?

रेल मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी):(क) दक्षिण रेलवे की करूर-डिंडीगुल-मदुरै तूतीकोरिन लाइन, मद्रास द्रुत परिवहन प्रणाली तथा गोल्डन राक कारखाने का अधुनिकीकरण आदि

जैसे निर्माण कार्यों के लिए धन के आवंटत की हाल ही में समीक्षा की गई थी। जिसके परिणाम-स्वरूप करुर-डिंडीगुल-तूतीकोरिन लाइन के लिए धन का पुनर्विनियोग करके 6 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धन राशि का आवंटन किया गया है। 25.10 करोड़ रुपये की लागत पर गोल्डन राक कारखाने का आधुनीकरण एक अनुमोदित कार्य है और इस परियोजना के लिए ऋण सम्बन्धी सहायता की व्यवस्था भी विश्वबैंक द्वारा की जा रही है। मद्रास द्रत परिवहन प्रणाली के लिए अतिरिक्त धन आबंटन के लिए विचार किया जा रहा है।

(ख) धन राशि का क्षेत्रवार आबंटन तथा विकास योजना (योजना व्यय) 1983-84 पर क्षेत्रीय रेलों द्वारा खर्च की गई राशि इस प्रकार है :

रेलवे/यूसिट	संशोधित अनुमान 1983-84 (शद्ध)	वर्ष 1983-84 (मार्च 84 अबंतिस) के लिए जोनबार याचना खर्च (शद्ध)
मध्य रेलवे	225·17	230·90
पूर्व रेलवे	141·72	155·21
उत्तर रेलवे	146·55	113.26
पूंर्वोत्तर रेलवे	43·94	43·97
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	54·43	40·52
दक्षिण रेलवे	92·77	119·85
दक्षिण मध्य रेलवे	169·85	132·47
दक्षिण पूर्व रेलवे	225.55	242.48
पश्चिम रेलवे	158·81	165.41

प्रौढ़ शिक्षा के संवर्धन हेतु योजनाएं

662. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : वशा **शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रौढ़ शिक्षा के संवर्धन और प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा क्रियान्वि त करने के लिए प्रस्तावित यो जनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछड़े क्षेत्रों तथा पिछड़े वर्गों से निरक्षरता को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) देश में प्रौढ़ शिक्षा को प्रोन्यत करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(i) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं की केन्द्रीय प्रायोजित योजना, जिसके अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के संचालन के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 100% अनुदान संस्वीकृत किया जाता है ।

(ii) प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के संचालन के लिए राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, जिसके लिए निधि की व्यवस्था राज्य क्षेत्र में होगी ।

(iii) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैक्षिक ऐजेन्सियों को सहायता की केन्द्रीय योजना प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यात्मक साक्षारता, उत्तर साक्षारता, संसाधन विकास, प्रकाशनों इत्यादि की परियोजनाएं शुरू करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है ।

(iv) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में छात्रों और युवकों को शामिल करना विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय और कालेजों में छात्रों को 1990 तक 50,000 केन्द्र खोल कर चरणबद्ध ढंग से शामिल करने के लिए वित्तीय सहायता संस्वीकृत करता है । इसी तरह नेहरू युवक केन्द्र, युवकों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ।

(v) श्रमिक विद्यापीठ-उद्योग के संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में नियुक्त कामगारों को प्रशिक्षण तथा शिक्षा श्रमिक बिद्यापीठों के माध्यम से दी जाती है जो पूर्णतः शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित हैं ।

(vi) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए समुचित और प्रभावी ढांचा सुनिश्चित करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना ।

(vii) नवसाक्षर पुनः निरक्षर न बन जायें, इसे सुनिश्चित करने के लिए उत्तर साक्षरता तथा अनुवर्ती कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित योजना ।

(ख) पिछड़े क्षेत्रों और वर्गों में प्रौढ़ शिक्षा को प्रोन्नत करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित विशेष कदम उठाए गए हैं :

(i) जिन जिलों/क्षेत्रों में साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम है उन्हें ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं की केन्द्रीय प्रायोजित योजना ओर राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत, शामिल करने पर ज़ोर दिया जा रहा है ।

(ii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों को शामिल करने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है ।

(iii) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे यथासंभव अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित करें ।

(v) केवल महिलाओं के लिए साक्षरता केन्द्र संचालित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करते हेतु, प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेन्सियों को महिला शिक्षार्थियों के लिए, तीस केन्द्रों के स्थान पर कम से कम पांच केन्द्र शुरू करने की अनुमति देने के लिए सहायता अनुदान के नियमों में ढील दी गई है ।

(v) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध वित्तीय सहायता के माध्यम से चरणबद्ध ढंग से निरक्षरता उन्मूलन में छात्रों को शामिल करना बढ़ाया गया है ।

(vi) उत्तर साक्षरता कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि नवसाक्षर फिर से निरक्षर न हो जाएं ।

(vii) महिलाओं को और अधिक शामिल करने को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य तथा जिला स्तरों पर और प्रत्येक जिले में सर्वोत्तम पांच केन्द्रों में महिलाओं के दाखिले से सम्बन्धित सर्वोत्तम निष्पादन के लिए पुरस्कार की एक योजना शुरू की है ।

(viii) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए परम्परागत लोक संचार साधनों के अतिरिक्त रेडियो और टेलीविजन सहित जन संचार साधनों का उपयोग किया जा रहा है ।

उड़ीसा की राजधानी को जोड़ने के लिए झरसागुडा, तालचेर से बरास्ता

विजयनगरम नई रेलगाड़ी

663. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के कालाहांडी, बोलनगीर, कोरापुट जिले के लोगों से झरसागुडा, तालचेर से बरास्ता विजयनगरम राज्य की राजधानी को जोड़ने के लिए कोई नई रेल गाड़ी शुरू करने का प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या मामले पर विचार किया गया है और निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खाँन चौधरी : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) झारसगुडा से से टिटलागढ़ तक तीन गाड़ियां पहले ही चल रही हैं जो कटक के रास्ते विजयनगरम से हावड़ा तक चल रही छः गाड़ियों से सुविधाजनक मेल उपलब्ध कराती हैं । ये गाड़ियां, जो पुरी से हो कर गुजरती हैं, आगे पुरी और तालचेर के बीच चलने वाली गाड़ियों से सुविधाजनक मेल दिलाती हैं । इन परिस्थितियों को तथा सवारी डिब्बों और रेल इन्जनों की वर्तमान तंगी को और झारसगुडा से तालचेर तक थ्रू यातायात की मात्रा को देखते हुए मौजूदा गाड़ी सेवाएं मांगों की पूर्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं । अतः फिलहाल टिटलागढ़ और विजयनगरम के रास्ते झारसागुडा से तालचेर तक सीधी गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विश्वविद्यालयों द्वारा प्रवेश लेने के लिए अधिवास आरक्षण सम्बन्धी नियमों को रद्द किया जाना

666. **श्री चित्त महाटा :** क्या **शिक्षा और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विश्वविद्यालयों को अनुदेश जारी किए हैं कि प्रवेश पाने के लिए अधिवास आरण सम्बन्धी नियमों को रद्द किया जाए ।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) जिन विश्वविद्यालयों और कालेजों का रखरखाव और वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, उनकी दाखिला सम्बन्धी नीति सम्बन्धी राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती है । तथापि केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को यह सुझाव देती रही है कि शैक्षिक संस्थाओं, विशेष कर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, में दाखिले योग्यता के आधार पर किये जाने चाहिएं और कोई आवास सम्बन्धी प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए ताकि छात्रों की गतिशीलता और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा दिया जा सकें ।

भोपाल के पास सवारी डिब्बों की मरम्मत के लिए वर्कशाप के निर्माण के लिए स्थान

667. **श्री प्रताप भानु शर्मा**
श्री श्री सत्यनारायण जटिया } : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल के पास पर्याप्त भूमि के उपलब्ध न होने के कारण, गत तीन वर्षों से सवारी डिब्बों को मरम्मत के लिए वर्कशाप का निर्माण शुरू नहीं हो सका है;

(ख) यदि हां, तो इस बहुमूल्य परियोजना के लिए वैकल्पिक स्थान का अविग्रहण करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, और

(ग) तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) इस कारखाने की स्थापना के लिए भोपाल के निकट पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने का कोई प्रश्न नहीं है। कारखाने की स्थापना के लिए अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण करने हेतु मध्य रेलवे प्रशासन को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, जिसमें लगभग 315 एकड़ प्राइवेट भूमि शामिल है। रेलवे ने राज्य सरकार को योजनाएं आदि प्रस्तुत कर चुकी है। अधिग्रहण की जाने वाली भूमि की लागत तय नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

विभिन्न क्षेत्रों के लिए रेलवे निधि का आबंटन

668. **श्री दौलत राम सारण**
स्वामी इन्द्रवेश } : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न क्षेत्रों में रेलवे के विकास हेतु धन राशि के आबंटन और नयी योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई अन्तर नहीं रखा गया है;

(ख) क्या इसके कारण बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को अपना उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है और यदि हां, तो इस तरह का भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि धनराशि के आबंटन में, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है तो विभिन्न क्षेत्रों को वर्ष 1984-85 के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है और क्या ब्यौरे को एक प्रति सभा सटल पर रखी जाएगी ?

रेल मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं ;

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता

(ग) धनराशि का आबंटन राज्यवार नहीं बल्कि रेलवे जोनवार किया जाता है। 1984-85 के रेलवे बजट प्रलेखों को मुद्रित पिंक बुक में आबंटन के जोनबार, ब्यौररे उपलब्ध हैं।

मलेरिया की दवाओं की प्रभावहीनता

669. **श्री अनन्त रामुलु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह महसूस करती है कि औषधि प्रतिरोधी गतियों के सारे देश में फैल जाने के कारण मलेरिया एक भारी चुनौती बन गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अनुसंधान किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) कुछ राज्यों के कुछेक क्षेत्रों में मलेरिया परजीवी की प्रतिरोधी प्रजातियां पाई गई हैं। इन प्रतिरोधी प्रजातियों पर काबू पाने के लिये औषध प्रतिरोधन की मानिटरिंग पर सक्रिय रूप से अनुसंधान किया जा रहा है। औषधि-प्रतिरोधन वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक औषधियां और औषध मिश्रण इस्तेमाल किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिन इलाकों में इस रोग के गढ़ पाये गये हैं वहां पर इसे फैलने से रोकने के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं।

पटना जंक्शन पर जाली टिकटों की बिक्री

670. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जून, 1984 के 'पेट्रियट' में 'फेक टिकट्स, इश्यूड एट पटना रेल काउन्टर' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच करवायी गयी थी; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों, और यदि कोई कार्यवाही की गयी हो तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जांच से पता चला है कि 13.6.84 को एक पार्टी ने 22.6.84 के लिए पटना जंक्शन से चलने वाली 88 डाउन साऊथ बिहार एक्सप्रेस में श्री वीरेन्द्र सिंह और श्रीमती मोना सिंह के नाम से दूसरे दर्जे के 3-टियर शयन यान में आरक्षण हेतु मांग पत्र प्रस्तुत किया था। इस मांग पत्र पर पुष्टीकृत आरक्षण का प्रबन्ध किया गया था और दूसरे दर्जे के टिकट नं० 4538 और 4539 जारी किये गये थे। किन्तु, आरक्षण कलर्क इंचार्ज ने उस दिन गलती से इन के नामों का इंदराज 20.6.84 के आरक्षण रजिस्टर में कर दिया था जबकि इंदराज वास्तव में 22.6.84 के रजिस्टर, जिस दिन के लिए आरक्षण की मांग की गयी थी, में किया जाना चाहिए था। इसके फल-स्वरुप, उनके नाम 22.6.84 को उक्त गाड़ी के आरक्षण चार्ट में नहीं आया। किन्तु, रेलवे कर्म-चारियों द्वारा इनके लिए 22.6.84 को गाड़ी में स्थान की व्यवस्था कर दी गयी थी। जांच पड़-

ताल से यह भी पता चला है कि पार्टी को जारी किये गये टिकट वास्तविक थे और जाली नहीं थे, जैसा की समाचार पत्र में छपा है। इस चूक के लिए आरक्षण क्लर्क के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी है।

प्रौढ़ साक्षरता केन्द्रों की संख्या में वृद्धि

671. **श्रीमती गीता मुकर्जी :**
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : } : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1990 तक प्रौढ़-साक्षरों को 350 लाख तक बढ़ाने के उद्देश्य से, अपने निरक्षरों को शिक्षा देने के कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रौढ़ साक्षरता केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो यदि सरकार ने अब तक उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन का कोई मूल्यांकन किया है और इसकी त्रुटियों का निर्धारण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन्हें दूर करने हेतु क्या उपाय करने का विचार है; और

(घ) विभिन्न राज्यों में निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम पर अब तक राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) सरकार ने पौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को, छठी पंचवर्षीय योजना के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और नए 20-सूत्री कार्यक्रम में शामिल करके, उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। वर्ष 1990 तक प्रौढ़ साअरता कार्यक्रम के अन्तर्गत 15-35 आयु-वर्ग में 11 करोड़ की पूरी पौढ़ निरक्षर जन-संख्या को शामिल करने का निर्णय किया गया है जिसके लिए पर्याप्त संख्या में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले जाएंगे।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित बाह्य और आन्तरिक विभिन्न मूल्यांकन रिपोर्ट से मुख्य रूप में प्रबन्धकीय, कार्मिकों के प्रशिक्षण, शिशुओं और अनुदेशकों की प्रेरणा और संगत विकास क्रियाकलापों के साथ सम्पर्कों के सम्बन्ध में कमियों का पता लगा है। राज्य सरकारों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद मूल्यांकन रिपोर्टों में बताई गई कमियों को ठीक करने के लिए समय-समय पर उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

(घ) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक किए गए प्रत्याशित व्यय का विवरण संलग्न है ।

विवरण

(रुपए लाखों में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	व्यय/पूर्व अनुमानित
1	2
आन्ध्र प्रदेश	199
असम	223
बिहार	964
गुजरात	224
हरियाणा	21
हिमाचल प्रदेश	15
जम्मू और कश्मीर	126
कर्नाटक	210
केरल	8
मध्य प्रदेश	486
महाराष्ट्र	382
मणिपुर	39
मेघालय	24
नागालैंड	31
उड़ीसा	42
पंजाब	10
राजस्थान	282
सिक्किम	9

1	2
तमिलनाडु	565
त्रिपुरा	57
उत्तर प्रदेश	300
पश्चिमी बंगाल	371
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	7.02
अरुणाचल प्रदेश	31.24
चण्डीगढ़	10.36
दादरा व नगर हवेली	4.14
दिल्ली	145.26
गोवा, दमन व दीव	18.97
लक्ष द्वीप	0.80
मिजोरम	12.12
पाण्डीचेरी	8.20
कुल :	4826.11
केन्द्रीय क्षेत्र	5531.73
कुल योग	10357.84

पूर्व और पश्चिम को जाने वाले जहाजों के लिए अपर्याप्त माल व्यापार के कारण नौवहन कम्पनियों द्वारा मांगी गई रियायतें

672. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते**
प्रो० मधु दण्डवते } : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन कम्पनियों ने यह शिकायत की है कि पूर्व ओर पश्चिम को जाने वाले जहाजों के लिए कोई व्यापार नहीं रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो माल कम भेजे जाने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या उन कम्पनियों ने सरकार से कुछ रियायत की मांग की है;

(घ) क्या कुछ कम्पनियों ने अपने जहाज और जलपोत बेचने का निर्णय किया है और इसके लिए उन्होंने सरकार से अनुमति मांगी है;

(ङ) क्या उन कम्पनियों को इस प्रकार की अनुमति दी गयी है जिन्होंने सरकार से बड़ी धनराशि प्राप्त की है; और

(च) क्या बम्बई की एक व्यापारी नौवहन कम्पनी, मैसर्स मैकिनोन मकैनजी को इस प्रकार की अनुमति दी गयी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि पूर्व और पश्चिम जाने वाले जहाजों के लिए कारगो नहीं मिलते । तथापि भारतीय नौवहन कम्पनियों को मांग को तुलना में अधिक टनेज होने के कारण नौवहन क्षेत्र में मुख्यत: विश्वव्यापी मंदी की वजह निर्यात कारगो प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है । इससे विभिन्न देशों की नौवहन कम्पनियों को भिन्न-भिन्न रूटों पर अधिक से अधिक कारगो प्राप्त करने में अक्सर काफी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है । इसके साथ-साथ कुछ निर्यात सामग्रियों की खरीद मंडी का विकास होने से खरीददार नौतल पर्यन्त आधार पर खरीदने पर जोर देते हैं जिससे वे जहां तक सम्भव हो उस सामग्री के लिए अपने जहाज का प्रयोग कर सकें ।

(ग) जी, हाँ ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) कुछ कम्पनियों को जिन्होंने सरकार से सहायता प्राप्त की है, कुछ जहाजों को बेचने/स्क्रैप करने की अनुमति दी गई है ।

(च) मैसर्स मेकिनन मेकैन्जी को सिद्धान्त रूप में अपना एम० वी० वैकट I नामक जहाज स्क्रैपिंग करने के लिए बेचने की अनुमति दी गई है ।

कनाट प्लेस और संसद भवन के बुकिंग कार्यालयों से जाली टिकटों का जारी किया जाना

673. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कनाट प्लेस और संसद भवन के रेलवे बुकिंग कार्यालयों से जाली टिकटें जारी किये जाने के बारे में समाचार पत्रों में हाल की खबरों की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो जाली टिकट जारी करने और गैर-कानूनी रूप में धन कमाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रेस में रिपोर्ट करने के पहले ही, स्रोत-सूचना के आधार पर, रेल मंत्रालय के सतर्कता निदेशालय ने कथित नकली-जाली अधिक किराया वाले टिकटों पर वापसी लेने के मामले का पता लगाने के लिए निवारक जांच की थी। जाँच-पड़ताल चल रही है।

मेडिकल कालेजों में प्रावेशिक शुल्क को समाप्त करने के उपाय

674. **श्री नवीन रावणी**
श्री एन० ई० होरो } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे मेडिकल कालेजों की संख्या, उनके नाम तथा स्थान क्या हैं जो छात्रों से भर्ती के समय प्रावेशिक शुल्क वसूल कर रहे हैं;

(ख) क्या कुछ मेडिकल कालेजों द्वारा वसूल किए जाने वाले प्रावेशिक शुल्क को समाप्त करने के लिए कुछ कानूनी उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति शुल्क के आधार पर छात्रों को दाखिला देने वाले निम्नलिखित मेडिकल कालेज बतलाये गये हैं :

कर्नाटक

1. कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मनिपाल, मंगलौर
2. जे० जे० एम० मेडिकल कालेज, देवगिरी
3. जे० एल० एन० मेडिकल कालेज, वेलगांव
4. एम० आर० मेडिकल कालेज. गुलबर्ग
5. एम० एस० रमैय्या मेडिकल कालेज, बंगलौर
6. कैम्पा गौडा आयुर्विज्ञान संस्थान, बंगलौर
7. डा० बी० आर० अम्बेडकर कालेज, बंगलौर

पंजाब

8. दयानन्द मेडिकल कालेज, लुधियाना

आन्ध्र प्रदेश

9. सिद्धार्थ मेडिकल कालेज, विजयवाड़ा

(ख) और (ग) भारत सरकार मेडिकल कालेजों में छात्रों को दाखिला देने के लिए प्रतिव्यक्ति शुल्क वसूल करने की प्रथा के पक्ष में नहीं है और राज्य सरकारों को इस प्रथा को समाप्त करने की सलाह दी है। 7 से 9 जुलाई, 1983 को आयोजित किए गए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की केन्द्रीय परिषदों के संयुक्त सम्मेलन में इस आशय का एक संकल्प भी पारित किया था कि "चिकित्सा संस्थानों में छात्रों को दाखिला देने के लिए उन से प्रति व्यक्ति शुल्क वसूल करने की प्रथा को समाप्त करने के लिए सभी राज्य/संघ शासित प्रदेश कदम उठाएं।"

हरियाणा में रेलवे का नया मण्डल

675. **स्वामी इन्द्रवेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में रेलवे का नया मण्डल स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) 2.50 करोड़ रुपये की प्रत्याशित लागत से अम्बाला में एक नए रेलवे मण्डल के लिए एक नये मण्डल कार्यालय भवन का निर्माण स्वीकृत किया गया है। मण्डल कार्यालय भवन के लिए योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी बीच मण्डल योजना के लिए 144 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने के लिए, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर लोक निर्माण विभाग (बी०एण्ड आर०), अम्बाला के पास 36.70 लाख रुपये जमा कर दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

"किलर डिसेंटरी एण्ड हेप्टाइटिस फाल आउट आफ यू० एस० रिसर्च" शीर्षक से समाचार

676. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जून, 1984 के साप्ताहिक "न्यू ऐज" में "किलर

डिसेंटरी एण्ड हेप्टाइटिस फाल आउट आफ यू० एस० रिसर्च" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) सरकार ने "न्यू एज" में प्रकाशित इस समाचार को देखा है। इस वर्ष के दौरान अतिसार की घटनाओं की सूचना पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और उड़ीसा राज्यों से मिली थी। जांच करने पर पाया गया कि शिगेला अतिसार टाइप-1, ई० कोली और शिगेला वाइब्रो कालरा तथा शिगेला फ्लैक्सनरी के कारण विभिन्न राज्यों में यह महामारी फैली थी। लोगों में व्यक्तिगत सफाई की कमी, सफाई की अस्वास्थ्यकर अवस्थाएं तथा दूषित पानी की सप्लाई इस बीमारी के फैलने के प्रमुख कारण हैं। इसकी जांच-पड़ताल राष्ट्रीय हैजा और आन्त्र शोध रोधी संस्थान, कलकत्ता के दलों द्वारा की गई गुजरात राज्य से वायरल हेपाटाईटस की घटना की सूचना मिली थी। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली, राष्ट्रीय विषाणु-विज्ञान संस्थान, पुणे और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के दलों द्वारा अन्वेषण किए गए। अन्वेषणों के आधार पर पता चला कि हेपाटाइटिस-बी, होहाटाइटिस-ए और होपाटाइटिस नान-ए तथा नान-बी की घटनाओं के कारण गुजरात में वायरल हेपाटाइटिस फैला था।

सीकर और लोहारू जंक्शन के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या

677. **श्री भीम सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीकर (राजस्थान) और लोहारू जंक्शन के बीच छोटे-बड़े सब मिलाकर 13 रेलवे स्टेशन हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि सीकर और लोहारू सहित इन 15 रेलवे स्टेशनों से दिल्ली और अन्य दुरस्थ स्थानों के लिए अनेक यात्री यात्रा करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रथम और द्वितीय श्रेणी में इन रेलवे स्टेशनों से जाने वाले तथा इन स्टेशनों पर पहुंचने वाले यात्रियों की वर्षवार संख्या कितनी है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) जी,हां।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बरेली-मथुरा और बरेली-पीलीभीत के बीच खराब हुए इंजनों की संख्या

670. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, 1984 तक बरेली-मथुरा जंक्शनों के बीच बरेली-पीलीभीत के बीच कुल कितने इंजन खराब हुए;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन इंजनों के खराब हो जाने के कारण कुल कितने घंटों की हानि हुई; और

(घ) इन इंजनों के खराब हो जाने के क्या कारण हैं और रेलवे प्रशासन खराब हुए इंजनों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जनवरी से जून, 1984 तक बरेली-मथुरा जंक्शन के बीच दस इंजन तथा बरेली-पीलीभीत के बीच एक इंजन खराब हुआ। इनका ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) 33 घंटे बाईस मिनट।

(घ) इंजनों की ये खराबियां सामग्री की खराबी तथा घटिया कोयले के कारण हुई। होम इंजन शेड द्वारा इंजन की मरम्मत करने से पहले तथा इसे फिर से सेवा के लिए भेजने से पूर्व इंजन की प्रत्येक खराबी को सावधानीपूर्वक जांच की जाती है। इसके साथ-साथ यदि अनुरक्षण घटिया पाया जाता है अथवा रनिंग कर्मचारियों की ओर से किए प्रयास में किसी कमी की आशंका की जाती है तो फिटिंग तथा रनिंग कर्मचारियों को शिक्षित करके इसकी पुनरावृत्ति न होने देने के लिए निवारक कार्रवाई भी की जाती है।

विवरण

जनवरी, 1984 से जून, 1984 तक बरेली सिटी तथा मथुरा जंकशन के बीच हुई इंजन खराबियों की संख्या

क्र०सं०	मंडल	शेड	खराबी की तारीख	गाड़ी संख्या	इंजन संख्या	स्थान जहां खराबी आई	खोया गया समय
							घंटे मिनट
1.	इज्जतनगर	कासगंज	1.1.84	116 डाउन	2739 वाई पी	सोनई-पुरसान	3'-45"
2.	,,	,,	21.1.84	115 अप	2048 ,, ,,	सोनई-राया	6'-35"
3.	,,	,,	31.3.84	104 डाउन	2087 ,, ,,	बरेली सिटी-कासगंज	2'-50"
4.	,,	बरेली सिटी	16.5.84	181 अप	2532 ,, ,,	कासगंज-बरेली सिटी	3'-20"
5.	,,	,,	18.5.84	101 अप	2163 ,, ,,	मकरन्दपुर-बमियाना	2'-20"
6.	,,	कासगंज	25.5.84	116 डाउन	2535 ,, ,,	हाथरस-सिटी-रति का नगला	2'-46"
7.	,,	,,	18.6.84	125 अप	2438 ,, ,,	मुरसान	4'-41"
8.	,,	,,	19.6.84	59 अप	2435 ,, ,,	सोनई-मुरसान	1'-40"
9.	,,	बरेली सिटी	13.6.84	64 डाउन	2651 ,, ,,	बरेली सिटी-कासगंज	1'-45"
10.	,,	,,	14 6·84	104 डाउन	2452 ,, ,,	,,	1'-55"
						जोड़	31'-37"

जनवरी, 1984 से जून, 1984 तक बरेली सिटी तथा पीली भीत के बीच हुई इंजन खराबियों की संख्या

1·	इज्जतनगर	बरेली सिटी	24.4.84	244 अप	2425 वाई पी	भोजपुरा जं० सैथल	1'-45"

मध्य प्रदेश में बाघ गुफाओं के बारे में विवाद

679. **श्री दीन बन्धु वर्मा** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में बाघ गुफाओं पर विवाद का स्वरूप क्या है;

(ख) भारतीय पुरातत्व विभाग ने राजस्थान में चित्तौड़गढ़, रणथम्भौर, कुम्हलगढ़ और आमेर जैसे किलों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) इस विभाग ने पिछले तीन वर्षों में कितनी धनराशि खर्च की है; और

(घ) क्या सरकार का विचार देश के बहुमूल्य जर्जर स्मारकों के अनुरक्षण के लिए विभाग को नवीनतम तकनीक और उपकरण उपलब्ध करने का है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) बाघ गुफाओं के बारे में कोई विवाद नहीं है।

(ख) राजस्थान के चित्तौड़गढ़, रणथम्भौर और कुम्हलगढ़ किले परिरक्षण की अच्छी स्थिति में हैं। नियमित और समयोचित संरचनात्मक मरम्मतें आवश्यकतानुसार की जाती हैं। जयपुर जिले का आमेर किला केन्द्रीय संरक्षित संस्मारक नहीं है।

(ग) केन्द्रीय संरक्षित संस्मारकों की संरचनात्मक मरम्मतों और वार्षिक रखरखाव पर वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में क्रमश: 1,40,41,000 रुपये, 1,77,22,000 रुपये और 2,14,69,000 रुपये की धनराशि खर्च की गई, जबकि भाग (ख) में निर्दिष्ट तीनों किलों पर निम्न लिखित धनराशि खर्च की गई :

	1981-82	1982-83	1983-84
चित्तौड़गढ़ किला	9,31,495	1,22,416	2,42,132
रणथम्भौर किला	16,081	18,297	76,048
कुम्हलगढ़ किला	10,260	9,453	13,801

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश के रुग्ण संस्मारकों पर नई तकनीकियों को सांस्कृतिक संपदाओं के परिक्षण और जीर्णोद्धार के लिए अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केन्द्र (आई० सी० सी० आर० ओ० एम०) की अनुसंशाओं पर उन्हें प्रयोग में लाने से पूर्व भारतीय वातावरणों में उनकी प्रभावोत्पादकता को बारीकी से जांच करने के बाद ही अपनाता है।

भारतीय रेल विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए आरक्षण कोटा

680. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 30 जून, 1984 तक विभिन्न जोनल रेल विभाग में श्रेणी क से घ तक में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध कुल कितने अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत थे और उनके लिए कितने प्रतिशत आरक्षण कोटा रखा गया था और इन पदों पर उनकी पदोन्नति की स्थिति क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : क्षेत्रीय रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बम्बई-मद्रास मुख्य लाइन पर धौंड से शोलापुर तक दोहरी रेल लाइन

681. **श्री भाऊ साहिब थोरट** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के अन्तर्गत बम्बई-मद्रास मुख्य लाइन पर धौंड से शोलापुर तक दोहरी रेल लाइन का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या रेल विभाग द्वारा इस कार्य के लिए पहले ही सर्वेक्षण कर लिया गया है;

(ग) इस परियोजना की कुल लागत कितनी है; और

(घ) इसके शुरू होने की निर्धारित तिथि क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) 1977-80 की अवधि में धौंड-शोलापुर-वाडी खंड के लिए दोहरी लाइन बिछाने सहित अतिरिक्त लाइन क्षमता के लिए प्राथमिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया था ।

(ग) धौंड से शोलापुर (187 कि०मी०) खंड के दोहरीकरण पर अब करीब 56 करोड़ रुपये की लागत आयेगी ।

(घ) संसाधनों की तंगी की वजह से इस परियोजना को भविष्य के लिए प्रतीक्षा करनी होगी ।

कर्नाटक से कुष्ठ रोग के उन्मूलन के उपाय

682. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के ध्यान में यह आया है कि कर्नाटक के कुछ भागों में कुष्ठ रोग तेजी से बढ़ रहा है; और

(ख) क्या केन्द्र और राज्य सरकार इस रोग को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि कर्नाटक में कुष्ठ की घटनाओं में वृद्धि हो रही है।

(ख) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य बल कुष्ठ से पीड़ित रोगियों का शुरू में ही पता लगाने तथा उन्हें नियमित उपचार प्रदान करने पर दिया गया है। कुष्ठ क्लीनिकों, कुष्ठ केन्द्रों, एस० ई० टी० केन्द्रों, स्वैच्छिक केन्द्रों के जरिए मुफ्त इलाज किया जाता है और कुष्ठ रोगियों को अंतरंग पलंग भी उपलब्ध किए गए हैं। इन केन्द्रों के जरिए रोगियों को डेपसेन, क्लोफाजीमाइन और रिफम्पिसिन प्रोथायनामाइड तथा मिली-जुली गोलियां मुफ्त सप्लाई की जाती हैं। 1984-85 में कर्नाटक राज्य सरकार के लिए 65.00 लाख रुपये (35 लाख रु० नकद और 30 लाख रुपये सामग्री के रूप में) का बजट प्रावधान रखा गया है।

1984-85 के दौरान बेलगांव और धारवाड़ जिलों में बहु-औषध विधान परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं।

1984-85 के दौरान मगधी रोड़, बंगलौर में एक क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

अप्रैल, 1984 से शुरू की गई और शुरू की जाने वाली प्रस्तावित नयी रेलगाड़ियाँ

683. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1984 से अब तक कितनी नई रेलगाड़ियाँ शुरू की गई हैं; और

(ख) जुलाई से सितम्बर, 1984 के दौरान कितनी नई रेलगाड़ियां शुरू किए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) 1.4.1984 से 20.7.1984 तक की अवधि के दौरान भारतीय रेलों पर कुल 103 नई रेल गाड़ियां चलाई गई हैं जिनमें 44 उप-नगरीय रेल गाड़ियां भी शामिल हैं।

(ख) भारतीय रेलों पर नई रेल गाड़ियों के चलाने के लिए बहुत सी मांगें लंबित हैं और बहुत-सी मांगें प्राप्त हो रही हैं। ऐसे प्रस्तावों पर जो परिचालनिक दृष्टिकोण से व्यावहार्य और औचित्यपूर्ण हैं, विचार किया जाएगा, बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।

गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में मैट्रिकोत्तर छात्रों को हिन्दी सीखने के लिये छात्रवृत्ति

684. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में मैट्रिकोत्तर छात्रों को हिन्दी सीखने के लिए छात्रवृत्ति देना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां हिन्दी सीखने के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है;

(ग) 1984-85 में प्रत्येक छात्र को कितनी धनराशि देने का विचार है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) से (घ) यह मंत्रालय 1955-56 से हिन्दी में उत्तर मैट्रिक अध्ययन के लिए गैर-हिन्दी भाषी राज्य के छात्रों को छात्रवृत्तियों की योजना चलाता रहा है योजना का मुख्य उद्देश्य गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के अध्ययन को प्रोत्साहित करना तथा इन राज्यों की सरकारों को शिक्षण तथा अन्य पदों के लिए जहां हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है उपर्युक्त कार्मिक प्रदान करना है। इसको 1978 तक केन्द्र द्वारा प्रशासित तथा संचालित किया गया।

1. 1.4.1979 से यह योजना सहायता अनुदान बन गई है, और तमिलनाडु को छोड़कर जहां संस्थाओं को छात्रवृत्ति की अदायगी से सम्बन्धित कार्य सीधे मंत्रालय द्वारा किया जाता है, यह योजना गैर हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा संचालित की जा रही है।

2. इस योजना के अन्तर्गत सभी गैर-हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक स्तर और उससे आगे शिक्षा के विभिन्न मान्यता प्राप्त पूर्ण कालिक पाठ्यक्रमों के एक विषय के रूप में हिन्दी के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

3. छात्रवृत्ति की मासिक दरें 50/- रु० से 125/- रु० तक अलग अलग होती हैं, जो कि अध्ययन के पाठ्यक्रम, चाहे गैर-हिन्दी भाषी राज्य/संघ शासित प्रदेश या हिन्दी भाषी राज्य/संघ शासित प्रदेश में हो, पर निर्भर करती है।

4. 1984-85 के लिए योजना की घोषणा कर दी गई है। प्रतिवर्ष विभिन्न गैर-हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 2500 छात्रवृत्तियां आबंटित की जाती है। लाभ उठाने वाले 24 राज्य/संघ शासित प्रदेश ये हैं :

1. आन्ध्र प्रदेश
2. असम
3. गुजरात
4. जम्मू और कश्मीर

5. कर्नाटक	15. त्रिपुरा
6. केरल	16. पश्चिम बंगाल
7. महाराष्ट्र	17. अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह
8. मणिपुर	18. अरुणाचल प्रदेश
9. मेघालय	19. चंडीगढ़
10. नागालैंड	20. दादरा तथा नागर हवेली
11. उड़ीसा	21. गोवा, दमन तथा दीप
12. पंजाब	22. लक्ष द्वीप
13. सिक्किम	23. मिजोरम
14. तमिलनाडु	24. पांडिचेरी

पोलियोरोधी टीके की प्रभावहीनता

685. **कुमारी देवी सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामान्यत: देश के विभिन्न भागों में और विशेषकर मध्य प्रदेश में प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों का लगाए जाने वाले पोलियो-रोधी टीके कई मामलों में प्रभावहीन पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) यह देखने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं कि देश के विभिन्न भागों में लगाए जाने वाले पोलियोरोधी टीके प्रभावी सिद्ध हों ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) रोग प्रतिरक्षण के विस्तारित कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को जो पोलियो वैक्सीन सप्लाई की गई हैं वह इस बीमारी को रोकने में कारगर है। वैक्सीन की प्रभावकारिता इसे उपयुक्त रूप से लाने- ले जाने तथा भंडारण करने पर निर्भर करती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सप्लाई की गई वैक्सीन की गुणकारिता को बनाए रखने के लिए देश में कोल्ड चेन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु लगातार प्रयास किए जाते हैं।

इन्डो-यू० एस० फिजीशियन एक्सचेंज प्लान

686. **डा० बसंत कुमार पंडित :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत-अमरीका के बीच चिकित्सा अदला-बदली कार्यक्रम के संबंध में दिनांक 26 जून, 1984 के "स्टेटसमेन" में, "इन्डो-यू० एस० फिजीशियन एक्सचेंज प्लान" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश मुख्य मंत्री द्वारा इस संबंध में भारत सरकार की स्वीकृति माँगी गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और भारत सरकार की उस पर प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को आन्ध्र प्रदेश सरकार से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है जिसमें भारतीय अमरिकी फिजीशियनों के आदान-प्रदान के लिए अनुमोदन मांगा गया हो।

काश्मीर और कन्याकुमारी के बीच नयी रेलगाड़ी

687. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर और कन्याकुमारी के बीच जल्दी ही एक नई रेलगाड़ी चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वह रेलगाड़ी कब से चलाई जाएगी, वह कौन-कौन से दिन चलेगी तथा रास्ते में किन-किन स्टेशनों पर रुकेगी;

(ग) क्या सरकार का विचार इस रेलगाड़ी का नाम 'नेशनल सालिडेरेटी एक्प्रेस' रखने का है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस रेल गाड़ी को सप्ताह में कम से कम दो बार चलाने का है ?

रेल मंत्री (श्री ए०बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) : गाड़ी चलाए जाने के लिए रूप-रेखा तैयार की जा रही है।

हायर सेकेण्डरी और +2 स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा

688. **श्रीमती संयोगिता राणे**
श्रीमती माधुरी सिंह } : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हायर सेकेण्डरी और +2 स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा को महत्व देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुगुन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति +2 स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा के लिए सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देती है। तथापि, स्कूल शिक्षा मोटे तौर पर राज्यों की जिम्मेदारी है तथा अधिकांशतः उन्हीं के द्वारा इसका प्रबन्ध किया जाता हैं। केन्द्रीय सरकार व्यवसायिफ शिक्षा को अधिक महत्व देने तथा पर्याप्त निधियों की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों पर लगातार बल देती रही है। इसके साथ सरकार ने जमा दो स्तर पर व्यवसायीकरण के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। जो उपाय किए गए हैं वे निम्नलिखित है :-

(i) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के तत्वावधान में एक अखिल भारतीय व्यवावसायिक शिक्षा वोर्ड गठित किया गया है।

(ii) शिक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर केन्द्रीय प्रशिक्षुता परिषद ने व्याव व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों को खपाने के लिए विद्यमान प्रशिक्षुता अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

(iii) शिक्षा मंत्रालय ने एक प्रयोगिक योजना आधार पर व्यवसायिक शिक्षा के छात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिये 3000 वजीफों की व्यवस्था की है जिनका इस वर्ष 6000 तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है।

(iv) व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक अन्तर सचिवालीय संचालन समिति गठित की गई है।

(v) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के विकास के लिए राज्य सरकारों को सहायता तथा व्यवसायिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए बांछनीय दक्षता प्रदान करता रहा है।

(vi) योजना आयोग ने राज्य सरकारों पर इस बात की आवश्यकता के लिए बल

दिया है । कि वे व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त निधियां निर्धारित करें ।

सातवीं योजनाविध में रेल लाइनों को प्राथमिकता के आधार पर निर्माण करना

689. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं योजना में देश में कुछ रेल लाइनों का प्राथमिकता के आधार पर पुनर्निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में प्राथमिकता के आधार पर बनाई जाने वाली रेल लाइनों की संख्या तथा नाम क्या हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) सातवीं योजना में, प्राथमिकता वाली परियोजनाओं तथा नई लाइनों आदि के निर्माण के सम्बन्धित ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है । बहरहाल, उड़ीसा में पहले से अनुमोदित निम्नलिखित नई बड़ी लाइनों का निर्माण कार्य सातवीं योजना में चालू रहेगा :

(1) कोरापुर से रायगड़ा

(2) तालचेर से सम्बलपुर

(3) वांसपानी से जखापुरा

जखापुरा-तैंतारी लाइन पहले से यातायात के लिए खुली हुई है । शेष भाग पर कार्य का शुरू किया जाना, तैंतारी से क्यों झरगढ़ तक दूसरे चरण के लिए किए जा रहे अन्तिम स्थान-निर्धारण सर्वेक्षण के परिणामों तथा सातवीं योजना में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

कोणार्क में सूर्य मन्दिर के परिरक्षण के लिए "यूनेस्को" की सहायता

690. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में कोणार्क मन्दिर का (ढांचागत और रासायनिक दोनों प्रकार का) परिरक्षण बहुत ही असन्तोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो कोणार्क के सूर्य मन्दिर के उचित परिरक्षण के लिए क्या उपाय करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार उस मन्दिर के उचित परिरक्षण और प्रभावशाली रख

रखाव के लिए "यूनिस्को" से सहायता लेने का है, जैसा कि मिस्त्र के स्मारकों के मामले में किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कोणार्क में सूर्य मंदिर का उचित संरचनात्मक संरक्षण और रासायनिक प्ररिक्षण कर रहा है ।

(ग) जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

दक्षिण भारतीय राज्यों की कथित उपेक्षा

691. **श्री ए० के० बालन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे द्वारा दक्षिण भारतीय राज्यों की उपेक्षा करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को केरल सरकार से नयी रेल लाइनों के बारे में अनुनोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) दक्षिण भारतीय राज्यों सहित सभी राज्य सरकारों से अपने-अपने क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में समय-समय पर अनेक अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) निम्नलिखित नई लाइनों के निर्माण की मांग की गई है :

(1) कोच्चिन-मुदुरै ।

(2) कोट्टयम-बोदिनायक्कनूर ।

(3) चेंगानूर-तिरुवनंतपुरम ।

(4) कुट्टीपुपरम-गुरुवायुर-त्रिचूर ।

(5) तेल्लिचेरी-मैसूर ।

पश्चिमी क्षेत्र में रेल लाइन का निर्माण

692. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) पश्चिमी क्षेत्र में निर्माणधीन रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि निर्माण कार्य अत्यधिक धीमी गति से चल रहा है और रेल परियोजनाओं में एक साथ कई वर्षों का विलम्ब हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो कार्य को पूरा करने और लाइन को विशेषकर वीरमगांव ओखा-पोरबन्दर लाइन को यातायात के लिए खोलने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान गुजरात में नई रेल लाइन के निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने का कोई विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) पश्चिम रेलवे पर निम्नलिखित नई लाइन और अभाव परिवर्तन परियोजनाएं प्रगति पर हैं :

(1) कोटा से चित्तौड़गढ़-नीमच तक नई बड़ी लाइन ।

(2) भुज से नलिया तक नई मीटर लाइन।

(3) कपडवंज से भोडासा तक नई बड़ी लाइन और बडियाद से कपडवंज तक की छोटी लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन ।

(4) वीरमगाम से ओखा/पोरबन्दर तक की मीटर लाइन का बड़ी लाइन आमान परिवर्तन (यातायात के लिए खोल दी गयी है) 1—केवल अवशिष्ट कार्य ।

(ख) और (ग) धन के आबंटन के अनुरूप निर्माण कार्य सामान्यतया संतोषजनक ढंग से चल रहेहैं । वीरमगाम से ओखा/पोरबन्दर तक का आमान परिवर्तन कार्य पूरा हो चुका है और इसका अन्तिम चरण अप्रैल, 1984 में यातायात के लिये खोल दिया गया है । चूंकि संसाधनों की तंगी के कारण इस काम के लिए पर्याप्त धन आबंटित नहीं किया जा सका है इसलिए कपडवंज से मोडासा तक की बड़ी लाइन के साथ-साथ छोटी लाइन में अभाव परिवर्तन के काम की प्रगति अधिक नहीं है ।

(घ) भाग (क) के उत्तर की मदें 2, 3 और 4 जो गुजरात X राज्य में आती हैं, के नई लाइनों और आमान परिवर्तन के कार्य चालू वर्ष में प्रगति पर हैं।

सातवी पंचवर्षीय योजना में सड़क परिवहन कार्यक्रम

694. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में सड़क परिवहन के लिए आवश्यक कुल धनराशि के बारे में कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो सातवीं पंचवषीय योजना में सड़क परिवहन पर कुल कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है; और

(ग) उक्त योजना अवधि में शुरू किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) जी, नहीं । योजना आयोग द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही सातवीं योजना में सड़क परिवहन के लिए कुल जितनी धनराशि की जरूरत पड़ेगी, उसका मूल्यांकन किया जाएगा ।

भारतीय जहाजों की स्क्रेपिंग

695. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौवहन उद्योग ने मंत्रालय से यह अनुरोध किया है कि जब तक भारतीय ध्वज पोतों की स्क्रेपिंग नहीं हो जाती तब तक विदेशी जहाजों को आयात की अनुमति न दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने जिन जहाजों की स्क्रेपिंग होनी है, उनकी बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय किया गया है । यह भी निर्णय किया गया है कि बम्बई और कलकत्ता के अलावा अन्य स्थानों पर भी शिप ब्रेकरों को भारतीय जहाज टेंडर के आधार पर उपलब्ध कराए जायें । तथापि स्क्रेपिंग के लिए विदेशी जहाजों के आयात को रोकने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

हिन्दू और मुस्लिम महिलाओं में ग्रीवा (सर्विकल) कैंसर

696. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दू महिलाओं की अपेक्षा मुस्लिम महिलाओं को ग्रीवा कैंसर कम होता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) भारत के विभिन्न भागों में किए गए अध्ययनों से प्राप्त हुये सबूत से पता चलता है कि हिन्दू महिलाओं की तुलना में मुस्लिम महिलाओं में ग्रीवा कैंसर कम होता है ।

(ख) (1) 1963 से 1966 के दौरान आगरा जिले में किए गए एक अध्ययन से यह नोट किया गया कि हिन्दू महिलाओं में गर्भाशय कैंसर की व्यापकता दर मुस्लिम महिलाओं की तुलना में दुगुनी थी। यह नोट किया गया कि 20 वर्ष से अधिक आयु की हिन्दू महिलाओं में व्यापकता दर 6.3 प्रति हजार थी जबकि उसी आयु वर्ग की मुस्लिम महिलाओं में यह दर 3.2 प्रति हजार थी।

(2) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री परियोजना के जरिये 1982 में भिन्न-भिन्न रजिस्ट्रियों में निम्नलिखित तथ्य देखने में आये :

	हिन्दू	मुस्लिम
	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)
1. जनसंख्या पर आधारित रजिस्ट्रियां :		
(क) बंगलौर	32.2	17.20
(ख) बम्बई	23.94	13.27
(ग) मद्रास	43.51	15,19
2. अस्पतालों पर आधारित रजिस्ट्रियां :		
(क) चण्डीगढ़	45.53	19.44
(ख) डिब्रूगढ़	20.71	16.67
(ग) त्रिवेन्द्रम	30.10	21-29

नेत्रहीनों की संख्या तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना में अन्धेपन पर नियंत्रण करने के लिए लक्ष्य

697. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम के द्वारा अन्धता को नियंत्रण करने के लिए आवश्यक धन के साथ कुछ लक्ष्य विर्धारित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस बारे में भावी योजना का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) आधार-भूत ढांचे के विकास तथा भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मोतिया-बिन्द के लक्ष्य थोड़ी बहुत गुंजाइश सहित प्रत्येक दस हजार की आबादी के पीछे 20 की दर से निर्धारित किए जाते हैं। 1984-85 के दौरान 12,78 लाख मोतियाबिन्द आपरेशन करने तथा अन्य आधार-भूत ढाँचे का विकास करने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए 7.00 करोड़ रुपये का बजट आबंटन किया गया है सातवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के वास्तविक लक्ष्य और धन आदि के आबंटन का विवरण अभी तैयार किया जा रहा है।

आर्ग्रेनोफासफेट कीटानाशी के जहरीले प्रभाव के सम्बन्ध में अनुसंधान

698. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नेहरू मेडिकल कालेज के अन्तर्विषयक मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र में आर्ग्रेनोफासफेट कीटानाशी पर किये जा रहे अनुसंधान के प्रारम्भिक निष्कर्षों और अनुसंधान के क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी कीटानाशी दवायें कौन-कौन सी हैं जिसमें इस प्रकार का जहरीला प्रभाव पड़ता है और इस प्रभाव का जहरीले प्रभाव की घटनाओं को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं; और

(ग) क्या इस प्रकार की कीटनाशी दवाओं के प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए कोई नियम अथवा विनियम हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्रालय में अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के निर्धारित कोटे को बनाये रखने हेतु कदम

700. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य मंत्रालय तथा इसके सम्बद्ध और अधिनस्थ कार्यालयों में अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों का प्रतिशत केवल 3.06 प्रतिशत है, सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों (हिन्दुस्तान लेटक्स लिमिटेड और आई०एम०पी०सी०एल०) में केवल 2.12 प्रतिशत तथा सांविधिक/स्वशासी संस्थानों में केवल 1.5 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय में अनुसूचित जनजातियों के 7.5 प्रतिशत के निर्धारित कोटे को बनाये क्यों नहीं रखा जाता है; और

(ग) प्रधानमंत्री के नए 20-सूत्री कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) हां।

(ख) ऐसा सीधी भर्ती के लिए तथा पदोन्नति के लिए/फीडर-काडर में अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण है।

(ग) अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए सरकार विभिन्न योजनायें चला रही है और आशा है कि इनसे स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के सरकारी उपक्रमों और/स्वायत्त निकायों की नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व और अधिक बढ़ जायेगा।

पश्चिम बंगाल के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को चिकित्सा सहायता

701. **श्री पीयूष तिरकी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले महीने पश्चिम बंगाल के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिए तत्काल और समुचित चिकित्सा सहायता प्रदान करने में केन्द्र सरकार असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो पश्चिम बंगाल के बाढ़ पीडित क्षेत्रों को दी गयी चिकित्सा सहायता का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को चिकित्सा सहायता की निम्नलिखित मदें सप्लाई की गई हैं :

(i) हैजा वैक्सीन	10 लाख खुराकें
(ii) एन्टी स्नेक वेनुम सीरम	5000 शीशियां
(iii) डिप्थेरिया सीरम	1000 शीशियां

दिल्ली में रोगी शिकायत जांच समिति के गठन का प्रचार करने के लिए किए गए उपाय

702. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में स्थापित रोगी शिकायत जांच समिति, जिसे संघ क्षेत्र दिल्ली में सरकारी और अन्य अस्पतालों की सेवाओं के बारे में जनता की जांच करनी है, को पिछले वर्ष केवल 16 शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की समितियों के गठन का प्रचार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या लोगों की जानकारी के लिए अखबारों, होर्डिगो और छपाये गए पोस्टरों अथवा हेन्डबिलों में उसका लगातार विज्ञापन दिया गया था और यदि हाँ, तो किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) डी० ए०बी० पी०, आकाशवाणी, दूरदर्शन और अन्य माध्यमों से इसका प्रचार न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) हां।

(ख) से (घ) यह मुख्यतया रोगियों अथवा उनके रिश्तेदारों से मिली शिकायतों को एक ही स्थान पर निपटाने के लिए बनाई गई व्यवस्था है। इसलिए जन प्रचार माध्यमों द्वारा कोई प्रचार करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

मेहातपुर तथा बांगल.तलवाड़ा रेल लाइन का निर्माण

703. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे प्रशासन ने हिमाचल प्रदेश में मेहातपुर तक नांगल-तलवाड़ा रेल लाइन के निर्माण के पूरा होने के लिए 30 जून,1984 तारीख निश्चित की थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या मेहातपुर तक इस लाइन का निर्माण कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें देरी होने के क्या कारण हैं और उसे पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और मेहातपुर तक उक्त लाइन का निर्माण कौन सी तारीख तक पूरा हो जाएगा; और

(घ) मेहातपुर तक रेल लाइन के निर्माण पर कुल कितनी लागत आई है और भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को किस स्थान तक भूमि का अधिग्रहण करने को कहा गया है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) नांगल डैम-तलवाड़ा रेल लाइन का मेहातपुर तक निर्माण जून 1984 के अन्त तक पूरा होने की आशा थी। लेकिन पंजाब में गड़बड़ी के कारण कार्य की प्रगति का हर्ज हुआ और आशा पूरी नहीं हुई। इन परिस्थितियों में इसके पूरा होने की कोई तारीख नियत करना कठिन है। फिर भी नांगल डैम से मेहातपुर तक लाइन को यथाशीघ्र पूरा करने के प्रयास किए जायेंगे।

(घ) मेहातपुर तक लाइन के निर्माण की अनुमानित लागत 2.50 करोड़ रुपये है जिसमें नांगल डैम खास में किए जाने वाले कार्य शामिल नहीं है। मेहातपुर और ऊना के बीच अर्थात किलो मीटर 17.5 तक भूमि का सीमांकन कर दिया गया है और राज्य सरकार को बता दिया है।

अतिरिक्त जोनों/डिवीजनों के लिए रेलवे सुधार आयोग की सिफारिशे

704. **प्रो० नारायण चन्द पराशर**
श्री भीखा भाई } : **क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुधार समिति ने देश में अतिरिक्त जोनों/डिविजनों के गठन की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या वास्तविक सिफारिश की गई है;

(ग) उक्त सिफारिश को कौन सी तारीख तक स्वीकार कर लिया जायेगा और कार्यान्वित किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो जोनों/डिविजनों में पुनर्गठन के सम्बन्ध में रेलवे सुधार आयोग की रिपोर्ट कौन सी तारीख तक प्राप्त हो जाएगी और उसमें देरी के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) 23 जुलाई, 1984 को रेलों के फिर से ग्रुप बनाने पर रेलवे सुधार समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। समिति ने कुछ नये जोन और मंडलों के सृजन के लिए सिफारिशें की हैं। चूंकि रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है, इसलिए इसका अध्ययन किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश के लिए पुरातात्विक सर्किल

705. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : **क्या शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए एक पृथक पुरातात्विक सर्किल खोलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह सर्किल कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो किस तारीख तक इस सर्किल की मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगुन) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश में एक लघु मंडल बनाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

रेलवे सुधार समिति की सिफारिशें

706. **एन० के० शेजवलकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1984 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे सुधार समिति द्वारा कितनी सिफारिशें की गई हैं; और

(ख) उनमें से अस्वीकार कर दी गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उनको अस्वीकार किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) रेल सुधार समिति ने 30.6.1984 तक अपनी रिपोर्ट के 18 भाग प्रस्तुत कर दिये हैं जिनमें 1781 सिफारिशें हैं। माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए रिपोर्ट के प्रत्येक भाग की प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में रख दी गयी हैं। 1781 सिफारिशों में से, 30 जून, 1984 तक 30 सिफारिशों को रद्द कर दिया गया है, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :

रिपोर्ट का भाग नं०	सिफारिश सं०
I	7.16 और 12.9
II	30, 74, 75, 81, 113 और 126
III	6
IV	25
V	49 और 120
VII	12, 13, 44, 45, 59 और 67
VIII	1, 12, 13, 14, 31 और 44
XI	44(1), 60, 80, 85 और 122
XII	35 (1)

इन सिफारिशों को मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से रद्द किया गया हैं :

1. वित्तीय तंगी;

2. संचालनिक, तकनीकी या संगठनात्मकता की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया;

3. सरकार की घोषित नीति के अनुरूप न होने के कारण; और

4. अन्य संबंधित मंत्रालय/मंत्रालयों को स्वीकार्य न होने के कारण।

खाद्य पदार्थों में बडे पैमाने पर मिलावट को रोकने में सरकार की असफलता

707. **श्री जगपाल सिंह**
श्री सनत कुमार मण्डल } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य पदार्थों में बड़े पैमाने पर मिलावट की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाये हैं? यदि हां, तो इस दिशा में जनवरी से जून, 1984 तक उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार तत्काल कुछ उपचारात्मक उपाय करने पर विचार कर रही है और ऐसे उपाय करने की आवश्यकता महसूस करती है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार मिलावट को रोकने में अभी तक सफल नहीं हुई है और यदि हां, तो उसके लिए कौन से मुख्य कारण जिम्मेदार हैं तथा यदि सफल हुई है, तो किन किन खाद्य पदार्थों में मिलावट बन्द हो गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० *जोशी*) : (क) से (ग) राज्य सरकारों को बार-बार हिदायतें दी गयी हैं कि वे खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए कारगर उपाय करें। निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों पर अधिक बल दिया गया है :

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के लिए राज्य मुख्यालय स्तर पर तकनीकी अर्हता प्राप्त व्यक्तियों की अध्यक्षता में अलग से एक निदेशालय खोला जाए।

(2) राज्य मुख्यालय में एक लीगल सेल खोलना।

(3) उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित प्रयोगशालाओं की व्यवस्था करना जिसमें सुप्रशिक्षित स्टाफ भी हो।

(4) इस अधिनियम को लागू करने वाले तंत्र को मजबूत बनाना।

(5) राज्य तथा जिला स्तरों पर सलाहकार समितियों का गठन जिनमें निर्माताओं, थोक विक्रेताओं, उपभोक्ताओं, विधि व्यवसायियों, प्रवर्तन तन्त्र और प्रयोगशाला कार्मिकों के प्रतिनिधि होंगे।

(6) संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों, सम्मेलनों आदि का आयोजन करके उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करना। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे उपभोक्ताओं को जानकारी तथा शिक्षा देने सम्बन्धी कार्यक्रम में स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठनों को भी शामिल करें।

(7) भोजनालयों से यह आग्रह किया जाए कि वे भोजन तैयार करने, उसे भंडार में रखने और उसे परोसने का काम साफ-सुथरे ढंग से करें।

(8) स्कूलों में और उनके आस-पास के स्थानों में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों पर कड़ी नजर रखी जाए।

(9) लाइसेंस देने की प्रतिक्रियाओं को सरल और कारगर बनाया जाए।

(10) मिलावट के स्रोत पर ही, इस पर काबू पाकर, इस समस्या को इसके शुरू में ही समाप्त करने के प्रयास किये जाएं।

(11) इस अधिनियम को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करने के लिए कार्रवाई की जाए।

(12) की गई कार्रवाई का पूरी तरह से मानीटरिंग और मूल्यांकन किया जाए।

विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करने के लिए लगातार जोरदार प्रयास करने के परिणामस्वरूप खाद्य निरीक्षकों द्वारा कानूनी तौर पर उठाये गये नमूनों में मिलावट की प्रतिशतता जो 1965 में 31.1 प्रतिशत थी, घटकर 1982 में 12.9 प्रतिशत रह गई है।

नव-विवाहिता लड़कियों को ससुराल वालों द्वारा तंग किया जाना

708. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान शादियों में अत्यधिक व्यय तथा इस प्रकार के अवसरों पर दूल्हों के माता-पिता को काफी संख्या में बहुमूल्य उपहार तथा नकद धनराशि दिये जाने की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि यदि महिलाओं के अपंजीकृत संघों/संगठन पड़ौसियों नागरिक अधिकार संस्थाओं तथा व्यक्तिगत रूप से वकालत करने वालों को, किसी नव-विवाहित

को उसके ससुराल वालों द्वारा तंग किये जाने की जानकारी प्राप्त होने पर ऐसे मामले में पुलिस से शिकायत करने की अनुमति दे दी जाए, तो उनके द्वारा इस मामले में महत्वपूर्ण भुमिका अदा की जा सकती है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या विशिष्ट सुधारात्मक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगुन) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 9 मई, 1984 को संसद में पेश किये गये दहेज निषेध संशोधन विधेयक में एक संशोधन करने का प्रस्ताव है जिसके अनुसार न्यायालय अपनी स्वयं की जानकारी, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर दुखी व्यक्ति या उसके किसी रिश्तेदार द्वारा अथवा किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर इस अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे मामले पर विचार कर सकता है।

मानव स्वास्थ्य पर सैकरिन का प्रभाव और इसके प्रयोग को रोकने के लिए कदम

709. **श्री माधव राव सिन्धिया**
श्री सनत कुमार मंडल } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चूहों पर प्रयोग के समय सैकरिन को गर्भाशय का कैंसर पैदा करने का कारण पाया गया है और अमेरिका जैसे देशों में कानून के अन्तर्गत यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सैकरिन वाले उत्पादों पर इस आशय का लेबल हो कि इस प्रकार के उत्पाद का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, भारत में शीतल पेय बनाने वाली विभिन्न कम्पनियां पतला और स्वस्थ रहने के लिए सैकरिन के प्रयोग की वकालत कर रही हैं और मिठाइयों के निर्माता चीनी के कम खर्चीले स्थानापन्न वस्तु के रूप में इसका प्रयोग करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम वैज्ञानिकों के, मानव स्वास्थ्य पर सैकरिन के प्रतिकूल प्रभाव बताने वाले रहस्योद्घाटन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, क्या उसका विचार शीतल पेयों, आइस क्रीम तथा मिठाइयों के निर्माण में इस सस्ते मीठा बनाने वाले पदार्थ के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) सैकरीन के प्रयोग से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, यह बात अभी निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती। चूहों को लम्बे समय तक सैकरीन खिलाने के संबंध में किए गए

अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं, वे अभी खाद्य पदार्थों में मिलावट सम्बन्धी खाद्य और कार्य संगठन/विश्व स्वास्थ्य संगठन विशेषज्ञ समिति से प्राप्त नहीं हुए हैं। ये रिपोर्टें 1984 में पूरी हो सकती हैं। आमतौर पर खाद्य पदार्थों में सैकरीन के प्रयोग पर प्रतिबन्ध है, किन्तु कार्बोनेटिड पेयों में अधिकतम 100 पी०पी०एम० की मात्रा तक की अनुमति है। कार्बोनेटिड पेयों में भी इसके प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति की नवीनतम सिफारिश पर कार्यवाही की जा रही है।

माल्दा की रेल परियोजनाएं

710. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माल्दा में सुधार करने सम्बन्धी रेल परियोजनाओं में वहां पार्क, स्टेडियम, तरण-ताल और विश्रामगृह बनाना शामिल है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या पहले भी भारत के किसी अन्य भाग में इस प्रकार के सुधार कार्य किये गये हैं; और

(ग) माल्दा में इस प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

रेल मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) माल्दा मेंसु धार के लिये डीजल लोको शेडों, नये गठित मंडल कार्यालय के लिए कार्यालय भवन, कोचिंग अनुक्षरण सुविधाएं सिगनल और दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्र, कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण आदि, विभिन्न परियोजनाओं के साथ स्टेडियम और विश्रामगृह जैसे कर्मचारी सुविधा कार्य भी शुरू किये गये हैं। स्टेशन भवन और निकटवर्ती स्थान के सुधार के भाग के रूप में एक पार्क का भी विकास किया गया है। कर्मचारी सुविधा के उपाय के रूप में, समाप्त अपसर्जित वाटर वर्कस के वर्तमान अवसादन टैंक को तरणताल के रूप में परिवर्तित किया गया है।

(ख) भारतीय रेलों पर अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार के सुधार कार्य किये जाते हैं।

(ग) स्टेडियम के निर्माण, पार्क और विश्राम गृह के विकास आदि कार्यों, जिसमें वे कार्य भी शामिल हैं, जो पहले ही पूरे हो चुके हैं, के लिए आबंटित कुल धनराशि लगभग 80 लाख रुपये है।

ताजमहल में बड़ी तथा गहरी दरारें पड़ना

713. **श्री छोटे सिंह यादव**
श्री जयपाल सिंह कश्यप
श्रीमती जयन्ती पटनायक } : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद की क्षेत्रीय अनु-

संधान प्रयोगशाला, भोपाल द्वारा हाल ही में किये गये एक अध्ययन के अनुसार मथुरा शोधनशाला से प्रदूषण के कारण ताजमहल के बाहरी हिस्से की स्थिति खराब होने के अतिरिक्त स्मारक के अन्दर तथा बाहरी हिस्सों में बड़ी तथा गहरी दरारें पड़ गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐतिहासिक स्मारक के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगुन) : (क) और (ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की भोपाल स्थित क्षेत्रीय प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा देखी गई ताजमहल के भीतरी और बाहरी भागों की दरारें तो 1942 से भी पूर्व विद्यमान थीं। ताज की सतह पर मथुरा तेलशोधक कारखाने से निकले प्रदूषण के कारण बाद में हुई ऐसी कोई दृष्टिगोचर विकृति दिखाई नहीं पड़ी है।

(ग) भारत सरकार ने ताज के संरक्षण तथा परिरक्षण से सम्बन्धित सभी समस्याओं की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

आन्ध्र प्रदेश में रेल लाइनों का सर्वेक्षण

714. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में इस वर्ष कौन-कौन सी रेल लाइनें चालू की जायेंगी; और

(ख) इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश में रेल लाइनों के बिछाने के लिए कितने सर्वेक्षण प्रारम्भ किये गये हैं और कितने पूरे होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) पिछले वर्षों में जिन निम्नलिखित नयी लाइनों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी थी, वे कार्य इस वर्ष के दौरान प्रगति पर हैं :

(1) बीबीनगर-नलगोंडा नाडिकुडे नई बड़ीलाइन चरण-II—नलगोंडा से नाडिकुडे तक (75.40 कि० मी०)।

(2) तेलापुर—पाटन चेरु नई व०ला० (8.4 कि०मी०)।

(3) मोटूमारी से जगैयापेट तक एक नई बड़ी लाइन का निर्माण (31 कि०मी०)।

(4) आदीलाबाद-पिम्मल कोटि नई बड़ी लाइन (21 कि०मी०)।

(5) भद्राचलम रोड-मानुगुरु नई बड़ी लाइन—इस लाइन को माल यातायात के लिए खोल दिया गया है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में रेल लाइनें बिछाने के लिए वर्ष के दौरान निम्नलिखित सर्वेक्षण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गयी है;

निम्नलिखित के लिए प्रारम्भिक इन्जीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण—

(1) कुर्नूल से सिकन्दराबाद तक एक सामान्तर बड़ी लाइन (224 कि०मी०); और

(2) राम चन्द्र पुरम के रास्ते काकीनाड़ा और कोट्टिपाले के बीच रेल लाइन को फिर से बिछाना (43 कि०मी०)।

उपरोक्त सर्वेक्षण कार्य के अलावा निम्नलिखित सर्वेक्षण, जिनकी स्वीकृति पिछले वर्षों में पहले ही दी जा चुकी है, इस वर्ष के दौरान चल रहे हैं;

(1) जगतियाल के रास्ते निजामाबाद और रामगुण्डम के बीच एक नई बड़ी लाइन बिछाने के लिए पुनर्मूल्यांकन करना (155 कि०मी०)।

(1) नाडिकुडे से गुडूर/कालाहस्ती के बीच एक नयी बड़ी लाइन बिछाने के लिए प्रारम्भिक इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण (350 कि०मी०)।

(3) कृष्णा से विकाराबाद तक एक नयी बड़ी लाइन बिछाने के लिए प्रारम्भिक इन्जीनियरी एवम् यातायात सर्वेक्षण (130 कि०मी०)।

(4) गड़वाल के रास्ते माचेरला से रायचूर तक एक नयी बड़ी लाइन के निर्माण के लिए प्रारम्भिक इन्जीनियरी एवयं यातायात सर्वेक्षण (260 कि०मी०)।

(5) बिड़वोलू से निजामपत्तनम तक एक नयी बड़ी लाइन बिछाने के लिए प्रारम्भिक इन्जीनियरी-एवम्-यातायात सर्वेक्षण (25 कि०मी०)।

आन्ध्र प्रदेश में प्रकाश स्तम्भों के लिए स्वीकृति

715. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष आन्ध्र प्रदेश के लिए कितने प्रकाश स्तम्भों की स्वीकृति प्रदान की गई थी; और

(ख) ये किन-किन स्थानों के लिए स्वीकृति किये गये थे ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) शून्य।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तिरुपति स्थित रेलवे कोच रिपेयरिंग फैक्ट्री के लिए सहायक उद्योग

716. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुपति स्थित रेलवे कोच रिपेयरिंग फैक्ट्री के लिए सहायक उद्योग शुरू किये जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या शूरू किये जाने वाले सहायक उद्योगों की सूची को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त सूची को परिचालित कर दिया गया है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) रेलवे आशा रखती है कि आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार प्रस्तावित कारखाने के समीप अनुषगिक उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करे । आन्ध्र प्रदेश सरकार के इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए सवारी डिब्बा मरम्मत कारखानों में पुर्जों और कल-पुर्जों के निर्माण की क्षमता का विकास नहीं किया गया है क्योंकि इनकी सप्लाई आनुषंगिक उद्योगों द्वारा आसानी से की जा सकती थी ।

(ख) दक्षिण मध्य रेल प्रशासन ने 228 मदों की एक सूची तैयार की है और इसे आन्ध्र प्रदेश सरकार को भेजा है जिससे कि वह आवश्यक आनुषंगिक उद्योगों की स्थापना कर सकें ।

(ग) इस सूची का बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया है और इस बार में आन्ध्र प्रदेश सरकार और उद्यमियों द्वारा आयोजित विचार-गोष्ठियों में कई बार विचार-विमर्श भी किया गया है। इसके अलावा, उद्यमियों के लाभ के लिए तिरुपति रेलवे स्टेशन पर लगभग 1000 मदों, जिनका निर्माण किया जा सकता है, भी प्रदर्शित की गयी है

चन्दरनेगोर रेलवे प्लेटफार्म पर, निकासी मार्ग को चौड़ा करना

717. **प्रो० रूपचन्द पाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चन्दरनेगोर रेलवे प्लेटफार्म की पूर्वी दिशा में निकासी मार्ग को चौड़ा करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हो चुकी है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) भारतीय रेलों पर चन्दरनेगोर नाम का कोई स्टेशन नहीं है । बहरहाल, पूर्व रलवे पर चन्दन नगर नामक एक स्टेशन है । प्लेटफार्म पर पूर्व दिशा में निकास मार्ग को चौड़ा करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि इस स्टेशन पर यात्री यातायात के वर्तमान स्तर के लिए मौजूदा द्वार की चौड़ाई पर्याप्त समझी जाती है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कैम्पस स्थित कालेजों द्वारा अनुसूचित जातियों के छात्रों को प्रवेश देने से इंकार किया जाना

718. **श्री के० ए० राजन**
श्रीमती विद्या चेन्नुपति
श्री जगपाल सिंह } : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 3 जुलाई, 1984 के स्टेटसमैन में प्रकाशित कैम्पस कालेजस् आफ रिफ्युजिंग एडमिशन टू शेंडयूल्ड कास्ट" शीर्षक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सेंट स्टीफन्स कालेज, हंसराज कालेज और खालसा कालेज सहित कैम्पस स्थित अन्य कालेजों से कोई पूछताछ की गई है;

(ग) यदि हां, तो सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह देखने के लिए कि अनुसूचित जातियों के छात्रों को नियमों के विरुद्ध प्रवेश सूची में आने से वंचित नहीं किया जाता है; क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा और संस्कृति समाज कल्याण में मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगुन) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कुछ कालेजों को जिनका शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के ऐसे छात्रों को दाखिला देने में कठिनाई हुई जिन्होंने XII कक्षा तक अंग्रेजी का अध्यन नहीं किया था, क्योंकि उन्हें पाठ्य-क्रम के अध्ययन में कठिनाई होगी । जैसा कि पिछले वर्षों से होता आ रहा है, कुलपति ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों सहित छात्रों के दाखिले से सम्बन्धित शिकायतों पर विचार करने और उन्हें दूर करने के लिए एक केन्द्रीय दाखिला शिकायत समिति का गठन किया है । कुलपति ने इस समस्या के समाधान के लिए केन्द्रीय दाखिला शिकायत समिति के अध्यक्ष सहित प्रधानाचार्यों की एक बैठक बुलाई थी । उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के छात्रों को उसी अथवा विश्वविद्यालय के कुछ अन्य कालेजों में अब दाखिल कर दिया गया है ।

रेल दुर्घटनाओं के बारे में केन्द्रीय रेल अनुसंधान बोर्ड की बैठक

719. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय बोर्ड ने जून, 1984 के प्रथम सप्ताह में हुई अपनी बीसवीं बैठक में रेलवे फाटकों पर होने वाली दुर्घटनाओं सहित रेल दुर्घटनाओं को रोकने और उनकी संख्या कम से कम करने के उपायों पर विचार किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या बैठक में दुर्घनाओं की संख्या को न्यूनतम करने के लिए आधुनिक और परिष्कृत यंत्र लगाने के बारे में भी विचार किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो बोर्ड की बैठक में हुए विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए इस प्रयोजन के लिए लगाये जाने वाले उपकरणों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) रेल अनुसंधान के केन्द्रीय बोर्ड ने, जो रेलवे अनुसंधान और विकास के लिए शीर्षस्थ सलाहकार निकाय है, 5-6-84 को अपनी 20वीं बैठक में अनुसंधान जिसमें गाड़ी परिचालन संस्था शामिल है, की गुंजाइश और दिशा के बारे में विचार-विमर्श किया है।

(ख) और (ग) संरक्षा की जिन मदों पर कार्य हो रहा है, उसमें समपारों के लिए रेल पटरियों में कम्पन के चेतावनी उपकरण प्रराश्रव्य पटरी दोष संसूचक को कारगर बनाना, माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित रेल पथ निगरानी कार, गाड़ी अलग हो जाने की सूचना देने वाला उपकरण, स्वदेशी हाट बाक्स संसूचक शामिल है।

पेचिश से होने वाली मौतों के कारणों के बारे में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा अध्ययन

721. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा विभिन्न अन्य राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों मे देश के विभिन्न भागों में पेचिस से हुई मौतों के कारणों का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए अध्ययनों के क्या निष्कर्ष रहे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) भारतीय आयुविज्ञान अनुसंधान परिषद ने अपने स्थायी संस्थान राष्ट्रीय हैजा और आन्त्र रोग संस्थान, कलकत्ता के जरिए पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और उड़ीसा में दण्डागुज अतिसार की जांच की है।

(ख) भारतीय आयुविज्ञान अनुसंधान परिषद ने उस आरगेनिज्म का पता लगाया है जो असिसार रोग को बढ़ावा देता है। इस आरगेनिज्म के बारे में भारतीय आयुविज्ञान अनुसंधान परिषद ने पश्चिम बंगाल में शिगेला डायसेन्टेरी टाईप-I, उड़ीसा में शिगेला फ्लेक्सनेरी और असम में हैजा का टाइप-I के अतिरिक्त शिगेला का पता लगाया है।

2 जुलाई, 1984 को इलाहाबाद में पूर्वांचल एक्सप्रेस और एक गैर-सरकारी बस के बीच हुई टक्कर

723. **श्री शिव शरण वर्मा**
श्री आर०एन०राकेश : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2 जुलाई, 1984 को इलाहाबाद में 'पूर्वांचल एक्सप्रेस' और एक गैर-सरकारी बस के बीच हुई भयंकर टक्कर के परिणाम स्वरूप कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ख) दुर्घटना के मुख्य कारण क्या थे और इसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार पाए गए तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई : और

(ग) मृतकों के परिवारों तथा घायल व्यक्तियों को अब तक दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) 2.7.1984 को इलाहाबाद के निकट एक बिना चौकीदार वाले समपार पर 99 अप पूर्वांचल एक्सप्रेस और एक प्राइवेट बस के बीच हुई दुर्भाग्यपूर्ण टक्कर में 24 व्यक्ति मारे गये तथा 37 को चोटें आईं।

(ख) रेल संरक्षा आयुक्त, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिन्होंने इस दुर्घटना की जांच की थी, के निष्कर्षों के अनुसार यह टक्कर आती हुई गाड़ी के सामने ड्राइवर द्वारा लापरवाही से बस को समपार पर ले आने के कारण हुई। दुर्घटना में बस ड्राइवर की मृत्यु हो गयी थी।

(ग) मारे गये प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में 1000 रुपये, गम्भीर रूप से घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को 750 रुपये तथा मामूली चोट खाये हुए प्रत्येक व्यक्ति को 250 रुपये की दर से 47,000 रुपये की राशि अनुग्रह सहायता के रूप में दी गयी।

आरा रेलवे स्टेशन पर उपरि पुल

726. **श्री.चन्द्र देव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व रेलवे स्टेशन के समीप एक उपरि-पुल का निर्माण करने सम्बन्धी योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : आरा के निकट ऊपरी सड़क पुल के निर्माण की योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब मूल योजना के अनुसार पहुंच मार्गों के लिए भूमि का अधिग्रहण करने में राज्य सरकार की कठिनाइयों, संरेखणों के स्थान परिवर्तन के परिणाम-स्वरूप, पहुंच मार्गों के डिजाइन में बदलाव और लागत में भारी वृद्धि के कारण हुआ है।

कलकत्ता विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1984 को राष्ट्रपति की स्वीकृति

728. **श्री चित्त बसु** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1984 को पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा पारित कर दिए जाने के बाद इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार करने और फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए हाल ही में केन्द्र को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उसे इस बीच उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए अनुमोदित कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने मई, 1984 में राष्ट्रपति के विचार के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1984 भेजा और न कि कलकत्ता विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1984।

(ग) जी, नहीं।

(घ) विधेयक सरकार के विचाराधीन है।

गुजरात में पीलिया फैलना

729. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में गुजरात के कुछ भागों में पीलिया महामारी के रूप में फैल गया है और यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ख) इस रोग के कितने मामले जानकारी में आए हैं और उससे कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है; और

(ग) इस रोग का फैलने से रोकने और भविष्य में इसकी रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) गुजरात राज्य के कुछ भागों से पीलिया की अधिक घटनाएं होने की सूचना मिली

है। जाँच करने पर यह पता चला कि कि यह रोग हैपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए और नान—ए, नान-बी, वाइरस के कारण हुआ। प्राप्त सूचना के अनुसार इस वर्ष 16-7-1984 तक इस रोग से 11725 व्यक्ति पीड़ित हुए और इससे 714 मौतें हुई। इसकी रोकथाम के लिए जो कदम उठाए गए हैं वे इस प्रकार हैं—पीलिया के रोगियों को अलग कर विशेष वार्डों में रखना, वातावरण को पूरी तरह से रोग फैलाने वाले जीवाणुओं से मुक्त रखना, प्रयोग के बाद फेंक दी जाने वाली सिरिंजों और सुइयों तथा आई० बी० इनफ्यूशन सेटों का इस्तेमाल, अस्पतालों में सभी वार्डों और आपरेशन थियेटरों को धूमन द्वारा शुद्ध करना, महामारी रोग अधिनियम (1897) के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेटों को निवारक उपाय करने के अधिकार देना, बम्बई राज्य नगर अधिनियम के अन्तर्गत नगर निगमों के आयुक्तों को विशेष अधिकार देना, स्वास्थ्य शिक्षा का विस्तार, सार्वजनिक जल प्रणाली को प्रदूषण से बचाए रखने के लिए स्थानीय निकायों को सक्रिय करना आदि। संघ सरकार ने हेपेटाइटिस-बी वैक्सीन और हाइपर-इम्यून सीरम हेपा-बी ग्लांवलिन उपलब्ध कराने में सहायता दी है।

बीमारियों, कुपोषण के कारण हुई मौतों तथा बालमृत्यु के राज्यवार आंकड़े

730. **श्री बसुदेव आचार्य**
श्री सुशीला गोपालन } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 3 वर्षों के दौरान विभिन्न बीमारियों, कुपोषण के कारण होने वाली मौतों तथा बालमृत्यु के राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : विभिन्न संचारी रोगों से पीड़ित रोगियों और उनसे हुई मौतों, शिशु मृत्यु-दर तथा कुपोषण के कारण हुई शिशुमृत्यु की प्रतिशतता के विवरण संलग्न हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०—8372-84]

नौवहन कम्पनियों को हो रही हानि

731. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौवहन कम्पनियों को नौवहन विकास निधि समिति को अनुमानित 300 करोड़ रुपये की ऋण किश्तें चुकता करनी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों की ऐसी स्थिति के क्या कारण हैं;

(ग) देश में कितनी नौवहन कम्पनियां हैं तथा उनमें से कितनी कम्पनियों को हानि हो रही है और कब से हानि हो रही है; और

(घ) सरकार के स्वामित्व में कितनी नौवहन कम्पनियां हैं तथा उनमें से कितनी घाटे पर चल रही हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) नौवहन विकास निधि समिति के रिकार्ड के अनुसार भारतीय नौवहन कम्पनियों ने 31.3.1984 तक नौवहन विकास निधि समिति के रुपया ऋण के 154 31 करोड़ रुपये मूलधन और 66.41 करोड़ रुपये के ब्याज की अदायगी नहीं की थी ।

(ख) अधिकतर भारतीय नौवहन कम्पनियों को पिछले कुछ वर्षों में घाटा हुआ है और उन्हें नौवहन उद्योग में विश्वव्यापी मंदी के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।

(ग) देश में कुल 69 नौवहन कम्पनियां हैं । इनमें से 30 कम्पनियों ने नौवहन विकास निधि समिति से आर्थिक सहायता प्राप्त की है । इन कम्पनियों के लाभ/हानि के सम्बन्ध में स्थिति अनुबंध में बताई गई है [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्याएल०टी०—8473/84] जिन कम्पनियों ने नौवहन विकास निधि समिति से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं की है उनके लाभ/हानि का रिकार्ड मंत्रालय में नहीं रखा जाता है ।

(घ) सरकार के स्वामित्व में दो नौवहन कम्पनियां हैं अर्थात भारतीय नौवहन निगम लि० और मुगल लाइन लि० इन दोनों कम्पनियों को पिछले वर्ष घाटा हुआ ।

तूतीकोरिन में कोयला उतारने के दौरान हुई हानि

732. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे को तूतीकोरिन के पुराने बन्दरगाह पर स्थित लाइटर्स से कोयले उतारने के दौरान में भारी हानि हुई है और यदि हां, तो प्रति वर्ष कितना परिवहन खर्चा किया जा रहा था : और

(ख) तूतीकोरिन बन्दरगाह से दक्षिणी स्थलों को कोयला ले जाने के लिए प्रति वर्ष कितना परिवहन खर्चा किया जा रहा था : और

(ग) अब, जबकि कुड्डलोर बन्दरगाह से कोयले का परिवहन किया जा रहा है, कितना परिवहन खर्चा किया जा रहा है ?

रेल मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) पिछले तीन वर्षों में पुराने तूतीकोरिन बन्दरगाह पर इंजन का कोयला उतारने में हुई हानि का प्रतिशत इस प्रकार है :

वर्ष	हानि का प्रतिशत
1981-82	5.23
1982-83	4.83
1983-84	6.83

(ख) और (ग) 1983-84 में तूतीकोरिन बन्दरगाह से शेडों के लिए 34.919 टन इन्जन कोयले के परिवहन का भाड़ा 5.19 लाख रुपये तथा इसी वर्ष में कुड्डालोट बन्दरगाह से लोको शेडों के लिए 7218.5 टन इन्जन कोयले के परिवहन का रेल भाड़ा 0.69 लाख रुपये था ।

तूतीकोरिन पत्तन के डुबाव क्षेत्र को और गहरा करना

733. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तूतीकोरिन पत्तन में 27 फुट के डुबाव क्षेत्र को और अधिक गहरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है जिससे कि अधिक टन भार वाले पोत वहां ठहर सकें तथा उनसे माल उतार कर लाने ले जाने हेतु बीच समुद्र में उक्त माल को छोटे जहाजों द्वारा लाने ले जाने तथा उतराई-चढ़ाई को खर्च के कारण होने वाले अनावश्यक कम करने से बचा जा सके ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : तूतीकोरिन में चैनेल के विभिन्न मुहानों में समुद्र को 27 फीट से 30 फीट तक गहरा करने के लिए निकर्षण कार्य का ठेका दिसम्बर, 1979 में दो कम्पनियों को दिया गया था । एक मुहाने में निकर्षण कार्य के अक्टूबर, 1984 तक पूरा हो जाने की आशा है । शेष मुहानों में ठेकेदारों ने अप्रैल, 1983 में कार्य रोक दिया था । शेष कार्य को पूरा करने के लिए नये सिरे से टेंडर आमंत्रित किये थे और उन पर मूल्यांकन कार्य चल रहा है ।

तूतीकोरिन पत्तन में घाट-भाड़े की दर में वृद्धि

734. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तूतीकोरिन पत्तन न्यास के चेयरमैन ने हाल ही में यह घाट-भाड़े की दर में 7½ % की वृद्धि की है जब कि पत्तन के न्यासियों ने इस प्रकार की मनमानी वृद्धि का विरोध किया था; और

(ख) तूतीकोरिन पर और उसके आस-पास छोटे पैमाने पर तथा सैकड़ों नमक उत्पादकों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं जो तूतीकोरिन पत्तन के माध्यम से नियमित रूप से नमक का निर्यात करते है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट ने हाल में घाट शुल्क सहित भाड़े की दरों में सामान्य संशोधन करने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

(ख) नमक के छोटे-मोटे विनिर्माताओं के अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद सरकार ने नमक पर घाट शुल्क बढ़ाने का निर्णय किया है ।

अधिक दो मंजिली बसें चलाना

735. **श्री राम लाल राही** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की बसों में भीड़ को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार और अधिक दो मंजिली बसें चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो कितनी बसें चलायी जायेंगी, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) अभी दिल्ली परिवहन निगम में और अधिक दो मंजिली बसें चलाने की कोई योजना नहीं है ।

(ग) दो मंजिली बसों का इस्तेमाल निम्नलिखित कारणों से व्यावहारिक नहीं पाया गया :

(1) कुछ क्षेत्रों में ट्रैफिक की असाधारण भीड़;

(2) प्रति यात्री परिवहन पर एक मंजली बस की अपेक्षा दुमंजिली बसों के लिए प्रारम्भ में अधिक पूंजीनिवेश;

(3) ओवर ब्रिजों और वृक्षों की कम ऊंचाई; और

(4) गैर भीड़-भाड़ वाले समय में एक मंजली बस की तुलना में इसका कम उपयोग ।

भवानीपुर धरमतल्ला पर रेल सम्पत्ति का नुकसान

736. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भवानीपुर से धरमतल्ला तक जून के पहले सप्ताह में हुई भीषण वर्षा के कारण मैट्रो रेलवे में रेल सम्पत्ति को अब तक अनुमानत: कितने मूल्य का नुकसान हुआ;

(ख) मैट्रो रेलवे कब तक चालू हो जायेगी;

(ग) वहां पर अब रेल यातायात को शुरू करने के लिए कितना अतिरिक्त खर्च होने की सम्भावना है और सरकार कितनी धनराशि खर्च करने के लिए सहमत हो गई है; और

(घ) क्या यह सच है कि मैट्रो रेलवे प्रशासन की अनियमितताओं का ही यह परिणाम है; और यदि हां, तो सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है और यदि नहीं, तो इतने बड़े पैमाने पर रेल सम्पत्ति का नुकसान होने के अन्य क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) इन सभी मुद्दों की जांच करने के लिए सुप्रसिद्ध इन्जीनियरों की एक विशेषज्ञ समिति नामित की गयी है उनकी रिपोर्ट

प्राप्त होने पर, यदि किसी लापरवाही के लिए जिम्मेवार पाये गये तो अधिकारियों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जायेगी।

ब्रह्मापुर-बिलासपुर-रामपुर/मंडी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण

740. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे ने हिमाचल प्रदेश में, राज्य सरकार के अनुरोध पर निक्षेप कार्य के रूप में ब्रह्मपुर-बिलासपुर-रामपुर/मंडी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हाँ, तो कुल लम्बाई, अनुमानित लागत और परियोजना की लाभकारिता सहित सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष रहे; और

(ग) परियोजना को स्वीकृति कब तक मिल जाएगी और निर्माण कार्य कब क शुरू हो जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश सरकार ने रेलवे से बिलासपुर के रास्ते ब्रह्मपुर से रामपुर तक एक रेलवे लाइन के लिए निक्षेप सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया है। तदनुसार ब्रह्मपुर से रामपुर तक नयी बड़ी रेल लाइन के लिए व्यावहारिकता, इन्जीनियरी एवम् यातायात अध्ययन अनुमोदित कर दिया है। अध्ययन और सर्वेक्षण पूरे हो जाने पर, योजना आयोग के साथ परामर्श करके नयी लाइन के निर्माण के बारे में निर्णय लेने के लिए इन्जीनियरी व्यावहारिकता तथा वित्तीय क्षमता के सम्बन्ध में रिपोर्टों की जांच की जायेगी।

"बेसिलरी" पेचिश के कारण हुई राज्य-वार मौतें और इस बीमारी की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम

741. **श्री चिंतामणि जेना**
श्री राम लाल राही } : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान "बेसिलरी" पेचिश से प्रभावित राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) ऐसे प्रत्येक राज्य में इस रोग से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है और प्रत्येक राज्य में कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई; और

(ग) इस रोग को आगे फैलने से रोकने के लिए तथा भविष्य में निरीह लोगों की जान बचाने के लिए इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) इस वर्ष पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और उड़ीसा राज्यों से पेचिस की घटनाओं के बारे में सूचना मिली थी। जांच करने से यह पाया गया कि शिगेला पेचिस टाइप-I, ई कोली तथा शिगेला वाइब्रो कालरा और टाइप I से भिन्न अन्य शिगेला तथा शिगेला फलेक्शनरी के कारण विभिन्न राज्यों में यह महामारी फैली। इन राज्यों से मिली सूचना के अनुसार इस महामारी के रोगियों तथा इससे हुई मौतों की संख्या इस प्रकार है :

राज्य का नाम	रोगी	मौतें
पश्चिम बंगाल (16.6.84 तक)	108867	2925
त्रिपुरा (16.6.84 तक)	13601	44
असम (16.6.84 तक)	57285	301
उड़ीसा	270	20

इन राज्यों के अनुरोध पर इन राज्यों को मेडिकल स्टोर डिपुओं के माध्यम से औषधियों की अपेक्षित मात्रा उपलब्ध की गई थी जिसमें एंटीबायोटिक, ओ० आर० एस० पैकेट, हैलेजेन टेबलेट्स रोगाणुनाशक आदि शामिल हैं।

मेट्रो रेलवे के लिए अलग प्राधिकरण

742. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेट्रो रेलवे के लिए, रेलवे बोर्ड की परिधि से बाहर एवम् निगम जैसी अलग प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उक्त प्राधिकरण की स्थापना किस प्रकार की जाएगी;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में रेलवे से सम्बन्धित संगठित श्रमों जैसे ए० आई० आर० ई० तथा एन० एफ० आई० आर० द्वारा व्यक्त की गई जाँच पर भी विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो ए० आई० आर० ई० तथा एन० एफ० आई० आर० द्वारा भारतीय रेल के लिए एक स्वतंत्र निगम की मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) अभी तक कोई अन्तिम विनिश्चय नहीं लिया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

पूर्वी और दक्षिणी-पूर्वी रेलवे में हावड़ा और टिकियापाड़ा में पानी जमा हो जाना

743. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1984 के पहले सप्ताह में हुई भारी वर्षा के दौरान, पूर्वी रेलवे और दक्षिणपूर्वी रेलवे के हावड़ा और टिकियापाड़ा रेलवे यार्डों में पानी भर गया था जिससे यातायात बहुत अस्त-व्यस्त हो गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि टिकियापाड़ा कार शैड क्षेत्र में पानी की निकासी की व्यवस्था अपर्याप्त है तथा पहले भी कई अवसरों पर यह क्षेत्र पानी में डूब चुका है;

(ग) क्या हावड़ा और टिकियापाड़ा में इस प्रकार की अव्यवस्था न होने देने के लिए पानी की निकासी की बेहतर व्यवस्था करने के लिए सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो वक्त योजना का ब्यौरा क्या है, इस पर कितनी लागत आएगी और उक्त योजना कब लागू कर दी जाएगी ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस वर्ष टिकियापाड़ा कार शेड भी भारी वर्षा के कारण दुष्प्रभावित हुआ था। इससे पहले 1978 में भी इसी प्रकार की जलाक्रान्ति हुई थी ।

(ग) और (घ) इस क्षेत्र से जल की निकासी निकटवर्ती क्षेत्र की जल-विकास व्यवस्था पर और नगर की नालियों की क्षमता आदि पर निर्भर करती है। इस क्षेत्र के लिए कलकत्ता महानगर जल तथा सफाई प्राधिकरण ने जल-निकास की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है लेकिन उसे अभी पूर्ण रूप से निष्पादित नहीं किया गया है। पूर्व रेलवे ने उनसे इस प्रकार की योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया है। रेलवे सिद्धान्त रूप में लागत का एक भाग वहन करने के लिए भी सहमत हो गई है। इस बीच दक्षिण पूर्व रेलवे भी मौजूदा नाली को बड़ा करने के तथा रेलपथ को ऊंचा करने की संभाव्यता पर विचार कर रही है। अभी ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

"न्यू ब्लड टैस्ट फार कैंसर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

744. **श्री बालकृष्ण वासनिक**
श्री गुफरान आजम
श्री अमर राय प्रधान } : **क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जून, 1984 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित "न्यू ब्लड टेस्ट फार कैंसर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई अनुसंधान किया गया है;

(ग) भारत में प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने लोग कैंसर से मरते हैं;

(घ) क्या कैंसर का पता लगाने हेतु खून की जांच की नई प्रणाली से प्राथमिक अवस्था में कैंसर का पता लगाने में मदद मिलेगी; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में इस तरह की जांच कब तक आरम्भ कर दी जाएगी ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कु० कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) हां ।

(ख) यह परीक्षण जो लगभग दस वर्ष पुराना है भारत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था , नई दिल्ली जैसे कुछेक केन्द्रों में परखा जा रहा है ।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की केन्द्रीय कैंसर रजिस्ट्री परियोजना द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार भारत में कैंसर से होने वाली मौतों की वार्षिक संख्या तीन लाख है ।

(घ) यह परीक्षण जिगर के कैंसर के विकास का पता लगाने के लिए सूक्ष्मग्राही पाया गया है । वैसे, आगे और अपेक्षाएं जरूरी हैं क्योंकि (i) रक्त का 400 एन०जी० । मि०ली० का स्तर ही वैधानिक या सांकेतिक है और (ii) जिगर के निश्चित कैंसर के लगभग 1/5 रोगियों में अल्फा फीटो प्रोटीन की वृद्धि नहीं होती है । इस समय यह परीक्षण आम लोगों की जांच के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि यह बहुत अधिक महंगा है । इसलिए, इस समय इसका इस्तेमाल अनुसंधान परियोजना तक ही सीमित है । वैसे, इसका उपयोग जिगर के पुराने रोगियों पर यह पता लगाने के लिए किया जा सकता है कि उनमें जिगर का कैंसर तो नहीं बन गया है ।

इन्दौर और बम्बई के बीच एक सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलाना आरम्भ करना

746. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984-85 के दौरान इन्दौर और बम्बई के बीच एक सुपर फास्ट गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) ससाधनों की तंगी अर्थात् सवारी डिब्बों और रेल इंजनों तथा मार्गवर्ती खण्डों पर लाइन क्षमता की कमी और बम्बई क्षेत्र में टर्मिनल सुविधाओं की अपर्याप्तता के कारण इस समय इन्दौर और बम्बई के बीच कोई भी गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं है ।

1984-85 के लिए माध्यमिक विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक तथा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्य-पुस्तकें

747. **श्री मौहम्मद असरार अहमद** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षणिक तथा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने आगामी शैक्षणिक वर्ष (1984-1985) के लिए माध्यमिक विद्यालयों हेतु विषयों की पाठ्य-पुस्तकें निर्धारित की हैं; और

(ख) यदि हां, तो छात्रों को समय पर उन पाठ्य-पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) (क) रा०शै०अनु०प्र० परिषद माध्यमिक स्कूलों के लिए पाठ्य-पुस्तकें निर्धारित नहीं करती है। पाठ्य-पुस्तकें राज्य सरकारों द्वारा उनके शिक्षा बोर्डों के माध्यम से तथा केन्द्रीय स्तर पर, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाती हैं। रा०शै०अनु०प्र० परिषद ने "दस वर्षीय पाठ्यचर्या" नामक राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुसार माध्यमिक स्कूलों के लिए सभी पाठ्य-पुस्तकें तैयार की हैं तथा राज्य इस बात के लिए स्वतन्त्र हैं कि या तो इन पुस्तकों को अपना लें अथवा इन पुस्तकों का अनुकूलन कर लें।

(ख) रा०शै०अनु०प्र० परिषद, जिसकी पुस्तकें मुख्य रूप से के०मा०शि०बो० से सम्बद्ध स्कूलों में प्रयोग की जाती हैं, ने शैक्षिक सत्र 1984-85 के प्रारंभ होने से पहले कक्षा I—XII के लिए अपनी पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। कुल मिलाकर, वर्ष 1984-85 के लिए 203 पाठ्य-पुस्तकें/कार्य-पुस्तकें/निर्धारित पूरक रीडर्स उपलब्ध कराए जाने थे और ये सभी पुस्तकें 30 जून, 1984 को देश के विभिन्न भागों में स्थित प्रकाशन विभाग के बिक्री-केन्द्रों में उपलब्ध थीं।

बरेली और कासगंज के बीच गाड़ियों का देर से चलना

748. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1984 से जून, 1984 तक की अवधि के दौरान बरेली और कासगंज के बीच कुल कितनी यात्री गाड़ियां चली हैं और उनमें से कितनी प्रतिशत गाड़ियां देरी से चलती रहीं; और

(ख) उक्त मार्ग पर गाड़ियों का समय पर चलना सुनिश्चित करने हेतु की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) मार्च, 1984 से जून, 1984 तक की अवधि में बरेली और कासगंज के बीच 1220 सवारी गाड़ियां परिचालित की गई थीं और इस अवधि में विलम्ब से चालन का प्रतिशत 12.7 था।

(ख) इस खण्ड पर गाड़ियों के चालन पर प्रतिदिन निगाह रखी जा रही है और गाड़ियों के विलम्ब से चलने के मामलों का विश्लेषण किया जाता है और उन पर उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

पटना और दानापुर में केन्द्रीय विद्यालय

749. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना में स्थित कार्यालयों में कार्यरत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या 15 से 20 हजार तक है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हजारों रेलवे कर्मचारी दानापुर (खगौल) में कार्यरत हैं क्योंकि यह पूर्वी रेलवे के दानापुर डिवीजन का मुख्यालय है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि एक और केन्द्रीय विद्यालय पटना शहर में तथा दूसरा दानापुर में खोलने की माँग कई वर्षों से की जा रही है ताकि दोनों स्थानों पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा सुविधा प्राप्त हो सके; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति के अध्यक्ष ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन को सूचित किया है कि पटना में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या काफी है लेकिन यह संख्या अपुष्ट है और नेशनल फोरम आफ रेलवे कांग्रेसमैन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार दानापुर में रेलवे कर्मचारियों की संख्या 6000 से अधिक है। तथापि, पटना के दानापुर में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सकेन्द्रित प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) पटना में एक और केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति, पटना से अप्रैल, 1983 में प्राप्त हुआ था तथा दानापुर में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए नेशनल फोरम आफ रेलवे कांग्रेसमैन से एक आवेदन-पत्र अक्तूबर, 1983 में प्राप्त हुआ था।

जहां तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति के अनुरोध का सम्बन्ध है, केवल 5 से 7 एकड़ भूमि की पेशकश की गई है और अस्थाई आवास तथा स्टाफ क्वार्टरों के संबंध में कोई वचन नहीं दिया गया है।

नेशनल फोरम आफ रेलवे कांग्रेसमैन को सलाह दी गई है कि वे दानापुर में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए अपना अनुरोध रेल मंत्रालय से प्रायोजित कराके भेजें।

रिक्त स्थानों का अनारक्षण

754. **श्री भाऊ साहिब थोरट** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न रेल जोनों सहित रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड में विभिन्न संवर्गों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बहुत से रिक्त स्थानों को अवारक्षित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इतने बड़े पैमाने पर इस प्रकार आरक्षण करने के आधार क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जी, नहीं। गृह मंत्रालय के वर्तमान आदेशों के अनुसार रियायतें देने के बावजूद भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र/उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण कुछ आरक्षित रितियों को अनारक्षित कोटि में परिवर्तित किया गया है। ऐसी आरक्षित रिक्तियों को अगले चयन वर्षों तक के लिए अग्रणीत कर दिया जाता है ताकि आरक्षित उम्मीदवारों की उपलब्धता होने पर उनके द्वारा भरी जायें।

भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा कर्नाटक के मेडिकल कालेजों को मान्यता देने से मना किया जाना

755. **श्री टी०आर० शमन्ना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के उन मेडिकल कालेजों के नाम क्या हैं जिन्हें मान्यता देने से भारतीय चिकित्सा परिषद् ने मना कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन कालेजों में पढ़ रहे छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) और (ख) कर्नाटक राज्य में चल रहे सात मेडिकल कालेजों में से तीन कालेजों की चिकित्सीय अर्हताओं को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/भारत सरकार द्वारा मान्यता अभी दी जानी है। इनमें से 2 मेडिकल कालेजों का निरीक्षण भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ने यह फैसला करने के लिये किया है कि इनकी चिकित्सीय अर्हताओं को मान्यता दे दी जाये या नहीं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ने बताया है कि तीसरे मेडिकल कालेज का निरीक्षण बाद में किया जायेगा ।

रेल लाइनों का बिजलीकरण

756. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में रेल लाइनों के बिजलीकरण के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सुपर फास्ट रेलगाड़ियों का समय पर चलना और उनमें दी गई सुविधाएं

757. **श्री जगपाल सिंह**
श्री छोटे सिंह यादव } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सुपरफास्ट रेलगाड़ियां कभी-कभी ही ठीक समय से चलती हैं और उनमें दी गई सुविधाएं सन्तोषजनक नहीं हैं जिससे इन रेलगाड़ियों को शुरू करने का विशेष प्रयोजन ही बेकार हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इनमें सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) कभी-कभी कुछ गाड़ियां देरी से चलती हैं जिसका कारण है खतरे की जंजीर का खींचा जाना, शरारती तत्वों की गतिविधियों, होसपाइप का काट दिया जाना, दुर्घटनाएं, जन-आन्दोलन, वर्षा । रेल पथ में टूट फूट, चल स्टाक में खराबी, सिगनलों की खराबी/दोष तथा अन्य परिचालनिक खराबियां । इन गाड़ियों पर निरन्तर निगाह रखी जाती है ताकि इनकी सेवाओं को सुनिश्चित रूप से संतोषजनक बनाया जा सके ।

(ख) रेलवे बोर्ड कार्यालय में खोले गए विशेष कक्ष में 220 महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के समय-पालन पर दिन-प्रतिदिन के आधार पर निगाह रखी जा रही है । गाड़ियों के समयबद्ध चालन से सम्बन्धित मामलों पर महाप्रबन्धक तथा मण्डल रेल प्रबन्धक स्वयं ध्यान दे रहे हैं । खतरे की जंजीर खींचने, होस पाइप काटने तथा शरारती तत्वों की अन्य गतिविधियों की रोकथाम के लिए जिनके कारण गाड़ियों के समय पालन पर बहुत बुरा असर पड़ता है, सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क रखा जा रहा है ।

रेलवे के सतर्कता विभाग द्वारा माल पकड़ा जाना

758. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1984 के अन्तिम सप्ताह में रेलवे के सतर्कता विभाग ने एक ऐसे मामले का पता लगाया है जिसमें लगभग 40 लाख रुपये के रेल भाड़े की चोरी की गई थी जिसके लिए कोई रेल भाड़ा नहीं दिया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो कम भार की रसीदों के समक्ष अधिक मात्रा में कोयला भरे जाने के मामले में अब तक कितने कर्मचारी/अधिकारी दोषी पाये गए और अब तक कितने लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया है; और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी).: (क) जी, हां। रेलवे बोर्ड के सतर्कता संगठन ने एक मामले का पता लगाया है जिसमें पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के स्टेशनों से बुक किए गए अति लदान वाले भारी मात्रा में लदे कोयले के वैगनों पर सही रेल भाड़ा प्रभारों के भुगतान का अपवंचन हुआ है। अतिरिक्त राशि जो रेलों को प्राप्त होनी चाहिए, 40 लाख रुपये बैठती है।

(ख) और (ग) व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए अभी जांच-पड़ताल चल रही है।

पश्चिम रेलवे से अन्य रेलवे में कर्मचारियों का स्थानान्तरण

759. **श्री निहाल सिंह : क्या रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में पिछले दो वर्षों में स्थानान्तरण के लिए कितने कर्मचारियों ने आवेदन किया है और उस रेलवे के नाम क्या हैं जहां उन्होंने स्थानान्तरण मांगा है; और

(ख) सरकार ने उनमें से कितने आवेदन पत्रों पर निर्णय ले लिया है और कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं तथा उन पर निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पेट दर्द और पेचिश के कारण राज्य-वार हुई मौतें और केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता

760. **श्री निहाल सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** : मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेट दर्द और आंत्रशोध ने अप्रैल-मई, 1984 के दौरान देश के विभिन्न भागों में महामारी का रूप ले लिया था;

(ख) यदि हां, तो इनके कारण राज्यवार कितनी मौतें हुई; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अलग-अलग कितनी राशि की सहायता उपलब्ध कराई गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) अतिसार रोग की घटनाओं की सूचना पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और उड़ीसा से मिली थीं। प्राप्त सूचना के अनुसार इन राज्यों में क्रमशः 2925, 44, 301 और 20 मौतें हुई।

इन राज्यों के अनुरोध पर उन्हें चिकित्सा सामग्री भण्डारों के द्वारा क्रमशः 8060 लाख रुपये, 18.78 लाख रुपये, 21.00 लाख रुपये और 0.16 लाख रुपये मूल्य की औषधियां अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध कराई गई जिनमें एण्टी-बायोटिक, ओ०आर०एस० पैकेट, हैलोजन टैबलेट, असंक्रामक औषधियां भी शामिल हैं।

रेलवे की आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डिस्पैंसरियां और अस्पताल

761. **श्री निहाल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलवे द्वारा चलाई जा रही आयुर्वेदिक डिस्पैंसरियों और अस्पतालों की अलग-अलग संख्या कितनी है; और

(ख) मार्च, 1985 तक कितनी नई डिस्पैंसरियां और अस्पताल खोलने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) रेल प्रशासनों द्वारा कोई आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डिस्पैंसरियां अथवा अस्पताल नहीं चलाए जा रहे हैं।

अलबत्ता रेलों ने रेल कर्मचारियों के लाभ के लिए कुछ स्टेशनों पर रेल परिसरों के भीतर होम्योपैथिक डाक्टरों की सुविधाएं दे रखी हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली परिवहन निगम के ड्राइवरों द्वारा तेज रफ्तार और लापरवाही से बसें चलाया जाना

763. **श्री हरिहर सोरन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली परिवहन निगम के ड्राइवरों द्वारा असावधानी, तेज रफ्तार और लापरवाही से बसें चलाए जाने की जानकारी है, जो राजधानी में दिल्ली परिवहन निगम की बस दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी हानिकारक स्थिति तथा दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) निगम को इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली परिवहन निगम ने अपनी बसों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो कदम उठाए हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए जा रहे हैं :

(1) यह सुनिश्चित करने के लिए कि समुचित रूप से प्रशिक्षित चालकों को लगाया जाय,

भारी वाहन चलाने में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को ही रखा जाता है ।

(2) चालकों को, लाइल ड्यूटी दिए जाने से पहले, प्रशिक्षण स्कूलों में प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें सुरक्षित रूप से वाहन चलाने और मार्ग की जानकारी की परीक्षा पास करनी पड़ती है ।

(3) सड़कों पर चालकों की वाहन चलाने की आदतों को चैक करने और ओवर स्पीडिंग पर नियंत्रण रखने के लिए विशेष दस्ते तैनात किए गए हैं । गलत तरीके से वाहन चलाने की आदतों वाले चालकों को रिफ्रेशर पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण स्कूलों में भेजा जाता है ।

(4) वाहनों के रख-रखाव में सुधार लाने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किए जाते हैं ।

(5) रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों के संचालन के अतिरिक्त चालकों को पुलिस प्राधिकरणों की सहायता से, फिल्मों, स्लाइडों और अन्य श्रव्य-दृश्य प्रणाली माध्यमों से यातायात नियमों तथा अन्य सड़क सुरक्षा उपायों की जानकारी नियमित रूप से दी जाती है ।

(6) दुर्घटना होने पर, लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले चालकों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे पर आरक्षण खिड़कियों के बंद होने का समय

764. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के अंतर्गत अनेक रेलवे स्टेशनों पर आरक्षण खिड़कियां कुछ सीमित समय के लिए ही खुली रहती हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे में आरक्षण खिड़कियों के 5 बजे से पूर्व और बहुत से स्टेशनों पर तो 4 बजे से पूर्व ही बन्द हो जाने के कारण भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हाँ, तो रेल यात्रियों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए आरक्षण खिड़कियां और अधिक समय तक खोलने के लिए क्या उपाय किए हैं, जैसी कि दिल्ली में व्यवस्था है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) 2-5-1983 से दक्षिण-पूर्व रेलवे के केन्द्रीय आरक्षण कार्यालय, एस्पलेनेड मैंशन कलकत्ता में चौबीसों घंटे आरक्षण की सुविधाएं मुहैया की गई हैं । अन्य रेलों की तरह इस रेलवे के छोटे आरक्षण कार्यालयों में भी कार्यभार को ध्यान में रखकर कार्य के घंटे सीमित रखे गए हैं । इस सम्बन्ध में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिलती है कि यात्रियों को गम्भीर असुविधा हो रही है ।

मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व रेलवे का भर्ती केन्द्र खोलना

765. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** . क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में दक्षिण-पूर्व रेलवे का भर्ती केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार का प्रस्ताव कब कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(ग) मध्य प्रदेश में दक्षिण-पूर्व रेलवे भर्ती केन्द्र खोलने के काम में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) भोपाल में पहले से ही एक रेल सेवा आयोग है जो दक्षिण-पूर्व रेलवे के विलासपुर और नागपुर मंडलों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश के बस्तर और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रेल लाइनें बिछाना

766. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि मध्य प्रदेश में बहुत से क्षेत्रों से विशेषकर बस्तर और छत्तीसगढ़ क्षेत्र को रेल सेवा से नहीं जोड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य के उन पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइनें बिछाने और उन्हें रेल सेवा से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस बारे में सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) ढल्ली राजहरा से जगदलपुर तक तथा कोरबा से रांची तक नई रेल लाइनें बिछाने के लिए सर्वेक्षण किए गए हैं । रायपुर से धमतारी तक छोटी लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने और इसे वालोद तक बढ़ाने तथा अम्बिकापुर के रास्ते विश्रामपुर तक के विकल्प सहित वड़वाडीह से करौंजी तक एक नई लाइन बिछाने के लिए भी सर्वेक्षण किए जा रहे हैं । इस क्षेत्र में और अधिक रेल लाइनें बिछाने के बारे में तभी विचार किया जा सकता है, जब सातवीं पंचवर्षीय योजना में, जिसे अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है, नई रेल लाइनों के पर्याप्त संसाधन आबंटित किए जाएं ।

डीजल इंजनों के निर्माण के लिए मशीनी हिस्से-पुर्जों का आयात

767. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उसके मंत्रालय द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान डीजल इंजन बनाने के लिए मूल्यानुसार कितने मूल्य की मशीनरी का आयात किया गया है;

(ख) क्या मशीनी हिस्से-पुर्जों का निर्माण स्वदेश में ही करने और उनका आयात कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो देश में विभिन्न भाप-इंजन कार्यशालाओं में मशीनी हिस्से-पुर्जों की वार्षिक मांग कितनी है; और

(घ) वर्ष 1984-85 के लिए स्वदेशी उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) ऐसा समझा जाता है कि मशीनी पार्ट स का संदर्भ डीजल रेल इंजन निर्माण के लिए प्रयोग में लाए जा रहे पुर्जों/कलपुर्जों से है ।

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)
1980-81	37.80
1981-82	36.00
1982-83	17.60

(ख) जी, हां । आयात कम करने के लिए अधिकतम संभावित स्तर तक मदों का देशीकरण करने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं ।

(ग) विभिन्न रेल इंजन निर्माण यूनिटों के लिए मदों की खरीद की वार्षिक मांग उत्पादन कार्यक्रम पर निर्भर करती है । तथापि, डीजल रेल इंजन निर्माण के लिए मदों की खरीद के लिए पिछले तीन वर्ष में खर्च की गई राशि नीचे दी गई है :

वर्ष	धनराशि (करोड़ रुपये में)
1980-81	109.8
1981-82	121.7
1982-83	98.0

(घ) डीज़ल रेल इंजनों के निर्माण के लिए रेलों की दो उत्पादन इकाइयों जैसे डीजल रेल इंजन कारखाना (डी० एल० डब्लू०) और चितरंजन रेल इंजन कारखाना (सी० एल० डब्लू०) के लिए उत्पादन लक्ष्य नीचे दिए गए हैं :

(क) डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी

रेल इंजन की किस्म	मात्रा
(1) डब्ल्यू० डी० एस०—2	57

(2) वाई० डी० एम०--4	40
(3) डब्ल्यू० डी० एस०—6	17
(4) पावर० पैक	10

(ख) चितरंजन रेल इंजन कारखाना, चितरंजन

(1) डब्ल्यू० डी० एस०—4	22
(2) वाई० डी० एम०—2	4
(3) जैड० डी० एम०—4	5
(4) पावर० पैक	10

खुर्दा रोड डिवीजन में बिना टिकट यात्रियों को पकड़ने के लिए रेलगाड़ियों में अचानक निरीक्षण किया जाना

768. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 6 महीनों के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे के खुर्दा डिवीजन में अनेक रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्रा करने वालों और अनधिकृत रूप से जंजीर खींचने वालों को पकड़ने के लिए रेलों में अचानक छापे मारे गए थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इन छापों के परिणामस्वरूप बिना टिकट यात्रा करने वाले कितने यात्री पकड़े गए; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) 1.1.1984 से 31.5.1984 तक की अवधि में, खोरधा रोड मंडल पर किए गए अचानक जांचों (जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं) में, 20894 व्यक्तियों को बिना टिकट अथवा अनुचित टिकटों पर यात्रा करते हुए पकड़ा गया था । रेलवे को देय, 3.70 लाख रुपये की राशि उनसे वसूल की गयी ।

66 व्यक्तियों पर मुकद्दमा चलाया गया, जिनमें से 58 व्यक्तियों को, न्यायिक जुर्माने और रेलों को देय राशि का भुगतान न करने के कारण, जेल भेजा गया ।

केरल में नई रेल लाइनों का निर्माण

760. **श्री मनमोहन टुडू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में निर्माणधीन नई रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है;

(ग) प्रत्येक के लिए इस वर्ष कितनी राशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या राशि में वृद्धि करने की मांग की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) यह लाइनें कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) (1) एर्णाकुलम और अलेप्पी के बीच नई बड़ी लाइन (57.12 कि०मी०)।

(2) एर्णाकुलम-अलेप्पी नई बड़ी लाइन (निर्माणाधीन) का कायनकुलम तक विस्तार (43 कि०मी०)।

(ख) 31.3.1984 तक खर्च (1) 1057.86 लाख रुपये।

(2) 50.12 लाख रुपये।

(ग) (1) 300 लाख रुपये।

(2) एक लाख रुपये।

(घ) जी, हाँ। लेकिन, वित्तीय तंगियों को देखते हुए इन लाइनों के लिए और अधिक धन आबंटित करना संभव नहीं होगा।

(ङ) अब से दो वर्षों में, बशर्ते धन उपलब्ध हो।

केरल में रेलवे कोच फैक्ट्री लगाना

770. **प्रो० पी० जे० कुरियन**
श्री बी० एस० विजयराघवन } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित रेलवे कोच फैक्ट्री के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) क्या इसके स्थापना स्थल पर अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केरल सरकार ने इसे केरल में स्थापित किए जाने के लिए दावा किया है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या सरकार इस तथ्य की दृष्टि से कि केरल में कोई भी रेलवे फैक्ट्री अथवा बर्क्स-शाप नहीं है इस दावे पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) रेलवे बोर्ड के परामर्शदाता मैसर्स रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकानामिक सर्विसेज लिमिटेड (राइट्स) को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया है जिसमें स्थान-निर्धारण सर्वेक्षण, लागत्-अनुमान आदि शामिल होंगे ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) मैसर्स राइट्स द्वारा किये जा रहे तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर स्थान का विनिश्चय किया जायेगा । नया सवारी डिब्बा कारखाना केरल में स्थापित करने का जो सुझाव केरल सरकार से प्राप्त हुआ है उस पर अन्य लोगों से प्राप्त ऐसे ही दावों के साथ समुचित विचार किया जायेगा ।

खुर्दा रोड़- बलांगीर रेल मार्ग का सर्वेक्षण

771. **श्री नित्यानन्द मिश्र** :क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में प्रस्तावित खुर्दा रोड़- बलांगीर मार्ग के सर्वेक्षण का कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त रेल सम्पर्क के सर्वेक्षण में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) उक्त सर्वेक्षण के किस तिथि तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्री(श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) इस सर्वेक्षण का 31.12.1983 को उद्घाटन किया गया था । भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा-4 के अधीन अधि-सूचना जारी कर दी गयी है ताकि सर्वेक्षण दल प्राइवेट भूमि में सर्वेक्षण-कार्य कर सके । प्रस्तावित रेल लाइन के लिए संरेक्षण के संबंध में राज्य सरकार से भी परामर्श किया गया है । 290 कि०मी० की इस नयी लाइन का सर्वेक्षण कार्य लगभग 18 (अठारह) महीने में पूरा होने की सम्भावना है ।

तापघरों को कोयला ढुलाई में विलम्ब

774. **श्रीमती विद्या चेन्नुपति** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में स्थित तापघरों से रेल विभाग द्वारा कोयले के ढुलाई में विलम्ब करने सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिससे उनके सामान्य कार्य-करण में बाधा पड़ रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो परिवहन प्रणाली को सुधारने और तापघरों के लिए अपेक्षित कोयले की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ढाका पत्तन अधिकारियों द्वारा भारतीय पोत "मराठा प्रोग्रेस" को पकड़ लिया जाना

775. **श्री रूनत कुमार मण्डल** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "मराठा प्रोग्रेस" जलयान के कैप्टन द्वारा 32000 टन से अधिक की सीमेंट की पूरी खेप को उतारने से वंचित करने पर ढाका अधिकारियों ने इस भारतीय व्यापारी पोत को पकड़ लिया था;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उक्त पोत को बाद में छोड़ दिया गया था और भारत को लौटा दिया गया था; और

(घ) वे कौन-सी परिस्थितियां थी जिनके कारण बांगलादेश राज्य व्यापार निगम को ढाका उच्च न्यायालय में इस पोत के विरुद्ध मुकद्दमा दर्ज करना पड़ा था और क्या इस पोत के भारतीय मालिकों ने वह मुकद्दमा लड़ा था ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शियाहरुमान अंसारी) : (क) और (ख) यह सूचना थी कि मैसर्स चौगुले स्टीमशिप का "एम० वी० मराठा प्रोग्रेस" नामक जहाज चटगांव में पकड़ लिया गया है । जहाज के मालिकों ने सूचित किया था कि कप्तान ने जहाज पर से माल उतारने के लिए इन्कार नहीं किया बल्कि जिबुती को मैसर्स इस्टर्न मैरिटाइम कम्पनी ने जिसने जहाज को चार्टर किया था माल उतारने की अपनी जवाब देही नहीं पूरी की थी ।

(ग) जहाज मालिकों ने सूचना दी है कि चटगांव में माल जहाज से उतारा जा रहा है और जहाज के मालिक बांगलादेश के मैसर्स ट्रेडिंग कारपोरेशन को जैसे ही बैंक गारन्टी दे देंगे वैसे ही जहाज को जाने की अनुमति दे दी जायेगी ।

(घ) जहाज मालिकों से प्राप्त सूचना के अनुसार जिबुती की मैसर्स इस्टर्न मीरटाइम कम्पनी के जिसने जहाज को चार्टर किया था माल के न उतारने के बाद बांगलादेश के मैसर्स ट्रेडिंग कारपोरेशन ने, जिसके लिए माल भेजा गया था, बांगलादेश के उच्चतम न्यायालय के आदेश प्राप्त कर जहाज पकड़वा लिया । अब जहाज के मालिकों का बांगलादेश के मैसर्स ट्रेडिंग कारपोरेशन के साथ समझौता हो गया है ।

उड़ीसा में कोरापुट जिले से होकर निकलने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग

777. **श्री के० प्रधानी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कोरापुट जिले से होकर निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के कार्य में अब तक अधिक प्रगति नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस परियोजना के लिए कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) इस परियोजना को कितनी अवधि में पूरा कर लिया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) उड़ीसा में कोरापुट जिले से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-43 गुजरता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने और सुधार करने के लिए छठी योजना (1980-85) मे 186.93 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। इसमें से 18 कार्यों को, जिनकी लागत 10.85 लाख रुपये हैं, संस्वीकृति पहले ही जारी करा दी गई है और उसमें 7 कार्य पूरे भी किये जा चुके हैं। शेष पर विभिन्न चरणों में काम चल रहा है।

(ग) राज्यों को सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए एक ही साथ धन की व्यवस्था की जाती है और किसी मार्ग विशेष के लिए अलग से इसकी व्यवस्था नहीं की जाती है। वर्ष 1984-85 के दौरान उड़ीसा में राष्ट्रीय माजमार्गों के विकास के लिए 565.00 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की है। जिसमें कोरापुट जिला से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 43 भी शामिल है।

(घ) सभी संस्वीकृत कार्य को वर्ष 1986-87 तक पूरा किये जाने की संम्भावना है।

सम्बलपुर में रेलवे डिवीजन

779 : **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक नया रेलवे डिवीजन बनाने का निर्णय लिया है जिसका मुख्यालय सम्बलपुर में होगा;

(ख) यदि हां, तो इस नए रेलवे डिवीजन के अन्तर्गत कौन से क्षेत्र शामिल होंगे;

(ग) क्या रेलवे डिवीजन औपचारिक रूप से उनके मंत्रालय द्वारा खोला जाएगा; और

(घ) प्रस्तावित डिवीजन के प्रारंभिक कार्य के लिए वर्ष 1984-85 में कितनी धनराशि उपलब्ध की गई है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सम्बलपुर में एक मंडल की स्थापना करने के लिए अभी हाल ही में निर्णय लिया गया है और उसके ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

यात्रियों द्वारा दिल्ली परिवहन निगम में कदाचार के बारे में शिकायतें

780. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम में कदाचार के बारे में कोई रिपोर्ट देखी है या इस बारे में मंत्रियों या जनता के लोगों से कोई अभ्यावेदन शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या उपचारात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का विचार यात्रियों को क्षेत्रीय सलाहकार समिति और राजधानी की शीर्ष सलाहकार समिति में शामिल करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार के प्रस्ताव के प्रति उदासीनता दिखाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली परिवहन निगम की बसों से बड़ी संख्या में होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए एक विशेष एम्बुलेंस सेवा शुरू करने तथा यदि आवश्यक हो तो डी० टी० सी० की बसों से दुर्घटनाग्रस्त होने वाले लोगों के लिए विशेष वार्ड या अस्पताल खोलने का है; और

(घ) क्या सरकार का विचार दुर्घटनाओं की सूचना देने और दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए सहायता मांगने के लिए डी० टी० सी० की बसों में बेतार टेलीफोन लगाने या पूरे शहर में डी० टी० सी० बूथों पर निरीक्षक तैनात करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) समय-समय पर दिल्ली परिवहन निगम के कदाचार के बारे में शिकायतें प्राप्त होता रहती हैं और ये शिकायतें बसों को सही स्टापों पर नहीं रोकने, ट्रिप छूट जाने, सर्विस के अनियमित प्रचालन, गंतव्य स्थानों के बोर्ड नहीं लगाने और बसों पर अधिक भीड़-भाड़ के बारे में होती हैं। दिल्ली परिवहन निगम ने इन समस्याओं पर हमेशा ध्यान दिया है और इन घटनाओं के रोकने की दृष्टि से इसने कर्मीदल को यह स्थायी अनुदेश दिये हैं कि वे उचित स्टापों पर बसों को रोकें, गंतव्य स्थान के बोर्ड लगायें और ट्रिप की निर्धारित समय सारणी का अनुसरण करें। इसके लिए सभी टर्मिनलों और प्रमुख प्रारंभिक केन्द्रों पर विशेष जांच कर्मचारी लगाए गए हैं। जांच-पड़ताल के बाद दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाती है। जहां तक बसों में अधिक भीड़-भाड़ का सम्बन्ध है, यह बहुधा अधिक यातायात के समय ही होती है और निगम इस भीड़-भाड़ वाले समय में लगभग सभी बड़े प्रारंभिक केन्द्रों से अतिरिक्त विशेष ट्रिपों की व्यवस्था करता है। सकल प्रचालन दक्षता में वृद्धि करने की दृष्टि से पुरानी बसों के स्थान पर नई बसें लगाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) विभिन्न कालोनियों के निवासी कल्याण एसोसिऐशनों और दिल्ली परिवहन निगम सलाहकार परिषद् में विश्व विद्यालय प्राधिकरण के प्रतिनिधि के साथ अनवरत विचारों के आदान-प्रदान होते रहने के कारण क्षेत्रीय सलाहकार समितियों की जरूरत महसूस नहीं की गई है ।

(ग) नहीं ।

(घ) नहीं । तथापि अधिकतर टाइम-कीपर बूथ और प्रत्येक डिपो दिल्ली परिवहन निगम के संचार के केन्द्र से टेलीफोन से जुड़े हैं । इन टाइम-कीपर बूथों या सार्वजनिक टेलीफोनों के माध्यम से दुर्घटना की सूचना देना आसान है । संचार केन्द्र अगली कार्रवाई करने के लिए बेतार संचार की व्यवस्था है ।

पेचिश और अतिसार रोग का पश्चिम बंगाल से उड़ीसा, असम और बिहार में फैलना

781. **श्री मनमोहन टुडु :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भंयकर रोग पेचिश और अतिसार के पश्चिम बंगाल से उड़ीसा, असम और बिहार में फैलने की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त रोगों से इन राज्यों में कितने व्यक्ति मरे हैं ;

(ग) इन रोगों के फैलने से रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मती मोहसिना किदवई) : (क) से (घ) इस वर्ष अतिसार की घटनाओं की सूचना पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा से मिली थी । बिहार से इस बीमारी की किसी भी घटना की सूचना नहीं मिली है । जांच करने पर यह पता चला कि विभिन्न राज्यों में यह महामारी शिगेला अतिसार टाइप-1, ई कोली और शिगेला वाइब्रो कोलरा तथा टाइप-1 से भिन्न अन्य शिगेला और शिगेला फ्लैक्सनरी के कारण फैली थी । इन राज्यों से मिली सूचना के अनुसार इस महामारी के रोगियों तथा इससे हुई मौतों की संख्या इस प्रकार है :

राज्य का नाम	रोगी	मौतें
1. पश्चिम बंगाल (16. 6. 84 तक)	108867	2925
2. असम (16. 6. 84 तक)	57285	302
3. उड़ीसा	270	20

इन राज्यों के अनुरोध पर इन राज्यों को मेडिकल स्टोर डिपुओं के मध्यम से औषधियां अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध की गई थी जिनमें एंटीबायोटिक, ओ०आर०एस० पैकेट, हेलोजेन टेबलेट, रोगाणुनाशक आदि भी शामिल हैं।

केरल में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

782. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इंजीनियरी और प्रौद्यागिकी में नए स्नातकोत्तर पाठ्क्रम शुरू करने संबंधी कितने प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ख) क्या सरकार का उन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) तथा (ख) इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को शुरू करने से सम्बन्धित प्रस्तावों को भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय तभी अनुमोदन देता है जब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का अखिल भारतीय स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड उनकी जाँच कर लेता है तथा अनुमोदन की सिफारिश करता है।

हाल ही में केरल के संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए पांच प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, कालीकट में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के दो प्रस्तावों की उपरोक्त उल्लिखित पद्धति के अनुसार समुचित जांच करने के बाद उन्हें मंजूरी दे दी गई है तथा सम्बन्धित प्राधिकारियों को औपचारिक पत्र भेज दिया गया है।

कोचीन विश्वविद्यालय में दो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा इंजीनियरी कालेज, त्रिचुर में एक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए तीन और प्रस्ताव थे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड की सिफारिशें प्राप्त हो जाने के पश्चात ही इन प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

देव सोमनाथ मन्दिर की मरम्मत

783. **श्री भीखाभाई** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देव सोमनाथ, मन्दिर के मरम्मत कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई; और

(ग) मरम्मत कार्य को कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) :

(क) और (ख) जी, हां । वार्षिक मरम्मत के प्रावधानों के अतिरिक्त इस स्मारक के लिए 1984-85 के दौरान विशेष मरम्मत हेतु 10,000 रु० की राशि की व्यवस्था की गई है ।

(ग) विशेष मरम्मत 1980 में शुरु की गई थी ।

10+2 पद्धति के अन्तर्गत विज्ञान और उच्चतर गणित का अध्ययन

784. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10+2 पद्धति के अन्तर्गत प्रत्येक छात्र को अनिवार्य रूप से विज्ञान और उच्चतर गणित का अध्ययन करना पड़ता है;

(ख) क्या विज्ञान की यह शिक्षा उस समय पूर्णत: व्यर्थ हो जाती है जब महाविद्यालय में वह छात्र मानविकी विषयों में प्रवेश लेता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार छात्रों को नवीं कक्षा में अपने व्यवसाय क्षेत्र का चयन करने और विषयों को कम करने के लिए विकल्प प्रदान कराने का है ताकि वे उन्हीं विषयों पर ध्यान केन्द्रित कर सकें और अनेक विषयों पर मामूली जानकारी प्राप्त करने की बजाय उन विषयों का गहन ज्ञान प्राप्त कर सकें ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) शिक्षा की 10+2 पद्धति के अन्तर्गत कक्षा X तक विज्ञान तथा गणित का अध्ययन अनिवार्य है । +2 स्तर पर अर्थात् कक्षा XI से आगे छात्र के लिए यह विकल्प होता है कि वह या तो विज्ञान अथवा कला विषयों का अध्ययन करें ।

(ख) विज्ञान का अध्ययन छात्रों को मूल ज्ञान, निपुणता और योग्यता अर्जित करने में सहायता करता है, जिससे वे अपने आप को तत्परता से परिवर्तनशील प्रौद्योगिकीय पर्यावरण सहित आधुनिक समाज की आवश्यकताओं के लिए कारगर ढंग से अनुकूल बना सकें ।

(ग) स्कूल शिक्षा की +2 प्रणाली राष्ट्रीय नीति संकल्प (1968) पर आधारित है । जिसमें शिक्षा आयोग (1964-66) की उन सिफारिशों पर विचार किया गया है जिनमें पहले की उस प्रणाली में परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया है जिसमें कक्षा IX में विभिन्न शिक्षा प्रणालियों में विविधता की अनुमति दी गई है । भारत सरकार की नीति यह है कि कक्षा X से नीचे विविधता शैक्षिक रूप से वांछनीय नहीं है ।

समाजकल्याण कार्यों के लिए निर्धारित धन का राज्य सरकारों द्वारा दुरुपयोग

785. **श्री डी० एम० ए० शिवप्रकाशन्** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने विभिन्न समाज कल्याण कार्यों के लिए उन्हें मंजूर किए गए अनुदानों को समाज कल्याण बोर्ड से परामर्श किये बिना अन्य कार्यक्रमों पर लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो किस-किस राज्य सरकारों ने ऐसा किया है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने क्या कार्रवाई की है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड राज्य सरकारों को अनुदान नहीं देता। यह, राज्य समाज सलाहकार बोर्डों को ही खर्च के लिए धनराशि प्रदान करता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेल सेवा आयोग के अध्यक्षों के रिक्त पद

786. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम्** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने रेल सेवा आयोगों में अध्यक्षों के पद रिक्त हैं;

(ख) यह रिक्तियां कब हुई और प्रत्येक रिक्ति के क्या कारण हैं; और

(ग) उन रिक्तियों को अभी तक न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) रेल सेवा आयोगों के सभी अध्यक्षों के पद लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये व्यक्तियों या सेवारत रेलवे अधिकारियों द्वारा भरे गये हैं। रेल सेवा आयोग के अध्यक्ष का कोई पद रिक्त नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

नये रेल सेवा आयोगों की नियुक्ति

787. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नये रेल सेवा लायोगों को नियुक्त करने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इन कार्यालयों को खोला जायेगा और ये कार्यालय किन तारीखों से काम शुरू कर देंगे ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) गोरखपुर और मालदा में क्रमश: 14-7-84 और 18-7-84 से नये रेल सेवा आयोगों की स्थापना कर दी गई है। रांची में भी एक रेल सेवा आयोग शीघ्र खोले जाने का प्रस्ताव है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुष्ठ रोग के बारे में प्रशिक्षत डाक्टरों की नियुक्ति

788. **श्री भीखाभाई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में कुष्ठ रोग की प्रभावोत्पादकता और उसके बेहतरीन परिणाम निकालने की जरूरत महसूस की है;

(ख) क्या सरकार का विचार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के डाक्टरों को कुष्ठ रोग का प्रशिक्षण देने और प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कम से कम कुष्ठ रोग के बारे में प्रशिक्षित एक डाक्टर की नियुक्त करने का है; और

(ग) क्या यह सच है कि नयी परिवार योजना के 20-सूत्री कार्यक्रम में 13वें सूत्र में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यवस्था की जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) पिछले कुछ वर्षों के दौरान लेपरोस्कोपिक नसबंदी आपरेशन देश में अत्यधिक लोकप्रिय हुए हैं।

(ख) लेपरोस्कोपिक आपरेशन एक अति नवीनतम प्रक्रिया है और इसके लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत होती है। इस तकनीक में अधिक से अधिक डाक्टरों को प्रशिक्षित किया जा रहा है जिससे कि इस सेवा का विकेन्द्रीकरण किया जा सके। फिलहाल इन सेवाओं की सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में व्यवस्था करना संभव नहीं है।

(ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम को जन कार्यक्रम के रूप में स्वैच्छिक आधार पर लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के प्रलेख में निर्धारित दीर्घकालीन जनाकिकीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये इस कार्यक्रम में तेजी लाई जा रही है।

अहमदाबाद-दिल्ली सुपरफास्ट रेलगाड़ी को प्रतिदिन चलाया जाना

789. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद-दिल्ली सुपरफास्ट रेलगाड़ी प्रतिदिन नहीं चलती है;

(ख) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी को प्रतिदिन चलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यह रेलगाड़ी प्रतिदिन कब तक चलना शुरू हो जायेगी ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) 505/506 दिल्ली-अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस सप्ताह में चार दिन चलती है। जिन दिनों में दिल्ली-पुलेरा खण्ड (कार्ड के रास्ते) पर दिल्ली-अहमदाबाद सुपरफास्ट गाड़ी नहीं चलती, 509/510 दिल्ली जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस चलती है। अतः फिलहाल अतिरिक्त लाइन क्षमता और चल स्टाक की कमी के कारण दिल्ली-अहमदाबाद सुपरफास्ट गाड़ी को प्रतिदिन चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

स्वास्थ्य केन्द्रों में जन स्वास्थ्य रक्षक (हैल्थ गाईड) की नियुक्ति

790. **श्री योगेन्द्र झा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जन स्वास्थ्य रक्षकों का प्रशिक्षण और पुर्ननियुक्ति के बारे में 29 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5397 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 300 स्वास्थ्य केन्द्रों और शेष 286 स्वास्थ्य केन्द्रों में भी वर्ष 1983-84 में प्रशिक्षित जन स्वास्थ्य रक्षक नियुक्त/पुर्ननियुक्त कर दिए गए हैं और क्या उनका कार्य संतोषजनक है और यदि नहीं, तो आदेशों के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) क्या जन स्वास्थ्य रक्षकों और स्वास्थ्य केन्द्रों को और अधिक लाभदायक बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कुछ निदेश जारी किए गए हैं या करने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार यह योजना बिहार के 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ही मंजूर की गई है। राज्य सरकार ने 1983-84 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत कवर किये जाने वाले 200 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की मंजूरी जारी नहीं की है। उपलब्ध सूचना के अनुसार 1983-84 के दौरान बिहार में कोई भी स्वास्थ्य गाईड प्रशिक्षित नहीं किया गया है।

(ख) यह बात पूर्णतः राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दी गई है कि वह स्वास्थ्य गाइड योजना को लागू करे या न करे। वैसे, केन्द्रीय सरकार उन राज्यों को इस योजना को चलाने के लिये राजी करने के प्रयास कर रही है जिन्होंने अभी तक इस योजना को लागू नहीं किया है। स्वास्थ्य गाइड योजना के संचालन के बारे में क्षेत्रों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को समय-समय पर दिशा निर्देश देती रहती है जिससे कि यह योजना देश के लिए और अधिक लाभकारी सिद्ध हो सके।

राज्यों में बालिका शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए उपाय

792. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बालिका शिक्षा के मामले में उड़ीसा बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है;

(ख) उन अन्य राज्यों के नाम क्या हैं जो बालिका शिक्षा के मामले में पिछड़े माने जाते हैं ; और

(ग) उन राज्यों की बालिकाओं में शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या उपाय किए गये हैं अथवा किये जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी०के०थुंगन) : (क) और (ख) लड़कियों की शिक्षा के संबंध में उड़ीसा एक बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य नहीं है। तथापि, लड़कियों की शिक्षा के संबंध में यह नौ पिछड़े राज्यों में से एक है। अन्य 8 राज्य हैं—आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

(ग) लड़कियों में शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों को सुझाए गए / किए गए विभिन्न उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(I) औपचारिक स्कूल पद्धति के लिए एक वैकल्पिक सहायक प्रणाली के रूप में गैर-औपचारिक अंशकालिक शिक्षा प्रणाली का व्यापक रूप से विकास और विशिष्ट रूप से लड़कियों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों हेतु बढ़ी हुई केन्द्रीय वित्तीय सहायता।

(II) लड़कियों के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहनों की पर्याप्त व्यवस्था करना :—

(क) निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों और लेखन सामग्री की व्यवस्था,

(ख) निःशुल्क वर्दियों की व्यवस्था,

(ग) उपस्थिति छात्रवृत्तियां, और

(घ) मध्याह्न भोजन।

(III) बड़े पैमाने पर महिला अध्यापकों की नियुक्ति।

(IV) लड़कियों के दाखिले के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन को मान्यता देने के लिए प्रोत्साहनों/राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए पुरस्कार की योजना आरंभ करना।

वर्ष 1984 के दौरान प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन पत्रों की संख्या

793. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाईअ/गस्त, 1984 में प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे ;

(ख) उनमें से कितने आवेदन पत्र प्रत्येक स्कूल के लिए प्रवेश हेतु स्वीकार किए गए;

(ग) उन छात्रों, जिन्हें आज प्रवेश देने से इन्कार किया जा रहा है; के लिए स्थान उपलब्ध कराने हेतु यदि कोई कदम उठाए जा रहे हैं तो वे क्या है; और

(घ) ऐसे स्कूलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की प्रतिशतता क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिए वर्ष 1984 में जुलाई और अगस्त माह के दौरान प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय (केन्द्रीय स्कूल) में दाखिले के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की अग्रिम सूचना देना सम्भव नहीं है क्योंकि अपेक्षित सूचना अगस्त, 1984 के बाद ही एकत्र और संकलित की जा सकती है ।

वाणिज्यिक वाहनों की उत्पादन लागत में वृद्धि

796—क. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशी तथा विदेशी तथा इस्पात के मूल्यों में वृद्धि के कारण, वाणिज्यिक वाहनों की उत्पादन लागत में काफी वृद्धि होगी ; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त मूल्यों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या इस सम्बन्ध में सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पटटाभि राम राव) : (क) हाल ही में इस्पात की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप वाणिज्यिक वाहनों की उत्पादन लागत में थोड़ी सी वृद्धि होगी ।

(ख) कानूनी नियंत्रण न होने के कारण निर्माताओं को अपने वाहनों की कीमतें निर्धारित करते समय सरकार की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है । विभिन्न निर्माताओं द्वारा वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री कीमतें पिछली बार अप्रैल, 1984 में संशोधित की गई थीं ।

नयी सीमेंट फैक्टियों को मन्जूरी

796-क क. **प्रो० नारायण चंद्र पराशर :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चालू वित्तीय वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी नयी सीमेंट फैक्ट्री को मंजूरी मिली है;

(ख) यदि हां, तो राज्य वार उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर सीमेंट फैक्ट्रियां, लघु, सीमेंट संयंत्र (एक) मंजूर किए गये हैं (दो) इस दौरान खोले गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने सीमेंट की सम्भावित मांग को पूरा करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन किस तारीख तक शुरू हो जाने की सम्भावना है; और

(ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) देश में सीमेंट की मांग को पूरा करने की दृष्टि से, सरकार द्वारा औद्योगिक लाइसेंस, आशयपत्र स्वीकृति करके और तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण करके सीमेंट उद्योग में 268.20 लाख मी० टन की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिए स्वीकृति दी गई है। (1) ऐसी स्वीकृतियों की राज्य-वार संख्या; और (2) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 (30.6.84 तक) में फलीभूत हुई योजनाओं की संख्या दर्शाने वाले विवरण-I तथा II संलग्न हैं।

(घ) और (ङ) : विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता के बेहतर उपयोग और आंतरिक क्षमता से उत्पादन शुरू हो जाने पर सीमेंट का देशी उत्पादन बढ़ जाने की संभावना है और मांग की तुलना में उपलब्धता स्थिति में और अधिक सुधार आ जाने की आशा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सीमेंट उद्योग रहित विभिन्न उद्योगों के उत्पादन तथ्यों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण-I

सीमेंट बनाने के लिए अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने हेतु दी गई स्वीकृतियों की राज्यवार संख्या

क्र० सं०	राज्य संघशासित क्षेत्र	दी गई स्वीकृतियों की संख्या		
		1982-83	1983-84	1934-85 (30.6.84 तक)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	13	7
2.	आसाम	1	4	1

1	2	3	4	5
3.	बिहार	1	1	2
4.	गुजरात	8	9	—
5.	हिमाचल प्रदेश	3	14	1
6.	जम्मू और कश्मीर	2	3	1
7.	कर्नाटक		26	3
8.	मध्य प्रदेश	4	22	10
9.	मेघालय	1	—	1
10.	महाराष्ट्र	—	4	—
11.	उड़ीसा	4	1	1
12.	पाण्डिचेरी	—	—	1
13.	राजस्थान	3	4	1
14.	तमिलनाडु	1	1	1
15.	उत्तर प्रदेश	7	—	3
		43	102	33

उन स्थानों/जिलों की राज्य वार सूची जिनके लिए अतिरिक्त क्षमता के अधिष्ठापन की स्वीकृति दी गई है।

1. आन्ध्र प्रदेश

येरागुन्तला

मान्त्रियल

नडिफुडी

कृष्णा

तंदुर

वेदीद्री

बाडापल्ली

सबा शिवनगर

जामयापेठ

महेरेला

गुन्टूर

अदिफाबाद

सिरपुर

कोडारगल

गुर्जाला

रामापुरम

असिफाबाद

रघुनाथपुरमास

कोडाड

तंगेडा

2. कर्नाटक :

चितापुर

चित्रदुर्ग

कैंनार

माह्नोद

काचिपुर

नागनापुर

सेराम

शाहबाद

बगलकोट

शोरापुर

गोकक

गुब्बी

गुलबर्ग

कुन्दापुर

टोसादुर्ग

बीजापुर

बेलगॉम

तुमकर

3. असम :

उत्तरी कोछिारप पहाड़ियां

उमरंगसो

उत्तरी कोछार पहाड़ियाँ

अनपानी उत्तरी कोछार

केरामपाडी

उदेंग

4. बिहार :

रामगढ़

बेंती बागदा

कोनसालपास

पत्राटु

5. जम्मू तथा कश्मीर :

राजौरी

बारामूला

उद्धमपुर

सिषू पुलपाना

6. गुजरात :

राजुरा

पालेसवा

कच्छ

जूनागढ़

मेहसाना

राजकोट

दन्ता

थपरी

रानावाष

पालमपुर

सेवालिया

दंता

वरावल

7. मेघालय :

पूर्वी गारो पहाड़ियां

पूर्वी खासी पहाड़ियां

8. महाराष्ट्र :

राजुरा

येओतमाल

9. उड़ीसा :

कुरामुंदा

सुन्दरगढ़

कोरापुत

सुंकी

बारागढ़

10. **पाण्डिचेरी** :

चूत्तीपाहु

11. **राजस्थान** :

गोतन

गोर्ला

उदयपुर

लुसालागढ़

सिकार

शम्भूपुरा

अलवर

सिरोही

12. **तमिलनाडु** :

तूतीकोरिन

त्रिरूतिरापल्ली

कोयम्बतूर

13. **उत्तर प्रदेश** :

रानीखेत

गंगूलीघाट-1

गंगूलीघाट-2

बिरमी

देहरादून

पौड़ीगढ़वांल

चुनार

पिथौरागढ़

14. **हिमाचल प्रदेश** :

पौन्टा साहिब

सुन्दर नगर

सिरपुर

पौन्टा

अम्बोहा

मंडी

धरमकोट

कांगड़ा

सोलन

15. मध्य प्रदेश :

हजुर

दमोह

भिंड

सिरपुर

कारंदिया

जावद

गोपाद बानस

नरसिंहगढ़

रघुराजनगर

सिदही

मेहगॉव

नरसिंहगढ़पुर

धार

बाला घाट

जगलपुर

मरासमेटा

चंडी

जगदलपुर

रायगढ़

विवरण-2

सीमेंट के विनिर्माण के लिए पूरी की जा चुकी योजनाओं की स्थापना स्थलों सहित राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	इकाइयों की संख्या		
		1982-83	1983-84	1984-85 (30.6.84 तक)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश (हजूरनगर, आदिलाबाद, नादिगुडी और वेदादरी)	3	3	1
2.	बिहार (हजारी बाग)	—	1	—
3.	गुजरात (मगडेला, भावनगर)	1	1	—
4.	हिमाचल प्रदेश (गागल)	—	—	1
5.	कर्नाटक (बगलकोट, चिल्पुर, वाडी, मुधोल	1	2	2
6.	केरल (वालायर)	—	—	1

1	2	3	4	5
7.	मध्य प्रदेश (अरासमेटा, नरसिंहगढ़ और सतना)	3	—	—
8.	महाराष्ट्र (रतनगिरी और राजैरा)	1	1	—
9.	राजस्थान (बगास, निम्बाहेड़ा)	2	—	—
10.	उत्तर प्रदेश (देहरादून और चुनार)	1	1	—
		योग : 12	9	5

प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य सरकार से स्वीकृति अनिवार्य बनाना

796-ख. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन उद्योगों को स्थापित करने के लिए, जो प्रदूषक उत्पन्न करते हैं, राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों का क्या ब्यौरा है, जिन्होंने ऐसे उद्योगों को स्थापित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उन उद्योगों के नाम क्या है जिन पर यह शर्त लागू होती हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) औद्योगिक परियोजनाओं से उत्पन्न वायु, जल और भूमि प्रदूषण की जांच करने और उस पर नियंत्रण करने के लिए आशय पत्रों में निम्नलिखित शर्त पहले से ही समाविष्ट की गई है :—

"वायु, जल और भूमि प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए सरकार की संतुष्टि हेतु पर्याप्त की जाएगी । इसके अलावा प्रदूषण निवारण के लिए किए गए अभ्युपाय उस राज्य में लागू मानक शर्तों के अनुसार होने चाहिएं जिसमें औद्योगिक उपक्रम का कारखाना स्थित हो ।"

किन्तु पर्यावरण के संरक्षण पर दिए जा रहे राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अधिक प्रदूषण करने वाले 18 उद्योगों का पता लगाया है जिनके आशय पत्रों को निम्नलिखित शर्तों के पूरा हो जाने के बाद ही औद्योगिक लाइसेंसों में परिवर्तन किया जाएगा :—

(1) राज्य के उद्योग निदेशक यह पुष्टि कर दें कि परियोजना स्थल को सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा पर्यावरण सम्बन्धी दृष्टिकोण से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(2) उद्यमी ने राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों को यह वचन दिया है । वह प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपर्युक्त उपकरण लगायें जाएंगे तथा निर्धारित अभ्युपायों को कार्यान्वित किया जायेगा ।

(3) संबंधित राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह प्रमाणित कर दिया है कि प्रस्ताव से पर्यावरण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं और यह कि अधिष्ठापित अथवा अधिष्ठापित किए जाने वाले उपकरण आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और उचित हैं ।

उपरोक्त निर्देश 21 जून, 1984 को जारी किए गए थे । इन 18 उद्योगों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है ।

विवरण

1. प्राथमिक धातुकर्मी उत्पादन उद्योग अर्थात् जस्ता, सीसा, तांबा, एल्युमिनियम और इस्पात ।
2. कागज ।
3. कीटनाशी/कीटाणुनाशी ।
4. रिफाइनरी (तेल शोधक कारखाने) ।
5. उर्वरक ।
6. पेन्ट ।
7. रंजक पदार्थ ।
8. चमड़ा कमाना ।

9. रेयन।

10. सोडियम/पोटाशियम साइनाइट।

11. आधारभूत औषधियां।

12. ढलाई कारखाने (फाउन्ड्री)।

13. बैटरीज।

14. एसिड/अल्कालीज।

15. प्लास्टिक।

16. रबड़।

17. सीमेंट।

18. एस्बेस्टस।

मारुति कारों का उत्पादन, मूल्य, वितरण और विवेकाधिकार कोटा

796-ख. **श्री बाबूराव परांजपे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84, 1984-85, और 1935-85 में कितनी मारुति कारों और वाहनों का निर्माण किया गया और किया जाना है;

(ख) कार और वाहन का दिल्ली में कर-सहित मूल्य क्या है और क्या यह मूल्य 1986 तक वैध है और यदि नहीं, तो यह कब तक वैध है;

(ग) दिल्ली में इन कारों के प्रयोक्ताओं द्वारा इस प्रकार के ईंधन के उपयोग के बारे में क्या आंकड़े बताए गए हैं और यह घोषित आंकड़ों की तुलना में कितने कम अथवा अधिक हैं;

(घ) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान प्रबन्धमण्डल के विवेकाधिकार कोटे के अन्तर्गत कितनी कारें और वाहन हैं और क्या संसद-सदस्य और भूतपूर्व संसद सदस्य इस कोटे के अन्तर्गत आते हैं; और

(ङ) अब तक दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद, और लखनऊ में विवेकाधिकार कोटे के अन्तर्गत अलग-अलग कितनी कारें वितरित की गई हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) मारुति उद्योग लिमिटेड ने 1983 84 में 844 कारों का निर्माण किया और इसकी 1984-85 और 85-86 में क्रमश: 20,000 और 40,000 गाड़ियों का निर्माण करने की योजना है।

(ख) कम्पनी ने कार और नीची छत वाली वैन का कारखाने से निकलते समय का मूल्य 47,500 रु० निर्धारित किया है जिसमें परिवहन प्रभार और स्थानीय कर शामिल नहीं है, जो मार्च 1985 तक वैध है। दिल्ली में बिक्री कर सहित कार का मूल्य 52,250 रु० है। चुंगी, बीमा, पंजीकरण और डिलीवरी प्रभार इसमें शामिल नहीं है।

(ग) ग्राहकों ने कार की ईंधन की खपत 15-20 कि०मी०/लीटर के बीच बताई है। सामान्यत: कार को ठीक प्रकार से चलाने से ईंधन क्षमता में सुधार हुआ है। कम्पनी ने 10-मोड जापानी सिटी ड्राइविंग साइकिल के अन्तर्गत 19.9 कि०मी०/लिटर की खपत बताई थी।

(घ) निर्माता का कोटा कुल उत्पादन के 5% तक सीमित है और संसद सदस्य भी इस कोटे के अधीन विचार किये जाने के लिए पात्र हैं।

(ङ.) निम्नलिखित शहरवार ब्यौरों के अनुसार निर्माता के कोटे से 30 जून, 1984 तक 80 कारों का आवंटन किया गया है :—

दिल्ली	66
बंबई	6
मद्रास	2
चंडीगढ़	1
गौहाटी	2
हैदराबाद	2
अहमदाबाद	1

अशोक पेपर मिल को फिर से चालू करना

796—**ग. श्री भोगेन्द्र झा** : क्या उद्योग मंत्री अशोक पेपर मिल को फिर से चालू करने के बारे में 2 मई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या, 9578 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और वित्तीय संस्थानों द्वारा अशोक पेपर मिल लिमिटेड की रामेश्वर नगर यूनिट को फिर से स्थापित करेंगे और उसके प्रबंधकीय ढांचे संबंधी प्रक्रियाओं के बारे में अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके बारे में क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) यदि नहीं तो उसमें देरी होने के क्या कारण हैं और उसमें उत्पादन पुनः शुरू होने के लिए क्या समय सीमा रखी गई है; और

(घ) प्रबन्धकीय ढांचे आदि के बारे में विचार पूरा हो जाने तक निजी उपयोग के बिजली यूनिट लगाने, लुगदी संयंत्र लगाने और शीघ्रातिशीघ्र उत्पादन करने के लिए क्या विशेष कदम उठाये जा रहे है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) अशोक पेपर मिल्स की पुनर्स्थापना की प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में अब भी विचार-विमर्श चल रहा है।

(ग) और (घ) उत्पादन पुनः आरम्भ करने के कदम उठाए जाने से पूर्व बकाया देयताओं का निपटारा करने, पुनर्स्थापन के लिए अपेक्षित पूंजीगत परिव्यय, राज्य सरकारों वित्तीय संस्थानों के अलग-अलग अंशदानों, विभिन्न सम्बन्धित प्राधिकरणों द्वारा दी जाने वाली रियायतों तथा कम्पनी के प्रबन्ध के भावी ढांचे से सम्बन्धित ब्यौरे का पूरी तरह अध्ययन करना होगा।

दो-पहिया स्कूटरों और मोपेडों के उत्पादन लक्ष्य और उनकी प्राप्ति

796-गग. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में आटोमोबाइल उद्योग से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सभी प्रकार के वाहनों का कतिपय विशिष्ट संख्या में उत्पादन करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान दो-पहिया वाहनों, विशेषकर स्कूटरों और मोपेडों के सम्बन्ध में, उत्पादन लक्ष्य क्या था और उसकी कितनी प्राप्ति हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) मोटरगाड़ी तथा सहायक उद्योगों की विकास परिषद के परामर्श से मोटरगाड़ियों के उत्पादन लक्ष्य हर साल निर्धारित किये जाते हैं। 1984-85 के लिए लक्ष्यों का निर्धारण मार्च, 1984 में किया गया था।

(ख) 1983-84 में लक्ष्यों की तुलना में दुपहियों का उत्पादन इस प्रकार था :—

(आंकड़े हजारों में)

	लक्ष्य	उत्पादन
स्कूटर	271	279
मोपेड	333	343
मोटर साइकिल	156	165
	760	787

आदिवासी भारतीयों द्वारा उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना

796-घ. **श्री के० प्रधानी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 में और 1984-85 के दौरान 2 जुलाई, 1984 तक आदिवासी भारतीयों से प्राप्त औद्योगिक निवेशों सम्बन्धी उन प्रस्तावों का विवरण क्या है, जिन्हें अब तक स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) क्या उड़ीसा में विशेष रूप से पिछड़े हुए आदिवासी जिलों में कोई उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) भारत सरकार द्वारा नवम्बर, 1983 में अनिवासी भारतीयों से प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए विशेष स्वीकृति समिति की स्थापना होने से आशय पत्र/अनुज्ञा प्रदान करने के लिए 25 स्वीकृतियां पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात के लिए 26 स्वीकृतियां और विदेशी सहयोग की 15 स्वीकृतियाँ अनिवासी भारतीयों को मंजूर की गई इन स्वीकृतियों में 45 औद्योगिक योजनाएं शामिल हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) संलग्न विवरण के क्रम संख्या (10) में जैसा कि उल्लेख किया गया है, केवल एक योजना उड़ीसा राज्य के कटक में स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है।

विवरण

क्रम सं०	पार्टी का नाम	उत्पादन की वस्तु	स्थापना-स्थल
1	2	3	4
	मैसर्स		
1.	एस० एल० चेलाराम	टी० वी० पिक्चर ट्यूब	गांधी नगर, गुजरात
2.	के० एस० भुल्लर	टी० वी० पिक्चर ट्यूब	खरन, पंजाब
3.	मद्रास हाइड्रालिक होस प्राइवेट लि०	हाई तथा सुपर हाई प्रेशर हाइड्रालिक होस	जिला चिंगलपेट, तमिलनाडु
4.	के० टी० थामस	टेक्सचर्ड कोटिंग	रत्नागिरि, महाराष्ट्र
5.	वी०, एस० सी० कोवथा	सूती संश्लिष्ट और अन्य ब्लैंड किए हुए धागे	जिला—मेढक, आंध्र प्रदेश
6.	एल० एन० मित्तल	पी० वी० सी० चढ़ी सीटें	पिछड़ा क्षेत्र, तमिलनाडु
7.	डी० वी० गुप्ता	औषधियां	जिला पुणे, महाराष्ट्र
8.	पी० बी० भारद्वाज	माइल्ड और एलॉय स्टील रोल्ड उत्पाद	विदर्भ क्षेत्र, महाराष्ट्र
9.	मेबेलैक, फ्रांस	ऊर्जा संरक्षण को इष्टतम बनाने सम्बन्धी उपकरण	अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश
10.	डी० के० मिश्रा	अखबारी कागज	कटक, उड़ीसा
11.	सी० आर० वी० आर० जादव खेडेकर	3 और 4 पहिया कृषि परिवहन विषयक मशीनें आदि	रत्नागिरि, महाराष्ट्र
12.	दिलीप भार्गव	सबमर्जड आर्क वेलडेड स्टील पाइप	जिला--मथुरा, उ०प्र०

1	2	3	4
13.	श्याम मंघाराम	बीडियो कैसेट	फरीदाबाद, हरियाणा
14.	एन० के० रावल	थर्मोप्लास्टिक	जिला--पुणे, महाराष्ट्र
15.	एम० एस० दीवान	सैरेमिक सेनेट्री वेयर	जिला—मेढक (आ० प्र०)
16.	पारेश एस० पारेख	हाइड्रोक्सीप्रोपाइल गुआर	बड़ौदा (गुजरात)
17.	गोपाल के० कपूर	सफेद सीमेंट	जिला—देहरादून, उ० प्र०
18.	शाई का बलास्क	तरल प्रक्षालक	जिला—बीदर (कर्नाटक)
19.	वियलवेल टायर्स एण्ड ट्यूब्स कम्पनी प्रा० लि० भोपाल (म० प्र०)	मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूब	तह०मुल्ताल,जिला—बैतुल (म० प्र०)
20.	नत्थूराम दंडौरा तथा तरसेम लाल अरोड़ा, संयुक्त राज्य अमेरिका	इलेक्ट्रानिक टैक्सीमीटर, ऑटोरिक्शा मीटर	तहसील परवाने, बरोटीवाला, सैलंम (हिमाचल प्रदेश)
21.	श्री अजय कुमार बडयाल, संयुक्त राज्य अमेरिका	इन्ग्रेन्ड प्लास्टिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड	औखला इन्ड० एरिया, नई दिल्ली
22.	एशियन कम्प्यूटर कंसलटेंसी प्राइवेट लि०, कलकत्ता	फोर्ज्ड फिटिंग	दिल्ली
23.	डा० नागप्पा चन्द्रशेखर बंगलौर	आप्टिक इलेक्ट्रानिक स्विच	मैसूर, कर्नाटक
24.	मेक्रोलिन्स प्राइवेट लिमिटेड बम्बई	आप्थैल्मिक प्लास्टिक लैंस	तह० वेंकेटेश्वर, इण्ड० एस्टेट, मेढक, (आ० प्र०)

1	2	3	4
25.	श्री स्टेनी लुइस स्क्वेरा, बम्बई	इमारती रसायन	तह० अंकलेश्वर जिला—भडोंच (गुजरात)
26.	श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, नई दिल्ली	वायरलाइन विंचेज	तह० जिला—पुणे महाराष्ट्र
27.	मैं० वाल्ड इन्टरनेशनल इन्स०	क्राफ्ट पेपर आदि	बुलसर (गुजरात)
28.	मैं० वाल्ड इन्टरनेशनल इन्स०	सिंगल सुपर फास्फेट	दुर्गापुर, जिला—जूनागढ़ (गुजरात)
29.	मिस्टर एम० के० वासवानी	वीडियो कैसेट	गाँधी नगर, गुजरात
30.	केवल साजदेह	गर्म कंबलों का प्रकमण	पानीपत, हरियाणा
31.	योगेन्द्र रेड्डी	आटोक्यूलंत आदि	हैदराबाद (आ० प्र०)
32.	जी० वेंकटरमैया	अंडे को कृत्रिम ढंग से सेने की जगह स्थापित करना	कर्नाटक
33.	अशोक अनेजा	जिप कीलक	नई दिल्ली
34.	मुगल शू कंपनी	कन्वैस रबड़ फुट वीयर	जिला—मरूच, गुजरात
35.	परश डी० जैन	प्रैशर डाई कास्टिगज	नई दिल्ली
36,	अनिल कपूर	कैमिकल्स फार डी० का कार्बनाइजेशन एंड इलैक्ट्रीकल मेनटेनेन्स	नई दिल्ली
37.	राजीव कुमार बापना	मैगनेटिक स्टोरेज डिस्कस	भिवाड़ी, जिला—अलवर, राजस्थान
38.	डी० श्रीधर	माइक्रोफिशे रीडर	दिल्ली

1	2	3	4
39.	के० रामेशम	विचैस्टर डिस्कस ड्राइवस	जिला—मेदक, (आ० प्र०)
40.	जय राम रामचंद भूरजानी	मैसेज प्रीपेरेशन वर्क सिस्टमस	श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर
41.	पिंकू मंगलानी	वीडियो कैसेट्स	बंगलौर, कर्नाटक
42.	प्रेम खियातानी	वीडियो कैसेट्स	दारूहेरा, जिला—मोहिन्द्र गढ़, राज्य हरियाणा
43.	जौ० एस० रेड्डी	पोलिएलूमीनियम लैमीनेट	मेढक, आंध्र प्रदेश
44.	आर० आर० सूद	टिन कंटेनरस	सोनीपत, हरियाणा
45.	लतीफ एम० खान	हाई स्पीड आडियो कैसेट्स डूप्लीकेटिंग	मेढक, आन्ध्र प्रदेश

मैसर्स जे० के० सीमेंट्स द्वारा कदाचार

796-घ. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री मैसर्स जे०के० सीमेंट्स द्वारा किये गये कदाचार के बारे में 9 मई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10649 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जे० के० सीमेंट्स और इसके उच्चाधिकारियों द्वारा किये गये अवैध सौदों की जांच पूरी करने और उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने के मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि अभी तक मैसर्स जे० के० सीमेंट्स के 40 स्टाकिस्टों की जांच की जा चुकी है और अभी 30 और स्टाकिस्टों की जांच की जानी है। कम्पनी के अधिकारियों की भी जांच की जायेगी। प्रशासन द्वारा प्राथमिकता के आधार पर जांच की जा रही है और इसके पूरा होने पर जांच न्यायालय को इस मामले को सौंपने से पहले, पुलिस विभाग की अभियोजन शाखा द्वारा इसकी संवीक्षा की जायेगी।

टायरों की कीमतों में वृद्धि

796-ङ. :**श्री सनत कुमार मंडल** क्या **उद्योग** मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शक्तिशाली टायर उद्योग एक तरफ तो सरकार पर उत्पाद शुल्क में रियायत देने के लिए और दूसरी तरफ अपने उत्पादों की कीमतों में वृद्धि करने के लिये दबाव डालता रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या टायर उद्योग और टायर विक्रेताओं के बीच मूल्यों को लेकर एक संघर्ष चल रहा है;

(घ) क्या उनके लाभ के मानदंड निश्चित करने के लिये इस क्षेत्र में अनेक टायर कम्पनियों की निर्माण लागत के बारे में लागत रेखा रिपोर्ट तैयार कराई गई थी, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस उद्योग को समय-समय पर दी गई रियायतों का लाभ उपभोक्ताओं को देने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ङ) टायरों पर मूल्य तथा वितरण सम्बन्धी नियंत्रण नहीं है। पिछले कुछ समय से टायरों का मूल्य विनिर्माताओं और टायर बिक्रेताओं के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। कहीं विनिर्माताओं ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि वे कच्चे माल और रूपान्तरण लागत में वृद्धि के कारण टायरों के मूल्यों को स्थिर रख सकने में असमर्थ हैं, वहीं टायर-विक्रेताओं का कहना है कि टायर के मूल्यों में वृद्धि न्यायसंगत नहीं हैं, औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो ने 1978, 1981 और 1982 में निविष्टि-लागत के संदर्भ में टायर के मूल्यों का अध्ययन किया है। अक्तूबर, 1983 में टायर विनिर्माताओं ने टायरों की कुछ श्रेणियों पर उत्पादन-शुल्क में की गई कमी से हुए समग्र-लाभ को इन श्रेणियों के टायरों के मूल्यों में कमी करके उपभोक्ताओं को दे दिया था। 2 मई, 1984 को तारांकित प्रश्न संख्या 888 के उत्तर के संदर्भ में लोक सभा में दिये गए वक्तव्य के अनुसार, औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो से टायरों की लागत पर उत्पादन-शुल्क के प्रभाव सहित टायर उद्योग की विद्यमान लागत-मूल्य संरचना का अध्ययन करने के लिए कहा गया है।

सुनकी सीमेंट संयंत्र, कोरापुट, उड़ीसा की उत्पादन क्षमता तथा रोजगार संभाव्यता

796-ङङ : **गिरिधर गोमांगो** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार कोरापुट जिले में

सुनकी सीमेंट संयंत्र की अनुमानित लागत, उत्पादन क्षमता तथा रोजगार संभाव्यता क्या है;

(ख) आशय-पत्र प्राप्त होने से अब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिये मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) संयंत्र का प्रारम्भिक कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिरामा राव) : (क) से (ग) इण्डस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन को उड़ीसा के ग्राम सुनकी, जिला कोरापुट में 66,000 मी० टन पोर्टलैण्ड सीमेंट की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता वाले एक मिनी सीमेन्ट संयंत्र की स्थापना करने के लिए दिसम्बर, 1983 में एक आशय-पत्र स्वीकृत किया गया था। इस योजना के सम्बन्ध, में आवेदक द्वारा कोई भी परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी। किन्तु, औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत करने के लिए आवेदन में निम्नलिखित सूचना दी गई थी :

(1) अचल परिसम्पत्तियों अर्थात् भूमि, भवन, संयंत्र तथा मशीनों में निवेश	=525 लाख रुपये
(2) रोजगार क्षमता	=250 (प्रबन्धकीय पर्यवेक्षीय और लिपिकीय तथा श्रमिक)

उड़ीसा सरकार ने बताया था कि राज्य सरकार परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेगी। पार्टी से प्रगति की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।

राजस्थान में उद्योगों की स्थापना

796-च : **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में अगले पांच वर्ष के दौरान विकसित किये जाने हेतु प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : केन्द्र सरकार ने प्रेस टिप्पण संख्या 4/1/81 डी० बी० ए० (खण्ड–3) दिनांक 27 अप्रैल, 1983 में वर्ग "क" "ख" और "ग" के अन्तर्गत राजस्थान सहित औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए कुछ संशोधित प्रोत्साहनों की घोषणा की है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राजस्थान में उद्योगों का

विकास भी सम्मिलित है, को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। फिर भी (1984-85) की वार्षिक योजना पर विचार-विमर्श के दौरान राज्य सरकार चे अधिकारियों ने सूचित किया है कि दो "उद्योग रहित जिलों" अर्थात् सिरोही और जैसलमेर में अवस्थापना संबंधी सुविधाओं को विकसित करने का उत्तरदायित्व राजस्थान इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इंवेस्टमेंट कारपोरेशन को सौंपा गया है।

"बड़े तथा मध्यम उद्योग" क्षेत्र के अन्तर्गत 1984-85 की वार्षिक योजना के लिए 597 लाख रुपये के स्वीकृत परिव्यय में से राज्य सरकार ने राज्य उद्योग विभाग द्वारा विकसित विद्यमान क्षेत्रों में अवस्थापना संबंधी सुविधाओं के विकास के लिए 10 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया है।

राजस्थान औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम, राज्य से होकर गुजरने वाले तीन राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ औद्योगिक उद्देश्य के लिए भूमि को विकसित करने पर भी विचार कर रहा है।

केरल को सीमेंट का आवंटन

796-चच : **श्री वी० एस० विजयराघवन**
: **प्रो० पी० जे० कुरियन** } क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट के अपर्याप्त आवंटन के कारण केरल में सामाजिक आवास योजनाओं के अंतर्गत मकानों के निर्माण को भारी धक्का लगा है; और

(ख) यदि हां, तो उन श्रेणियों के लिये सीमेंट का आवंटन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) केरल राज्य सहित राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों को किए जाने वाले लेवी सीमेंट का आवंटन उनकी आवश्यकता से कम होने के कारण संभव हो सकता है कि केरल में सामाजिक गृह निर्माण योजना के अंतर्गत भवन निर्माण के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो। किन्तु केरल के पक्ष में त्रैमासिक आवंटन 63,400 मी० टन (कृषि व बिजली परियोजनाओं को छोड़कर) को 1984 की दूसरी तिमाही (अप्रैल से जून, 1984) से बढ़ा कर 67,800 मी० टन प्रति तिमाही कर दिया गया है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सीमेंट का विशेष कोटा

796.छ. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिये सीमेंट के आबंटन का विशेष कोटा निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ख) पिछले वर्ष की अपेक्षा वर्ष 1984-85 में उत्पादन बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह आशा है कि लेवी सीमेंट काफी मात्रा में उपलब्ध होने लगेगा। अत: सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अधिक मात्रा में उपलब्ध होने वाले लेवी सीमेंट का मुख्यत: समाज के कमजोर वर्गों, ग्रामीण जनसंख्या को लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रमों और अन्य निर्माण कार्यों जैसे गंदी बस्ती सुधार योजना, हुडको द्वारा सहायता प्राप्त आवास एवं स्थल सेवा योजनाओं को पूरा करने तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और कम आय समूह के लोगों द्वारा मकान बनाए जाने के लिए किया जाएगा।

मध्य प्रदेश में सोयाबीन पर आधारित उद्योगों में वृद्धि

796-छछ. **श्री प्रताप मानु शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश में सोयाबीन पर आधारित उद्योगों में वृद्धि कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जनवरी, 1980 से अब तक कितने औद्योगिक लाइसेंस और डी० जी० टी० जी० पंजीकरण मंजूर किए गये हैं;

(ग) मध्य प्रदेश में सोयाबीन पर आधारित लाइसेंसशुदा उद्योगों की संख्या और कुल पंजीकरण क्षमता कितनी है; और

(घ) वर्ष 1983-84 में मध्य प्रदेश में कुल कितनी मात्रा में सोयाबीन का उत्पादन हुआ ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) औद्योगिक लाइसेंसों और तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा मंजूर किये गए पंजीकरणों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1983-84 के दौरान मध्यप्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 4.40 लाख टन होने का अन्तिम रूप से अनुमान लगाया गया है।

विवरण

क्रम सं०	एकक का नाम	अवस्थिति	निर्माण की मद और वार्षिक क्षमता
		औद्योगिक लाइसेंस	
1.	मैसर्स मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल	सियोनी मालवा	1. परिष्कृत सोयाबीन तेल 8000 मीट्रिक टन 2. खाद्य सोया आटा 25,000 मीट्रिक टन 3. सोया भोजन 11,000 मीट्रिक टन
2.	मैसर्स मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल	सिहोर	1. परिष्कृत सोयाबीन तेल 8000 मीट्रिक टन 2. खाद्य सोया आटा 25,000 मीट्रिक टन 3. सोया भोजन 11,000 मीट्रिक टन
		डी०जी०टी०डी० पंजीकरण	
1.	श्री सहाशंक भार्गव	जिला विदिशा में क्यारसपुर	मूंगफली और सोयाबीन से अलग की गई प्रोटीन- 1,500 मीट्रिक टन

हिन्दुस्तान लीवर के उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

796-ज. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1984 से अब तक हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के उत्पादों, जैसे रिन, सर्फ पाउडर, लक्स, लिरिल नहाने का साबुन, लीरिल टैल्कम पाउडर और इसके अन्य उत्पादों के मूल्यों में कितनी बार किस अनुपात में वृद्धि की गई; और

(ख) इस संम्बध में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रायल में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

आर्थिक सलाहकर, औद्योगिक विकास विभाग को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के उत्पादों के मूल्य

कम्पनी की सूचीमूल्य रुपयों में (उत्पादन शुल्क सहित)

वस्तुएं विशिष्टियों सहित	इकाई	जनवरी, 1984 को	मार्च, 1984 को
1. साबुन			
1. लक्स टायेलेट बढ़ा 100 ग्राम	144 टिकियां	287.56	317.60
2. सनलाइट बड़ा 150 ग्राम	108 टिकियां	176.08	192.73
3. सरल टायलेट साबुन 100 ग्राम	144 टिकियां	105.43	105.43
2. सर्फ			
1000 ग्राम का पैकेट	12 पैकेट	202.30	202.30

पिछड़े क्षेत्रों के वर्गीकरण में द्विसपण

796-**जज. श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 29 जून, 1984 के इकौनामिक टाइम्स के अनुसार उद्योग मंत्रालय द्वारा पिछड़े जिलों और क्षेत्रों के सरकारी वर्गीकरण में अतिव्यापत्ता द्विरुपण और भ्रान्तियां है;

(ख) क्या सरकार की इन विसंगतियों और भ्रान्तियों को दूर करने की कोई योजनाएं है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) इस मंत्रालय के प्रेस टिप्पण सं० 4/1/81-पी०ए०डी० वाल्यूम-III, दिनाँक 27.4.1983 (जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं) के मूल पाठ से सम्बद्ध सूचियों में स्थल सम्बन्धी एक गलती हो गई थी। श्रेणी "क" में उद्योग रहित जिला पन्ना को भी श्रेणी "ग" में दिखाया गया था। इस मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 1984 को प्रकाशित की गई पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए प्रोत्साहनों सम्बन्धी पुस्तिका में इस गलती को सुधार दिया गया है। इस प्रकाशन की प्रतियाँ संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

औद्योगिक और पूंजीनिवेश सम्बन्धी प्रस्तावों पर निर्णय लिये जाने में विलम्ब को रोकना

796-**झझ. श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक और पूंजी निवेश सम्बन्धी प्रस्तावों की स्वीकृति में हो रहे अत्यधिक विलम्ब को रोकने हेतु विभिन्न अधिकारियों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; जैसा कि प्रधान मंत्री ने भारत सरकार के 42 सचिवों की एक बैठक में बोलते हुए कहा था (बिजनेस स्टैण्डर्ड दिनांक 23.6.84); और

(ख) जनता से सीधा सम्बन्ध रखने वाले विभागों में स्थानिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) औद्योगिक लाइसेंस तथा निवेश प्रस्तावों पर उपर्युक्त स्वीकृति समितियों द्वारा समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर विचार तथा निपटान किया जाता है। (1) मिश्रित प्रस्तावों जिसमें एक से अधिक बार अनुमति की

आवश्यकता हो, (2) 100 प्रतिशत नियांतोन्मुख एककों और (3) अ-निवासी भारतीय निवेश प्रस्तावों के मामले में एक स्थान पर निपटान (सिंगल विंडो क्लियरेन्स) प्रणाली भी प्रारम्भ की गई है। इससे समन्वय में सुधार तथा देरी दूर हो सकने की आशा है।

(ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए समय-समय पर उच्चस्तरीय समीक्षा की जाती है और भ्रष्टाचार, विशेष रूप से उन कार्यालयों से जिनका नेता से सीधा सम्पर्क होता है, को समाप्त करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

उड़ीसा सहित उद्योगहीन जिलों में उद्योगों की स्थापना

796-**भक्त. श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उद्योगहीन जिलों तथा विशेषरूप से उड़ीसा के अनुसूचित जन जाति और पिछड़े क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1984 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत किस प्रकार के जिलों को शामिल किया गया है;

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान देश के उद्योगहीन जिलों में, सरकारी क्षेत्र में अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार का क्या कार्यक्रम है; और

(घ) पिछड़े क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिए दी जा रही सुविधाओं अथवा रियायतों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) विभिन्न जिलों का औद्योगीकरण करने की मूल जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की होती है, यद्यपि केन्द्रीय सरकार भी विभिन्न रियायतें और प्रोत्साहन देकर उनके प्रयासों को पूरा करने में सहायता करती है।

उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों में, जो उद्योग रहित जिले और औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र हैं ऐसे जिलों और क्षेत्रों का पता लगाया गया है तथा उन्हें दिनांक 27.4.1983 के प्रेस टिप्पण संख्या-4/1/81-श्री०ए०डी० और 7.9.1983 वाल्यूम-III में निर्दिष्ट किया गया है। इनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय निवेश मूल रूप से आधारभूत प्रकृति की बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में किया जाता है। अतः इन परियोजनाओं के स्थापना-स्थल सम्बन्धी निर्णय व्यापक तकनीकी-आर्थिक धारणाओं के आधार पर लिया जाता है सरकार की तकनीकी-आर्थिक धारणाओं के अधीन केन्द्रीय परियोजनाओं की स्थापना में तुलनात्मक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को अधिमान दे की रही है। विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्रीय निवेश के समान वितरण का सुनिश्चिय करने में अन्तर्निहित

सीमाओं को ध्यान में रखते हुए उन क्षेत्रों में जो औद्योगिक रूप से पिछड़े हैं, निजी क्षेत्र में व्यापक निदेश को आकृष्ट करके उद्योग का सन्तुलित क्षेत्रीय विकास करना पड़ता है। अत: पिछड़े और कम विकसित क्षेत्रों में निवेश आकृष्ट करने के लिए भावी उद्यमियों को केन्द्रीय निवेश राजसहायता रियायती वित्त सुविधाएं, औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत करने में अधिमानता देने जैसी अनेक रियायतें दी जा रही हैं।

मार्डन इंजीनियरिंग कारपोरेशन, लखनऊ का ज्ञापन

796-ङा. **श्री रेणु पद दास** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को माडर्न इंजीनियरिंग कारपोरेशन, लखनऊ द्वारा दिनांक 21 मई, 1984 को दिया गया ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) उनकी क्या शिकायतें और सुझाव हैं;

(ग) क्या सरकार ने उनकी शिकायतों और सुझावों पर कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो उन पर किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) मैं० मार्डन इंजीनियरिंग कारपोरेशन, लखनऊ से सरकार को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें माइकों के खिलाफ फालतू पुर्जों की सप्लाई न किये जाने तथा नकली फालतू पुर्जों के विक्रय के बारे में कुछ आरोप लगाये गये हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि इसकी संसद-सदस्यों द्वारा जांच की जाये जिसकी बाद में सी०बी०आई० जांच करे।

(ग) तथा (घ) वैध कैश मिमो तथा बिलों के बदले में माइको द्वारा फालतू पुर्जों की सप्लाई न करने के बारे में उनकी शिकायत को एम०आर०टी०पी० आयोग के पास जांच तथा एम०आर०टी०पी० अधिनियम के अधीन आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है

निजी रोजगार के लिए ऋणों का वितरण

796-ङाङा. **श्री सत्यनारायण जाटिया** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निजी रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को ऋण दिया गया और जून, 1984 तक वितरित किए गए ऋणों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या उपरोक्त योजना अभी भी जारी है और वर्ष 1984-85 के दौरान ऋण वितरण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और कितने व्यक्तियों को ऋण दिये जायेंगे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के अनुसार शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वः रोजगार देने की स्कीम के अन्तर्गत देश में 31 मार्च, 1984 तक 242405 व्यक्तियों के लिए ऋण स्वीकृत किए गए थे । राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार आवेदनों की संख्या और स्वीकृत की गई ऋण की राशि को बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) स्कीम को जारी रखने से संबंधित मामले और 1984-85 के लक्ष्य सरकार के विचाराधीन है ।

विवरण

शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वः रोजगार प्रदान करने के लिए नई स्कीम से संबंधित 31 मार्च, 1984 तक की प्रगति

क्रम० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए ऋण	
		संख्या	राशि (लाख रु०)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	14781	2936.00
2.	असम	8021	1540.44
3.	बिहार	14230	2278.64
4.	गुजरात	10497	1538.88
5.	हरियाणा	6189	998.99
6.	हिमाचल प्रदेश	2465	449.69
7.	जम्मू और कश्मीर	1416	287.95
8.	कर्नाटक	12307	1960.00
9.	केरल	13091	2110.00
10.	मध्य प्रदेश	18786	2857.80

1	2	3	4
11.	महाराष्ट्र	24579	4024.28
12.	मणिपुर	991	179.82
13.	मेघालय	353	75.09
14.	नागालैंड	189	39.25
15.	उड़ीसा	6823	1368.62
16.	पंजाब	9047	1689.60
17.	राजस्थान	15054	2365.30
18.	सिक्किम	15	3.65
19.	तमिलनाडु	21247	3316.00
20.	त्रिपुरा	696	97.33
21.	उत्तर प्रदेश	36857	5382.85
22.	पश्चिमी बंगाल	23680	4481.92
23.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	66	15.22
24.	अरुणाचल प्रदेश	36	6.91
25.	चण्डीगढ़	325	56.50
26.	दादरा व नागर हवेली	54	10.71
27.	मिजोरम	196	42.61
28.	पांडिचेरी	414	40.00
	कुल जोड़	242405	40154.05

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की घोषणा करना

796-ट. **श्री उमाकान्त मिश्र** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बड़े जिलों की औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ी तहसीलों और खण्डों को पिछड़े क्षेत्र घोषित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) क्या शिव रमण, समिति की रिपोर्ट को शीघ्र कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) शिवरमन समिति की रिपोर्ट की केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है। इन विचार-विमर्शों से निकलने वाले सामान्य सहमति को सातवीं पंच-वर्षीय योजना को तैयार करते समय ध्यान में रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के बड़े जिलों की तह-सीलों और ब्लाकों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के लिए इस समय कोई अलग से कार्यवाई नहीं की जा रही है।

औद्योगिक विकास दर

796-टट. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की वर्ष, 1983-84 में औद्योगिक विकास की दर का लगभग 4.5% होना निराशाजनक बात है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) आने वाले वर्षों में विकास दर बढ़ाने के लिए दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन्हें लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के आधार पर वर्ष 1983-84 में औद्यो-गिक उत्पादन की विकास दर 5.4% थी जब कि पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली वाणिज्य एवं उद्योग मंडल ने 4.5% का पूर्वानुमान लगाया था।

जहां तक मंडल द्वारा दिए गए सुझावों का सम्बन्ध है, सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस तथा आयात विषयक नीतियों में उपयुक्त परिवर्तन करके और आर्थिक व राजकोषीय उपाय करके तथा औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार करके औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के कई कदम उठाए हैं।

टायरों के मूल्य में वृद्धि

796-ठ. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाहनों के टायर निर्माताओं ने पिछले तीन वर्ष के दौरान मार्च, 1984 तक ट्रकों, जीपों, बसों, यात्री कारों, हल्के वाणिज्यक बाहनों, स्कूटरों और मोटर साइकलों के टायरों के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि की और प्रत्येक बार कितनी वृद्धि की गई;

(ख) उनके द्वारा इतनी जल्दी-जल्दी टायरों के मूल्य बढ़ाने के क्या औचित्य है; और

(ग) सरकार ने टायरों के मूल्य कम करके एक उचित स्तर पर लाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) भारतीय टायर उद्योग दो सौ से अधिक किस्मों के टायर बनाता है जो लगभग पांच सौ ट्रीड पैटनों के होते हैं। भिन्न-भिन्न टायर कम्पनियों की कीमतें भिन्न-भिन्न होती हैं। विभिन्न टायर कम्पनियों ने उनके द्वारा उत्पादित भिन्न-भिन्न टायर कम्पनियों ने उनके द्वारा उत्पादित भिन्न-भिन्न किस्मों के टायरों की कीमतों में अलग-अलग समय पर संशोधन किए हैं। टायरों की कीमतों में वृद्धि क मुख्य कारण कच्ची सामग्री तथा परिवर्तनीयता लागतों में वृद्धि हो जाना है।

(ग) टायरों पर मूल्य अथवा वितरण संबंधी कोई नियंत्रण नहीं है। फिर भी सरकार द्वारा टायरों और उनके कच्चे माल की कीमतों पर लगातार कड़ी नजर रखी जाती है।

स्टेनलेस स्टील की चद्दरें बनाने वाले छोटे एककों से उत्पाद शुल्क की वसूली

796-ठठ. **श्री राम किंकर** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्टेनलेस स्टील स्क्रेप से चद्दरें बनाने वाले सैकड़ों छोटे एककों को परेशान किया जा रहा है और उन्हें उत्पादन शुल्क देने के लिए बाध्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस छोटे एककों के मालिकों को इस प्रकार की प्रताड़ना और परेशानी से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या इससे बर्तन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्क्रेप चद्दरों से बर्तन बनाने वाले इन छोटे एककों से बिक्री करके अनुपात में कर वसूल करने के लिए कोई स्पष्ट नीति अपनाने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) सरकार को किसी लघु स्टेनलेस-स्टील चद्दरों के विनिर्माताओं को तंग किये जाने की कोई जानकारी नहीं है।

फिर भी स्टेनलेस स्टील रि-रोलसें से लेवी के उप्पादन-शुल्क के सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिन पर समुचित रूप से विचार किया गया था ।

चूंकि केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क का प्रबंध केन्द्र द्वारा किया जाता है, जबकि बिक्री कर की दरों का निर्धारण राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है, जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न होता है, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क संरचना को बिक्री कर से मिलाना सामान्यतः सम्भव नहीं है ।

मध्य प्रदेश में विकास केन्द्रों की स्थापना

796-ड. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बुनियादी सुविधाओं का विकास करके उद्योग रहित माने गए क्षेत्र को विकास केन्द्र बनाने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय अनुदान और सहायता देने हेतु नए मार्गनिर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में किन क्षेत्रों को विकास केन्द्र माना गया है और नए मार्ग निर्देशों के अन्तर्गत क्या योजनाएं बनाई गई हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां । मार्गदर्शी सिद्धांत 19 जून, 1984 को जारी किये गए थे । (प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं) ।

(ख) मध्यप्रदेश की सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने से पूर्व निम्नलिखित विकास केन्द्रों का चयन किया गया था :

विकास केन्द्र	जिला
1. मेघनगर	झबुआ
2. पीतमपुर, गावला	धार
3. वैधान	सीधी
4. पूर्णिया	पन्ना
5. मलनपुर	भिण्ड

शेष उद्योग रहित जिलों के लिए राज्य सरकार ने अभी चयन प्रतिक्रिया पूरी करनी है :

पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर और अलीपुर को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करना

796-डड. **श्री निर्मल सिन्हा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर उपप्रभाग और अलीपुर के एक भाग तथा बसीरहाल उपप्रभाग को जो कि "डम्प्येरहा जिस लाइन" के अनुसार सुन्दरवन क्षेत्र के रूप में माने जाते हैं, औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किए जाने में क्या बाधाएं हैं; वहां एक भी छोटे अथवा औद्योगिक एकक न होने पर भी बाधाएं हैं;

(ख) डायमंड हार्बर उपप्रभाग, जो कलकत्ता के एकदम निकट है और सुन्दरवन तथा बंगाल की खाड़ी के संसाधनों से भरपूर है, में युवाओं की बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए छोटे अथवा बड़े उद्योग स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) सातवी पंचवर्षीय योजना में उन संसाधनों और आधार सुविधाओं के उपयोग के लिए यदि कोई योजना बनाई गई है, वे क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) योजना आयोग ने दिसम्बर, 1969 में जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े निर्धारित करने के लिए राज्यों द्वारा अपनाए जाने हेतु निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों का सुझाव दिया था :

(1) प्रति व्यक्ति खाद्यान्न/वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन जो इस पर निर्भर करता है कि क्या जिला मुख्य रूप से खाद्यान्नों/नकद फसलों का उत्पादक है (अंतर-जिलों की तुलना के लिए खाद्यान्नों और वाणिज्यिक फसलों के बीच परिवर्तन की दरों का निश्चय पूर्व-निर्धारित आधार पर, जहां कहीं आवश्यक हो, राज्य सरकारों द्वारा किया जा सकता है);

2. कृषि कार्य करने वालों में जनसंख्या का अनुपात;

3. प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन;

4. प्रति लाख जनसंख्या में फैक्टरी कर्मचारियों की संख्या या वैकल्पिक रूप से प्रति लाख जनसंख्या में द्वितीयक और तृतीयक कार्यकलापों में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या;

5. बिजली की प्रति व्यक्ति खपत; और

6. जनसंख्या के संवर्ग में पक्की सड़कों की लम्बाई या जनसंख्या के संबंध में रेल की मील संख्या ।

यह भी बताया गया था कि राज्य के औसत से काफी नीचे के सूचकांक वाले केवल जिलों को वित्तीय संस्थाओं से उपयुक्त प्रोत्साहनों के लिए चुना जा सकता है ।

उपर्युक्त मापदंड के आधार पर पश्चिम बंगाल सरकार ने निम्नलिखित जिलों को औद्यो-

गिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र निर्धारित किया है :

बांकुरा, बीरभूम, बर्दवान, कूच-बिहार, दार्जिलिंग, हुगली, जलपाईगुड़ी, माल्दा, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद, नादिया, पुरुलिया और पश्चिम दीनाजपुर।

इन जिलों में से पुरुलिया, मिदनापुर और नादिया जिलों को केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए फिर से चुना गया था।

इसी प्रकार राज्य सरकार की सिफारिश पर, बांकुरा, कूच-बिहार, जलपाइगुड़ी, माल्दा और दार्जिलिंग जिलों को उद्योग रहित जिलों के रूप में निर्धारित किया गया है जिनमें बड़े अथवा मझोले उद्योग नहीं हैं।

चूंकि 24 परगना जिले को राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला निर्धारित नहीं किया गया था, बल्कि यह औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित किया गया है जो विभिन्न केन्द्रीय आर्थिक और वित्तीय प्रोत्साहनों का पात्र होगा।

निर्दिष्ट जिलों की विस्तृत औद्योगिक योजना बनाना सम्बद्ध राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, तो भी केन्द्रीय आर्थिक, वित्तीय और कार्यक्रमों की पहल करके प्रयत्नों को सदैव आगे बढ़ाया है। इसके अलावा केन्द्र सरकार हमेशा नीति संबंधी साधनों जैसे लाइसेंस देना, सरकारी उद्यमों स्थापना-स्थलों आदि का इस्तेमाल किए जाने की आवश्यकता के प्रति निरन्तर सजग रही है जिससे विकास में क्षेत्रीय असमानताओं में कमी करने में सहायता मिल सके।

उड़ीसा को सीमेंट के आबंटन में वृद्धि

796-ढ. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982-83 और 1983-84 में उड़ीसा को केन्द्रीय पूल सप्लाई की गई सीमेंट, राज्य आवश्यकता के अनुरूप नहीं था;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उस राज्य में निर्माण-कार्यों में वृद्धि हो जाने के कारण सीमेंट की अधिक मांग को ध्यान में रखते हुए उक्त आबंटन में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा को वर्ष 1984-85 में कुल कितने मीट्रिक टन सीमेंट देने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) लेवी सीमेंट की मात्रा सीमित होने के कारण उड़ीसा सहित सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की लेवी सीमेंट की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा कर पाना अभी तक सम्भव नहीं हो सका है। फिर भी, 1983-84 के दौरान उड़ीसा राज्य को आबंटित किए जाने वाला वार्षिक लेवी सीमेंट 16,000 मी० टन बढ़ा दिया गया है। इस समय उड़ीसा राज्य के लिए 2.5 लाख मी० टन लेवी सीमेंट के आबंटन की व्यवस्था की गई है। लेवी सीमेंट की उपलब्धता में वृद्धि होने की दशा में उड़ीसा सहित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के आबंटन को उचित प्रकार से बढ़ा दिया जायेगा।

अखिल भारतीय टायर व्यापारी परिसंघ, दिल्ली का ज्ञापन

796-ढढ. **श्री रेणुपद दास** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय टायर व्यापारी परिसंघ दिल्ली से दिनांक 21.5.84 का ज्ञापन संख्या सी० 1-25 बी०/ए०-आई०टी०डी०एफ०-84 प्राप्त हुआ है;

(ख) उनकी विशेष शिकायतें और टायरों के मूल्यों के सम्बन्ध में सुझाव क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने निर्माताओं द्वारा टायरों के मूल्यों में अंधाधुंध वृद्धि को रोकने के लिए इस परिसंघ द्वारा दिए गए मुद्दों और सुझावों पर कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इस ज्ञापन में यह बताया गया है कि टायर उत्पादकों का यह विरोध, कि सितम्बर, 1981 से मार्च, 1984 तक टायरों के मूल्यों में थोड़ी सी वृद्धि हुई है, भ्रामक है । संघ ने यह सुझाव दिया है कि सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरों द्वारा अद्यतन जाँच शुरू की जाय तथा समस्त मुद्दे को उच्चाधिकार प्राप्त एक सदस्यीय आयोग को सौंप दिया जाए । टायरों पर कोई भी मूल्य अथवा वितरण नियंत्रण नहीं है । किन्तु लोकसभा में दिनांक 2 मई, 1984 को तारांकित प्रश्न संख्या 888 के उत्तर में उल्लिखित विवरण के अनुसार औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को टायर उद्योग के लागत-मूल्य ढांचे की यह देखने के लिए जांच करने के लिए कहा कहा गया है कि उद्योग द्वारा मूल्य में कितनी बढ़ोतरी की गई है और क्या टायरों के उत्पादन में यह वृद्धि न्यायसंगत है ।

"भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि०" द्वारा अनुसंधान और विकास परियोजनाओं पर व्यय की गई धनराशि

796-ण. **श्री बाबूराव परांजपे** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स" लि० द्वारा पिछले पांच वर्षों में अपनी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं/प्रभागों पर कुल कितना व्यय किया गया और उनमें इंजीनियरों और अन्य कर्मचारियों की वर्तमान संख्या क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में कितना व्यय किया गया;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में ऐसी कौन-कौन सी अनुसंधान और विकास परियोजनाएं थीं, जिनका वाणिज्यिक प्रयोग प्रारम्भ किया गया है और जिनके फलस्वरूप सहयोग समझौतों के कारण बचत हुई है तथा जिनसे विदेशी मुद्रा की राशि के व्यय में बचत अथवा कमी हुई है; और

(ग) पिछले पाँच वर्षों में सहयोग शुल्क, रायल्टी प्रभारों, डिजाईन और अभियांत्रिकी

प्रभार आदि के रूप में विदेशी सहयोग के लिए रुपयों में कुल कितनी राशि व्यय की गई और पिछले तीन वर्षों में कितना व्यय किया गया ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० द्वारा पिछले पांच वर्षों में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं पर कुल 64 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है और पिछले तीन वर्षों में किया गया व्यय निम्नलिखित है :

1981-82	12.35 करोड़ रुपये
1982-83	14.80 करोड़ रुपये
1983-84	16.22 करोड़ रुपये (अनन्तिम)

कारपोरेट अनुसंधान एवं विकास प्रभाग में नियुक्त इंजीनियरों और दूसरे कर्मचारियों की कुल संख्या 1015 है ।

(ख) प्रमुख अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं जिनका वाणिज्यिक प्रयोग किया गया है निम्नलिखित हैं :

1. फल्यूडाइज्ड बेड बायलर,
2. वेस्ट हीट बायलर,
3. इन्सुलेशन टेपों के लिए माइका पेपर,
4. बैटरी से चलने वाले वाहन,
5. हाइड्रो टर्बाइनों के लिए गवर्नर, और
6. कास्ट वेल्डिड फ्रांसिस रनर ।

उपर्युक्त परियोजनाओं के कारण विदेशी मुद्रा और सहयोग सम्बन्धी अदायगियों में हुई बचतों को बताना इस अवस्था में कठिन है ।

(ग) पिछले पांच वर्षों में सहयोगियों को भुगतान करने पर (आय कर सहित) कुल 51.71 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था । पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में किया गया व्यय निम्न प्रकार है :

1981-82	10.54 करोड़ रुपये
1982-83	12.37 करोड़ रुपये
1983-84	15.62 करोड़ रुपये (अनन्तिम)

'भेल' द्वारा "कला मिलन" स्मारिका के लिए एकत्र की गई धनराशि

796-**णण. श्री बाबूराव परांजपे** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) उसके महिला क्लब की "कला मिलन" स्मारिका के लिए गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में कितनी धनराशि एकत्र की गई और एकत्र की गई धनराशि को किस प्रकार व्यय किया गया ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने अब तक कला-मिलन स्मारिका के लिए कोई भी धनराशि एकत्रित नहीं की है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का महिला क्लब एक अलग संगठन है जो कि सोसाइटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है।

नेप्थालीन गोलियों की कमी/अधिक मूल्य

796-त. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बहुत ही सामान्य उपयोग की ओर आयात की जाने वाली नेप्थालीन गोलियों की कमी और उनके अधिक मूल्य हो जाने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह बाजार में लगभग 53 रुपये प्रति किलो बेची जा रही है; और

(ग) क्या सरकार ने इसकी कमी के कारणों की ओर खुदरा बिक्री के स्तर तक इसके लागत ढांचे की है, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी नहीं, देशी नेप्थालीन की गोलियों की कमी व ऊंची कीमतों के बारे में सरकार को कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। वर्तमान आयात नीति के अनुसार नेप्थालिन की गोलियों के आयात की अनुमति नहीं है।

(ख) सूचना मिली है कि नेप्थालिन की गोलियां बाजार में औसतन 21.50 रुपये प्रति कि०ग्रा० के मूल्य पर उपलब्ध हैं।

(ग) उपयुक्त (क) तथा (ख) की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठता।

पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिकरण

796-तत. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकाधिक प्रोत्साहन दिए जाने के बावजूद भी पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकरण का कार्यक्रम वास्तव में उल्टा हो गया है;

(ख) छठी योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में पिछड़े जिलों और "उद्योग विहीन जिलों" में अब तक कितने नए उद्योग लगाए गए हैं; और

(ग) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिए गए उक्त प्रोत्साहन की असफलता के मुख्य कारण क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) औद्योगिकरण एक सतत प्रक्रिया है। स्वीकृत प्रोत्साहनों से राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश के प्रशासनों को अपने पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिकरण करने में निश्चित रूप से सहायता और प्रोत्साहन मिला है जैसा कि वर्ष 1982 से 1984 (मई, 1984 तक) तक जारी किए गए आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों के नीचे दिए गए आंकड़ों से देखा जा सकता है :

वर्ष	योग		पिछड़े क्षेत्रों को जारी किए गए	
	आशय-पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	आशय- पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
1982	1043	432	583 (158)	145 (2)
1983	1055	1075	649 (110)	317 (3)
1984 (मई, 1984 तक)	410	371	243 (32)	121 (8)

कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े उद्योग रहित जिलों से संबंधित हैं।

सभी आशय-पत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों के ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मन्थली न्यूज लैटर" में प्रकाशित किए जाते हैं, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

टायर और ट्यूब उद्योग संबंधी समिति

796-थ. **श्री माधव राव सिंधिया**
श्रीमती गीता मुखर्जी } : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोटर वाहनों के टायरों और ट्यूबों के मूल्यों और उनकी किस्म की जाँच करने के लिए समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति का औपचारिक गठन किस प्रकार किया गया है और समिति के निदेश पद क्या हैं;

(ग) इस जांच समिति का गठन किन कारणों से करना पड़ा है;

(घ) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जाने की सम्भावना है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां ।

(ख) श्री एम० सत्यपाल, भूतपूर्व सचिव, तकनीकी विकास की अध्यक्षता में गठित समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

(1) सदस्य, औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो ।

(2) निदेशक, भारतीय मानक संस्थान ।

(3) मुख्य इंजीनियर (यातायात एवं परिवहन) जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय।

(4) औद्योगिक सलाहकार, तकनीकी विकास का महानिदेशालय ।

(ग) समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :

(i) उत्पाद विशिष्टयों, डिजाइन और उनके मानकीकरण को कार्य-निष्पादन संबंधी आवश्यकताओं तथा किस्म की निश्चितता के संदर्भ में युक्तियुक्त बनाने पर विचार करना और सिफारिशें देना ।

(ii) लागत को इष्टतम बनाने तथा विशेष रूप से प्राकृतिक रबर और संश्लिष्ट वैकल्पिकों के बीच तकनीकी-आर्थिक विकल्प को दृष्टि में रखते हुए कच्चे माल के मानकीकरण की सिफारिश करना ।

(iii) मोटर गाड़ियों के टायरों और ट्यूबों की वितरण प्रणाली की उसके सम्बन्ध में मिली शिकायतों की जांच करने के पश्चात् समीक्षा करना और उसे युक्तियुक्त बनाने तथा उसमें सुधार की सिफारिश करना ।

(iv) उत्पादन प्रक्रियाओं और उत्पादों में प्रौद्योगिकीय सुधार किये जाने के बारे में विचार करना ।

(घ) और (ङ) समिति से अपनी रिपोर्ट गठन की तारीख (19.5.1984) से तीन महीने के अंदर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ।

18 औद्योगिक एककों के आशय पत्रों को औद्योगिक लाइसेंस में बदलना

796-थथ. **श्री के० रामामूर्ति** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 18 औद्योगिक एककों के नाम तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनको आशय-पत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में बदला जाएगा बशर्ते कि निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त वे कुछ स्थल संबंधी कुछ पर्यावरणीय शर्तों को भी पूरा करते हों; और

(ख) क्या आशय पत्र जारी करने के लिए एक शर्त यह नहीं है कि आवेदन पत्र के साथ राज्य पर्यावरण बोर्ड का एक प्रमाण-पत्र होना चाहिए ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) औद्योगिक परियोजनाओं से होने वाले वायु, जल और भूमि प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से औद्योगिक उद्यमों की स्थापना के लिए जारी किये गये आशय-पत्रों में निम्नलिखित शर्त को पहले से ही निर्दिष्ट किया जा रहा है :

वायु, जल तथा भूमि के प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार के संतोष के लिए उपर्युक्त उपाय किये जाने चाहिएं। इसके अलावा, इस प्रकार के प्रदूषण विरोधी किये जाने वाले उपाय, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रस्फुटित और निर्गमन से संबंधित मानकों के अनुरूप होने चाहिएं, जिसमें औद्योगिक उद्यम फैक्टरी अवस्थित है।

अब यह निर्णय किया गया है कि 18 उद्योगों (विवरण में उल्लिखित 18 औद्योगिक एकक नहीं) के मामलों में, आशय पत्र को निम्नलिखित शर्तों के पूरा करने के बाद ही औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित किया जाएगा :

(1) राज्य उद्योग निदेशक ने पुष्टि की है कि परियोजना का स्थल राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्वीकृत किया जाता है;

(2) उद्यमी राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों ही के लिए वचनबद्ध है कि वह उपर्युक्त उपकरण संस्थापित करेगा और प्रदूषण को रोकने और उसके नियंत्रण के लिए निर्धारित उपायों को कार्यान्वित करेगा; और

(3) सम्बन्धित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रमाणित किया है कि प्रस्ताव पर्यावरणीय आवश्यकताओं को पूरा करता है और संस्थापित उपकरण अथवा जिनको संस्थापित करने का प्रस्ताव है, पर्याप्त है और आवश्यकताओं के उपर्युक्त है।

विवरण

1. मूलभूत धातुकर्म संबंधी वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग अर्थात जस्ता, सीसा, ताम्बा एलूमीनियम और इस्पात
2. कागज
3. कीटनाशी और कीटाणुनाशी
4. तेलशोधक कारखाने (रिफाइनरीज)

5. उर्वरक

6. पेंट

7. रंजक (रंग)

8. चर्म शोधन

9. रेयोन

10. सोडियम/पोटाशियम साइनाईड

11. मूल औषधिया

12. ढलाईखाना (फाउंडरी)

13. बैटरीज

14. एसिड/एल्कलीज

15. प्लास्टिकस

16. रबड़

17. सीमेंट

18. एस्बेस्टोस

पश्चिम बंगाल के उद्योग रहित जिलों में उद्योगों की स्थापना

796-द. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह समाचार सच है कि केन्द्र ने पश्चिम बंगाल के 5 जिलों को उद्योग रहित जिलों के रूप में चुना है;

(ख) यदि हां, तो यह चयन कब किया गया;

(ग) केन्द्र ने इन जिलों में अब तक जिला-वार कितने उद्योग स्थापित किये हैं और तत्सम्बन्धी जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र का इन जिलों में जिला-वार कितने और उद्योग स्थापित करने का विचार है और तत्सम्बन्धी जिला-वार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां ।

(ख) मान्यता प्राप्त उद्योग रहित जिलों की सूची फरवरी, 1982 में परिचालित की गई है ।

(ग) और (घ) विभिन्न जिलों का औद्योगीकरण करने की मूल जिम्मेदारी सम्बद्ध राज्य सरकारों की होती है, यद्यपि केन्द्रीय सरकार वित्तीय प्रोत्साहन और रियायतें देकर उनके प्रयासों को पूरा करने में मदद करती है। केन्द्रीय निवेश प्रमुखतः आधारभूत प्रकृति वाली बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में किया जाता है। अतः इस प्रकार के स्थापना-स्थल सम्बन्धी निर्णय व्यापक तकनीकी आर्थिक विचारों के अधीन केन्द्रीय परियोजनाओं की स्थापना में तुलनात्मक रूप से औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को अधिमान देने की रही है।

वर्ष 1982 से 1984 के दौरान पश्चिम बंगाल के उद्योग रहित जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए जारी किये गये आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या निम्नलिखित है :

जिले का नाम	1982		1983		1984 (जून)	
	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
बांकुरा	1	—	—	—	1	—
कूच बिहार	—	—	—	—	—	—
दार्जिलिंग	2*	—	1	—	—	—
जलपाइगुड़ी	—	—	1	1	—	—
माल्दा	—	—	2	1*	—	—

* दार्जिलिंग को जारी किया गया एक आशय-पत्र माल्दा के लिए औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित कर दिया गया था।

आशय-पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उनके "मन्थली न्यूज लैटर" में प्रकाशित किया जाता है जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

उत्तरी बंगाल में एक कागज मिल स्थापित करने का प्रस्ताव

796 दद **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तरी बंगाल में, जहां पर लुगदी योग्य कच्चा माल विशेष रूप से बांस का मिलना सुनिश्चित है, एक कागज मिल खोलने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, उपरोक्त प्रस्ताव के बारे में केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उपरोक्त प्रस्ताव के बारे में केन्द्र सरकार का फैसला किस स्थिति में है; और

(घ) केन्द्र सरकार कब तक इस बारे में कोई फैसला कर लेगी;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) उत्तरी बंगाल में कागज की मिल स्थापित करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

उद्योग में मंदी

796-ध. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग के विभिन्न क्षेत्र काफी मन्दी का शिकार हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों पर मन्दी का अधिक प्रभाव पड़ा है और किस हद तक प्रभाव पड़ा है; और

(ग) उद्योगों को मन्दी की स्थिति से उबारने के लिए सरकार द्वारा सहायता करने के लिए उद्योग-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) कुछेक उद्योगों जिनमें इस्पात, इंजीनियरी वस्तुएं तथा वस्त्र शामिल हैं, को विभिन्न कारणों से मांग की कमी/मंदी का सामना करना पड़ा है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार अप्रैल-जून, 1984 के दौरान बिक्री-योग्य इस्पात के उत्पादन में अप्रैल-जून, 1983 की अपेक्षा 9.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। बिक्री योग्य इस्पात भंडार में 1.4.1984 में 0.81 मीट्रिक टन से 1.7.1984 में 0.78 मीट्रिक टन की और कमी हुई है।

1983-84 के दौरान विद्युत ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, वाणिज्यक वाहन रेलवे वैगन कृषि ट्रैक्टर आदि बनाने वाले इंजीनियरी उद्योगों के कार्य-निष्पादन में 1982-83 में उत्पादन में आई गिरावट की प्रवृत्ति में विपरीत स्थिति दिखाई दी थी। उत्पादन की अधिक कीमत, ऊंची कीमतों के कारण मांग में आई मन्दी तथा विद्युत चालित करघा क्षेत्र की विकट प्रतिस्पर्धा के कारण वस्त्र उद्योग को बराबर कठिनाई का अनुभव करना पड़ रहा है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना—1975-1990 के नीति पत्र में निरन्तर जीव्यता बनाये रखने तथा वस्त्र जूट आदि जैसे उद्योगों में प्रभावी लागत एवं आधुनिक उत्पादन तकनीक लागू करने हेतु आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है।

उत्पादन में सुधार लाने में अनुभव की जा रही कठिनाइयों का पता लगाने और उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु इन्जीनियरी उद्योगों आदि के कार्य-निष्पादन की समय-समय पर जांच की जाती है।

उद्योगपतियों के मामले एक ही जगह पर निपटाने (सिंगल विन्डो क्लीएरेन्स) की व्यवस्था

796-घघ. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री द्वारा 22 जून 1984 को दिए मार्ग निर्देश के अनुसार, ऐसी प्रणाली तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिसमें ऐसे सभी मामलों को एक ही जगह पर निपटाने (सिंगल विन्डो क्लीएरेंस) की व्यवस्था हो जाये जिसमें सरकार को उद्योगपतियों और अप्रवासी भारतीयों तथा आम जनता के साथ व्यवहार करना होता है जो निवेश करने के प्रस्ताव लेकर आते हैं; और

(ख) सरकार का विचार दक्षिण भारतीय उद्योगों की किस प्रकार सहायता करने का है जो कि निरन्तर कोयले की कमी का सामना कर रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) निम्नलिखित प्रकार के औद्योगिक लाइसेंस प्रस्तावों के मामले में एक ही जगह निपटाने (सिंगल विन्डो क्लिएरेंस) की पद्धति पहले ही आरम्भ की जा चुकी है :

1. सम्मिलित आवेदन जिनमें एकाधिक स्वीकृतियां निहित हों;

2. 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक; तथा

3. प्रवासी भारतीय।

(ख) सिंगरेनी कोयला खदानों के कार्य को कड़ाई से मॉनिटर किया जा रहा है और कमियों को भारत की अन्य कोयला खदानों से कोयले की आपूर्ति करके पूरा किया जाता है, अवस्थापनापरक अड़चनों की देख-रेख करने वाली सचिवों की एक समिति के अतिरिक्त अवस्थापना सम्बन्धी मंत्रिमण्डल समिति भी कोयला आपूर्ति की निरन्तर मॉनिटरिंग कर रही है और उसमें सुधार के उपाय भी कर रही है।

पश्चिम बंगाल की कागज मिलों को लुगदी योग्य कच्चे माल की सप्लाई

796-न. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कुछ पड़ौसी राज्यों ने पश्चिम बंगाल की कागज मिलों को लुग्दी युक्त कच्चे माल की सप्लाई करने से इन्कार कर दिया है जिसके परिणाम स्वरूप उन मिलों में कागज़ का उत्पादन कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में हस्तक्षेप करने का है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) पश्चिम बंगाल में कच्ची सामग्री की कमी के कारण इस राज्य में स्थिति कागज मिलें अपनी कच्ची सामग्री सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर करती हैं प्राकृतिक वनों की कमी, विवाद-ग्रस्त दावों, यातायात सम्बन्धी समस्याओं और अन्य कठिनाइयों के कारण आपूर्ति में कमी आ गइ है।

(ख) से (घ) सरकार राज्य सरकारों पर इस बात के लिए जोर देती रही है कि विद्यमान कागज मिलों की आवश्यकताओं की सुरक्षा की जानी चाहिए तथा कागज मिलों के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री की सतत आपूर्ति करने हेतु दीर्घकालीन योजना तैयार की जानी चाहिए।

वैस्पा एक्स-ई स्कूटरों की सप्लाई

796-नन. **श्री निहाल सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैस्पा एक्स-ई स्कूटरों के निर्माण के लिए मैसर्स लोहिया मशीन्स और मैसर्स पियागिओ कम्पनी एस० पी० ए० इटली के बीच अप्रैल, 1982 में हुए समझौते की शर्तें क्या हैं; और

(ख) मैसर्स लोहिया मशीन्स ने स्कूटरों की बुकिंग के लिए निर्धारित अपनी शर्तों के अनुसार, 15 जुलाई, 1984 तक कितने स्कूटर बेचे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) मै० पियागिओ सी० एस० पी० ए०, इटली के साथ हुए विदेशी सहयोग करार के अधीन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं भारतीय कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के बदले विदेशी सहयोगी को एक मुश्त में निश्चित धनराशि का भुगतान तथा एक विशिष्ट अवधि के लिये रायल्टी का भुगतान किया जाना है।

(ख) कम्पनी ने बताया है कि 13 जुलाई, 1984 तक उन्होंने 1851 स्कूटर बेचे हैं।

अल्प विकसित राज्यों में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन

796-प. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्प-विकसित राज्यों में उद्योग लगाने को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन देने का एक विशेष कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए बड़े अथवा मध्यम उद्योग विहीन कुल 90 जिले चुने गए हैं;

(ग) यदि हां, तो कौन-कौन से स्थानों का चयन किया गया है और इन क्षेत्रों में ऐसे उद्योग लगाने के लिए क्या-क्या प्रोत्साहन दिए जाएंगे;

(घ) इस योजना के कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है; और

(ङ) क्या चालू वर्ष के दौरान इस प्रकार के कोई एकक स्थापित किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) 90 उद्योग रहित जिलों (सूची संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है) में स्थापित किए जा रहे औद्योगिक एकक निम्नलिखित केन्द्रीय प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं :

1. केन्द्रीय निवेश राजसहायता।

2. अखिल भारतीय सावधि ऋणदायी वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त सुविधाएं।

3. इन्जीनियर उद्यमियों को ब्याज में राजसहायता।

4. मूल/सीमांत धनराशि सहायता।

5. करों में रियायत।

6. किराया-खरीद के आधार पर मशीनें खरीदने की सुविधाएं।

7. तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श सेवा।

8. केन्द्रस्थ संयंत्रों के लिए रियायतें।

9. परिशिष्ट-1 के अतिरिक्त उद्योगों की स्थापना करने के लिए, जो न्यूनतम निर्यात दायित्वों से लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है, एम०आर०टी०पी०/फेरा कंपनियों के लिए रियायतें।

10. अवस्थापना संबंधी सहायता।

ये प्रोत्साहन छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उपलब्ध हैं।

वर्ष 1982-84 (जून तक) के दौरान उद्योग रहित जिलों को निम्नलिखित आशयपत्र/

औद्योगिक लाइसेंस जारी किए थे :

वर्ष	आशय-पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
1982	158	2
1983	110	13
1984 (जून तक)	39	9

भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा सभी आशयपत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा उनके मन्थली न्यूजलेटर" में प्रकाशित किया जाता है, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण

796-पप. **श्री जगपाल सिंह कश्यप** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1983-84 में और 1984-85 में 30 जून, 1984 तक प्रत्येक राज्य में स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि के ऋण वितरित किये गए, और कितने व्यक्तियों को ये ऋण दिए गए;

(ख) क्या सरकार इस योजना के अन्तर्गत वितरित ऋणों का लाभार्थियों द्वारा सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए कोई जांच/निगरानी एजेंसी गठित करेगी; और

(ग) ऐसे कितने व्यक्ति हैं; जिन्हें ऋण स्वीकृत किए गए हैं किन्तु बैंकों ने उन्हें ऋण देने से इन्कार कर दिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में प्राप्त आवेदनों की संख्या और स्वीकृत किए गए ऋणों की राशि की राज्य/संघशासित क्षेत्रवार दर्शानेवाला एक विवरण संलग्न है। वर्ष 1984-85 में योजना को भारी रखने सम्बन्धी मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जी, हां। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों/जिला उद्योग केन्द्रों को स्वीकृत किए गए ऋणों के समुचित उपयोग सुनिश्चय करने के लिए क्षेत्रीय (फील्ड) स्तर पर नियमित और विस्तृत मॉनीटरिंग करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर दिए गए हैं।

(ग) लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों को ऋण बैंकों द्वारा ही उनके निजी निर्धारण के आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं और जिला उद्योग केन्द्र कृतिक बल केवल एक प्रायोजित और सिफारिश करने वाला निकाय ही है। अतः सामान्य परिस्थितियों में, बैंक अपने द्वारा स्वीकृत किए ऋण देने के लिए मना नहीं करते हैं।

विवरण

रोजगार युवकों को स्व-रोजगार प्रदान करने की नई योजना की 31 मार्च, 1984 तक की प्रगति

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए आवेदन	
		सं०	राशि (लाख रु० में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	14781	2936.00
2.	असम	8021	1540.44
3.	बिहार	14230	2278.64
4.	गुजरात	10497	1538.88
5.	हरियाणा	6189	998.99
6.	हिमाचल प्रदेश	2465	449.69
7.	जम्मू और काश्मीर	1416	287.95
8.	कर्नाटक	12307	1961.00
9.	केरल	13091	2110.00
10.	मध्य प्रदेश	18786	2857.80
11.	महाराष्ट्र	24679	4024.28
12.	मणिपुर	991	179.82
13.	मेघालय	353	75.09
14.	नागालैंड	189	39.25
15.	उड़ीसा	6823	1368.62
16.	पंजाब	9047	1689.60
17.	राजस्थान	15054	2365.30
18.	सिक्किम	15	3.65

1	2	3	4
19.	तमिलनाडु	21247	3316.00
20.	त्रिपुरा	696	97.33
21.	उत्तर प्रदेश	36857	5382.85
22.	पश्चिम बंगाल	23680	4481.92
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	66	15.22
24.	अरुणाचल प्रदेश	36	6.91
25.	चंडीगढ़	325	56.50
26.	दादर और नागर हवेली	54	10.71
27.	मिजोरम	196	42.61
28.	पांडिचेरी	414	40.00
	कुल जोड़	242405	40154.05

पश्चिमी बंगाल से उद्योग पलायन

796-फ. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल से उद्योगों और पूंजी का सुसंगठित पलायन हुआ है, जिसके कारण राज्य की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था प्रभावित होने के अतिरिक्त बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन उद्योगपतियों को देश के अन्य भागों में उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस जारी करके और अन्य सहायता देकर प्रोत्साहित करने के क्या कारण हैं;

(ग) पश्चिम बंगाल से उद्योगों अथवा उनके कार्यालय स्थानान्तरित करने से पूर्व राज्य सरकार से परामर्श न किए जाने के क्या कारण है; और

(घ) इस पलायन को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) पश्चिम बंगाल से उद्योगों और पूंजी के किसी सुसंगठित पलायन के विषय में सरकार को जानकारी नहीं है। फिर भी सरकार का यह निरन्तर प्रयास रहता है कि पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जाए।

औद्योगिक लाइसेंसों के सभी आवेदनों पर प्रस्ताव के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकनों तथा उद्यमी की क्षमता के अनुसार उनके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है। किन्तु इस प्रकार के आवेदनों पर निर्णय करने के लिए आवेदक के निवास स्थान पर विचार करना संगत नहीं माना जा सकता।

(ग) औद्योगिक उपक्रम का स्थान बदलने की अनुमति देने सम्बन्धी वर्तमान प्रक्रिया के अधीन सम्बन्धित राज्य सरकारों से भी परामर्श किया जाता है और उनकी ओर से यदि कोई टिप्पणी प्राप्त हो तो उस पर विचार किया जाता है।

(घ) राज्य निरन्तर औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल औद्योगिक वातावरण उत्पन्न करना तथा उसे बनाए रखना सम्बन्धित राज्य सरकार का कार्य है।

मधुबनी और दरभंगा में नये औद्योगिक एककों का पंजीकरण

796-फफ. **श्री भोगेन्द्र झा**: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मधुबनी और दरभंगा जिलों में प्रति वर्ष कितने नये औद्योगिक एककों का पंजीकरण होता है और उन औद्योगिक एककों की विशिष्ट सूची क्या है जिनमें उत्पादन आरम्भ हो गया है अथवा जो निर्माणाधीन हैं;

(ख) शिक्षित बेरोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम, ग्रामीण युवक स्वनियोजन प्रशिक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण-रोजगार कार्यक्रम और इस तरह के अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वनियोजन प्रदान करने वाले उत्पादक एककों का खोला जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) मधुबनी और दरभंगा जिलों में ऐसे शिक्षित बेरोजगारों की कुल संख्या कितनी है जिनकी स्वनियोजन सम्बन्धी याचिकाएं स्वीकृत की गई हैं और उनमें से कितनी उत्पादक उपक्रमों से सम्बन्धित हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और समापटल पर रख दी जाएगी।

अभ्यास पुस्तिका बनाने वाली एजेंसियों को नियंत्रित कागज की सप्लाई

796-ब. **श्री निहाल सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान स्कूली छात्रों के लिए कापियां बनाने वाली प्रत्येक एजेन्सी को कितनी मात्रा में कागज उपलब्ध कराया गया है;

(ख) नियंत्रित दर पर कागज की सप्लाई करने वाली मिलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन कागज मिलों को क्या रियायतें दी गई हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) चालू वर्ष के दौरान अभ्यास पुस्तिकाओं के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को छपाई के रियायती सफेद कागज की निम्नलिखित मात्रा आबंटित की की गई थी :

	आबंटित की गई मात्रा (टनों में)
अप्रैल-जून, 1984	15,200
जुलाई-सितम्बर, 1984	14,709

राज्य स्तर की समितियों ने अभ्यास पुस्किाओं के विनिर्माण के लिए विभिन्न एजेंसियों में कागज को और वितरित किया है ।

(ख) रियायती सफेद छपाई के कागज की आपूर्ति करने वाली पेपर मिलों के नामों को बताने वाला एक वितरण संलग्न है ।

(ग) रियायती सफेद छपाई के कागज की आपूर्ति के लिए इन पेपर मिलों को सरकार द्वारा कोई विशेष रियायत नहीं दी गई है ।

विवरण

सफेद छपाई के कागज की आपूर्ति करने वाली पेपर मिलों के नाम

क्रम सं०	पेपर मिलों के नाम
1	2
1.	आन्ध्र प्रदेश पेपर मिल, राजमुदरी (आन्ध्र प्रदेश) ।
2.	वैस्ट कोस्ट पेपर मिल्स, डाडेली, (कर्नाटक) ।
3.	ओरियंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वराजराज नगर (उड़ीसा) ।
4.	ओरियंट इंडस्ट्रीज, अमलाई, (मध्य प्रदेश) ।
5.	सिरपुर पेपर मिल्स, सिरपुर, (आन्ध्र प्रदेश) ।
6.	बालारपुर इंडस्ट्रीज (बालारपुर) महाराष्ट्र ।
7.	बालारपुर इन्डस्ट्रीज, यमुनानगर, हरियाणा ।
8.	मसूर पेपर मिल्स, भद्रावती, (कर्नाटक) ।

1	2
9.	भद्राचलम पेपर बोर्ड लिमिटेड भद्राचलम, आन्ध्रप्रदेश
10.	श्री रॉयल सीमा पेपर मिल्स (आन्ध्र प्रदेश) ।
11.	रोहित पल्प एंड पेपर मिल्स खडकी, (गुजरात)
12.	स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)
13.	स्ट्रॉ प्रोडक्ट्स, रायागाडा (उड़ीसा) ।
14.	सेशासै पेपर एण्ड बोर्ड इन्डस्ट्रीज इरोड, सेलम जिला (तमिलनाडु)

औद्योगिक श्रमिक माने जाने के लिए खादी ग्रामोदयोग आयोग के कर्मचारियों का अभ्यावेदन

796-**बब. डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खादी ग्रामोद्योग के कर्मचारियों से उन्हें औद्योगिक श्रमिक माने जाने और औद्योगिक श्रमिकों को दिए जाने वाले लाभ देने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने 1957 में यह निर्णय दिया था कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारी औद्योगिक कर्मचारी हैं; और

(ग) कर्मचारियों के अभ्यावेदनों और उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, नहीं । हाल के वर्षों में सरकार को खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों की ओर से उन्हें औद्योगिक कामगारों की मान्यता देने तथा औद्योगिक कामगारों को मिलने वाले लाभ देने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे किसी निर्णय की जानकारी नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सीमेंट के कोटे में वृद्धि के लिए केरल से मांग

796-ब. **प्रो० पी०जे० कुरियन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1984 से केरल को अब तक सीमेंट की कितनी मात्रा आबंटित की गई है;

(ख) केरल सरकार ने सीमेंट की कितनी मात्रा मांगी है;

(ग) क्या केरल सरकार ने सीमेंट के आबंटन में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को लेवी सीमेंट का आबंटन तिमाही आधार पर किया जाता है। 1984 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान केरल राज्य को तिमाहीवार आबंटित किया गया लेवी सीमेंट निम्न प्रकार है :

अवधि	नियमित आबंटन	(*) तदर्थ आबंटन	(**) सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के लिए आबंटन	यो ग
1	2	3	4	5
जनवरी-मार्च, 84	67,800	1,210	55,800	1,24,810
अप्रैल-जून, 84	67,800	1,210	55,260	1,24,270
जुलाई-दिसम्बर, 84	67,800	1,210	42,260	1,11,270

(*) अन्तर्राष्ट्रीय पोंने के पानी की आपूर्ति तथा स्वच्छता दर्शक कार्यक्रम के सम्बन्ध में तदर्थ आबंटन।

(**) राज्य की सिंचाई तथा बिजली परियोजनाओं के लिए आबंटन सीधे सीमेंट नियंत्रक द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा सिंचाई मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार किया जाता है।

इसके अलावा, केरल राज्य को जनवरी से जून, 1984 के दौरान क्रमश. 3,89,000 और 1,82,000 मी० टन गैर-लेवी तथा आयातित सीमेंट मिला है।

(ख) से (घ) राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेशों की सरकारें लेवी सीमेंट की अपनी आवश्यकताएं नियमित रूप से नहीं भेजतीं। फिर भी, जनवरी, 1984 में केरल सरकार ने राज्य को दिये जाने वाले लेवी सीमेंट की मात्रा बढ़ाकर 2 लाख मी० टन प्रति तिमाही कर देने का अनुरोध किया था। लेवी सीमेंट की सीमित उपलब्धता के कारण केरल राज्य सहित राज्यों/संघशासित प्रदेशों के लेवी सीमेंट के आबंटन को बढ़ाना सम्भव नहीं हो सका। फिर भी, यदि भविष्य में लेवी सीमेंट की उपलब्धता में वृद्धि होती है तो राज्य के आबंटन में उपयुक्त संशोधन कर दिया जायेगा।

विदेशी सहयोग

796-भभ. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा वर्ष 1980 से 1983 के दौरान बुल्गारिया, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, रूमानिया, ताईवान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत संघ और यूगोस्लाविया के साथ वर्ष-वार कितने विदेशी सहयोगों को स्वीकृति दी गई; और

(ख) उपरोक्त प्रत्येक देश के साथ सहयोग का कुल वित्तीय परिव्यय कितना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) 1980 से 1983 तक की अवधि के लिए बुल्गारिया, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, रूमानिया, ताईवान, युनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और यूगोस्लाविया के साथ स्वीकृत विदेशी सहयोग प्रस्तावों के देशवार तथा निवेशवार ब्यौरे दर्शाने वाले विवरण 1 और 2 संलग्न हैं।

विवरण-1

1980 से 1983 तक की अवधि में जारी की गई विदेशी सहयोग स्वीकृतियों का देशवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	देश का नाम	1980		1981		1982		1983	
		जोड़	वित्तीय	जोड़	वित्तीय	जोड़	वित्तीय	जोड	वित्तीय
1.	बुल्गारिया	1	—	—	—	4	2	1	—
2.	कनाडा	—	—	2	1	1	—	6	2
3.	जर्मन संघीय गणराज्य	100	10	74	14	110	19	129	22
4.	जर्मन जनवादी गणतंत्र	4	—	4	—	2	—	10	—
5.	इटली	25	3	18	1	37	5	30	2
6.	जापान	34	5	27	4	51	51	58	7
7.	रूमानिया	—	—	—	—	2	—	2	—
8.	ताईवान	—	—	2	—	1	—	2	2
9.	युनाइटेड किंग्डम	110	17	79	9	106	16	119	22
10.	संयुक्त राज्य अमेरिका	125	19	85	15	110	24	135	32
11.	सोवियत संघ	6	—	2	—	2	—	4	—
12.	युगोस्लाविया	3	—	1	—	2	1	—	—

विवरण-2

1980 से 1983 की अवधि में स्वीकृत विदेशी स्वीकृतियों का देशवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण.

(लाख रु०)

क्रम सं०	देश का नाम	1980	1981	1982	1983
1.	बुल्गारिया	—	—	21.50	—
2.	कनाडा	—	6.00	—	35.60
3.	जर्मन संघीय गणराज्य	46.72	541.74	353.45	484.23
4.	जर्मन जनवादी गणतन्त्र	—	—	—	—
5.	इटली	28.70	4.00	398.90	115.00
6.	जापान	170.00	64.50	2511.18	1607.70
7.	रूमानिया	—	—	—	—
8.	ताईवान	—	—	—	—
9.	युनाइटेड किंग्डम	97.01	71.18	165.44	980.18
10.	संयुक्त राज्य अमेरीका	216.90	224.80	503.29	1389.21
11.	सोवियत संघ	—	—	—	—
12.	युगोस्लाविया	—	—	240.00	—

उड़ीसा के उद्योगों रहित जिलों में उद्योगों की स्थापना

796-म. **श्री के० प्रधानी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के बारे में शिवरामन समिति की सिफारिशों पर कोई निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा में उद्योगरहित जिलों में, सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में, स्थापित किए जाने वाले उद्योगों का विवरण क्या है; और

(ग) वर्ष 1983-84 के दौरान ऐसे कितने उद्योग स्थापित किए गए और इस समय वे किस स्थिति में हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) शिवरामन समिति की रिपोर्ट की संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों/और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ विचार-विमर्श करके जांच की गई है। इन विचार-विमर्शों से निकलने वाले सामान्य मतैक्य को सातवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करते समय ध्यान में रखा जाएगा। फिर भी, छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक अंतरिम उपाय के रूप में, पिछड़े क्षेत्रों को तीन श्रेणियों अर्थात "क" "ख" और "ग" में प्रेडवार राजसहायता सहित पुनः वर्गीकृत किया गया है।

इन श्रेणियों के लिए राजसहायता निम्न प्रकार स्वीकार की गई है :

"क"—25 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा 15 लाख रु० है।

"ख"—15 प्रतिशत, जिसकी अधिकतम सीमा 15 लाख रु० है।

"ग"—10 प्रतिशत, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रु० है।

पिछड़े क्षेत्रों में उपलब्ध सभी योजनाओं/प्रोत्साहनों के ब्यौरे इस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "इन्सेंटिक्स फार इंडस्ट्रीज इन बैककर्ड एरियाज" नामक पुस्तिका में दिए गए हैं जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 1982 से 1984 (मई, 1984) के दौरान उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए निम्नलिखित आशय-पत्र और औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं।

वर्ष	आशय-पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
1982	25(15)	2(शून्य)
1983	12(8)	5(शून्य)
1984 (मई, 1984)	3(शून्य)	3(शून्य)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े उद्योग रहित जिलों के सम्बन्ध में हैं।

सभी आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों के ब्यौरे, भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उनके "मंथली न्यूज लेटर" में प्रकाशित किए जाते हैं जो संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

उड़ीसा में आधारभूत (न्यूक्लीअस) संयंत्र कार्यक्रम

796-**मम. श्री के० प्रधानी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1980 के औद्योगिक नीति वक्तव्य के आधार पर उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में कोई आधारभूत संयंत्र कार्यक्रम आरम्भ किया गया था;

(ख) यदि हां, तो वे क्षेत्र कौन से हैं और उनके चयन का मानदण्ड क्या है और इस संयंत्र कार्यक्रम की अब तक की उपलब्धियों का मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) केन्द्रीय संयंत्र सम्भाव्यताओं का पता लगाने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्नलिखित जिलों का चयन किया था :

(1) बोलंगीर, (2) कालाहाशडी,

(3) धेनकनाल, (4) मयूरभंज, (5) पुरी।

केन्द्र सरकार ने इन क्षेत्रों में केन्द्रस्थ संयंत्रों की सम्भाव्यता का पता लगाने के लिए कृतिक बलों की नियुक्ति कर दी थी। कृतिक बलों की रिपोर्ट राज्य सरकार को गहन जांच और आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही के लिए भेज दी गई है।

पुरी को छोड़ कर शेष सभी उपर्युक्त जिले केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े जिले हैं।

पश्चिम बंगाल के कागज उद्योग में संकट

796-**य. श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल का कागज उद्योग संकट में है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार मिलों का कायाकल्प करने और पुराने कागज मिलों के आधुनिकीकरण के लिए क्या कार्यवाही करने का है ताकि उनमें पूरी क्षमता से काम हो सके और इस प्रकार जिन लोगों को काम से निकाला गया है उनको रोजगार दिया जा सके ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ी समेकित कागज मिलों को अप्र चलित उपकरणों, कच्ची सामग्री की कमी, औद्योगिक विवादों तथा आर्थिक कठिनाइयों जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है।

(ग) वित्तीय संस्थानों ने क्षमता उपयोग तथा लाभदेयता बढ़ाने के लिए पुर्नस्थापन/आधुनिकीकरण की योजनाओं को, जिसमें संयंत्र और मशीनों का नवीकरण भी परिकल्पित है, शुरू किया है।

पश्चिम बंगाल में चमड़ा उद्योग को सहायता देना

796-**प्रय. श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में जहां तक एक तरफ तो चमड़ा उद्योग कमजोर पड़ता जा रहा है वहां दूसरी ओर संगठित क्षेत्र में बाटा उद्योग अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ा कर भारी लाभ कमा रहा है।

(ख) क्या चमड़ा उद्योग के त्वरित विकास को बढ़ावा देने तथा इस उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों की दशा बेहतर बनाने के उद्देश्य से बुनियादी सुविधाओं के रूप में भारी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने जहां कहीं भी राज्य चमड़ा विकास निगम हैं, वहां उनको कोई वित्तीय या तकनीकी सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो बाटा उद्योग जैसे संगठित उद्योग को नियंत्रित करने उनके, उत्पादों की कीमतें नियंत्रित करने तथा उनके द्वारा कमाये जाने वाले भारी लाभ में कटौती करने और लाभ की धनराशि, कर्मचारियों को दिए जाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्रवाई करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) चमड़े के जूतों का निर्माण विकास के लिए 1967 से लघु क्षेत्र में आरक्षित कर दिया गया है और सम्प्रति देश में विनिर्मित 90 प्रतिशत से अधिक चमड़े के जूतों का उत्पादन लघु और कुटीर क्षेत्र में हो रहा है। जूतों की कीमतों पर कोई नियंत्रण नहीं है, फिर भी बाटा इण्डिया लि० जैसे संगठित क्षेत्र में एककों की उत्पादन क्षमता निश्चित की गई है और संगठित क्षेत्र में नई क्षमता के लिए कम से कम 75% की निर्यात बाध्यता के साथ लाइसेंस जारी किये जाते हैं बड़े क्षेत्र ने उद्योग को विपणन तथा तकनीकी अवस्थापना सम्बन्धी अन्य समर्थन प्रदान करके लघु क्षेत्र में जूता उद्योग की स्थायी विकास में महत्वपूर्ण अनुपूरक भूमिका अदा की है।

(ख) चमड़ा और चमड़ा उत्पाद उद्योग में लगे कार्यकर्ताओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध है। भारत चमड़ा निगम चमड़ा उद्योग के विकास के लिए और इस परम्परागत उद्योग में लगे कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए योजनायें तैयार करने के कार्य में राज्य चमड़ा विकास निगमों से भी पारस्परिक संपर्क स्थापित करता है।

मारुति कार में प्रयोग किए जाने वाले आयातित और स्वदेशी पुर्जों की प्रतिशतता

796 ककक. **श्री मोखाभाई** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति कम्पनी लि० द्वारा मारुति कारों का निर्माण नहीं किया जाता बल्कि उन्हें केवल असेम्बल किया जाता है; और

(ख) इस फर्म द्वारा जापान से जिसके साथ इस कम्पनी का सहयोग है, कितने पुर्जों का आयात किया जाता है; और

(ग) मारुति उद्योग लि० द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वदेशी पुर्जों की प्रतिशतता क्या है; और

(घ) लघु क्षेत्र के उद्योगों, जो असेम्बल करके रंगीन टी० वी० बनाते हैं, के मामले में ऐसी नीति न अपनाए जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) मारुति उद्योग लिमिटेड चरणबद्ध स्वदेशीकरण कार्यक्रम के अनुसार कारों का निर्माण कर रहा है। स्वदेशी अंश जो इस समय लगभग 20 प्रतिशत है, को 1988-89 तक 95 प्रतिशत तक बढ़ाने का कार्यक्रम है।

(घ) चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम की नीति सभी उद्योगों पर लागू होती है। किन्तु स्वदेशीकरण के मानक और अवधि घरेलू औद्योगिक क्षमता के आधार पर प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग होती है।

निम्न आय वर्ग के लोगों को लेवी सीमेंट उपलब्ध कराना

796 खखख. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्न आय वर्ग के लोगों को लेवी सीमेंट उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) सीमेंट के आंशिक विनियंत्रण की नीति बनाते समय कम आय वाले लोगों के हितों को ध्यान में रखा गया है। 28 फरवरी, 1982 से लागू इस नीति के अन्तर्गत लेवी सीमेंट अन्य बातों के साथ-साथ लघु उपभोक्ताओं कुछ विनिर्दिष्ट सीमा तक केप्लिंथ क्षेत्र वाली झुग्गी-झोपड़ी इकाइयों तथा आवासीय गृहों की मरम्मत के लिए छुटपुट मात्रा में सीमेंट लेने वाले लोगों को दिया जाता है। राज्य सरकारों को भी यह सलाह दी गई है कि वे ग्रामीण आवास, गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों, हरिजनों,

आदिवासियों और समाज के अन्य गरीब वर्गों के आवास जैसी समाजोन्मुख योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने, ग्रामीण जल संभरण योजनाओं तथा नये 20-सूत्री कार्यक्रम में शामिल अन्य मदों के लिए पर्याप्त मात्रा में लेवी सीमेंट दें।

पिछले वर्ष की अपेक्षा वर्ष 1984-85 में उत्पादन बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, यह आशा है कि लेवी सीमेंट काफी मात्रा में उपलब्ध होने लगेगा। अतः सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अधिक मात्रा में उपलब्ध होने वाले लेवी सीमेंट का मुख्यतः समाज के कमजोर वर्गों, ग्रामीण जनसंख्या को लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रमों और अन्य निर्माण कार्यों जैसे— गंदी बस्ती सुधार योजना, हुडको द्वारा सहायता प्राप्त आवास एवं स्थल सेवा योजनाओं को पूरा करने तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और कम आय समूह के लोगों द्वारा मकान बनाए जाने के लिए किया जाएगा।

12.00 म०प०

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको एडजर्नमैंट मोशन का नोटिस दिया है। आज जो कुछ समाचार-पत्रों में आया है, उससे लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो गई है। आप चेयर पर हैं। कल दो अकाली नेताओं को रोका गया है। आप पोजीशन क्लिअर कीजिये, यदि इंटैलीजैंस की रिपोर्ट पर किसी को रोका जाएगा। आपने उन दोनों अकाली नेताओं को पास ईश्यू किए थे, आपने उनको अनुमति दी थी। यदि आपकी अनुमति के बावजूद इंटैलीजैंस की रिपोर्ट पर उसे विदड्रा किया जाता है तो ऐसा करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। यह आपके परव्यू में है। आप इस सदन के मालिक हैं। कोई और इस सदन का मालिक नहीं हो सकता।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : आपके द्वारा उनको पास जारी किए गए थे, फि उनको किसकी परमीशन से रोका गया।

श्री रामविलास पासवान : वे दो टॉप अकाली नेता थे।

अध्यक्ष महोदय : आपको पहले रूल्स को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए।

मेरे कार्यालय से सम्बद्ध जो भी बात है उस पर आप मेरे चेम्बर में विचार विमर्श कर सकते हैं, यहां पर नहीं। आपका स्वागत है। मैं इसको स्पष्ट करूंगा।

श्री राम विलास पासवान : जब मामला प्रेस में आ गया है, तभी तो हम आपसे कह रहे हैं। आपको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, आपको पहले रूल्स को पढ़ना चाहिए। यदि आप चाहते हैं तो आप मेरे पास आ सकते हैं। (**व्यवधान**)**

** कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में नहीं जायेगा। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उन्होंने जो कुछ कहा था उसके समर्थन में, मैं एक बहुत ही रोचक पूर्व दृष्टान्त उद्धृत करूंगा, जो कि इस सदन में उस समय घटित हुआ, जब भगतसिंह वास्तव में एक दीर्घा में थे और उन्होंने एक बम्ब फेंका। अगले दिन विट्ठल भाई पटेल उस कुर्सी पर बैठे थे जिस पर आप बैठे हैं। उन्होंने देखा कि पुलिस का एक उप-निरीक्षक प्रेस दीर्घा में विराजमान था। श्री पटेल ने उसकी ओर देखा और कहा—"यह अधिकारी वहाँ कैसे बैठा है ?" गृह विभाग के सदस्य एक अंग्रेज थे। वह उठ खड़े हुए और कहने लगे, "मेरी अनुमति से।" उस पर विट्ठलभाई ने कहा, " अपने को नियंत्रण में रखिये, गृह विभाग सदस्य महोदय, अन्यथा मुझे आपसे सदन छोड़कर जाने के लिए कहना पड़ेगा।" इस प्रकार विट्ठल भाई पटेल ने इस सदन की गरिमा को बनाये रखा। हम आपसे भी उसी प्राधिकार की आशा करते हैं, जिसे आपको बनाये रखना है। कृपया इसका ध्यान रखिये।

अध्यक्ष महोदय : किसी को भी बीच में बोलने की अनुमति नहीं है···

(**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : फिर पास किस लिए दिया गया था ?

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : हम अध्यक्ष पीठ की गरिमा को बनाए रखना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे तभी तो कह रहा हूं कि आप आकर मुझे चैंबर में मिलिये।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : कृपया देश के लोगों को ये बताइये कि आसूचना विभाग कैसे नियंत्रण में रह सकता है।·····

श्री राम विलास पासवान : आप सभा के अभिरक्षक हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे प्राधिकार में हस्तक्षेप करने की किसी को भी अनुमति नहीं है।

(**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष जी, यह मामला प्रेस में आ गया है। आप सिर्फ इतना स्पष्ट कर दीजिए कि सदन आपके अधिकार क्षेत्र में है, सरकार या इंटैलीजैंस के कब्जे में इस सदन का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हम किसी के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं कर सकते और न किसी को करने देंगे। आप निश्चिन्त रहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : आपको इसकी जांच करनी चाहिए। कृपया जांच करें और हमें बताएं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : क्या आप इसकी जाँच का आदेश देंगे ?

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : जब गृह मंत्री ने सूचना दी उस समय दुर्भाग्यवश मैं सभा में उपस्थित नहीं था । अब यह जनता की राय जानना चाहते हैं । क्या सरकार इस पर जन-मत कराएगी ?

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे उसका नोटिस दे दीजिए, मैं देख लूंगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव : सरकार जानबूझकर इसे स्थगित करती आ रही है आप इसके गवाह हैं । उन्होंने सभा में चार बार समय बढ़ाया है । वे इसे स्थगित करते आ रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता । अगर कोई एक्सपलेनेटरी चीज है तो पूछ लेता हूं ।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह अनुमति दिए जाने के बाद इन बातों की जांच करना आपका कर्त्तव्य है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए तो यह सारा सदन, सारा हाऊस जिम्मेदार है । सभा सर्वोच्च है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : यदि मंत्री महोदय इसी प्रकार अवज्ञा करते रहें तो कुछ करने का क्या कोई तरीका है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई आश्वासन है तो आप उसे आश्वासन समिति में उठा सकते हैं । मैं इसे दबाना नहीं चाहता । मैं आपको ऐसा करने से नहीं रोकना चाहता ।

श्री चन्द्रजीत यादव : वे यह सब किस प्रकार जान-बूझ कर रहे हैं, पहले उन्होंने समिति की बात की तब मंत्रिमंडल समिति की । वह अब कुछ और कह रहे हैं ।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : यदि वह उनको क्रियान्वित नहीं करना चाहते तो उन्हें स्पष्ट बताना चाहिए ।

श्री चन्द्रजीत यादव : स्पीकर साहब, आप स्पष्ट कीजिए कि क्या अब इसका कोई चारा है या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : आप ही बताइये, मैं क्या कर सकता हूं । मैं तो केवल इस पर डिस्कशन ही करवा सकता हूं ।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप जरा उनको तो कहिए कि यह क्या हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं जो कुछ कर सकता हूं, करूंगा । आप लिख कर दे दीजिए ।

श्री राम विलास पासवान : होम मिनिस्टर के खिलाफ भी हमने पीछे प्रिविलेज केस आपको दिया था।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे चैम्बर में मिलिए।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, कोल इंडिया लिमिटेड ···

अध्यक्ष महोदय : क्या हो गया ? यह क्या है। ऐडजर्नमेंट मोशन इज नोट अलाउड।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने इसका नोटिस दिया है आपको। कोल इंडिया लिमिटेड के वैस्टर्न कोल फील्ड्स की 20 कोलियरीज में 5 लैफ्टिस्ट्स ट्रेड यूनियन्स को डी-रिकग्नाइज कर दिया गया है। क्या जनतंत्र में यह बात चलेगी ?

अध्यक्ष महोदय : नोट अलाउड ···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है क्या सुनना है। कोई प्राईवेट बात हो तो बता दीजिए। नोट अलाउड। आप कोई और चीज दे दीजिए, मैं करवा दूंगा ···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं रोक नहीं रहा हूं ···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अन्य कुछ प्रस्ताव हो सकते हैं। आपके पास अन्य कई तरीके हैं परन्तु यह नहीं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष जी, मैंने नियम 222 में विशेषाधिकार का एक नोटिस दिया है कि बनारस के चौबेपुर थाने में एक दरोगा ने वहां के प्रधान और मेरा अपमान किया है···

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा। मैं इस पर विचार करूंगा, मैं सभी तथ्य प्राप्त करने का प्रयास करूंगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप देख रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल देखूंगा। मैं आज ही करूंगा। चिन्ता न करें। मैं इस पर विचार करूंगा।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष जी, यू० पी० पुलिस ने लोकदल के कार्यकर्ताओं ···

अध्यक्ष महोदय : यह उत्तर प्रदेश का मामला है। यह उनका अधिकार क्षेत्र है। आप अपने अधिकार क्षेत्र की वृद्धि न कीजिए। आप वहां के मैम्बर्स को कहिए··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए। **(व्यवधान)****

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखकर देंगे तो मैं भी आपकी सहायता कर सकता हूं ।

12.07 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय रेल अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : मैं भारतीय रेल अधिनियम, 1980 की धारा 47 के अन्तर्गत जारी की गई भारतीय रेल (चालू लाइनें) सामान्य (संशोधन) नियम, 1983, जो 28 जून 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 476 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए सं० एल०टी०—8438/84]

नौवहन और परिवहन मंत्रालय (संस्थापना अनुभाग) चारटरिंग कक्ष (ग्रुप क और ख) भर्ती नियम एवं नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन कक्ष) अधिशासी अभियन्ता (सिविल) पोत निर्माण तथा पोत-मरम्मत प्रभाग भर्ती नियम

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं श्री के० विजय भास्कर रेड्डी की ओर से संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) नौवहन और परिवहन मंत्रालय (संस्थापना अनुभाग) चारटरिंग कक्ष ग्रुप क और ख) भर्ती नियम, 1984, जो 26 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 514 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन कक्ष) अधिशासी अभियन्ता (सिविल) पोत-निर्माण तथा पोत-मरम्मत प्रभाग भरती नियम, 1983, जो 30 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 676 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०—8439/84]

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

महापत्तन न्यास अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना तथा कोचीन पत्तन न्यास और न्हावा शेवा पत्तन न्यास के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत तूतिकोरिन पत्तन न्यास (पोत-मरम्मत), पोत-चैंडलिंग, उपखंडन तथा पेंटिंग एवं प्रकीण कार्यों के लाइसेंस देना) विनियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 28 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 417 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—8440/84]

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—8441/84]

(दो) न्हावा शेवा पत्तन न्यास के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—8445/84]

मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखे तथा लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखती हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—8443/84]

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा समीक्षा और केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 के लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक पुनरीक्षित विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी०—8444/84]

(2) केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक-चिकित्सा अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 के लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक पुनरीक्षित विवरण* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी०—8445/84]

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें, इन्वेक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबड़ मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना, भारतीय विस्फोटक अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचना, हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1982-83 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर की वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन और नेशनल फेडरेशन आफ इंडस्ट्रियल को आपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के वार्षिक लेखे आदि और एक विवरण

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1851 की धारा 18क की उप धारा

* विवरण 28 अप्रैल, 1983 को सभा-पटल पर रखा गया था ।

(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं को एक-एक प्रति तथा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का०आ० 392 (अ) जो 19 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मैसर्स इंडिया मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है ।

(दो) का० आ० 396 (अ) जो 21 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मैसर्स ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कम्पनी कलकत्ता (टीटागढ़ कारखाना) के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—8446/84]

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18कक की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का० आ० 466 (अ), जो 28 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मैसर्स नेशनल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है ।

(दो) का० आ० 468 (अ), जो 28 जून, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मैसर्स ग्लूकोनेट लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है ।

(तीन) का० आ० 470 (अ), जो 28 जून 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मैसर्स इंडिया बेल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड, सोरामपुर, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है ।

(चार) का० आ० 473 (अ), जो 28 जून, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मैसर्स प्लाईबोर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पम्पोर के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पाँच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०—9447/84]

(3) इन्चेक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबड़ मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1984 की धारा 31 को उपधारा (3) के अन्तर्गत इन्चेक टायर्स लिमिटेड

और नेशनल रबड़ मैन्यूफैक्चर्स लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) निधि प्रशासन नियम 1984 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 19 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 394 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी०—8448/84]

(4) भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1984 की धारा 18 की उपधारा (8) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 40 (अ), की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 18 जनवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा विस्फोटकों को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक की सिफारिश पर आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, रखने, प्रयोग अथवा बिक्री के लिए प्राधिकृत विस्फोटक घोषित किया गया है और अधिसूचना में उल्लिखित किया गया है।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी०—8449/84]

(6) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों के एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी०—8450/84]

(ख) (एक) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी०—8451/84]

(7) (एक) नेशनल फेडरेशन आफ इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्ज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्ज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के वार्षिक लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०—8452/84]

स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान चण्डीगढ़, अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी कुमुदेबेन एम० जोशी) : मैं स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम, 1966 की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ (संशोधन) नियम, 1984, जो 24 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 223 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं ।

[सभा पटल पर रखी गई । देखिए संख्या एल०टी०—8453/84]

12.08 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम III के उप-बन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 23 जुलाई, 1984 को हुई अपनी बैठक में पारित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् विधेयक, 1984 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है ।

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम III के उप-बन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य-सभा द्वारा 23 जुलाई, 1984 को हुई अपनी बैठक में पारित प्रत्यायोजित विधान उपबन्ध (संशोधन) विधेयक, 1984 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है ।

12.09 म० प०

राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा यथापारित निम्नलिखित विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् विधेयक, 1984

(दो) प्रत्यायोजित विधान उपबन्ध (संशोधन) विधेयक, 1984

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं, मेरी अनुमति से नहीं कह रहे हैं। **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं कहता, कानून कहता है। **(व्यवधान)**

(तत्पश्चात् श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री तथा अन्य सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

अध्यक्ष महोदय : आप कर सकते हैं। उनका कोई भी शब्द कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान)**

12.11 म०प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

19 जुलाई, 1984 को दिल्ली में तथा भारत के उत्तरी राज्यों पंजाब, हरियाणा राजस्थान और उत्तर प्रदेश में विद्युत व्यवस्था का पूर्णत: ठप्प हो जाना

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"19 जुलाई 1984 को दिल्ली में तथा उत्तर भारत के राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में विद्युत व्यवस्था के पूर्णत: ठप्प हो जाने और इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

12.12 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : उत्तरी ग्रिड में 19.7.1984 को रात्रि 8.00 बजे ग्रिड सम्बन्धी गड़बड़ी हो गई थी । इस गड़बड़ी के कारण दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब के भागों में बिजली पूरी तरह फेल हो गई थी ।

प्रारम्भिक रिपोर्टों से पता चलता है कि दिल्ली में वोल्टेज बहुत अधिक गिर गया था, जिसके कारण बदरपुर और इन्द्रप्रस्थ केन्द्रों में विद्युत उत्पादन यूनिटें ट्रिप कर गईं । भाखड़ा और दिल्ली को परस्पर जोड़ने वाली पारेषण लाइनें भी ट्रिप कर गईं । उस समय इन्द्रप्रस्थ केन्द्र में विद्युत उत्पादन लगभग 190 मेगावाट तथा बदरपुर में लगभग 300 मेगावाट हो रहा था । दिल्ली भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड से लगभग 200 मेगावाट बिजली ले रही थी तथा उत्तर प्रदेश में भी लगभग 100 मेगावाट विद्युत दिल्ली प्रणाली को दे रहा था ।

विद्युत स्विग पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी पारेषण लाइनें ट्रिप कर गईं जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के पश्चिमी भागों का पूर्वी क्षेत्रों से सम्बन्ध कट गया । उत्तर प्रदेश में हरदुआगंज विद्युत केन्द्र में तीन ताप विद्युत यूनिटें तथा पनकी ताप विद्युत केन्द्र की एक यूनिट भी ट्रिप कर गई । बहरहाल, ओबरा और सिंगरौली ताप विद्युत केन्द्र प्रभावित नहीं हुए थे । भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड प्रणाली में भाखड़ा की यूनिट नं० 3 ट्रिप कर गई, जबकि अन्य शेष सभी यूनिटें पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के भागों को विद्युत सप्लाई करती रहीं । राजस्थान में परमाणु विद्युत संयंत्र के विद्युत उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था ।

उत्पादन शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश और भाखड़ा से विद्युत सप्लाई प्राप्त करके इन्द्रप्रस्थ और बदरपुर केन्द्रों की यूनिटें पुनः चालू करने के लिए कार्यवाही की गई थी । इन्द्रप्रस्थ केन्द्र की पहली यूनिट रात को लगभग 9.55 पर समकालित की गई जबकि बदरपुर की पहली यूनिट रात को लगभग 10.45 बजे समकालित की गई थी । बाद में इन केन्द्रों की अन्य यूनिटें भी चालू कर दी गई थी । दिल्ली के विभिन्न भागों में विद्युत सप्लाई उत्तरोत्तर पुनः चालू कर दी गई और यह आधी रात के कुछ समय बाद सामान्य हो गई थी । पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश रात को लगभग 9.30 बजे समकालित किए गये थे, जबकि राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र को भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड प्रणाली से रात्रि 9.20 बजे समकालित किया गया था ।

विद्युत फेल होने की परिस्थितियों के सम्बन्ध में निष्कर्ष निकालने से पूर्व अनेक तकनीकी मुद्दों को हल करना होगा । अतः 20 जुलाई, 1984 को सरकार ने प्रणाली में गड़बड़ी के कारणों की जांच करने तथा उनका पता लगाने के लिए और भविष्य में दौबारा इस प्रकार की घटना न हो उससे बचने के लिए उपचारी उपायों का सुझाव देने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के

[श्री आरिफ मोहम्मद खां]

अध्यक्ष श्री ए० एन० सिंह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है। समिति से रिपोर्ट एक माह के भीतर प्रस्तुत करने से लिए कहा गया है और उसने अपना काम प्रारम्भ कर दिया है।

माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि उत्तरी ग्रिड में पुनः सामान्य स्थिति लाने तथा यथाशीघ्र विद्युत सप्लाई पुनः चालू करने के लिए तत्परता से कार्रवाई की गई थी। उत्पादन शुरू करने के लिए विद्युत की शीघ्र सप्लाई करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश और भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड द्वारा दिया सहयोग भी सराहनीय है। महोदय, मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि उत्तरी ग्रिड तथा दिल्ली की विद्युत सप्लाई प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने के उपायों पर विचार किया जा रहा है।

श्री जगपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने 19 जुलाई को पूरे भारत में बिजली गुल होने के जो कारण दिए हैं, वे अविश्वसनीय हैं। मैं नहीं मानता कि नार्दर्न ग्रिड में गड़बड़ होने के कारण पूरे उत्तर भारत में बिजली गुल हो गई। मैं यह नहीं मानता कि प्रशासन द्वारा बनाई गई वितरण प्रणाली इतनी मजबूत है कि कोई उग्रवादी उसको फेल न कर सके।

जो जांच समिति बिठाई गई है, उसकी रिपोर्ट तो बाद में आएगी, मगर स्थिति यह है कि सरकार ने बिजली फेल होने के सही कारणों को छिपाने की कोशिश की है। पहली बार ऐसी घटना हुई होगी कि देश की राजधानी दिल्ली में बिजली गुल हो जाए और राष्ट्रपति भवन, प्रधान मंत्री निवास और दिल्ली के सब अस्पतालों में बिजली न हो। यह कोई मामूली बात नहीं है। जो जाँच समिति गठित की गई है, उसको आदेश देना चाहिए कि वह निष्पक्ष रूप से इस मामले की जांच करे। आम लोगों और इस सदन के माननीय सदस्यों को संदेह है कि इस घटना में उग्रवादियों का हाथ था और उन्होंने किन्हीं खास कारणों से एक योजनाबद्ध तरीके से पूरे उत्तर भारत की बिजली गायब कर दी। इस प्रकार पूरे उत्तर भारत की बिजली चले जाना सरकार की अक्षमता का सबूत है।

सरकार की जिबली के पारेषण की व्यवस्था इतनी खराब है कि जो चाहे, वह बिजली की सप्लाई को अस्त-व्यस्त कर सकता है। जो उग्रवादी पाकिस्तान और अन्य विदेशी ताकतों के साथ मिले हुए हैं, वे एक इशारे पर पूरे उत्तर भारत की बिजली गुल कर सकते हैं। इससे देश की एकता और अखंडता के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। 36 साल की आजादी के बाद भी बिजली के वितरण की व्यवस्था इतनी निराशाजनक है कि यजना आयोग को इस पर चिन्ता व्यक्त करनी पड़ी है। योजना आयोग ने कहा है कि अगर बिजली के वितरण की यही स्थिति रही, तो हिन्दुस्तान का आर्थिक विकास पिछड़ जायेगा। यह सरकार आर्थिक विकास का टारगेट कभी भी पूरा नहीं कर पाई है।

ऊर्जा मंत्री, श्री शिव शंकर, ने राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में ऊर्जा के उत्पादन के सम्बन्ध में जो चिन्ता व्यक्त की, मैं उससे सहमत हूं। लेकिन आज स्थिति यह है कि बिजली की

योजनाओं पर 48 अरब रुपये खर्च करने का गवर्नमेंट आफ इंडिया का टारगेट था, लेकिन समय पर वे योजनाएं पूरी न होने के कारण उन योजनाओं का खर्च बढ़कर 66 अरब रुपये होने जा रहा है। अगर गवर्नमेंट आफ इंडिया अपनी योजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा नहीं करायेगी, तो उसका बोझ लगातार बढ़ता जायेगा। उसकी कोई भी योजना समय पर पूरी नहीं होती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में यही हालत है। बिहार में तो स्थिति और भी खराब है। वहां पर चित्रकूट योजना पर 1961-62 से काम हो रहा है, लेकिन 22 साल के बाद भी वह पूरी नहीं हुई है।

इस हालत में सरकार देश की बिजली की आवश्यकताओं को कभी पूरा नहीं कर पायेगी। यह मामला न केवल देश की अर्थ-व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, बल्कि एकता और अखंडता से भी सम्बन्ध रखता है। बिजली की वितरण प्रणाली इतनी कमजोर है कि कोई उग्रवादी एक गोले से पूरे उत्तर भारत की बिजली को खत्म कर सकता है। उस दिन दिल्ली के अस्पतालों में रात के 12 बजे तक बिजली नहीं पहुंची। मरीजों की स्थिति क्या हुई ? यह आवश्यक सेवाएं भी जो हैं उनके लिये भी मैं समझता हूं कि यह कोई मामूली बात नहीं है। पढ़ने के लिये केवल एक लाइन अखबारों में आ गया कि पूरे उत्तर भारत में बिजली गुल हो गई, लेकिन देश की अर्थ-व्यवस्था और देश की अखण्डता व एकता से यह सवाल जुड़ा हुआ है। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि इस पर जो जांच समिति आप ने बैठायी है उसमें इसके कारणों को छिपाया न जाये जैसे श्वेत-पत्र में भारत सरकार ने कारणों को छिपाने की कोशिश की और सही तस्वीर नहीं आने दो। जांच समिति को आप सख्त आदेश दें कि जो भी इसके कारण हों उन को प्रकाश में लाएं। अगर इसमें उग्रवादियों का हाथ है, भाखड़ा नहर को तोड़ने वालों का हाथ है क्योंकि भाखड़ा से मेन जो बिजली डिस्टर्ब हुई है उसके कारण सारी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई जिससे सारे हाइड्रो पावर और थर्मल पावर बन्द करने पड़े। आपने जल्दबाजी में उत्तर प्रदेश से बिजली लेने की कोशिश की और वह आप को मिली।··· (**व्यवधान**)···

तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस घटना के पीछे उग्रवादियों का हाथ था और अगर हाथ था तो इस जवाब में आना चाहिये था कि इसके पीछे उग्रवादियों का हाथ था। बहरहाल मैं समझता हूं कि ऐसी घटना हिन्दुस्तान में आज तक नहीं हुई। विदेशों का उदाहरण मैं नहीं देना चाहता। विदेशों में तो एक मिनट भी अगर बिजली चली जाये तो इतना सख्त कदम वहां की सरकारें उठाती हैं कि आइन्दा कभी किसी की ऐसी हिम्मत नहीं पड़ सकती यहां आपके राष्ट्रपति भवन में बिजली चली जाये, पी०एम० हाउस में चली जाये यह मामूली बात नहीं है। भविष्य में इन जगहों के लिये आप जेनरेटर से बिजली के जेनरेशन की व्यवस्था करने जा रहे हैं लेकिन जो जन-साधारण हैं जिनको पीने का पानी नहीं मिला, दिल्ली की बस्तियों के अंदर रात के 1 बजे तक पानी नहीं मिल पाया उनके लिये क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? आप बी० आई० पीज० के यहां जेनरेटर्स की व्यवस्था कर सकते हैं लेकिन यह मैं फिर माननीय मंत्री जी से दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा कि सातवीं योजना में जो आपने विद्युत उत्पादन का लक्ष्य बनाया है और आपने जो यह चिन्ता राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में व्यक्त की है कि अगले तीन

[श्री जगपाल सिंह]

सालों में जो आपका उत्पादन होगा उससे आप देश की बिजली की आवश्यकता को पूरा कर पायेंगे, क्या यह संभव हो सकेगा ? सातवीं योजना में आप ने हाइड्रो पावर के बारे में जो कहा है वह 13590 मेगावाट के उत्पादन की बात कही है और तापीय बिजली 15709 मेगावाट उत्पादन करने की बात कही है। मैं जानना चाहूंगा कि इस उत्पादन के बाद कितने मेगावाट बिजली की कमी देश के अन्दर रह जायेगी ?

एक सवाल मैं इन्तजामिया दृष्टि से पूछना चाहता हूं। इस घटना के बाद क्या आप ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था राज्यों के पावर स्टेशनों के द्वारा करने जा रहे हैं जिससे अगर एक जगह से बिजली चली जाती है या कोई इस प्रकार का सरप्राइज होता है तो आप उसके द्वारा बिजली की आपूर्ति कर सकें ? ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्या आप करने जा रहे हैं ? क्योंकि एक घटना आपके सामने आ गई। पूरे उत्तर भारत से बिजली चली गई तो दिल्ली में कम से कम आप इन्द्रप्रस्थ के अन्दर जो पावर स्टेशंस हैं या और दूसरे जो हाइड्रो पावर स्टेशंस हैं उनके द्वारा दिल्ली की आवश्यकता को पूरी कर सकें ताकि प्रदेशों से अधिक बिजली आपको न लेनी पड़े, इस तरह की व्यवस्था अप करें। क्या ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं और अगर करने जा रहे हैं तो इसके लिये क्या योजना आप बना रहे हैं ताकि अगर भविष्य में ऐसी गड़बड़ी हो तो वैकल्पिक व्यवस्था आपके पास रहे जिससे कि पूरे उत्तर भारत में इस तरह की घटना न घट सके ? इसके अलावा उग्रवादियों के सम्बन्ध में क्या कदम आप उठाने जा रहे हैं ? विशेष रूप से भाखड़ा पर आप विशेष ध्यान रखें और भविष्य में कम से कम दिल्ली को भाखड़ा पर अधिक निर्भर न बनायें। दिल्ली के लिये सेल्फ-डिपेंडेंट बिजली की सप्लाई के लिये आप क्या-क्या योजनायें बनाने जा रहे हैं यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 19 जुलाई को बिजली के फेल होने की घटना पर पहले भी सरकार की तरफ से हमने चिन्ता व्यक्त की है। हम इसे बहुत गंभीर घटना मानते हैं और उसकी गंभीरता को देखते हुये ही एक उच्च-स्तरीय समिति बनाई गई है, ताकि वह न केवल उन कारणों की जांच कर सके, जिसकी वजह से इतने घण्टे बिजली न होने से उत्तरी क्षेत्र, खास तौर से दिल्ली, प्रभावित रहा, बल्कि भविष्य के लिये भी ऐसे सुझाव दे सके, जिनको लागू करने के बाद इस किस्म की घटना को दोबारा घटने से रोका जा सके। अब चूंकि एक समिति बनाई जा चुकी है और उसको जांच करनी है, तो जांच समिति की रिपोर्ट व उसके निष्कर्ष आने के पहले कोई कारण हमारी तरफ बताना बिल्कुल उचित नहीं लगेगा। वैसे भी हमारे विशेषज्ञों का यह मत है कि प्राइमा-फेसी ऐसा लगता नहीं है कि यह किसी उग्रवादी की शरारतों के कारण बिजली फेल हुई हो। लेकिन अगर फिर भी माननीय सदस्य इतनी निश्चितता के साथ कह रहे हैं तो अगर कोई इस संबंध में सूचना उपलब्ध करायेंगे तो हम उस समिति को कहेंगे कि वह उसमें विस्तार के साथ जांच करें।

अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि वितरण व्यवस्था ठीक नहीं है, परीक्षण व्यवस्था भी ठीक नहीं है और हम बिजली ठीक से उपलब्ध नहीं कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि बुनियादी तौर पर बिजली का विकास, बिजली उपलब्ध कराना, बिजली का पारेषण

और वितरण व उत्पादन—यह सारा काम राज्य सरकारों के करने का है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने के उद्देश्य से, सैंट्रल सैक्टर को मजबूत करने और सुदृढ़ करने और सैंट्रल सैक्टर में भी बिजली के उत्पादन का काम जरूर अपने हाथ में लिया है।

माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारी कोई भी परियोजना समय से पूरी नहीं हुई। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार के किसी भी निगम के अन्तर्गत आने वाली कोई भी परियोजना ऐसी नहीं है जो निश्चित समय के बाद पूरी हुई हो। ऐसा तो है कि या तो निश्चित समय पर कमीशन किया गया हो या निश्चित समय से पहले ही उन्हें कमीशन किया गया हो। लेकिन ऐसा एक भी मामला नहीं है कि जहां पर वह समय से आगे हो गई हो। यह मैं सुपर थर्मल की बात कर रहा था। एन०एच०पी०सी० के अन्तर्गत पन-बिजली बनती है। परियोजनाओं में कहीं-न-कहीं देरी हुई है और उसके जियोलोजिकल कारण दिये हैं। वे सब हमें मालूम हैं। उसमें भी प्रशासनिक कमी के कारण देरी नहीं हुई है, बल्कि दूसरी कठिनाइयां वहां उत्पन्न हो गई हैं। उसमें भी पूरी कोशिश है कि उस देरी को जल्दी से जल्दी कम किया जा सके।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : राजस्थान में समस्या एटोमिक पावर प्लान्ट की है। आए दिन एक और दो यूनिट बन्द रहते हैं। इस पर भी आप काम्प्रिहेंसिवली विचार करिये। इसके साथ मद्रास की भी बात है। आप कन्सोलिडेटेड व्यूह लीजिए, इन्टीग्रेटेड व्यूह लीजिए, केवल सुपर थर्मल पावर का सवाल नहीं है। हम आपके पास आते हैं, आपको चिट्ठी लिखते हैं। सब की प्राब्लम है। आप क्या व्यवस्था आगे के लिए करेंगे ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं माननीय सदस्य, श्री सतीश अग्रवाल, की बात का स्वागत करता हूं। निश्चय ही सरकार का यही रुख रहा है। हम इन्टेग्रेटेड व्यूह ही लेते हैं। यही कोशिश है कि हमारा कोई भी बिजली का यूनिट हो, चाहे थर्मल हो, चाहे पन-बिजली हो, चाहे न्यूक्लियर हो, बन्द न होने पाए। लेकिन प्रशासनिक कठिनाई मेरे उत्तर देने में है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वह बन्द क्यों है। न्यूक्लियर पावर प्लान्ट हमारे मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोशिश नहीं हो रही है। उसमें पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और कुछ कठिनाई के कारण उसमें कहीं न कहीं परेशानी है, वह अलग बात है। लेकिन प्रयास में कोई कमी नहीं है। वहां भी जो साइंटिस्ट्स हैं। उन विशेषज्ञों का प्रयास है कि प्लान्ट बन्द न होने पाए। उनमें बिजली का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा किया जा सके।

इसके अलावा माननीय जगपाल सिंह जी ने कहा कि पूरे उत्तर में बिजली बन्द हो गई।

उपाध्यक्ष महोदय : वे प्रमुख प्रश्नकर्ता हैं। इस तरह से मुख्य विषय से ध्यान हटाने का प्रयास किया जा रहा है। (**व्यवधान**)

श्री सतीश अग्रवाल : मेरा निजी विश्वास यह है कि राज्य इसमें कुछ नहीं कर सकते। केन्द्रीय स्तर पर ही कुछ करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें यह बता रहा था कि वे प्रश्नकर्ता की बात पर आ रहे हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अग्रवाल, उन्होंने आपको उत्तर दिया, इस पर मैंने कोई आपत्ति नहीं की है। किन्तु मैंने यह कहा है कि वे प्रमुख प्रश्नकर्ता हैं। **(व्यवधान)**

श्री जगपाल सिंह : उस मीटिंग में कहा गया था कि यह प्रदेशों के बस का काम नहीं रहा है। केन्द्रीय सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि वह पुनर्विचार क्या है। यह बात सही है कि राज्यों के बस का यह काम नहीं है, केन्द्रीय सरकार ही इस काम को सम्भालने के लिये काम्पीटेंट है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय सदस्य का सुझाव है कि प्रदेश सरकार इसमें सक्षम नहीं है, केन्द्रीय सरकार सक्षम है। इसमें संदेह नहीं है कि यह भी एक दृष्टिकोण है और जैसा मैंने कल भी बतलाया था कि हमारे मंत्रालय की सलाहकार समिति और इस सदन में बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि इन योजनाओं के समय पर पूरा करने के लिये और इनके बेहतर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिये, केन्द्रीय सरकार का इसमें ज्यादा दखल होना चाहिये। कुछ माननीय सदस्यों का मत है कि यह विषय केन्द्रीय सूची में आना चाहिये, लेकिन जैसा मैंने कल निवेदन किया था कि प्रदेश सरकारों की तरफ से इस पर आपत्ति की जाती है। माननीय जगपाल सिंह जी ने जो कहा है, मैं उनके सुझाव का स्वागत करता हूं। लेकिन हमारे सामने दोनों ही दृष्टिकोण हैं—यदि हम उनके दृष्टिकोण को मानकर चलें तो कल ही यह कहा जायेगा कि प्रदेश सरकारों के जो अधिकार हैं उनको सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है···

श्री जगपाल सिंह : उस मीटिंग में यह कहा गया था···

श्री आरिफ मोहम्मद खां : उस मीटिंग में इस लिए चिन्ता व्यक्त की गई थी कि कुल मिला कर नीति निर्धारण और समन्वय स्थापित करना केन्द्रीय सरकार का काम है। जहां कहीं यह देखते हैं कि राज्य सरकारें निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं कर रही हैं, उसमें शिथिलता आ गई है, वे पीछे रह गई हैं, वहां हमने राज्य सरकारों को निर्देश भी दिए हैं। माननीय मंत्री जी ने केवल चिन्ता व्यक्त नहीं की है, बल्कि उससे पहले अपने पत्र के माध्यम से प्रदेश सरकारों का ध्यान भी दिलाया है। मैं इस बात को मानता हूं—बिजली केवल रोशनी देने के लिए ही नहीं, बल्कि विकास के लिए, डवेलपमैंट के लिए, मोस्ट एसेन्सियल इन्पुट है। इस पर हमारा पूरा ध्यान है और माननीय सदस्य के जो दूसरे सुझाव हैं उनको भी ध्यान में रख कर ज्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे।

श्री सतीश अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा कई बार हो चुका है। आपने जिन देशों का दौरा किया है, क्या वहां आपने इस प्रकार बिजली फेल होते देखी है? महोदय, यहां ही ऐसा क्यों होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मैं यहां उत्तर देने के लिए नहीं हूं।

श्री सतीश अग्रवाल : किन्तु आप सभा में इस बात पर रोशनी डाल सकते हैं। आपने अनेक देशों का दौरा किया है। क्या आपने किसी देश में इस प्रकार बिजली के फेल हो जाने की घटना देखी है। वहां बिजली इसलिए फेल नहीं होती कि वहां वह राष्ट्रीय ग्रिड से बहुत अधिक अन्तर्सम्बद्ध होती है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझसे अपने प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा नहीं कर सकते।

श्री सतीश अग्रवल : अतः आप उसी प्रकार की व्यवस्था पर विचार क्यों नहीं करते ? हमें भी एक राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बहस में भाग न लें आपका नाम यहां नहीं है।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, मैं उन देशों से अपनी तुलना नहीं करना चाहता हूं जिन्होंने अपने विकास की दौड़ 200 या 250 वर्ष पहले शुरू की थी। मेरे पास उनके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन अपने विकास की दौड़ हमने 35-36 वर्ष पहले शुरू की थी···

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जगपाल सिंह और अन्य मित्रों, जैसे कि आप इस विषय को केन्द्र के साथ उठाते हैं, उसी तरह अपने दल के माध्यम से इसे राज्य सरकारों के साथ भी उठाना चाहिए। यह विषय समवर्ती सूची का है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये दोनों को सहयोग करना होगा। इसलिए आपको इसे जोर-शोर से राज्य सरकारों के साथ उठाना चाहिए।

श्री सतीश अग्रवाल : तब हमें विधान सभाओं में जाना चाहिए ? मैं विधान सभा में नहीं जाना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, इसे केवल केन्द्र सरकार द्वारा ही नहीं किया जा सकता। यह कार्य राज्य सरकारों के सहयोग से किया जा सकता है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : लेकिन मैं यह समझता हूं कि देश की आजादी के बाद हमारे इंजीनियरों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, बिजली के विकास के क्षेत्र में जो कार्य किया है, निश्चित ही वह सराहनीय है। यह बात सही है कि हम अभी तक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमने जितने विकास का रास्ता तय किया है वह अपने आप में संतोषजनक है और आगे भी हम इस काम को और ज्यादा बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे।

मैं यह भी निवेदन कर दूं—छठी पंचवर्षीय योजना शुरू करने के पहले हमारी कुल उत्पादन क्षमता 28 हजार मेगावाट थी। छठी पंचवर्षीय योजना का अंत आते-आते यह उत्पादन

[श्री आरिफ मोहम्मद खां]

क्षमता 43 हजार मेगावाट हो जाएगी और इसे आप इस संदर्भ में देखिए की जहां 1947 के बाद कुल उत्पादन क्षमता 1300+कुछ मेगावाट थी···

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : छठी पंचवर्षीय योजना का टारगेट क्या था ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : आप यदि उसके लिए अग्रिम सूचना देंगे तो मैं निश्चित रूप से वह भी बतलाऊंगा। इस वक्त मैं सिर्फ यह बता रहा हूं कि 1300 मेगावाट से कुछ ज्यादा से शुरू करके आज छठी पंचवर्षीय योजना का अन्त होने पर 43,000 मेगावाट बिजली की क्षमता हमारे पास होगी। यह मैंने पहले ही स्वीकार किया है कि यह हमारी पूरी जरूरतों की, पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जैसा कि मैंने कल भी कहा था बहुत ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती है क्योंकि यह एक कैपीटल इन्टेंसिव काम है। जितने-जितने साधन हमारे पास उपलब्ध होते जाते हैं उतना-उतना विकास होता जाता है। माननीय जगपाल सिंह सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछ रहे थे। उसके बारे में मैं अभी निश्चित आंकड़े नहीं दे सकूंगा लेकिन भारत सरकार इसको महत्व देती है, प्रायरटी देती है और प्राथमिकता के आधार पर बिजली के उत्पादन को और बढ़ाने का काम हम करेंगे।

श्री जगपाल सिंह : छठी पंचवर्षीय योजना में जो ट्रांसमीशन लाइन बिछाने का टार्गेट था, उसमें 400 के०वी० की 41 परसैंट लाइनें आप बिछा पाए। हालाँकि ये जो आंकड़े हैं, इनको मैं सही नहीं मानता लेकिन यह जो स्थिति है यह बहुत निराशाजनक है। 400 के०वी० के टार्गेट का 51 परसेन्ट ही आप कर पाए हैं और यह बहुत निराशाजनक है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैंने पहले भी इस संबंध में कहा है कि ट्रांसमीशन लाइन सिस्टम को और सुदृढ़ करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जो लक्ष्य निर्धारित थे उनमें जो हम पीछे रह गए हैं, उनकी तरफ खास ध्यान दिया जा रहा है और हम ट्रांसमीशन सिस्टम को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : उपाध्यक्ष जी, 19 तारीख को देश के अन्दर कई हिस्सों में बिजली गुल रही और कई घण्टों तक अंधेरा रहा, इस पर मंत्री जी ने भी चिन्ता व्यक्त की और उसके लिए जांच के लिए एक समिति भी गठित की है। मैं उम्मीद करता हूं कि जांच समिति अपना कार्य निर्धारित समय में पूरा कर लेगी और कुछ खास मुद्दों पर भी वह अपनी सिफारिश करेगी, जिन पर सरकार जल्दी अमल करे पर इस सबके बावजूद, बिजली का सवाल हमारे देश में जनता का सवाल है। यह तो ठीक है और मंत्री जी ने ठीक ही कहा कि भारत सरकार ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 1300 मेगावाट से कुछ ज्यादा से 43,000 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन बढ़ाया है पर इस पर हम संतोष नहीं व्यक्त कर सकते। प्रश्न यह है कि इस बात को स्वीकार करने में मंत्री जी को भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि बिजली की टोटल व्यवस्था नाकारा है। उसके कारण अनेक हैं और उन कारणों में राज्य सरकारों के पावर बोर्डों की जो हालत है, वह सबसे बड़ा कारण है। पर यह कह कर हम देश के विकास की रफ्तार को रोकने का बहाना

नहीं ढूंढ सकते आज कृषि के उत्पादन के लिए बिजली चाहिये, आज उद्योगों के लिए बिजली चाहिए । हमारे अनेक पब्लिक सेक्टर इसलिए घाटे में जाते हैं और बदनाम होते हैं क्योंकि बिजली वहां नहीं मिलती । चाहे स्टील की बात देख लो, चाहे फर्टीलाइजर्स की बात देख लो और चाहे ड्रग सेक्टर की बात देख लो, मैं पब्लिक सेक्टर की बात करता हूं । ह्यूज इन्वेस्टमेंट वहां पर हम कर रहे हैं और आपने स्टेण्ड बाई ट्रान्सफार्मर्स की इजाजत दी, पावर जेनरेटिंग सैट की इजाजत दी है और उनमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके इसकी आप आपूर्ति कर रहे हैं । यह अपने आप में देश के लिए एक चिन्ता का सवाल है ।

इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्री महोदय आपको कोई-न-कोई रास्ता तलाश करना पड़ेगा, जो बीमारियां हैं उनका इलाज करना पड़ेगा । यह तो नहीं है कि सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी हमारे सुपर थर्मल पावर स्टेशन समय से खड़े कर दिये । लेकिन जो आम शिकायतें आती हैं और जिनका कि आज तक कोई इलाज नहीं हुआ उनमें एक तो यह है कि कोल इंडिया कोयला ठीक ढंग का सप्लाई नहीं करता । यह एक आम शिकायत है ।

अब तो कोयले और बिजली दोनों के एक विभाग एक ही मिनिस्ट्री के नीचे हैं, उसके एक ही मिनिटर हैं । पहले तो यह शिकायत होती थी कि कोल इण्डिया आपके अण्डर में नहीं है । अब एनर्जी मिनिस्टर इज वन । इसके बावजूद क्या वजह है कि कोयले की सप्लाई वेहतर नहीं हो सकती है ? अगर कोयले को वाश करने की जरूरत है तो क्यों नहीं वाश करने के लिए प्रोग्राम बनता है ? मैं यह जानना चाहूंगा कि कोयले की अच्छी क्वालिटी की आपूर्ति के लिये आपने क्या कदम उठाया है ? कोयले की सप्लाई का कारण पैदा करके बिजली के उत्पादन में जो गड़बड़ी बताई जाती है, क्या कभी आपने इस कारण को अनेलाईज किया और उसको अनेलाईज करने के बाद क्या कदम उठाये ?

आपने उस दिन बिजली चले जाने के बारे में कहा कि यह सेबोटेज के कारण नहीं हो सकता । आपने कहा कि वह पावर यूनिट फेल हो गया, यह पावर यूनिट फेल हो गया, ट्रिपिंग हो गई । इस सबका मतलब तो यह है कि मेनेजमेंट का दोष था, टेक्निकल लोगों का दोष था । इस सबके बारे में आप क्या कदम उठाने के लिए तैयार हैं ? मैं ऐसा मानता हूं कि मेनेजमेंट का भी दोष है ।

यह प्रश्न भी हमारे सामने है कि पावर सप्लाई में कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जिनको कि हम बहुत पहले रोक सकते थे । यह ठीक है कि हमारे पास रिसोर्सिज़ नहीं हैं । लेकिन आप पावर का एफीशियेन्ट मेनेजमेंट तो कर सकते हैं । इससे ही आप बहुत अधिक रिसोर्सिज बचा सकेंगे । एक परसेंट पर मेगावाट थर्मल पावर से ही आप करीब 6 अरब रुपये का इन्वेस्टमेंट बचा सकते हैं । जब आप यह कह सकते हैं तो क्या आप उसके लिए कदम उठा रहे हैं ? उसके लिए आपकी क्या योजना है ? ये सब चीजें शार्ट टर्म और लोंग टर्म प्लानिंग की हैं । लोंग टर्म प्लानिंग के लिए आपका क्या चिन्तन है ?

[श्री नवल किशोर शर्मा]

हिन्दुस्तान में, शायद, पावर के डिस्ट्रिब्युशन और ट्रांसमीशन पर जितने लासेज होते हैं वे हाएस्ट हैं। 22, 23 और 24 परसेंट तक ये होते हैं। मेरी स्टेट में तो, जैसा कि मैं सुनता हूं, 30 से 32 परसेंट तक होते हैं। दूसरी स्टेट्स में कम्पेरेटिवली ये लासेज 7, 8. 10 परसेंट से ज्यादा नहीं हैं। इसके बारे में यह दलील दी जा सकती है कि यहां बहुत लम्बी लाईन हैं। क्या उन लाइनों के सिस्टम को स्ट्रैगदन नहीं किया गया है ? पिछले 10-15 सालों से मैं यह सुनता आ रहा हूं और यह सुनते-सुनते हमारे कान पक गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में आपकी शार्ट टर्म और लोंग टर्म प्लानिंग क्या है ? आपने इसके लिए क्या किया है ? इसमें बहुत हैवी इंवेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, किसी बड़े टेक्नीकल नो-हाऊ की जरूरत नहीं है। इस दिशा में काम करने की जरूरत है। आपने इस दिशा में क्या टारगेट फिक्स किये हैं ? अगर आप ट्रांसमीशन लाइन की प्रणाली को बेहतर कर सकते हैं, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि प्लांट लोड फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं तो जो आज बिजली का अभाव है, मैं तो इसे अकाल कहूंगा, वह अकाल शायद इन दो बातों से नहीं रहेगा बिजली के सवाल के साथ ही दिल्ली में जो यह घटना हुई और दिल्ली के आस-पास जो यह घटना हुई, यह घटना आंखें खोलने वाली होनी चाहिए। यह भी गनीमत थी कि ऐसे मौकों पर एन्टी सोशल एलीमेंट्स फायदा नहीं उठा सके। लेकिन अगर कहीं वे ऐसे मौके पर...

एक माननीय सदस्य : आपने उनको कहा नहीं होगा।

श्री नवल किशोर शर्मा : यह काम हमने आपको सौंप रखा है और आप इस काम में माहिर भी हैं।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि इन सारी बातों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। मेरे मित्र सतीश अग्रवाल ने अभी राजस्थान की चर्चा की। बड़ी अजीब बात है कि जब भी राजस्थान के बारे में एटामिक पावर की बात आती है तो यह कह कर आप चुप हो जाते हैं कि यह मंत्रालय हमारा नहीं है। यह आर्गूमेंट हमको कन्वींस नहीं करता। गवर्नमेंट एक है, सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है। बड़े अफसोस की बात है कि दो एटामिक पावर स्टेशन कभी भी एक साथ एक दिन भी नही चले। पिछले पांच-सात सालों का यह हाल है। दुर्भाग्य से हमारे पास हाइड्रल पावर की व्यवस्था नहीं है। दूसरी स्टेटस से हमारे इन्टरस्टेट्स एग्रीमेंट होते हैं। वे स्टेट्स पावर को कंट्रोल करते हैं। एग्रीमेंट के बावजूद दायलेट होता है। हमको बिजली नहीं मिलती है। आपको कहते हैं तो आप कहते हैं कि स्टेट मैटर है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन स्टेट्स की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। जब पोटैंशल है और जहां हालत खराब है, इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि हम क्या कर सकते है, यह तो स्टेट का सवाल है। मैं तो एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि हाउस में विरोधी दल के लोग भी बार-बार मांग करते रहे हैं और आपकी कंसलटेटिव कमेटी ने भी यह यूनेनिमस फैसला किया है कि इलेक्ट्रिसिटी को सेंटर के पास आना चाहिए। आप लाइये एक बिल और इसमें अमेंडमेंट कीजिए। इसके बाद ये अगर कहते हैं कि केन्द्र के पास ज्यादा अधिकार आ रहे हैं तो इनको एक्सपोज होने दीजिए। आप डरते रहते है। इनको नंगा होने दीजिए। इनकी कथनी और करनी में अन्तर है। इनको एक्सपोज कीजिए।

श्री सतीश अग्रवाल : सरकार करना ही नहीं चाहती ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, नंगा शब्द का उपयोग कर रहे हैं । क्या यह अनपार्लियामेंट्री नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे एक दूसरे विषय के बारे में बोल रहे हैं ।

श्री नवल किशोर शर्मा : मुझे अफसोस है कि मैंने ऐसा कह दिया । जो पहले ही नंगा हो उसको क्या नंगा करेंगे । मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं ।

मैं निवेदन कर रहा था कि इस सारे मामले पर विचार करना चाहिए । मेरे जो प्रश्न हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना के टारगेट को कितना एचीव किया । ट्रांसमीशन लाइन के बारे में क्या स्थिति रही । स्टेटवाइज परफारमेंस क्या रही । कोयले की स्थिति क्या रही ? अभी जानकारी नहीं है तो बाद में जवाब भिजवा देना ।

यह बहुत ही चिंता का विषय है । मैं यह जानना चाहता हूं कि 1984-85 के लिए आपका बिजली उत्पादन का लक्ष्य क्या है ? उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपकी क्या आकांक्षाएं हैं ? ट्रांस-मिशन लाइन के लिए क्या आकांक्षाएं हैं ? एक बात बार-बार उठती है कि बी०एच०इ०एल० से जो मैटीरीयल सप्लाई किया जाता है, वह खराब है । "भेल" वाले बराबर यह कहते हैं कि हमारी मशीनरी में कोई खराबी नहीं है । इस विवाद का हमेशा के लिए हल करने की दिशा में आपने क्या कदम उठाया है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि बी०एच०इ०एल० एक महत्वपूर्ण पब्लिक सैक्टर अन्डरटेकिंग है । इसलिए, इसमें सुधार के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं, यह देखना चाहिए?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री नवल किशोर शर्मा जी ने जो चिंता व्यक्त की है उससे हम सहमत हैं । हमारी कोशिश यही है कि हम अपनी व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बना सकें । राजस्थान एटोमिक पावर प्लान्ट के बारे में सबसे पहले कहना चाहूंगा कि मैंने जिम्मेदारी से बचने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया; निश्चित ही मिली-जुली जिम्मेदारी है । मैंने सिर्फ यह कहा था कि उसकी व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सारे प्रयास किये जा रहे हैं । लेकिन, प्रशासनिक दृष्टिकोण से मेरे लिए उसके बारे में विस्तार से यही बता पाना संभव नहीं हो सकेगा । मैंने यह नहीं कहा कि हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह दूसरे मंत्रालय के अन्तर्गत है । हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर उत्पादन हो । टैक्नीकल कठिनाई आ जाने की वजह से परेशानी हो रही है । उसमें विशेषज्ञ लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बेहतर उत्पादन वहां से हो सके । 1984-85 के लिए हमारा लक्ष्य 154 बिलियन यूनिट का है और नयी उत्पादन क्षमता को जोड़ने के लिए हमारा लक्ष्य 3400 मेगावाट का है । इस उत्पादन क्षमता जोड़ने के बाद ही हम छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 43 हजार मैगावाट तक पहुंचेंगे । हमें विश्वास है कि हम इस निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लेंगे ··

(व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह : यह कांट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट है :.....(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको असम्बद्ध प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल प्रमुख प्रश्न का ही उत्तर दें। यदि आप सभी प्रकार के महत्वहीन प्रश्नों का उत्तर देने लगेंगे तो सभा में कार्यवाही का संचालन कठिन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हर समय हर सदस्य प्रश्न ही पूछता चला जायेगा।

श्री आरिफ मोहम्मद खाँ : लक्ष्य तो हमें निर्धारित करना ही है। प्रदेश सरकारों से हम सम्पर्क बनाए रखते हैं और उनसे कहते हैं कि जहां कहीं उन्हें कठिनाई आ रही है, वह हमें बताएं ताकि हम अपने विशेषज्ञों को भेजकर उन कठिनाईयों को दूर करा सकें।

जहां तक प्रश्न है कि किसी क्षेत्र में यदि पिछले साल लक्ष्य पूरे नहीं किये जा सके, हम यह सोच लें कि इस साल भी लक्ष्य पूरे नहीं हो सकेंगे, मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि तमाम लक्ष्यों को हम प्राप्त करें। ऐसी हमें आशा है। हमने बहुत से नये कदम भी उठाये हैं और हम निश्चित तौर पर अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर सकेंगे जहां तक प्रश्न है कि कौन-कौन से नये कदम उठाये गये है;

वर्तमान उत्पादन क्षमता के बेहतर उपयोग के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की की एक रोविंग टीम। कार्यकारी दल नियमित रूप से तापीय स्टेशनों पर जाता है और उत्पादन में सुधार लाने के लिये समयबद्ध कार्य-योजनाएं तैयार करता है निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र चालू करने के लिये केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण निर्माण-कार्य पर पूरी निगरानी रखता है तथा निर्माताओं। पूर्तिकताओं द्वारा समय पर उपकरण और फालतू पूर्जों की सप्लाई सुनिश्चित करने में भी सहायता देता है।

इसके अलावा श्रीमन् हमने अपने तमाम मौजूदा पावर स्टेशन्स को रैनोवेशन करने के लिए उनको मौडर्नाइज बनाने के लिये, 500 करोड़ रुपये की एक योजना तैयार की है जो सरकार के विचाराधीन है। इन 500 करोड़ रुपयों का इस्तेमाल पुराने पावर स्टेशन्स का प्लान्ट लोड फैक्टर बेहतर करने के लिये, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिये किया जायेगा। शर्मा साहब ने भी उसी बात की तरफ आपका ध्यान दिलाया। यदि एक परसेंट भी प्लांट लोड बढ़ेगा तो उससे कितना फायदा होगा। उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये यह योजना बनाई गई है। हम उम्मीद करते हैं कि रैनोवेशन और पावर स्टेशन्स का मौडर्नाइजेशन करने के बाद जो लाभ प्राप्त होगा, उतना शायद तीन गुना कीमत लगा कर भी नहीं प्राप्त हो सकता था। यदि हम जैनरेटिंग कैपेसिटी को संगठित करने पर ध्यान देते तो हमें इसके मुकाबले तीन या चार गुना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता।

इसके अलावा आपने कोयले के बारे में भी जानकारी चाही है। हमारा कोल कम्पनियों से लगातार सम्पर्क है और हम समय-समय पर उसकी क्वालिटीज को अच्छा और बेहतर बनाने के

लिए बैठकें करते रहते हैं। इसके अलावा कोल कम्पनियों ने अपनी तरफ से कोल हैंडलिंग प्लांट और क्रशर्स लगाये हुये हैं। कोयले की ग्रेडिंग के लिये कोल कम्पनियों ने एक कोल कन्ट्रोलर की भी नियुक्ति की है तथा कोयले की ज्वाइंट सैम्पलिंग करने के लिये ऊर्जा विभाग तथा कोयला विभाग दोनों के अधिकारी मिलकर काम करेंगे ताकि कोयले की क्वालिटी को सुनिश्चित किया जा सके।

यह ठीक है कि हमें बी० एच० ई० ए ल० के बारे में भी कभी-कभी शिकायतें सुनने को मिलती हैं। जिस कारखाने के बारे में हमें शिकायतें प्राप्त होती हैं, हम वहां से सम्पर्क करके उनसे उन कठिनाईयों को दूर करने के लिये कहते हैं। वे लोग शिकायतें दूर करने का प्रयत्न भी करते हैं कुल मिलाकर हम यह समझते हैं कि स्थिति अच्छी है और हर जगह से शिकायतें नहीं आ रही हैं, केवल कुछ एक शिकायतें हैं। बी० एच० ई० एल० से सम्बन्धित शिकायतों का कारण यही है कि वह कारखाना नया है, जहां हम तजुर्बा और सीखने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार की नीति उस कारखाने को आगे बढ़ाने तथा सुदृढ़ करने की है।

श्री मनोहर लाल सैनी (कुरुक्षेत्र) : मि० डिप्टी स्पीकर, सर, 19 तारीख को दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ राज्यों में बिजली बिल्कुल बंद हो गई। वैसे तो मंत्री जी ने स्थिति को स्पष्ट करते हुये अपना वक्तव्य दे दिया है। अच्छा है शहर वालों को भी पहली बार पसीना आया। वैसे गांव में तो हमेशा ही बिजली बंद रहती है। मंत्री जी को उसका तजुर्बा होगा। खेतों को आप बिजली दे नहीं पा रहे हैं देखने की बात यह है कि उन तमाम राज्यों में, उत्तर भारत के उन स्टेटस में, जहां आप ही की पार्टी की सरकारें हैं, वैसे दिल्ली में भी आप ही की सरकार है, बिजली बंद हुई है। जहां यह सरकार दूसरे तमाम डिपार्टमेंट को चलाने में नाकामयाब सिद्ध हुई है, बिजली के मामले में भी निकम्मी साबित हुई है चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार को देख लीजिये, या हरियाणा की सरकार को, सारी निकम्मी हैं। जितने भी वहां पावर स्टेशन्स बने हुए हैं, बोर्ड हैं, बिजली का जैनरेशन हो रहा है, उन सब में लॉस है।

1.00 म०प०

हर साल लौसेज बढ़ते जा रहे हैं और उपभोक्ताओं से हर साल प्रति यूनिट के दाम बढ़ाये जा रहे हैं।

अभी बिजली मंत्रियों की मीटिंग हुई और छठी योजना समाप्त होने जा रही है, सातवीं पंचवर्षीय योजना शुरू होगी। आपने बताया 43,000 मैगावाट बिजली की क्षमता हासिल की है। ऐक्चुअल जैनरेशन कितना है, और कितना इन्वेस्टमेंट करने के बाद यह क्षमता हासिल की है ? और इसमें से कितनी आप ऐग्रीकल्चर सैक्टर को दे रहे हैं, कितनी इंडस्ट्रियल सैक्टर को दे रहे हैं और कितनी शहरों तथा गाँवों को दे रहे हैं ? कोई योजना सरकार के पास है या सातवीं योजना में आप बनाने जा रहे हैं ? क्या वितरण का तरीका है कि उस बिजली में से कितना ऐग्रीकल्चर सैक्टर और रूरल सैक्टर को देंगे ? और यह पावर सप्लाई अनइन्टरप्टेड हो इसको कैसे ऐनश्योर करेंगे ?

[श्री मनोहर लाल सैनी]

अगर 19 तारीख की घटना नहीं होती तो आपकी सरकार का ध्यान सम्भवत: बिजली की तरफ नहीं जाता । यह किन कारणों से हुआ इसके लिये आपने एक समिति बनाई है । यह समिति के चेयरमैन को मालूम है क्योंकि वहीं सारे सिस्टम को रन कर रहे हैं और उनके आदमी ही जिम्मेदार होंगे । यह ऐडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है जिसमें आप और आपका मंत्रालय जिम्मेदार है कि आप ठीक ढंग से इस मंत्रालय को रन नहीं कर रहे हैं । शहरों में तो 19 तारीख को महसूस हो रही है जब कि बिजली के चार्जेज हर महीने आप उनसे ले लेते हैं । सारी कैपेसिटी शहरों में बांट देते हैं ।

आपने कहा जैनरेशन बढ़ा है । ठीक है । लेकिन जैनरेशन इनस्टाल्ड कैपेसिटी कितनी है और कितना ऐक्चुअल जैनरेशन हो रहा है, किस कौस्ट पर हो रहा है और कितना रूरल सैक्टर को किस प्राइस पर दे रहे हैं ? भविष्य में क्या आप यह भी ध्यान रखेंगे कि केवल शहरों की तरफ ही नहीं गांवों को भी अनइन्टरप्टेड सप्लाई मिले इसके लिये सरकार क्या करने जा रही है, इसको बताने की मंत्री जी कृपा करें ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ सवाल माननीय सदस्य ने ऐसे उठाये हैं जिनका सीधे विषय से सम्बन्ध नहीं है । जो आंकड़े इस वक्त मेरे पास हैं वह दे दूंगा और जो नहीं हैं वह मैं बाद में उनको उपलब्ध करा दूंगा । यह टेक्नीकल कारणों से फेल्योर हुआ और इसकी जांच करने के लिये एक उच्चस्तरीय समिति सरकार ने बनाई है, यह मैं पहले ही कह चुका हूं । लेकिन माननीय सदस्य कहते हैं कि इसमें सरकार दोषी है, शायद आपने निकम्मा शब्द का इस्तेमाल किया । मेरे पास यह आंकड़े हैं जो मैं बता रहा हूं । 1974-75 में ऐक्चुअल प्लान्ट लोड़ फेक्टर बिजली उत्पादन का 52 5% था, 1975-76 में 52. 1% था, 1976-77 में 55. 9%, 1977-78 में बड़ी क्रांतिकारी घटना हुई जब आप पावर में आये उस साल 55 से घटकर लोड़ फेक्टर 51: 4% रह गया ।

श्री मनोहर लाल सैनी : जब से आप गये हो बिजली बंद हुई ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : उसी साल की बात है । आपके मंत्री पद ने जो आपने मुझे दिया था वह भी मुझे आपके साथ नहीं रख सका । इसी निकम्मेपन की वजह से ।

1977-78 में 51.4%, 1978-79 में 48.3% 1979-80 में 44.7 प्रतिशत यानि 55 प्रतिशत से घट कर 44.7% प्लान्ट लोड फैक्टर 3 साल के अन्दर आ गया । घर बनाना बड़ा मुश्किल होता है । लेकिन उसमें आग लगाने के लिये सिर्फ एक माचिस की तीली काफी होती है । उसके बाद फिर उसका दोबारा निर्माण करना, उसमें कितना समय परिश्रम और मेहनत लगती है, इसकी कोई भी कल्पना कर सकता है ।

ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में जो उन्होंने पूछा, तो उसका कंजम्पशन कुल ऊर्जा उत्पादन का 16 प्रतिशत है । छठी पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र के विकास के लिये 22 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था । 140 मिलियन यूनिट 1983-84 में कुल उत्पादन हुआ है ।

श्री मनोहर लाल संनी : सातवीं योजना में क्या देंगे ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : सातवीं योजना का कैसे बता दूं, उसे बन तो जाने दीजिये, मंजूर हो जाने दीजिये ।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : आरिफ साहब की भाषा सुनने में बड़ी मधुर और अच्छी लगती है । इन्होंने अपने शब्दों में बहुत सारे अलंकार जोड़े हैं । ये मेरे पुराने मित्र हैं इनका मैं बड़ा अदब करता हूं ।

इन्होंने यह बात कही कि हमने बहुत तरक्की की है, बिजली के मामले में हम आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं इन्होंने 43 हज़ार मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य बताया । मंत्री महोदय जानते होंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना में बिजली का क्या लक्ष्य था और उसमें कितने लक्ष्य की पूर्ति की गई । मेरा कहना यह है कि आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाये । आपको 7वीं योजना में 7 हजार मेगावाट बिजली अतिरिक्त उत्पादन करनी होगी ।

आपने रीजनल ग्रिड सिस्टम बनाया । एक जरा सी घटना घटी और कितने ही प्रान्तों की बिजली नदारद, अंधकार हो गया । आप कहते हैं कि टैक्नीकल फाल्ट था । मान लेते हैं कि टैक्नीकल फाल्ट होगा, सैबोटाज नही हुआ, लेकिन आप इसे मानेंगे या नहीं कि एक जगह जरा-सा फाल्ट हुआ कि कई प्रान्तों, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली की बिजली चली गई । आपका सिस्टम कैसा है ? इस पर आपको विचार करना चाहिये । आप बीच में फंसे हुए हैं

अभी विद्युत मंत्रियों की जो बैठक हुई, उसमें राज्याध्यक्ष कमेटी की सिफारिशों के सम्बन्ध में आप कोई निर्णय नहीं ले पाये । आप कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करेंगे मुझे इसमें संदेह हो रहा है ।

रीजनल ग्रिड की बात आती है, आपने स्टैंजुरी अथौरिटी की बात कही है। अभी तो इन्फार्मल एग्रीमैंट से काम इो रहा है । क्या आप यह सोच रहे हैं कि यह सिस्टम सही मायनों में काम करेगा । न्यूजपेपर में जो खबरें छपी हैं, उसके अन्तर्गत यह है कि आप एक्सपर्ट कमेटी बनाने जा रहे हैं मेरा ख्याल है कि यह चुनाव के बाद ही बनेगी, इससे पहले बनने वाली नहीं है ।

आपको जानकारी है कि हिन्दुस्तान में बिजली की कमी के कारण खेतों में जब पानी चाहिये या फसल काटने के टाइम जब बिजली चाहिए तो वह मिल नहीं पाती है ।

आपका जो हाई ईल्ड वाला प्रोजेक्ट चल रहा था जिसमें 20 हजार मेगावाट यूनिट का आपने लक्ष्य रखा है, अगर बारिश नहीं होगी तो इसका प्लान क्या रहेगा ? एक चर्चा प्लानिंग के बारे में हाऊस में होनी चाहिए । मैं कई बार कह चुका हूं कि यहां प्लानिंग के बारे में चर्चा बहुत कम हो पाती है । राजाध्यक्ष कमेटी और मंत्रियों की जो सिफारिशें हैं, उस सम्बन्ध में जल्दी निर्णय

[श्री राजेश कुमार सिंह]

लेना चाहिये। इसमें समय नहीं गुजारना चाहिए क्योंकि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को भी 10 हजार करोड़ का नुकसान होता है। आप बिजली देते है, लोडिंग कम हैं, खेत में किसान बैठा है, उसको नुकसान होता है। मेरे छोटे से शहर में कांच वगैरह के उद्योग हैं। हम देखते हैं कि लोड न खींचे जाने की वजह से मजदूर बैठे रहते हैं।

ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में कहा गया कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्डों में बड़ी गड़बड़ी है। उत्तर प्रदेश में ओबरा थर्मल प्राजेक्ट में 200 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, जबकि उसकी कैपेसिटी 1550 मेगावाट है। यही हालत हरदुआगंज की है। वहां पर तीन यूनिट जल गए हैं। वहां पर 155 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। उत्तर प्रदेश में 5.60 करोड़ यूनिट की जरूरत है, जबकि उसको सिर्फ 1.20 करोड़ यूनिट देना तय किया गया है। उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के स्टेशनों से 3.20 करोड़ यूनिट प्राप्त होनी चाहिए। नेशनल थर्मल कार्पोरेशन के द्वारा 1..0 करोड़ यूनिट दिए जाते हैं। दोनों मिलाकर सिर्फ 1.20 लाख यूनिट देने की बात है।

बिजली के बारे में सरकार की कोई नेशनल पोलिसी नहीं है। वह कहती है कि वितरण की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। इस बारे में एक निश्चित व्यवस्था करनी चाहिए। नैशनल ग्रिड बनाया जाए, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि एक जगह कोई खामी हो और सारे देश में बिजली खत्म हो जाए। राजाध्यक्ष कमेटी की रीकमैंडेशन्ज पर अमल करना चाहिए।

टैरिफ के भिन्न-भिन्न रेट हैं। हिन्दालको से 11 पैसे प्रति-यूनिट लिया जाता है और किसानों से 26 पैसे पर यूनिट। इस बारे में एक निश्चित प्रणाली और एक निश्चित दर निर्धारित करनी चाहिए।

यह ठीक है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की मदद की जा रही है, मगर उसको 500 मेगावाट बिजली और दी जाए, वर्ना उसकी हालत बदतर हो जाएगी।

बी०एच०ई०एल० द्वारा बनाई गई मशीनों और एक्विपमेंट के बारे में शिकायतें हैं कि वह ठीक फंक्शन नही कर रहे हैं। क्या कोई विशेषज्ञ इस बारे में जांच कर रहे हैं, यदि हां, तो उनकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी ? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि देश में ये मशीनें बनाने से अनुभव प्राप्त होगा। देश के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। देश को समृद्धिशाली बनाने के लिए बिजली की नितान्त आवश्यकता है। इसलिए विदेशों से अच्छा एक्विपमेंट और मशीनें आयात करने चाहिएं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि छठी योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्लानिंग कमीशन ने हमारे लिए यह लक्ष्य निर्धारित किया था कि छठी पंचवर्षीय योजना में हमने 19,600 मेगावाट की एडीश्नल कैपेसिटी बनानी है। मिड-टर्म एप्रेजल में इसकी दोबारा समीक्षा की गई और संसाधनों के अभाव, कंस्ट्रैन्ट आफ रीसोर्सिज, के कारण इसको घटा कर 14,500 मेगावाट कर दिया गया। हमें पूरी आशा है कि हम यह निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लेंगे। (*व्यवधान*) हमने नहीं घटाया है। हमने तो पिछले साल

4,000 मेगावाट से कुछ अधिक बिजली ग्रिड में जोड़ दी है। और यह अपने आप में एक रिकार्ड था। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं इस देश के बाहर की जिनका कहीं न कहीं इसमें सहयोग होता है उन्हें थोड़ी देर के लिए इस पर बहुत आश्चर्य हुआ कि हमने अपनी यह क्षमता विकसित कर ली है कि हर साल 4 हजार से अधिक मेगावाट बिजली सिस्टम में, अपनी व्यवस्था में जोड़ने में सफल हो गए हैं। अगर माननीय राजेश कुमार सिंह जी अपने गुड आफिसेज का इस्तेमाल करें और हमें और ज्यादा संसाधन दिलाएं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं···(**व्यवधान**)···आप सम्मानित सदस्य हैं सदन के, आप कहेंगे तो उसका भी असर पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि योजना आयोग ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, जो मध्य योजना समीक्षा हुई उसमें योजना आयोग ने उसको घटाकर 14650 मेगावाट कर दिया···

एक माननीय सदस्य : वह पूरा कर लिया ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : उसको पूरा कर रहे हैं। इस वर्ष के अन्त तक, यानी छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमें पूरी उम्मीद है कि वह लक्ष्य पूरा हो जाएगा।

इसके अलावा आपने हाइडल पावर के लिए ट्रांसमिशन की बात भी कही और कई एक बातें ऐसी हैं जिन पर आपकी चिन्ता वास्तविक है और हमें भी उस पर चिन्ता है। मैंने पहले ही कहा कि माननीय ऊर्जा मंत्री, शिवशंकर जी ने न केवल राज्यों के विद्युत मंत्रियों की बैठक में चिन्ता व्यक्त की बल्कि पत्रों के माध्यम से भी उन्होंने बार-बार इस तरफ राज्य विद्युत परिषदों का ध्यान दिलाया है और मिनिस्टर्स आफ एनर्जी जो स्टेट्स के हैं उनका ध्यान दिलाया है, उनसे यह कहा है कि प्लान्ट लोड फैक्टर को बेहतर करें, उसकी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ाएं और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से कृषकों को उनकी आवश्यकतानुसार बिजली उपलब्ध कराएं। इस और खास तौर से उनका ध्यान बार-बार दिलाया है और अभी भी जो सारी बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं जिनका सीधा सम्बन्ध राज्य विद्युत परिषदों से है, उनकी उन भावनाओं से हम राज्य विद्युत परिषदों को अवगत करा देंगे।

इसके अलावा चूंकि खास तौर से मैंने पहले भी कहा कि पूरे उत्तर भारत के क्षेत्र में और दिल्ली में पूरे तौर से बिजली प्रभावित हुई थी, इसलिए मैं विशेष रूप से यह बताना चाहूंगा कि दिल्ली में बिजली की व्यवस्था में सुधार के लिए कई एक कदम उठाए हैं जैसे मुरादनगर में जो दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद जिले में है एक बड़ा सुपर थर्मल पावर स्टेशन 840 मेगावाट की क्षमता का बनाने का हमने फैसला किया है। इसके अलावा 180 मेगावाट का गैस टर्बाइन यहां लगाने का फैसला किया गया है जो हमें उम्मीद है कि अगले एक वर्ष के अंदर पूरा कर देंगे। इसके अलावा 67.5 मेगावाट की दो यूनिट्स राजघाट पावर स्टेशन जो पुरानी मशीनरी के कारण बन्द हो गया था, वहां उस पुराने प्लान्ट को रिप्लेस करने के लिए लगाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा रिहैंड सुपर थर्मल पावर स्टेशन, सलाल हाइड्रो पावर स्टेशन और नरौरा का ऐटामिक पावर प्लान्ट जो है इनमें भी दिल्ली का शेयर है। हमें विश्वास है कि जैसे-जैसे ये बनते जाएंगे वैसे-वैसे न सिर्फ यहां जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार बिजली उपलब्ध होगी···

एक माननीय सदस्य : नरौरा में कब तक बन जाएगा ? आपके ही जिले का है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैंने सिर्फ यही कहा कि उसमें भी दिल्ली का शेयर है ।

श्री राजेश कुमार सिंह : उत्तर प्रदेश को दिलवाएंगे या नहीं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : उत्तर प्रदेश के लिए कहलवाइए नहीं, मेरे ख्याल से पहले ही उत्तर प्रदेश कुछ ज्यादा शेयर ले रहा है, वरना शिकायत का कारण हो जाएगा ।

जैसा मैंने पहले कहा, आपने जो सुझाव दिए हैं उनका हम स्वागत करते हैं और हमने उनको नोट कर लिया है । हम अपनी व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।··· (**व्यवधान**) ·· टेरिफ के बारे में एक कमेटी बनाने का मामला विचाराधीन है जो इस को देखेगी कि टैरिफ में यह विभिन्नता रहे या इसको किसी तरह कम या खत्म किया जा सकता है ।

1.20 **म०प०**

जम्मू व कश्मीर में हुई हाल की घटनाओं के बारे में वक्तव्य

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वेंकट सुब्बय्या) : महोदय, जम्मू व कश्मीर में 1983 के 6 महीनों के बाद से कुछ तत्व राष्ट्र-विरोधी और पृथकतावादी गतिविधियों में ग्रस्त रहे हैं । ये गतिविधियां आंदोलनों, भाषणों, हड़तालों, नारे लगाने, बम विस्फोट करने और लोगों, जन सम्पर्क के व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों की जान व माल के लिए धमकियां देने के रूप में थी ।

इसके अतिरिक्त, हालांकि अखिल भारतीय सिख छात्र संघ को मार्च, 1984 में एक गैर-कानूनी संघ घोषित कर दिया गया था, फिर भी राज्य में इसकी आपत्तिजनक गतिविधियां जारी रहीं । अन्य सिख उग्रवादी भी इनसे मिल गए ।

पंजाब में सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई के बाद राज्य में अखिल भारतीय सिख छात्र संघ के अतिक्रियावादियों और अन्य सिख उग्रवादियों ने राष्ट्र विरोधी, पृथकतावादी तथा साम्प्रदायिक तत्वों से मिलकर अपना सामान्य उद्देश्य बना लिया और न केवल आपत्तिजनक भाषण दिए तथा राष्ट्र-विरोधी नारे लगाए बल्कि बड़े पैमाने पर आगजनी, लूटपाट तथा अन्य हिंसक कार्य भी किये ।

प्रो० सैफूद्दीन सोज (बारामूला) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यहां वे यह स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि सरकार का दल-बदल के कारण पतन हुआ···

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार व्यवधान नहीं डाल सकते । कृपया बैठ जाइए । मंत्री महोदय अपनी ओर से ही वक्तव्य दे रहे हैं ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : इसका यह पर्याप्त प्रमाण है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे वक्तव्य दे रहे हैं । यह कार्य सूची में शामिल है । इस पर बहस होगी । हम इस बहस की अनुमति दे रहे हैं ।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : जिन भवनों में केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठान जैसे डाकघर टेलीफोन केन्द्र, भारतीय स्टेट बैंक थे, उनको आक्रमण का निशाना बनाया गया । धार्मिक स्थानों पर भी आक्रमण किये गये और उन्हें अपवित्र किया गया ।

जुलाई, 1983 से केन्द्र सरकार राष्ट्र-विरोधी, पृथकतावादी और उग्रवादी तत्वों के विरुद्ध सख्त तथा कारगर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार से आग्रह करती रही है । जून, 1984 तक गृह मंत्री ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को नौ पत्र भेजे । परन्तु राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई अपर्याप्त थी और प्राय: विलम्ब से होती थी इसलिए इसका बहुत कम प्रभाव हुआ । एक भारतीय विमान के अपहरण सहित इन तत्वों की गतिविधियां बेरोक-टोक चलती रहीं ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : विमान अपहरण की घटना फारूख अब्दुल्ला सरकार को बर्खास्त किए जाने के बाद हुई है ।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : एक अन्य घटना में जम्मू व कश्मीर के राज्यपाल ने जम्मू व कश्मीर राज्य के संविधान के उपबंधों के अधीन 2.7.84 को डा० फारूख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार को बर्खास्त कर दिया और श्री जी० एम० शाह को नई सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई ।

भारत सरकार को इस बात की चिन्ता है कि संवेदनशील सीमान्त राज्य जम्मू व कश्मीर में शांति और अच्छी व्यवस्था बनी रहे और जो लोग भारत की अखण्डता और एकता को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उनके नापाक इरादों तथा गतिविधियों को कारगर ढंग से रोका जाए । अत: मै माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे जम्मू व कश्मीर राज्य में हाल की घटनाओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखें और सरकार के हाथ मजबूत करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा स्थगित होती है और मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 25 मिनट पर पुन: समवेत होगी ।

1.22 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 25 मिनट तक के लिए स्थगित हुई ।

2.29 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बजकर 29 मिनट पर पुन: समवेत हुई ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

समिति के लिए निर्वाचन

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के एक सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए राज्य सभा से सिफारिश

श्री कमालुद्दीन अहमद (वारंगल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति से कुमारी सरोज खापरडे द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर समिति के शेष कार्यकाल के लिए समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से एक सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किए गए सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति से कुमारी सरोज खापरडे द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर समिति के शेष कार्यकल के लिए समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से एक सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किए गए सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 377 के अधीन मामले

2.30 **म.प.**

(एक) घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के भंडारा जिले की घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना पर विचार अब से 10-12 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था और उस समय इस पर अनुमानित लागत 160 करोड़ रुपये थी किन्तु कुछ अधिकारियों की ढील के कारण और कुछ इस महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना को प्राधान्य न देने के कारण अभी तक कार्यान्वित नहीं हो सकी है और इसका लागत व्यय भी बढ़कर 438 करोड़ रुपये हो गया है। इस योजना से लगभग 5 लाख एकड़ भूमि सिंचित करने का लक्ष्य है और मात्र इस योजना से महाराष्ट्र कम से कम चावल के मामले में आत्मनिर्भर हो सकेगा।

इसी प्रकार की ह्यूमन रिवर प्रोजेक्ट तथा तुलतुली इरीगेशन प्रोजक्ट हैं, जिन पर मात्र 37 करोड़ रुपये और 29 करोड़ रुपये व्यय होंगे। किन्तु यह भी कागजी विचार चलने के कारण 4 वर्ष से लटक रही है।

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह प्रधान मंत्री जी की भावनाओं का आदर करते हुए और उनके 20-सूत्रीय कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए इस महत्वाकांक्षी योजना को तत्काल कार्यान्वित करायें ताकि देश को खाद्यन्न किसी भी हालत में आयात न करना पड़े वर्ना हम निर्यात की ओर से अग्रसर हो सकें।

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि राष्ट्रहित को ध्यान में रख कर इस योजना को युद्ध स्तर पर पूरा करायें।

(दो) भाखड़ा नहर की सुरक्षा तथा उस नहर में पड़ी दरार के कारण प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, नहर भाखड़ा जो राष्ट्र की सम्पत्ति है और इस पर जो खर्चा लगा है, वह समूचे राष्ट्र का है। यह बात दूसरी है कि खुश हैसियती टैक्स किसानों से हरियाणा, पंजाब व राजस्थान में वसूला गया लेकिन यह समूचे राष्ट्र की सम्पत्ति है। इसको अगर काई आघात पहुंचता है तो राष्ट्र के कलेजे पर चोट लगती है। पंजाब में आतंकवाद की आग से जब भारत की फौज जुझ रही थी, तब देश-द्रोहियों ने इस नहर को काटा और हरियाणा, पंजाब व राजस्थान को न सिर्फ फसल से ही वंचित रखा बल्कि बच्चे, बूढ़े और पशु प्यास से व्याकुल रहे। बीमारी और मौत भी हुई। मरम्मत करवायी गयी। करोड़ों रुपये लगे। देश-द्रोहियों ने फिर काट दी। अब फिर मरम्मत हो रही है। परन्तु देशद्रोही धमकी दे रहे हैं कि जो नहर की मरम्मत करेंगे, उन इन्जीनियरों को गोली से मार दिया जाये। यह देश को खुली चुनौती है। इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

जो पोस्टर छपे हैं, उनकी जांच हो तथा उन पर देशद्रोह का मुकद्मा दर्ज किया जाये और उनकी प्रैस को जब्त किया जाये तथा उन देशद्रोहियों को सख्त सजा दी जाये। नहर की रक्षा राष्ट्रीय स्तर पर की जाये।

जो नुकसान हरियाणा, पंजाब व राजस्थान के किसानों को हुआ है, सरकार राष्ट्रीय कोष से उसे दे। हर किस्म की वसूली व कर्जा राज्य सरकारें माफ करें और केन्द्र सरकार उनका भुगतान करे। जो फसल अब बोई जानी है, उसके लिए दूसरे दरियाओं से हरियाणा को पानी दिया जाए।

(तीन) तमिलनाडु में सैंट्रल बोर्ड आफ सैकेन्डरी एज्यूकेशन से सम्बद्ध विभिन्न स्कूलों के प्रबन्ध को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालय एक पृथक श्रेणी के विद्यालय हैं, क्योंकि न तो केन्द्रीय सरकार और न ही राज्य सरकार का इन पर किसी प्रकार नियंत्रण है तमिलनाडु में इस प्रकार के विद्यालय बहुत अधिक संख्या में जगह-जगह खुल रहे हैं ? इन विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के निश्चित वेतनमान नहीं हैं। उन्हें बहुत ही

[डा० ए० कलानिधि]

कम समेकित वेतन दिया जाता है। इन विद्यालयों में अध्यापकों से ज्यादा कार्य लिया जाता है और उन्हें 40 पीरियड प्रति सप्ताह पढ़ाना पड़ता है। रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है और अध्यापकों आदि को प्रबन्धकों द्वारा किसी भी समय नौकरी में रखा जा सकता है या निकाला जा सकता है। सी० बी० एस० ई० का इन संस्थानों पर कोई नियंत्रण नहीं है। अगर उन्हें कोई अनियमितता नजर आती भी है तो वे कोई कार्यवाही नहीं कर पाते। ऐसी परिस्थितियों में, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन विद्यालयों में एक समान वेतनमान लागू करने, सेवा शर्तों में सुधार करने विद्यार्थियों से फीस की वसूली, अध्यापकों और छात्रों आदि को न्यूनतम सुविधाएं प्रदान कराने, पेंशन की व्यवस्था और विभिन्न श्रेणियों के विद्यालयों, जैसे सी० बी० एस० ई०, मैट्रिक विद्यालयों के सारे प्रबन्ध में सुधार करने के लिए समुचित कार्यवाही करें।

(चार) मध्य प्रदेश के इन्दौर, देवास, उज्जैन, नागदा, मंदसौर और नीमच नगरों में पर्याप्त रेल सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : देश के अनेक प्रदेशों में रेल सेवा विस्तार का कार्य उपेक्षित रहा है। मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक नगर इन्दौर, देवास, उज्जैन, नागदा- मन्दसौर, नीमच अब भी रेल सुविधाओं से वंचित हैं। इन्दौर जो कि मध्य प्रदेश का जनसंख्या के मान से भी सबसे बड़ा नगर है बम्बई और अहमदाबाद से रेल यात्री सेवा से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है इस सम्बन्ध में संसद में प्रेषित याचिका और इसके उपरान्त याचिका समिति द्वारा प्रेषित अनुशंसाओं को रेल मंत्रालय ने समुचित प्रकार से क्रियान्वित नहीं किया है। इन्दौर से नई दिल्ली के बीच प्रारम्भ की गई त्रि-साप्ताहिक सुपर फास्ट रेल गाड़ी में उपयुक्त प्रकार का रेक नहीं लगाया गया है। कोचेज पुराने और उपयुक्त प्रकार के नहीं हैं। उक्त रेल सेवा में सुपर फास्ट रेल सेवा के अनुरूप उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं। इतना ही नहीं संसदीय याचिका समिति की सिफारिश के बावजूद इन्दौर-बम्बई के बीच सुपर फास्ट रेल सेवा अब तक प्रारम्भ नहीं की गई है। इन्दौर और उज्जैन के बीच मीटर गेज के रास्ते से तेज गति की रेल गाड़ी चलाने की जनता की सतत मांग की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। "सर्वोदय एक्स-प्रेस" का "स्टोपेज" जिसमें कि उज्जैन के लिए आरक्षित स्थान है नागदा में "स्टोपेज" नहीं दिया जा रहा है और इसके लिए उज्जैन से यात्रा करने वाले यात्रियों को समय और धन का व्यय कर रतलाम जाना पड़ता है जो कि असुविधाजनक है। कोटा से रतलाम के बीच छोटे स्टेशनों से यात्रा करने के लिए कोई रेल सेवा नहीं है। इन्दौर से अहमदाबाद के बीच तेज रफ्तार की रेलगाड़ी चलायी जानी चाहिए।

अतएव यह आवश्यक है कि रेल मंत्रालय उक्त मांगों की ओर ध्यान देकर जनता को सुविधाएं उपलब्ध करावें।

(पांच) सूखे से प्रभावित मिर्जापुर तथा वाणारसी जिलों में पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने और प्रभावित मजदूरों के लिए रोजगारोन्मुख योजनायें आरम्भ करने की आवश्यकता

श्री उमाकान्त मिश्र (मिर्जापुर) : दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर

वाराणसी तथा आसपास के क्षेत्रों में इस वर्ष पुन: सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। धान की बुआई और रोपाई वर्षा की कमी एवं अभाव के कारण नहीं हो पा रही है। बांध सूखे पड़े हैं। बांधों में पानी न रहने के कारण खरीफ की संभावनाएं क्षीण हो गई हैं केन्द्र सरकार से मांग है कि इस सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नलकूप तथा लिफ्ट सिंचाई के साधनों को ठीक करवाया जाए तथा अधिकतम घंटे बिजली की आपूर्ति करके नलकूप तथा लिफ्ट नलों के द्वारा पानी देकर सिंचाई की अधिकतम व्यवस्था की जाए एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में मजदूरों को रोजगार देने के लिए उपयोगी काम करवाए जायें।

(छ:) उत्तर प्रदेश के आंवला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का तेजी से औद्योगिक विकास करने की आवश्यकता

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : आंवला संसदीय क्षेत्र एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि एक कागज का कारखाना एक कताई मिल, एक पोलिथिन (बैग) बोरों का कारखाना और तिलहन से घी तैयार करने का कारखाना और अनेक ग्रह उद्योग स्थापित किसे जायें। इस क्षेत्र के लोगों की बराबर यह मांग रही है। सरकार विशेष ध्यान देकर इन कारखानों को स्थापित कराने में शीघ्रता करें।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अनुरूप एक अखिल भारतीय तकनीकी सेवा का गठन करने की आवश्यकता

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : देश की प्रगति और विकास कार्यों में अभियंताओं की अहम भूमिका रहती है। विकास कार्यों की विफलता का सारा दोष अभियंताओं पर ही थोपा जाता है जो काफी हद तक सही भी है लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता कि किन परिस्थितियों में रहकर उन्हें काम करना पड़ता है। तकनीकी मामलों के विशेषज्ञ अभियंताओं को भी प्रशासनिक अधिकारियों (आई० ए० एस०) के अधीन रह कर काम करना पड़ता है। परियोजनाओं को पूरा करने में उनके उन आदेशों को भी मानना पड़ता है। जो तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं होते। फिर भी उनके अधीन काम करने की वजह से उन्हें उनका वह आदेश भी मानना पड़ता है। फलत: इस तरह के आदेश और आपसी तालमेल न रहने की वजह से ही परियोजनाओं को सफलता नहीं मिलती।

बहुत बड़ी संख्या में अभियंता कई सालों तक अस्थायी रूप से ही काम करते रहते हैं। अस्थायी रूप से काम करने की वजह से न तो वे ठीक से अपना काम ही कर पाते हैं और न अपने कर्त्तव्य के प्रति निष्ठावान ही रह पाते हैं और इसकी वजह यह होती है कि अपने अस्थायी नौकरी को स्थायी करवाने के लिए उन्हें प्रयत्न करने पड़ते हैं जिससे मूल्यवान समय के साथ-साथ उनकी आर्थिक क्षति भी होती है। कई जगह तो ऐसा होता है कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें अपने कर्त्तव्य के पालन में कई तरह की उलझने और कठिनाइयां पेदा होती रहती हैं।

[श्री अजीत कुमार मेहता]

अभियंताओं के अनिश्चित भविष्य को रखते हुए सरकार से मांग है कि एक निश्चित अवधि के अंदर उनकी सेवा को स्थायी कर देना चाहिए तथा तकनीकी विशेषज्ञों की मर्यादाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए जिस तरह से अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा है उसी तरह से अखिल भारतीय तकनीकी सेवा का भी गठन करने की मैं मांग करता हूं।

(आठ) हल्दिया में प्रस्तावित ड्रैजर रिपेअरिंग कॉम्पलेक्स स्थापित करने की आवश्यकता

श्री सत्यगोपाल मिश्रा (तामलुक) : सरकार ने हाल ही में देश में एक ड्रैजर रिपेअरिंग काम्पलेक्स स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना के ब्यौरे को अन्तिम रूप देना अभी बाकी है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पश्चिम बंगाल के हल्दिया जिले में स्थापित किया जाए।

भारत सरकार ने जहाज निर्माण उद्योग स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त स्थान का चयन करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। काफी विचार करने के पश्चात उस समिति ने जहाज निर्माण उद्योग स्थापित करने के लिए हल्दिया को उपयुक्त स्थान बताया था। लेकिन प्रस्तावित उद्योग स्थापित करने का इरादा छोड़ दिया गया। तब सरकार ने आश्वासन दिया था कि हल्दिया में जहाज रिपेअरिंग कॉम्पलेक्स स्थापित किया जाएगा। लेकिन अभी तक वह भी स्थापित नहीं किया गया।

हमारे देश में अधिकतर ड्रैजिरिंग कार्य हुगली नदी में किया जाता है ताकि कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों पर आने वाले जहाजों के लिए निश्चित 'ड्राफ्ट' को बनाए रखा जा सके। इससे ड्रैजर रिपेअरिंग कॉम्पलेक्स के लिए हल्दिया के चयन की उपयोगिता का औचित्य हो जाता है। आवश्यक स्थान और आधारभूत ढांचा पहले ही हल्दिया में विद्यमान है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों और भारत सरकार के आश्वासन के बावजूद हल्दिया में जहाज-निर्माण और मरम्मत कॉम्पलेक्स नहीं लगाया गया।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार इस बात की घोषणा करे कि हमारे देश में ड्रैजर रिपेअरिंग कॉम्पलक्स हल्दिया में स्थापित किया जाएगा।

(नौ) सेतुसमुद्रम नहर परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित करने की आवश्यकता

श्री के० टी० कोसलराम (तिरुचेंडूर) : माननीय प्रधान मंत्री ने हाल ही में त्रिवेन्द्रम में दक्षिणी वायु कमान का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री देश ने को सचेत किया कि देश की स्वतन्त्रता को चारों तरफ से खतरा है और दक्षिणी वायु कमान देश के दक्षिणी समुद्र तट की रक्षा करेगी।

अमेरिका ने श्रीलंका को बंगाल की खाड़ी, हिन्द महासागर और अरब सागर से सुरक्षा प्रदान करने का वचन दिया है। इजराइल ने श्रीलंका की सेना को प्रशिक्षण देने के लिए अपना

कमांडों तथा 'मोस्साद' वहां भेज रखा है। ब्रिट्रिश भाड़े के सैनिक पहले ही वहां मौजूद हैं। अब जबकि चीन ने भी श्रीलंका की समुद्री सुरक्षा के लिए जहाज भेजे हैं, ऐसी परिस्थितियों में देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि सेतुसमुद्रम नहर परियोजना को युद्ध स्तर पर अति शीघ्र पूरा किया जाये। लक्ष्मी नारायण समिति में, जिसने इस परियोजना की व्यवहार्यता का अध्ययन किया भारतीय नौसेना के प्रतिनिधि ने सेतुसमुद्रम नहर परियोजना के सामरिक महत्व के बारे में जोर देते हुए कहा है कि नौसैनिक बेड़े और व्यापारिक बेड़े की सुरक्षा की दृष्टि से भी इसका महत्त्व है, क्योंकि वर्तमान में उन्हें श्रीलंका के तिंकोमाणी पत्तन से होकर गुजरना पड़ता है। श्रीलंका सरकार ने इसे लम्बी अवधि के पट्टे पर अमेरिका को सौंपा हुआ है।

मैं अनुरोध करता हूं कि रक्षा मंत्रालय सेतुसमुद्रम परियोजना को अति शीघ्र पूरा करने के लिए कदम उठाये।

2:45 म०प०

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधायी कार्य लेंगे। श्री प्रणब मुखर्जी की ओर से श्री एम० एस० कृष्णा सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक विचार करने के लिये पेश करेंगे।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि सम्पदा शुल्क अधिनियम 1563 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्रीमन्, इस सरल और संक्षिप्त इस विधेयक द्वारा केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत सम्पदा शुल्क अधिनियम में कृषि भूमि पर शुल्क न लगाने के मुख्य उद्देश्य से संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

माननीय सदस्य जानते हैं कृषि भूमि पर सम्पदा शुल्क राज्य का विषय है। तथापि विभिन्न राज्यों के कानूनों, पश्चिम बंगाल और जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड़कर, केन्द्र को संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अधीन एक संकल्प पारित कर प्राधिकृत किया गया है कि वे इस विषय पर विधान बनाये।

हमारा यह अनुभव है कि कृषि भूमि के मूल्य निर्धारण में प्रशासनिक कठिनाइयां भी सामने आती हैं। मुकद्मेबाजी होती है कृषि भूमि पर जो सम्पदा शुल्क लगाई जाती है उससे कोई ज्यादा आय भी नहीं होती। उदाहरण के तौर पर 1983-84 वित्त वर्ष में कृषि भूमि पर सम्पदा शुल्क के

[श्री एस०एम० कृष्ण]

रूप में केवल 70 लाख रु० की राशि प्राप्त हुई, जबकि 1982-83 में केवल एक करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई। इसके अलावा वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1980 और वित्त अधिनियम, 1982 के तहत बागान समेत कृषि भूमि पर धन-कर समाप्त किए जाने के पश्चात् भी इस पर सम्पदा शुल्क लगाए रखने का कोई औचित्य नहीं है।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक द्वारा सम्पदा शुल्क अधिनियम 1953 के क्षेत्राधिकार से कृषि भूमि को मुक्त करने का प्रस्ताव है। कृषि भूमि पर सम्पदा शुल्क लगाने का अधिकार पुनः सम्बद्ध राज्य विधान मण्डलों को दिया जा रहा है।

इस संशोधन से सम्पदा शुल्क अधिनियम में संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत सरल हो जायेगी क्योंकि अपेक्षित संशोधन सीधे संसद में पेश किए जा सकेंगे और उन्हें पारित किया जा सकेगा और संविधान के अनुच्छेद 262 के अधीन राज्य विधान मंडलों से संकल्प प्राप्त करने की विशेष प्रक्रिया का पालन भी नहीं करना पड़ेगा।

सम्पदा शुल्क में प्रावधान है कि कृषि भूमि के मूल्य पर इस अधिनियम के अन्तर्गत सम्पदा शुल्क नहीं लगेगा यानि पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर राज्य में कृषि भूमि, मृतक की अन्य सम्पदा के साथ इस सीमित प्रयोजन से जोड़ी जायेगी यह उस अन्य सम्पत्ति पर किस दर से शुल्क लगाया जाना है। इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप कि सम्पदा शुल्क से छूट दे दी जाये, विधेयक में अधिनियम के सम्बन्धित प्रावधानों में भी संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, ताकि उन राज्यों में मृतक की अन्य सम्पत्तियों में सम्पदा शुल्क का निर्धारण करने के लिए कृषि भूमि के मूल्य को शामिल न किया जाये।

इस विधेयक के द्वारा सम्पदा शुल्क अधिनियम की धारा 85 में भी संशोधन करने का प्रस्ताव हैं, जो उस अधिनियम के अधीन संसद के दोनों सदनों के समक्ष बनाये गए नियमों को रखने के बारे में है। ऐसा उस धारा के प्रावधान को दोनों सदनों की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति द्वारा इस सम्बन्ध में सुझाए गए 'आदर्श खंड' के अनुरूप करना है।

श्रीमन्, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, और तमिलनाडु ने पहले ही संविधान के अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत इस विधेयक में किये गये प्रस्तावों को स्वीकृत करने के लिए संबंधी संकल्प पारित कर दिए हैं कृषि भूमि सम्बन्धी ये संशोधन दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने की तिथि से दो महीने बीत जाने पर ये इन राज्यों एवं सभी संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होंगे।

अन्य राज्यों में कृषि भूमि के बारे में प्रस्तावित संशोधन, संविधान के अनुच्छेद 252 (1) के अधीन इन राज्यों के विधान मंडलों द्वारा जिस तारीख को इन संशोधनों को स्वीकार करते हुए संकल्प पारित किये जाते हैं उस तारीख से 4 महीने की अवधि समाप्त होने पर लागू होंगे। इससे राज्य सरकारों को इस बीच पर्याप्त समय मिल जाएगा कि वे अपने राज्यों में कृषि भूमि के बारे में सम्पदा शुल्क लगाने हेतु अलग विधान प्रायोजित करें बशर्ते वे ऐसा चाहते हों।

महोदय, मुझे विश्वास है कि इस विधेयक को सभा का सर्वसम्मति से समर्थन प्राप्त होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दिगम्बर सिंह ।

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, खुशी की बात है कि इस विधेयक के जरिए एस्टेट ड्यूटी एक्ट, 1953 में और संशोधन करने के लिए मंत्री महोदय प्रस्ताव लाये हैं । अच्छा होता, यदि इसमें कुछ और भी संशोधन कर दिए जाते । क्योंकि हमारी सरकार की नीति समाजवाद को देश में लाने की है । समाजवाद का अभिप्राय गरीब और अमीर के बीच के भेद को कम करना है । लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसी हमारी नीति आज चल रही है उससे यह भेद कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है । यद्यपि इस भेद को दूर करने के लिए कानून बनाये जाते हैं, परिवर्तन किए जाते हैं, परन्तु उनका भी कोई लाभ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को नहीं मिल पा रहा है लाभ सिर्फ पूंजीपत्तियों और बड़े अधिकारियों को ही हो रहा है । मैं लोकसभा में भी लम्बे अर्से से देख रहा हूं कि अधिकतर बिलों का उद्देश्य एक ही होता है कि पूंजीपत्तियों को पूंजीपति कैसे रहने दिया जाए तथा सरकारी नौकरियों में अधिकारियों की बात कैसे चलती रहे । मेरा अनुभव यह भी है कि आजादी से पहले अंग्रेजों के जमाने में भी पूंजीपत्तियों की चलती थी और बड़े-बड़े अफसरों की चलती थी और आजादी मिलने के बाद भी मैं वही देख रहा हूं कि पूंजीपत्तियों और बड़े-बड़े अधिकारियों की चल रही है उनकी बात पण्डित जवाहर लाल नेहरू के जमाने से लेकर, लाल बहादुर शास्त्री और इन्दिरा गांधी जी के जमाने तक चलती आ रही है और यहां तक कि जितने विरोधी दलों के प्रधान मंत्री हुए हैं, उनके जमाने में भी उनकी ही चलती रही । यद्यपि हम समाजवाद को लाने के लिए कानून बनाते हैं, लेकिन आप देखिए कि उसका नतीजा हमारे सामने क्या आ रहा है । वर्ष 1976 77 में 15 करोड़ 56 लाख रुपए एस्टेट ड्यूटी के वसूल करने के लिए बकाया रहते थे । लेकिन उसके बाद हमारी नीतियों के परिणाम-स्वरूप वस राशि 1977-78 में बढ़कर 17 करोड़ रुपए हो गई और 1980-81 में बढ़कर 27 करोड़ 66 लाख रुपए हो गई । यह शायद हमारी समाजवादी नीतियों का परिणाम ही है, क्योंकि हम पूंजीपत्तियों को कम पूंजी वाला बनना चाहते हैं । उसका कारण यह है कि वसूली करने वाले भी अधिकारी होते हैं और उनका सम्बन्ध भी ज्यादातर पूंजीपत्तियों के परिवारों से होता है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसमें एक संशोधन यह भी होना चाहिए कि यदि कोई आदमी मरता है तो एक सीमा से अधिक उसकी सम्पत्ति जनता की होनी चाहिए । क्या जरूरत है कि वह उनके बच्चों के पास रहे और वे अपने बाप की कमाई पर मौज उड़ाते रहें ।

मैं चाहता हूं कि आप इससे आगे बढ़कर भी देखें । वर्ष 1979-80 में राजा महाराजाओं पर 21 करोड़ 15 लाख रुपया बकाया था, जिसमें से सिर्फ 4 करोड़ 64 लाख रुपया वसूल हुआ । इसी तरह 1981-82 में वह बकाया बढ़कर 18 करोड़ हो गया ।

मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी नीति चल रही है, किसानों की स्थिति सब लोगों को पता है, वे गरीब होते चले जा रहे है, उनके साथ इस तरह से भेद किया जा रहा

[श्री रिगम्बर सिंह]

है, यदि यही स्थिति चलती रही तो मैं समझता हूं कि उत्पादन पर इसका प्रभाव पड़ेगा और हमारे लिए एक जटिल समस्या पैदा हो जाएगी । मेरा अनुभव यह है कि हमारी सरकार और अफसर किसानों को सम्पन्न नहीं बनने देना चाहते । और इसलिए नहीं बनने देना चाहते कि वह समझते हैं कि किसानों की हालत अच्छी हो गई तो दिल्ली में दूध कहां से आएगा । वह अपने बच्चों को भूखा रख कर दिल्ली दूध भेजता है । कानून में संशोधन यह होना चाहिए था कि पूंजीपत्तियों की पूंजी कम हो, गरीबों को लाभ हो ।

मुझे खुशी है कि किसानों को आपने ऐग्जम्पट कर दिया क्योंकि उसके लिए व्याहारिक नहीं है । किसान की जमीन पुश्त-दर-पुश्त वहीं चली आती है । सम्पत्ति तो बढ़ जाती है, लेकिन जमीन नहीं बढ़ती है परिवार के बढ़ जाने से जमीन परिवार के बच्चों में बटती चलती है, दूसरे सीलिंग लगी हुई है । इसलिए अगर संशोधन लाना है तो ऐसा करना चाहिए जिससे पूंजीपति न बने, और उस पूंजी का लाभ गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को मिले । 1952 में यहां पांचतारा होटल अधिक नहीं थे, लेकिन अब उनकी भरमार है और उनमें जगह नहीं मिलती हैं । तो पूंजीपत्तियों के पास पैसा बढ़ रहा है अतः एक सीमा बना दीजिए, 3 लाख, 4 लाख. 5 लाख कि इस सीमा से अगर अधिक मम्पत्ति छोड़कर कोई मरता है तो बाकी की उसकी सम्पति राष्ट्र को जाएगी, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होगी । यह कौन सा तरीका है कि बाप के मरने के बाद उसकी औलाद पुश्त-दर-पुश्त खाये ? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आर्थिक विषमता की वजह से जो लूट-मार चल रही है, बेकार लोग घूम रहे हैं, यह अव्यवस्था चलती रहेगी । पार्लियामेंट के सदस्य 7 लाख की आबादी पर चुन कर आते हैं इनकी स्थिति को देखिए । और एक छोटा सा उद्योग या दुकान कोई चलाता है उसकी आमदनी को देखिए । मुझसे एक पूंजीपति ने कहा कि हमारे सामने समस्या यह है कि रुपए का क्या करें । मैंने कहा यह कैसे । उसने कहा जितनी शराब पी सकते हैं पीते हैं । जितना लोगों को पिला मकते हैं, पिलाते हैं, अपने देश में सफर भी करते हैं, रुपया तिजोरी में रखते हैं तो 5 साल में उसका रंग बदल जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दिगम्बर सिंह आप अपनी पूंजी चुनाव के समय पर प्रयोग कीजिए ।

श्री दिगम्बर सिंह : मैं यही कह रहा था कि चुनाव आ रहे हैं तो जनता को दिखाने के लिए आपने किसानों को थोड़ी सी सुविधा दे दी । लेकिन साथ ही यह भी प्रतिबन्ध लगा दें कि एक सीमा के बाद, जैसा मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, और कोई सम्पत्ति छोड़ कर मरेगा तो वह राष्ट्र की होगी, व्यक्ति विशेष की नहीं होगी ।

लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा नहीं है । भगवान तो आदमी को मां के पेट से पैदा करता है, सबकी माँ का दूध एक सा होता है । लेकिन गरीब चिथड़ों में रहता है धनवान का बच्चा मखमली गद्दों में रहता है । यह कैसी व्यवस्था है । अतः जैसा मैंने कहा है वैसा आप प्रतिबन्ध लगा दीजिए । और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो चोरी, लूट-पाट चलती रहेगी, बन्द नहीं होने वाली है । अगर आप इस में ऐसा संशोधन नहीं ला रहे हैं तो दूसरा बिल लाइए और क्रांति-

कारी कदम उठाइए जैसा कि महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल चाहते थे, और सरकार की भी नीति रही है कि आर्थिक विषमता को मिटाया जाए। इतना ही मुझे कहना है।

3.00 म०प०

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1982 में एक संशोधन विधेयक पुनः स्थापित किया गया था और इस विधेयक में बहुत बड़ी संख्या में सदस्यों ने भाग लिया था और जहां तक सम्पदा शुल्क का संबंध है उन्होंने तीन मूल मांगे की थीं। पहली प्रक्रिया का सरलीकरण; दूसरी, इसे युक्तिसंगत बनाना और तीसरे, एक व्यापक विधेयक लाना। 1982 के विधेयक का उद्देश्य कर-योग्य राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,50,000 रुपए करना और सम्पदा शुल्क की दर को 10 प्रतिशत करना था।

मैंने 1952 के मूल विधेयक को, यह जानने के लिए पढ़ा कि 1984 के संशोधन विधेयक के उद्देश्य के मुकाबले सम्पदा शुल्क अधिनियम का क्या उद्देश्य था। यदि मैं मूल विधेयक और उसके साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों के विवरण का हवाला देता हूं तो आपको वास्तव में हैरानगी होगी। उस विधेयक में स्वर्गीय श्री सी०डी० देशमुख ने दो मूल बातें स्पष्ट रूप से कही थी, अर्थात् (1) जो पहले से ही धनी हैं उनके हाथों में धन के और संकेन्द्रण को कुछ हद तक रोकना और फिर भी जो पूंजी वितरण में वर्तमान असमानताओं को कम करने की दिशा में कारगर कदम उठाने को तैयार नहीं हैं, और (2) राज्यों को उनकी विकास योजनाओं में धन लगाने के लिए सहायता देना ये सम्पदा शुल्क अधिनियम के दो मूल उद्देश्य थे।

अब हम उस विधेयक को लें जो यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझे यह कहने में खेद हो रहा है कि मैं बहुत निराश हूं। इसका उद्देश्य क्या है ? इसका उद्देश्य कृषि भूमि को मुक्त करना है इसका क्या कारण है। इसमें कहा गया है कि जो राशि वसूल हुई है वह बहुत थोड़ी है। क्या छोटी-सी राशि बसूल करने के लिए सरकार को अपने तंत्र का प्रयोग करना पड़ता है ? परन्तु मूल प्रश्न वही है। क्या हम पूंजी का संकेन्द्रण होने दे रहे हैं ? पूंजी के समान वितरण के प्रयोजन के अंतर्गत कृषि भूमि को छूट देकर हम भेदभाव क्यों करें ?

इस विधेयक में निहित उद्देश्य मूल अधिनियम के उद्देश्य को ही विफल कर देता है। मूल अधिनियम का उद्देश्य था पूंजी में असामनता को हटाना, पूंजी के संकेन्द्रण को कम करना और राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देना था।

अब, इस विधेयक में यह कारण दिया गया है कि अनुच्छेद 252(1) के अधीन राज्य सरकारों ने एक प्रस्ताव के माध्यम से कृषि पूंजी पर से सम्पदा शुल्क समाप्त करने की सिफारिश की है। इसके क्या परिणाम होगे ? धनी उद्योगपति कृषि भूमि में पैसा लगायेंगे जो सम्पदा शुल्क से मुक्त है, और इसमें काला धन लगाया जाएगा। क्या हमें इसकी अनुमति देनी चाहिए ? इस

[श्री जेवियर अराकल]

प्रश्न पर हमारे क्या विचार हैं ? यह मूल प्रश्न है। यदि वसूल की गई राशि थोड़ी है तो क्या इसका अर्थ यह है कि हम मूल धन को भी खो दें ? क्या इसका अर्थ यह है कि क्या हम समाजवाद की अपनी मूल विचारधारा को ही छोड़ दें जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने इसके बारे में अभी-अभी बताया है ? मेरा यही अनुरोध है कि इस विधेयक का कुछ ऐसा उद्देश्य है जिसके बारे में मूल विधेयक में सोचा भी नहीं गया था।

राज्य सूची के अधीन प्रविष्टि 47 और प्रविष्टि 48 कृषि भूमि पर सम्पदा शुल्क से सम्बद्ध है। अब इन्हें निकाल दिया गया है। यदि राज्य सरकारें ही कृषि सम्पदा पर अधिक सम्पदा शुल्क लगाने, शुल्क की बढ़ी हुई दरों की वसूली करने के लिए आगे नहीं आती हैं तो क्या यह हमारी गलती है ? केन्द्र सूची की प्रविष्टि 87 में कहा गया है कि कृषि भूमि से भिन्न सम्पत्ति पर शुल्क लगाया जा सकता है निश्चय ही ऐसा करने के लिए हमें अधिकार है। अनुच्छेद 269 में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सम्पदा शुल्क को लगाने और वसूल करने का कार्य राज्य सरकारों का है। ऐसी कौन सी सम्पत्ति बच जाएगी यदि धनी और समृद्ध उद्योद्यपतियों ने अपने काले धन को कृषि भूमि पर लगा दिया जो सम्पदा शुल्क से मुक्त है और जिस पर सम्पदा शुल्क लिया जाएगा ? यही मुख्य प्रश्न है जिसकी जांच करनी होगी।

महोदय, मुझे वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय (VIII) के पृष्ठ 60-61 और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके अनुरूप यह विधान लाया गया है, मेरा अनुरोध है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में एक सामंतवादी समाज की रचना कर रहे हैं। हम पुराने दिनों में वापस जा रहे हैं जब भूमि और सम्पत्ति के मूल्य को निरन्तर तेज गति से बढ़ने दिया जा रहा है। परन्तु किसकी कीमत पर ?

3.05 म०प०

(श्री चिंतामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

मेरे मित्र अभी-अभी निर्धन किसान, दुखी किसान की बात कर रहे थे। अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस संशोधन विधेयक से उन लोगों को सहायता मिलेगी ? मैं इसे समझने में असमर्थ हूं।

अतः मूल प्रश्न यह है कि, जैसा कि मूल अधिनियम का अभिप्राय था और जिसे मैंने अभी पढ़ा है, कि क्या हम कृषि क्षेत्र में पूंजी के संकेन्द्रण की अनुमति दे रहे हैं ? क्या राज्य सरकारें, कृषि सम्पत्ति पर शुल्क न लगाकर और जैसा मैं समझता हूं, कृषि भूमि पर सम्पत्ति कर भी न लगाकर, कृषि क्षेत्र से अपने ही साधनों को नहीं खो बैठेगी ?

वित्त आयोग की 8वीं रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस संबंध में संकल्प पारित नहीं किया है। वर्ष 1982 में जब श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती भाषण दे रहे थे तो मैंने कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने संकल्प पारित नहीं किया है और इसलिए उन्हें इस

विधेयक के बारे में बोलने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है वही बात इस रिपोर्ट में भी बताई गई है। मुझे यह देखकर हैरानी हुई है।

क्या कृषि क्षेत्रों से साधनों को उपलब्ध करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व नहीं है ?

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि यह संशोधन विधेयक में सोच-विचार कर नहीं प्रस्तुत किया गया है और अवांछनीय है और हमें एक व्यापक विधेयक तैयार करना चाहिए जिसमें ग्रामीण तथा शहरी दोनों प्रकार की सम्पत्ति को सम्पदा शुल्क के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लिया जाए और जिसमें शुल्क की दर तथा एक प्रक्रिया एक-सी, सरल और युक्तिसंगत हो।

इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक पर पुनः विचार किया जाना चाहिए और माननीय मंत्री को इस विधेयक के मूल प्रश्नों के बारे में कुछ कहना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : सभापति महोदय, सभा में सम्पदा शुल्क संशोधन विधेयक, 1984 पर इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे जो अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 में लागू हुआ था। तत्कालीन वित्त मंत्री श्री सी० डी० देशमुख ने इस विशेष विधेयक को इस सभा में पुनः स्थापित किया था।

उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह उल्लेख किया गया था :

"विधेयक का उद्देश्य किसी व्यक्ति की मृत्यु पर संक्रांत की जाने वाली या संक्रांत करने के लिए समझी गई संपत्ति पर सम्पदा शुल्क लगाना है। यद्यपि युद्ध के समय से ऊंची दरों पर आयकर को उद्ग्रहण और उसकी वसूली तथा कर की चोरी के अनेक महत्वपूर्ण मामलों में आयकर जाँच आयोग द्वारा की गई जाँच से निस्संदेह उन लोगों के हाथों में धन का और संकेन्द्रण कुछ हद तक रुका है जो पहले से ही धनी हैं, तथापि धन के वितरण में विद्यमान असमानताओं को कम करने की दिशा में ये ठोस कदम नहीं माने जाते हैं। आशा है कि सम्पदा शुल्क लगाने ऐसे असमान वितरण में काफी हद तक सुधार किया जा सकता है। इस तरह के विधेयक से राज्यों को अपनी विकास योजनाओं के वित्त-पोषण में भी मदद मिलेगी....."

उद्देश्यों और कारणों के इस कथन में दो पहलुओं पर जोर दिया गया है। एक तो है धन का संकेन्द्रण और दूसरा है राज्यों को संसाधनों की उपलब्धि। अब इस अधिनियम के लागू होने के 31 वर्षों के बाद इस देश में आज स्थिति क्या है ? क्या यह विशेष विधान धन का संकेन्द्रण रोक सका है ? मेरे विचार में अधिकांश सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि इससे ऐसा नहीं हुआ है।

[श्री सतीश अग्रवाल]

दूसरे, क्या इससे राज्यों को कुछ हद तक वित्तीय संसाधन उपलब्ध हुए हैं। मेरे विचार में इसका भी उत्तर नकारात्मक होगा, क्योंकि हमारे देश में जो विभिन्न प्रत्यक्ष कर कानून हैं वे मुख्य रूप से प्रोफेसर कालडार की रिपोर्ट पर आधारित हैं जिन्होंने इस देश में एक एकीकृत कर ढांचे की सिफारिश की थी जिसके द्वारा उन्होंने यह दलील दी कि यदि कोई कुछ धन का अर्जन करता है तो उसे आयकर देना होगा। यदि वह कुछ धन खर्च करता है, तो उसे व्यय कर देना होगा, यदि वह किसी को धन देता है तो उसे उपहार कर देना होगा, यदि वह धन अपने पास रखता है तो उसे धन कर देना होगा, और यदि इन चारों में से किसी भी कर के दिए बिना उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चों को सम्पदा शुल्क देना होगा। जब सरकार ने व्यय कर समाप्त कर दिया तो यह एकीकृत चक्र टूट गया। उस विशेष कर को समाप्त कर दिया गया। अब व्यय कर नहीं है। मेरे विचार के अनुसार इस देश में स्पष्ट रूप से हम जो खर्च करते हैं, उस पर विचार करते हुए व्यय कर अवश्य होना चाहिए और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए था। आय पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। व्यय पर ही कर लगाया जाना चाहिये। हम आय पर कर लगा रहे हैं। आपको व्यय पर कर लगाना चाहिए। यदि मैं बचत करके बैंक में धन जमा करता हूं तो सरकार को मेरा आभारी होना चाहिए, क्योंकि बैंक में अपने निवेश पर जो प्रतिलाभ मुझे मिलता है वह रुपए के प्रतिवर्ष गिर रहे मूल्य की अपेक्षा काफी कम है। खैर, अब मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता।

श्री अराकल मुझसे सहमत होंगे कि इसके प्राथमिक उद्देश्य ऐसे समतावादी समाज की स्थापना से था जो सामाजिक न्याय पर आधारित होगा, जहां कोई शोषण नहीं होगा, जहां कुछेक हाथों में आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण पर रोक होगी। प्रत्येक विधेयक, विशेष रूप से धन कर, संपदा शुल्क और इसी तरह के सभी उद्देश्यों और कारणों के कथन में इसी बात का उल्लेख है।

लोक लेखा समिति ने दो वर्ष पहले इस मामले के इस विशेष पहलू पर विचार किया था। क्या अपने देश में हम एक ऐसे समतावादी समाज की स्थापना के विशेष महत्वपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त कर सके हैं जो कि सामाजिक न्याय पर आधारित होगा और जिसमें आर्थिक शक्ति का संकेन्द्रण नहीं होगा। इसका उत्तर नकारात्मक है। यदि हम इन वर्षों में इस देश के बड़े औद्योगिक घरानों के आंकडों की ओर दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि इस देश में कुछेक बड़े औद्योगिक घरानों के पास जिनकी कुल अस्तियां अंग्रेजों के इस देश के जाने के समय 25 करोड़ रुपये की थी, अब उनकी अस्तियां 2,500 करोड़ रुपये की हैं। स्थिति यह है। क्या यह समाजवाद है ? क्या यह सामाजिक न्याय है ? क्या ये कानून कुछेक हाथों में आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण को किसी तरह से रोकने में सहायक हो सके हैं ? इसका उत्तर नकारात्मक है।

मेरे माननीय मित्र श्रीकृष्ण, जिनका दृष्टिकोण बड़ा ही गतिशील और जो ईमानदार व्यक्ति हैं, इसकी जांच करेंगे। आयकर विभाग के विशेष 'सेल' ने इसका अध्ययन किया है। लोक-लेखा समिति ने इस अध्ययन विशेष पर भलीभांति विचार किया है और इसकी सिफारिशें लोक-लेखा समिति के इस प्रतिवेदन में दी गई हैं जिसे मैंने गत वर्ष प्रस्तुत किया था।

इस सर्वेक्षण के अनुसार बड़े औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित लोगों की वैयक्तिक सम्पत्ति इन वर्षों में कम हो गई है··· उसमें कमी आ गई है। इस पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है ? वे कुछ अन्य तरीके भी अपना रहे हैं। महोदय, मैं आय कर देता हूं। मैं धन कर देता हूं—मैं एक साधारण व्यक्ति, एक वकील और एक संसद सदस्य हूं। आप सभी जानते हैं कि हमारी कितनी बचत हो सकती है। इसके बावजूद मैं कभी भी यह दावा नहीं करता हूं कि मैं गरीब परिवार का हूं। मैं एक आयकर दाता, एक धन कर दाता हूं और विधेयक के उपबंधों के अनुसार मेरे बच्चों को संपदा शुल्क देना होगा। मैं इसका बुरा नहीं मानता। परन्तु प्रश्न यह है यदि बड़े औद्योगिक घरानों के लोगों की वैयक्तिक संपत्ति में कमी आ गई है, तो आप उनसे कितना संपदा शुल्क लेने जा रहे हो ? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वे कोई आयकर नहीं दे रहे हैं। वे कोई धनकर नहीं दे रहे हैं और उनके बच्चे संपदा शुल्क नहीं। देंगे क्या यह विश्वसनीय है ? आपने कलकत्ता अधिवेशन में जो संकल्प पास किया है क्या वह इस विकास के अनुकूल है ?···

एक माननीय सदस्य : आप उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं ?

श्री सतीश अग्रवाल : अनेक लोग इसके बारे में जानते हैं। अनावश्यक रूप से लोगों का नाम लेने और इस प्रकार विवाद उत्पन्न करने की मेरी आदत और मेरा व्यवहार नहीं है। उनमें से अनेक ऐसे हैं और वे कराधान के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

गत वर्ष भी मैंने वित्त मंत्री का ध्यान दिलाया था और उसके लिए मैंने उन्हें धन्यवाद दिया था कि ऐसी कम्पनियां हैं जिनका लाभ प्रतिवर्ष 60 करोड़ रुपये है परन्तु निगम कर के रूप में एक पैसा भी नहीं दे रही हैं। ये कम्पनियां कर दायित्व शून्य कम्पनियां कहलाती हैं। हमने मामला लोक-लेखा समिति में उठाया। हमने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। हमने वित्त मंत्रालय को परामर्शदायी समिति में मामला आगे बढ़ाया और तब अंततोगत्वा पिछले वर्ष माननीय वित्त मंत्री ने लोक-लेखा समिति को बधाई दी और 30% न्यूनतम लाभ पर कर लगाया। मैंने यह मामला पुनः उठाया, क्योंकि मैंने समाचार पत्रों में यह पढ़ा था कि ये सभी कर दायित्व शून्य कम्पनियां इस वर्ष भी कोई कर नहीं देने जा रही हैं। स्थिति यह है···

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : क्या यह बजट में है।

श्री सतीश अग्रवाल : हां, यह गत वर्ष था। उन्होंने कहा कि आयकर छूट और रियायतें केवल 70% तक ही हैं अर्थात् इन कम्पनियों को हर हालत में कम से कम 30% लाभ पर कर देना होगा। परन्तु इस वर्ष मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा—ये कम्पनियाँ कुछ भी नहीं देने जा रही हैं। इस वर्ष भी कोई कर दायित्व नहीं है। अतः मैंने मामला परामर्शदायी समिति में भी उठाया। स्थिति यह है। उनके द्वारा यह तो बेहतर कर कौशल का सवाल है जो ऐसा कर सकते हैं। मैं और

[श्री सतीश अग्रवाल]

आप ऐसा नहीं कर सकते । अतः उनके पास बेहतर कर कौशल है, क्योंकि वे प्रतिमाह 50,000 रुपये पर विशेषज्ञ रख सकते हैं और मैं और आप नहीं रख सकते । इसलिए हम ईमानदारी से अपने कर देते हैं ।

अतः इस देश में कर दाता सबसे अधिक प्रभावित है । हमारी समूची कर प्रणाली अमीरों की मदद करती है और मध्यम वर्ग के लोगों से पैसा वसूल करती है और जो लोग ईमानदारी से अपने कर देते हैं उनके प्रति धन कर प्रशासन बड़ा कड़ा रुख अपनाता है । यदि आप सभा-पटल पर रखे गए नवीनतम लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों में दिए गए आंकड़ों को देखें तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कर वसूली करने वाले अधिकारियों के समक्ष जो हेराफेरी कर लेते हैं वे इससे बच जाते हैं । इस विशेष लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में आंकड़े दिए गए हैं । भारत में लगभग 4000 तलाशियां और जब्तियां की गई हैं । तलाशी और जब्ती के मामलों की संख्या में वृद्धि हो गई है । परन्तु इसका इतना अधिक महत्व नहीं है जितना कि राष्ट्रीय राजकोष में वृद्धि की गई धनराशि का आपने कितना अधिक जुर्माना वसूल किया है, आपने कितना अधिक कर वसूल किया है—यही मुख्य बात है । यदि वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीकृष्ण इस सभा को बता सकें कि इन तलाशियों और जब्ती के मामलों में लगाए गये जुर्माने का कर द्वारा राष्ट्रीय राजकोष में कितने धन की वृद्धि की गई है, तो मैं उनका बड़ा आभारी हूंगा । आप किसी भी वर्ष के आंकड़े मुझे दीजिए । आप कतई नहीं दे सकेंगे ।

फिर बकाया राशि की स्थिति क्या है ?···

श्री राम प्यारे पनिका : यदि स्थिति यह है तो इस सभा में माननीय सदस्य जैसे प्रतिष्ठित वकील हैं···

श्री सतीश अग्रवाल : जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं करों सम्बन्धी वकील नहीं हूं । एक तो बात यह है ।

दूसरे श्री पनिका हम संसद सदस्य हैं और राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और यदि ऐसे लोगों द्वारा सरकार को चालाकी से मात किया जा सकता है तो हमारे यहां होने का कोई औचित्य नहीं है । हमें इन खामियों को दूर करने के लिए अर्थोपाय करने चाहिएं ।

महोदय कर-प्रणाली के बारे में हमारी नीति वास्तविकता पर आधारित होनी चाहिए । सम्पदा शुल्क 1953 में लनाया गया था । अब यह 1984 है । इकत्तीस वर्ष गुजर चुके हैं । भारत सरकार को प्राप्त होने वाला कुल राजस्व 23,000 करोड़ रुपये से अधिक है । सम्पदा शुल्क से जिसका उद्देश्य धन के संकेन्द्रण को रोकना तथा राज्यों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना था । कितना कर प्राप्त होता है । 1978-79 में सम्पदा शुल्क की वास्तविक वसूली 13 करोड़ रुपये की थी तथा 1980-81 में 20 करोड़ रुपए थी । 1982-83 में यह राशि 20 करोड़ रुपए थी—और इस वर्ष 21 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है । आज प्रत्येक राज्य को इसका कितना हिस्सा मिलेगा राजस्थान को मुश्किल से 1 करोड़ रुपये मिलेगा ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : केवल 50 लाख रुपए।

श्री सतीश अग्रवाल : अतः इस संसद में श्री देशमुख ने धन के संकेन्द्रण को रोकने तथा राज्यों को संसाधन उपलब्ध कराने के इन दो उद्देश्यों से सम्पदा शुल्क की जो व्यवस्था की थी उसके 31 वर्ष बाद राजस्थान को केवल 50 लाख रुपए की राशि ही उपलब्ध की जा रही है। नही स्थितिअन्य राज्यों की है। यह क्या है ? 23,000 करोड़ रुपए के केन्द्रीय कर राजस्व में यह 21 करोड़ रुपए क्या है ? आयकर विभाग की काफी जन-शक्ति इन मूल्यांकनों में लग जाती है।

इस शुल्क के अन्तर्गत बकाया राशि कितनी है ? यह कर से काफी अधिक है। 1982-83 के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार सम्पदा शुल्क की बकाया राशि 34 करोड़ रुपए है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : वह इकट्ठी हो गई है।

श्री सतीश अग्रवाल : स्वाभाविक है. बकाया राशि तो बकाया राशि ही है। धन कर कानून के अन्तर्गत कुल वसूली 90 करोड़ रुपए है। बकाया राशि क्या है ? बकाया राशि लगभग 180 करोड़ रुपए है। यह ठीक दो गुना है। उपहार-कर से कितना राजस्व मिलता है। इससे हमें 8-9 करोड़ रुपए मिलता है। यदि आप 5000 रुपए से अधिक का उपहार देते हैं तो आपको उपहार-कर देना होता है। मैं कहना चाहूंगा कि जो 5,000 रुपए का उपहार देते हैं उन्हें यह कर देना पड़ता है जबकि वे जो 5 लाख रुपए का उपहार देते हैं, कोई उपहार-कर नहीं देते हैं क्योंकि वे इसका तरीका जानते हैं।

इन तीनों करों के अन्तर्गत कुल वसूली 120 करोड़ रुपए है और ये इस मूल उद्देश्य से लगाये गए कि एक समतावादी समाज की स्थापना हो अर्थात् धन के संकेन्द्रण को रोका जाये और राज्यों को संसाधन उपलब्ध कराए जायें। अतः जहां तक इन कानूनों का सम्बन्ध है, हमारे कर-प्रशासन की यह कार्यनिष्पत्ति है।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : आप क्या कर रहे थे ? (**व्यवधान**)

श्री सतीश अग्रवाल : पहली बात यह है कि मैं पूरी तरह से वित्त मंत्री नहीं था। दूसरे, प्रत्यक्ष कर मेरे प्रभार में नहीं थे। तीसरे, कार्यकाल इतना थोड़ा था कि और अधिक कुछ नहीं किया जा सका। सीमा शुल्क के सम्बन्ध में मैंने जो कुछ किया उसकी जानकारी आप खाड़ी क्षेत्रों से आनेजाने वाले लोगों से ले सकते हैं। आप त्रिवेन्द्रम जा सकते हैं (**व्यवधान**)। किन्तु मैं आपको बता दूं कि कार्यकाल बहुत थोड़ा था और माना कि किसी ने को. काम नहीं किया तो प्रिय बाप को यह चुनौती नहीं दे सकता है कि "बाप ने क्या किया है ?" आपने केवल मुझे जन्म दिया है और मैंने दो को जन्म दिया है।' आखिर उनकी अपनी पारी थी और आपकी अपनी। जब मैं वहां आऊं तो आप मुझसे यह प्रश्न पूछ सकते हैं। आप तब मेरे भाषणों का हवाला दे सकते हैं कि आपने सम्पदा शुल्क

[श्री सतीश अग्रवाल]

को समाप्त करने के लिए जोरदार तर्क दिया था और आपने क्या किया है? आपने अपने वायदे को नहीं निभाया है। तब आप मुझे चुनौती दे सकते हैं न कि अभी। यदि समय आया तो मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या करता हूं।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, अब मैं सम्पदा शुल्क के अन्तर्गत कर-निर्धारण के लम्बित मामलों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं इस मामले के इस पहलू की ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि धन कर अधिनियम के अन्तर्गत सम्पति के मूल्यांकन के भिन्न मानक हैं तथा उसी सम्पत्ति के सम्पदा शुल्क के लिए मूल्यांकन के भिन्न मानक हैं जिसका परिणाम यह होता है कि काफी मुकदमेलाजी होती है और कर राशि बकाया रहती है। कर-निर्धारण के लम्बित मामलों की संख्या लगभग 35,000 है। 1982-83 में इन मामलों की संख्या 40,000 थी।

अतः मूल्यांकन के सिद्धांतों का मानकीकरण कीजिए। धन कर और सम्पदा शुल्क दोनों के लिए एक ही मानक होने चाहिएं। मैं यह सुझाव भी देना चाहूंगा कि सम्पदा शुल्क को पूर्णतः समाप्त किया जाना चाहिए। आप 2i करोड़ रुपया चाहते हैं। आपकी धन कर से वसूली लगभग 100 करोड़ रुपए है। माना कि आप धन कर पर प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत अधिभार लगाते हैं तो उसका अर्थ हुआ कि अधिभार के जरिए 20 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं धन कर पर आपका अधिभार 5 प्रतिशत हैं तो उसका अर्थ यह हुआ कि जब मैं मरूंगा तो मेरे बच्चों को तथा विभाग को शेयरों के बारे में अर्थात् कितने सह-उत्तराधिकारी हैं, परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में ऐसे मामलों का हवाला दिया गया है जिसमें सम्पदा शुल्क के कतिपय निर्धारणों में कई पेचीदगियां हैं। बीमा पालिसियां हैं और यह निर्धारित किया जाना था कि क्या यह पत्नी को जायेगा या नामजद व्यक्ति को जायेगा। अतः काफी मुकदमेबाजी होती है।

अतः महोदय, इस कानून से इस विभाग के कार्मिकों का दुरुपयोग होता है यदि आप इससे 500 कर्मचारियों की बचत करते हैं-और आप उन्हें दूसरे बड़े मामलों में लगा सकते हैं। उन्हें बड़े मामलों में ध्यान केन्द्रित करने दीजिए। यदि आप बड़े मामलों में ध्यान केन्द्रित करते है तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आप केवल 10 मामलों से ही 20 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। स्वयं मन्त्रालय में जिम्मेदार व्यक्तियों से प्राप्त विश्वस्त जानकारी के अनुसार तथा आपके पूर्ववर्ती व्यक्तियों के अनुसार देश में कर अपवंचन 100 प्रतिशत से कम नहीं है। यदि आप कर अपवंचन को रोक सकें तो हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें किसी अतिरिक्त कराधान की आवश्यकता नहीं है। यह संसद, लोकतंत्रीय संस्थानों तथा हम सभी के लिए एक चुनौती है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय मेरे विचार से यह विशेष संशोधन इसमें सहायक नहीं होगा।

जहां तक कृषि भूमि को अलग रखने का सम्बन्ध है मैं इसका स्वागत करता हूं। मामले के इस पहलू के सम्बन्ध में इसमें भी दो राय हैं, क्योंकि हमने कृषि भूमि को श्री आरकल के अनुसार धन कर के अधिकार क्षेत्र से मुक्त रखा है। स्वभावत यह प्रश्न पैदा होता है कि कृषि क्षेत्र कुला जी०डी०आर० में 40 प्रतिशत का योगदान करता है और कुल कृषि परिसम्पत्तियां कराधान के अधिकार क्षेत्र से परे हैं। वे कराधान के अधिकार क्षेत्र से परे और उन पर कोई धन कर, आयकर तथा सम्पदा शुल्क आदि कुछ नहीं लगता है। यहां तक कि चाय बागानों, काफी बागानों तथा अन्य बागानों के मामले में भी, जिनकी सम्पदा लाखों और करोड़ों रुपए में हैं, वे धन-कर, सम्पदा शुल्क और आय-कर के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। वास्तव में कुछ राज्यों ने कृषि आय को कर प्रयोजनों के लिए हिसाब में लिया है। मैं उसका इस समय समर्थन नहीं कर रहा हूं। यह एक व्यापक क्षेत्र है और उस विशेष व्यवस्था के बारे में अधिक विस्तृत चर्चा तथा विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है। किन्तु यह ठोस तथ्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में 50 प्रतिशत लोग जिनके पास ग्रामीण क्षेत्रों में कुल भूमि का 9 प्रतिशत भूमि है तथा यह बात कृषि सम्बन्धी आंकड़ों से भी पुष्ट होती है कि देश में 4 प्रतिशत लोगों के पास 30 प्रतिशत भूमि है। अतः ये गम्भीर मामले हैं और इनकी नई संसदीय समिति द्वारा गम्भीरता से जांच की जानी चाहिए। अतः मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप इस पहलू की निष्पक्ष जांच करने के लिए एक नई संसदीय समिति की नियुक्ति कीजिए और इस बारे में निष्कर्ष दीजिए ताकि हम अपने कर-ढांचे तथा कर-प्रणाली में पूरी तरह से परिवर्तन करें और इसे सरल तथा युक्ति संगत बनाने की आवश्यकता है जिसके बारे में हर एक सरकार सभा में वचन देती है कि वे ऐसा अमुक विधेयक ला रहे हैं। किन्तु दुर्भाग्य से ऐसा विधेयक अभी तक नहीं लाया गया है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले पर अपना ध्यान संकेन्द्रित कीजिए अर्थात् इस बड़े मामले पर ध्यान दीजिए। क्या इस सभा में कोई माननीय सदस्य विश्वास कर सकता है कि इस देश में केवल 4 महानगरों में ही 17,000 लोग ऐसे है जिनके पास 5 लाख रुपए से अधिक सम्पत्ति है? यहां सम्पति का अर्थ है मकान, कार, सोना, जेवर, चल और अचल वस्तुएं आदि। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि इस देश में केवल 17,000 ही लोग ऐसे हैं जिनकी सम्पति 5 लाख रुपये से अधिक है? 17,000 की इस संख्या में से आप अधिकांश दक्षिण दिल्ली ही में पा सकते हैं। हमारा समस्त जांच तंत्र खराब है। इसका अर्थ यह है कि वह अपना कार्य नहीं कर रहा है। कोई उचित नियंत्रण अथवा पर्यवेक्षण नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि हमारे मूल्यांकन सेल, विशेष सेल और सर्वेक्षण दल का क्या हुआ। सारा विभाग अपंग सा लगता है। अतः आपको बहुत परिश्रम करना है। आपको समस्त तंत्र को सुदृढ़ करना है और यह सुनिश्चित करना है कि कर-अपवंचन की खामियां दूर हों और वास्तविक नीतियां अपनाई जायें और इस विशेष सम्बन्ध में जहां तक इस विधेयक का मामला है, कृषि भूमि को मुक्त रखने के लिए जब तक हम निश्चित दृष्टिकोण नहीं बना देते, क्योंकि मेरा दल भी इस विधेयक के इस विशेष पहलू पर विचार नहीं करता है, मेरा दल कृषि क्षेत्र को सभी प्रकार के करों से मुक्त रखने का समर्थन करता है और तब तक, जहां तक कृषि भूमि को सम्पदा शुल्क के अधिकार-क्षेत्र से मुक्त रखने का सम्बन्ध है मेरा दल सरकार के इस प्रस्ताव का स्वागत करता है। किन्तु मेरा यह विनम्र निवेदन है कि आप इस अधिनियम विशेष को समाप्त करें। आप इसका निरसन करें। और इसके स्थान पर कोई अधिनियम बनायें ताकि कोई सताया न जाये कर अपवंचन न हो, सरकारी तंत्र को अन्य लाभप्रद काम में लगाया जाये। इससे अच्छा कार्य सिद्ध होगा। इन शब्दों के साथ मैं आपको इस

[श्री सतीश अग्रवाल]

विधेयक पर इस सम्मानित सभा में अपने विचार रखने के लिए मुझे जो अवसर दिया है उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : महोदय, जब वह बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि बड़े घरानों की सम्पत्तियां 25 करोड़ रुपए से बढ़कर 500 करोड़ रुपए की हो गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनका कारखानों में निवेश होता है और इससे लोगों को और रोजगार मिलता है या नहीं ? यदि हां, तो क्या इस पर उनकी कोई आपत्ति है ?

श्री सतीश अग्रवाल : मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। वे निसन्देह रोजगार दे रहे हैं किन्तु यह आपका दृष्टिकोण है। आप ऐसा कहते हैं। (**व्यवधान**) मैं औद्योगिक विस्तार का बिल्कुल भी विरोधी नहीं हूं। मैं केवल आपके वक्तव्य को उद्धृत कर रहा हूं।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) : महोदय, श्री राम गोपाल रेड्डी निजी क्षेत्र का समर्थन कर रहे हैं। किन्तु आप निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के बीच की स्थिति की तुलना कीजिए अर्थात् निजी क्षेत्र द्वारा निवेश की गई राशि तथा जनता को दिये गए रोजगार की तुलना कीजिए। आप इन बातों की सरकारी क्षेत्र से तुलना कीजिए।

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न कीजिये।

(**व्यवधान**)**

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, अभी वक्ता महोदय कहां से बात शुरू कर रहे थे और कहां पर उन्होंने अपनी बात को समाप्त किया है। उन्होंने बड़े सुन्दर शब्दों में अपनी बात शुरू की कि हमें समाजवादी समाज की स्थापना की ओर बढ़ना चाहिए। यह बात बहुत अच्छी लगी। (**व्यवधान**)

वे भारत सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने बड़ी सुन्दर बात कही। देशमुख का हवाला दिया और बतलाया कि एस्टेट ड्यूटी लगाने का क्या परपज था। उद्देश्य ठीक था मगर प्राप्ति नहीं हुई। आपने आखिर कह दिया कि एग्रीकल्चर लैंड को एग्जंप्ट कर देना चाहिए। यह भी आंकड़े बताए हैं कि हिन्दुस्तान में कुछ लोग हैं जिनके पास जमीन ज्यादा है। खासकर नागार्जुन सागर के पास और राजस्थान कैनाल के पास लोगों के पास जमीनें ज्यादा हैं। जब आपने एक बार एक सिद्धांत बना लिया तो चाहे उससे दस करोड़ रुपया मिले चाहे एक रुपया मिले, उस पर कायम रहना चाहिये। दो चीजें एक साथ नहीं चल सकतीं। एक तरफ तो आप इस सिद्धांत की प्रशंसा करते हैं कि समाजवादी समाज आना चाहिए। दूसरी तरफ आप दूसरी बात करते हैं। आपने कहा कि

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई इसलिए इसको समाप्त करना चाहिए। सिद्धांत एक रहेगा और सिद्धांत के साथ सनझौता नहीं किया जा सकता। सिद्धांत और समझौते में फर्क है। या तो आप कहिए कि एस्टेट ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। स्टेट ड्यूटी का आब्जेक्ट यह था कि जिनके पास धन जमा हो गया है, उसमें कमी आए। बड़े अच्छे शब्दों में आप इस आब्जेक्ट को बता रहे थे।

यह भी बताया गया कि दस साल से मुकदमें चल रहे हैं। कृष्णा साहब ने बताया—

"आमतौर से, सम्पदा कर निर्धारण को पूरा करने मे 10 वर्ष से बहुत कम समय लगता है। फिर भी, कुछ ऐसे भी सम्पदा निर्धारण हैं, जो कि अनेक कारणों से, दस वर्ष से भी अधिक समय से विलम्बित पड़े हैं। सूचना एकत्र की जा रही है।"

यह आपका आन्सर है। आप इसका उत्तर दीजिए। आपने कहा है कि अभी जानकारी प्राप्त करनी है।

एक बात मैं मानता हूं कि हमारे प्रशासन में अगर ढीलापन और निकम्मापन आ जाए तो वो अलग बात है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अभी नहीं है ?

श्री मूलचन्द डागा : ठीक है, आप जो कहते हैं। लेकिन यहां पर जो विरोधी दल के नेता लोग बैठकर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और बड़ी बहादुरी दिखाते हैं, क्या उन्होंने कभी एक भी केस ऐसा बताया है कि उस जगह पर कोई आदमी इनकम टैक्स बचा रहा है। शास्त्री जी मैदान में आ जाइए। सिर्फ आलोचना से काम नहीं होगा। ऐसी बातों को सरकार के सामने लाइये कि ये लोग धन इकट्ठा कर रहे हैं। पत्थर फेंकना आसान है। लेकिन यह नहीं बताते कि फेंकने वाला कौन है ? ···(**व्यवधान**) मैं यह मानता हूं कि प्रशासन ढीला है। वित्त मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। एक तरफ तो आप समाजवादी समाज लाना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि इसको समाप्त कर दिया जाए। अगर, हमारे व्यास जी बोलेंगे तो यही कहेंगे कि जो बड़े-बड़े मालदार या जमींदार लोग हैं, उनसे टैक्स न लिया जाए। अब चुनाव का मौका आने वाला है, इसलिए विरोधी दल के लोग बड़ी-बड़ी बातें करेंगे। हम तो यह कहना चाहते हैं कि बड़े-बड़े काश्तकारों को आप एक्जेम्प्ट मत कीजिए।···(**व्यवधान**) रंगा साहब तो यही कहेंगे कि अरबन सीलिंग के बारे में क्या हुआ ? लैण्ड सीलिंग किस प्रकार एम्प्लीमेंट हो गया।···(**व्यवधान**)

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : जो समाजवाद का हुआ, वही अरबन सीलिंग का हुआ। ··· (**व्यवधान**)

श्री मूलचन्द डागा : बीच में व्यवधान डालने से मुझे ज्यादा देर तक बोलना पड़ेगा। इस लिए बीच में मत बोलिए। अगर ईमानदारी के साथ काम किया जाए तो इतना पैसा इकट्ठा हो सकता है कि हमें इन-डायरेक्ट टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सिद्धांत पर आपको रहना

[श्री मूलचन्द डागा]

पड़ेगा।··· (व्यवधान) रिपोर्ट को पढ़कर देखें तो पता चलेगा कि सरकारी मशीन किस प्रकार से काम करती है। उस मशीनरी को ठीक करने का काम कोई नहीं चाहता। मेरे पास पं० ए० सी० की रिपोर्ट है। उसमें से मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

> "एक मृतक व्यक्ति से सम्बद्ध, (जिसकी मई 1968 में मृत्यु हुई) अगस्त, 1977 में पूरे किए गए सम्पदा कर-निर्धारण में, निर्धारक अधिकारी ने, सम्पदा का कुल कर योग्य मूल्य निर्धारित करने हेतु, सम्पत्तियों के मूल्य के कुल जोड़ 1,51,395 रुपये की इस राशि को सम्मिलित नहीं किया जो कि पांच चल सम्पत्तियों का मूल्य था। इस राशि को सम्मिलित न किये जाने के परिणामस्वरूप सम्पदा में 1,51,395 रुपये का कम कर-निर्धारण हुआ। फलस्वरूप 45,418 रुपये कम कर लगा।"

यह एक एक्जाम्पल है। हमारे आफिसर लोग यह मान बैठे हैं कि संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं ताकि इन आफिसरों को फायर किया जा सके, उनको हटाया जा सके। इनके लिए तो प्रोटेक्शन है और किसी तरह से आप हटा नहीं सकते। इन आफिसरों के बारे में मैंने पहले भी कहा था—भ्रष्ट अधिकारियों, व्यवसायियों और भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के बीच एक अपवित्र गठजोड़ होता है। देश के पतन की ओर जाने का कारण ही यह है कि यहां अनहोनी एलाइंस बनी हुई है—बेईमान राजनीतिज्ञों में, बेईमान व्यापारियों में और बेईमान आफिसरों में। इन्होंने देश को कहीं का नहीं रखा है।

देश आगे बढ़ सकता है। उसके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हमें जो काम करना है, उसको हम ईमानदारी के साथ करते जाएं। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए आप ऐसा मत कहिये कि इस समय जो एक्साइज ड्यूटी या इन्कम टैक्स लगा हुआ है, उसको आप हटा दें, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं और ऐसा करने के लिए मेरा मन नहीं कहता कि वह हटनी चाहिए। इसमें सुधार की आवश्यकता है।

दूसरे, जिस तरह से हम टुकड़ों-टुकड़ों के रूप में यहां लैजिस्लेशन ला रहे हैं, पीसमील लैजिस्लेशन ला रहे हैं, यह अच्छा नहीं है। इसके बजाए कोई काम्प्रीहैन्सिव बिल आना चाहिये और आने के बाद हमें स्टडी करने का मौका मिलना चाहिए। यही मैं इस बिल के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति जी, अभी मैं माननीय सतीश अग्रवाल जी और मूलचन्द डागा जी के भाषण सुन रहा था। कभी मुझे लगता है कि डागा जी उस पक्ष में क्यों बैठे हुए हैं। इन्होंने तो आज बड़ी अच्छी बात कही।

श्री राम प्यारे पनिका (रावर्ट्सगंज) : ···(व्यवधान)**

सभापति महोदय : जो कुछ यह कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

प्रो० अजित कुमार मेहता : डागा जी ने विचार व्यक्त किया है कि बड़े-बड़े भूमिपतियों को भी इस संशोधन की परिधि से बाहर रखा गया है, उनको एस्टेट ड्यूटी से मुक्त रखा गया है, मेरा अपना विचार भी यही है कि इस प्रकार के संशोधन लाने से हमारे कानून में जो लूपहोल विद्यमान हैं, कर चोरी को रोकने का उससे कोई निदान नहीं निकलता। हमारे यहां सुधार के लिए जितने नये कानून बनते चले जा रहे हैं, उतना ही हम वकीलों की जमात के लिये आमदनी का नया रास्ता खोलते हैं। जो आफिसर अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं है, उसके लिए आय का अच्छा स्रोत विद्यमान रहता है। यह स्वीकारने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसलिए इस तरह के संशोधन लाने से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता है।

माननीय सतीश अग्रवाल जी ने कहा कि इस कानून के द्वारा हमारे राष्ट्रीय रिवेन्यू में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है। किसी जमाने में यह ठीक था, जब कि इस मद में 13 करोड़ से बढ़ कर हमारी आय 19 या 20 करोड़ रुपये हुई है, उस जमाने में यह कुछ मानी रखता था, उस समय यह कानून लाभदायक सिद्ध हुआ, लेकिन आज के जमाने में इससे जटिलताएं ही उत्पन्न होंगी, समाज में कठिनाइयां और परेशानियां ही बढ़ेंगी। अपेक्षित लाभ नहीं होगा। मैं समझता हूं कि 20 करोड़ रुपए की राशि कोई इतनी बड़ी राशि नहीं है जिसके लिए इतनी जद्दो-जहद की जाए। यदि इस कानून को पूरी तरह से समाप्त करके इसके स्थान पर एक नया कानून लाया जाए ताकि सभी लोग कर के घेरे में आ जाएं, सभी ऐसे समृद्ध लोग कर के घेरे में आ जाएं और साथ ही साथ अनावश्यक जटिलताएं भी न रहें, अनावश्यक परेशानियों से भी बचा जा सके तो वह ज्यादा अच्छा होगा।

इस विधेयक में आपने कृषि योग्य भूमि का नाम लिया है, संशोधन में बड़ा अच्छा लगता है, लोग समझते होंगे कि यह किसानों के हित की बात है, मगर वास्तविकता यह नहीं है। बहुत से राज्यों में भूमि सुधार के नाम पर कानून तो बने हैं लेकिन इनका अनुपालन ठीक ढंग से नहीं किया गया। हमारे बिहार में अभी भी लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन है। आपने हाल में सुना होगा बोधगया के महंत के पास 2,000 एकड़ से ज्यादा जमीन है, वहां गोली भी चली लोग मारे गए। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। वह अभी भी जमीन के मालिक बने हुए हैं। भूमि सुधार ठीक ढंग से लागू न होने के कारण जमीन लोगों के पास मौजूद है। कम से कम उनके मरने के बाद तो एस्टेट ड्यूटी ऐक्ट के अनुसार उनके पास से जाती, लेकिन इस कानून के मुताबिक छूट

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री प्रो० अजित कुमार मेहता]

देने की वजह से उसकी भी सम्भावना खत्म हो गई है। आप अपर वैल्थ टैक्स पर ही सर-चार्ज बढ़ा दें तो उससे अधिक आमदनी हो सकती है और जटिलता भी कम हो जाएगी। परन्तु इस बिल से आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ता है। देश के धन का लाभ राष्ट्र को मिलना चाहिए। केवल ओठ चाटने से प्यास नहीं बुझती है, 20 करोड़ की आमदनी से कुछ नहीं होगा। इस प्रकार के कानून से लोग परेशान होते हैं और करप्शन बढ़ता है। इसका एक उदाहरण मैं देता हूं। गुजरात के मंत्री श्री मोहन जादेजा की रोजकोट में 3 मंजिली इमारत को आयकर विभाग वाले एक लाख रुपए में नीलाम करना चाहते थे। परन्तु 40,000 रु० से ज्यादा कोई देने को तैयार नहीं था, इसलिए नीलामी रोक देनी पड़ी। इस तरह के गलत असेसमेंट से हमारी आमदनी नहीं बढ़ेगी, बल्कि असेसमेंट करने वाले अफसरों में करप्शन बढ़ेगा। इन सब चीजों से अच्छा है हम इस कानून को ही समाप्त कर दें और रेवेन्यू बढ़ाने का कोई कारगर तरीका खोजें।

आज चारों तरफ छापे पड़ते हैं, अखबारों में प्रचार होता है। लेकिन छापे से कितनी प्राप्ति होती है उसको अगर देखें तो मालूम होगा कि प्रचार के मुकाबले प्राप्ति नगण्य होती है। इसलिए छोटे-छोटे कानून लाकर केवल जटिलता बढ़ाने के बजाय कानून को ही समाप्त कर दें।

मैं यह आग्रह करूंगा।

प्रो० सत्य देव सिंह : सुगमता को ये,जटिलता समझते हैं।

सभापति महोदय : वह बोल रहे हैं, जब आप बोलेंगे तो आपको भी अवसर मिलेगा। मैंने यह आदत आप में और पनिका जी दोनों में पाई है।

प्रो०अजित कुमार मेहता : वह शायद हिन्दी समझते हैं, अंग्रेजी नहीं समझते। वह ऐसी जगह से आते हैं जहां कौन सी भाषा वह समझते हैं, यह सब लोग जानते हैं।

सभापति महोदय : आप बिल पर बात करें।

प्रो० अजित कुमार मेहता : इस प्रकार से जो आप टुकड़े-टुकड़े में बिल लाते हैं, उससे लूप-होल बन्द नहीं होता है, सुगमता नहीं होती है। खासकर इस संशोधन से मैं समझ रहा हूं कि बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। जहां पर भूमि के बंटवारे की थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है, वह भी समाप्त होने जा रही है। इसीलिए मैं इसका विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, वैसे तो यह छोटा सा बिल है और जिस मंशा से माननीय मंत्री जी इस बिल को लाये हैं, हम तो क्या, उधर के कई माननीय सदस्यों ने भी इसका समर्थन किया है।

यह बात सही है कि कृषि क्षेत्र में एक विडम्बना ही है कि हमने इतनी तरक्की की, लेकिन जिस प्रकार से इंडस्ट्री चलाने वालों को पिछले 35-37 साल में लाभ मिला है, जो वह उत्पादन करते हैं, उसकी कीमत उनको मिलती है, उस तरह से लाभ किसानों को नहीं मिला है। धनी किसान नहीं मानते कि सीलिंग ईमानदारी से करें, लेकिन जो होपफुल हैं वह कई प्रकार से बच जाते हैं। यह सही है कि कई राज्यों में बहुत से किसान ऐसे हैं जो अपने नाम से 2 हजार एकड़ नहीं रख सकते, लेकिन वह तरीका जानते हैं। जिस तरह से अभी श्री सतीश अग्रवाल ने कहा कि अभी वैल्थ टैक्स देने वालों की संख्या हिन्दुस्तान में 17 हजार है, उसी तरह से हमने सीलिंग भी किया और उससे काफी जमीन निकली। अलग अलग राज्यों में कहा जाता है कि कहीं 72 बीघा और कहीं 27 एकड़ जमीन है। जो कानून में चोरी करते हैं वह अलग बात है लेकिन आम तौर से जो सुझाव दिया है, वह स्वागत योग्य है फिर संयुक्त समिति ने जो रिपोर्ट दी है, उसकी संस्तुतियों को लागू करना चाहिये। यह सरकार ने अच्छा किया है।

यह बात सही है कि जिन उद्देश्यों को लेकर 1953 में यह एक्ट बना कि धन का संग्रह न हो और डेवलपमेंट के लिए स्टेट को रिसोर्सेज मिले, उस पर विचार करना चाहिये। हम कतई इस पक्ष में नहीं हैं कि जो कानून बना है, उनको वापिस लिया जाये या टैक्सेज वसूल न किए जाएं। हम चाहते हैं कि प्रावधान और कड़े बनाए जाएं जिससे जो कानून की मंशा है, उसके अनुसार धनराशि उपलब्ध हो जाये और राज्यों को डेवलपमेंट के लिए धन मिल जाये।

यह सही है कि हम डेवलपिंग कन्ट्री हैं। यदि ईमानदारी से 4, 5 प्रकार के टैक्सों की वसूली हो जाए तो ठीक हो। अभी 4 बरस में जो अर्थ-व्यवस्था में सुधार हुआ है, हमें उधर के लोगों से जो जर्जरित अर्थ-व्यवस्था मिली थी, जो हम आई० एम० एफ० से लोन लेने वाले से, वह छोड़ दिया है। अगर हम कायदे से देश में इनकम टैक्स, वैल्थ टैक्स, स्टेट ड्यूटी ले लें तो इसकी जरूरत नहीं है।

इसलिए इस बिल का स्वागत करते हुए मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह एक कम्प्रीहैंसिव बिल लायें और देखें कि किसी तरह से विकास के लिए धनराशि उपलब्ध हो जाए।

4.00 म० प०

जब हमारे देश में प्लानिंग शुरू हुआ था, तो प्राईवेट सैक्टर के पास 2500 करोड़ रुपए थे। इस अवधि में हमने उसको सुविधाएं दी हैं और उसका धन बढ़ा है। लेकिन उन लोगों को देश के लिए जो त्याग करना चाहिए था, वह उन्होंने नहीं किया। हमने प्राईवेट सैक्टर में पच्चीस, तीस हजार करोड़ रुपए लगाए हैं, मगर उनका अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है। स्ट्राइक्स, लाक आउट और ले आफ से बहुत मैन डेज लास्ट होते हैं, लेकिन ज्यादातर नुकसान बड़े-बड़े पूंजीपति मिस-मैनेजमेंट के कारण कर रहे हैं। वे एक्सचेकर से जिस काम के लिए पैसा लेते हैं, उसमें न लगाकर दूसरी-तीसरी फैक्टरियां लगाने के चक्कर में रहते हैं।

[श्री प्रो० अजित कुमार मेहता]

सरकार को इन मौलिक मुद्दों पर विचार करना चाहिये। यह सही है कि जब हम टैक्सेशन के बिल लाते हैं, तो शोर-गुल होता है क्योंकि भारत का जन-मानस इस बात को समझ नहीं पाता है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय ऐसा बिल लाएं, जो देश के विकास के लिए साधन जुटाने की हमारी मंशा को पूरा करे। हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना बहुत महत्वाकांक्षी है। हम उसमें 118 खरब रुपए खर्च करने जा रहे हैं, जो पिछली सब पंचवर्षीय योजनाओं की धनराशि के बराबर है। जब सरकार साधन जुटाने के लिए नये-नये स्रोतों को टेप करेगी, किसानों पर टैक्स लगाएगी, तो असंतोष होना स्वाभाविक है।

मैं श्री डागा से सहमत हूं कि हमारे देश का सामाजिक स्तर गिरा है, हमने नैतिकता को खोया है, हम राष्ट्र के प्रति अपने कर्त्तव्य का अनुभव नहीं करते, जितना कि करना चाहिए। ऐसी स्थिति में असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़े कदम उठाना अनिवार्य हो जाता है। सरकार ने स्मगलर्ज हार्डर्ज, ब्लैक मार्केटियर्ज और प्राफिटियर्ज के खिलाफ कड़े कानून बनाए हैं। लेकिन हमारे देश के अच्छे-अच्छे वकील उनको बचाने का काम करते हैं। वे कहते हैं कि हम तो इन्टरप्रेटेशन आफ ला करते हैं। हमें इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा कि स्मगलरों आदि को पकड़ने के लिए जो अभियान चलाये जाते हैं, राष्ट्र को उससे क्या लाभ हुआ। इमर्जेंसी में 1500 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, लेकिन इस समय उतनी धनराशि नहीं आ पा रही है।

मेरा सुझाव है कि हमारे कानून में जो गडबड़ियां हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए एक्सपर्ट लोगों की एक कमेटी बनाई जाए, जिसमें अधिकारी और एम० पी० हों। वह कमेटी यह सुझाव दे कि किस तरह से इन कदाचारों पर काबू पाया जा सकता है।

मैं मंत्री महोदय से एक आश्वासन चाहता हूं। एस्टेट ड्यूटी को राज्यों पर छोड़ा जा रहा है। जब तक राज्य किसानों को उनकी उपज की उचित कीमत न दिलाएं और इन्डस्ट्री तथा एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स की कीमतों में संतुलन कायम न कर दें, तब तक उन्हें एग्रीकल्चरल्स टैक्स वगैरह लगाने की छूट न दी जाए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का हार्दिक समर्थन करता हूं।

*डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : सभापति महोदय, सम्पदा कर संशोधन विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए, मैं अपने दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से कुछेक सुझाव देना चाहूंगा। मैं यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका आभारी हूं।

आरम्भ में ही, मैं वित्त मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या सम्पदा कर अधिनियम में यह संशोधन न्यायोचित और आवश्यक है। इस संशोधन विधेयक में कृषि भूमि को सम्पदा कर से विमुक्त करने की बात कही गई है। यह विधान मेरे इस आरोप का सार्थक सबूत है कि केन्द्र में

*तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सत्तारूढ़ दल की देश के धनी और बड़े जमींदारों से मिली-भगत है और इस विधेयक के माध्यम से केन्द्रीय सरकार ने लखपति भूपतियों के लिए अपना अधिदान खोल दिया है। मुझे स्वर्गीय यति-राजनीतिक श्री राजाजी का वह कथन याद आ जाता है जो वह हास्य-परिहास में कहा करते थे कि भारत में कांग्रेसी की जेब सबसे बड़ी है जिससे वह प्रभावशाली जमींदारों और एकाधिकार प्राप्त पूंजीपतियों को छुपाए रखती है। यह विधेयक राजा जी की इस टिप्पणी को सिद्ध करता है।

यदि भारत सरकार व्यवसाय और व्यवहार के बीच की खाई को पाटने की इच्छुक रही होती, विशेषकर असहाय छोटे किसानों को सहायता पहुंचाने के मामले में तो, वह राज्य सरकारों के भूमि-सीमा बन्दी कानूनों को भारत के राष्ट्रपति की तत्काल स्वीकृति दिला देती। आज भी तमिलनाडु सरकार के भूमि सीमा-बन्दी कानून, केन्द्रीय सरकार की टाल-मटोल के निरन्तर शिकार बन रहे हैं। क्या इससे देश में तत्परता से भूमि सुधार लाने में बाधा नहीं पड़ रही है। दुर्भाग्य से, तमिलनाडु के सत्तारूढ़ दल का केन्द्र में सत्तारूढ़ दल से गटजोड़ है राज्य सरकार अपने भूमि हद-बन्दी कानून पर राष्ट्रपति की शीघ्र स्वीकृति की मांग नहीं कर सकती है। केन्द्र सरकार इस कानून के कुछ उपबन्धों से सहमत न हो पाने से धर्मसंकट में फंसी हुई है।

वेश्यावृत्ति समाप्त कर दी गई है और फिर भी वेश्याएं सब जगह दिखाई पड़ती हैं। जमींदारी उन्मूलन विधि का अधिनियम करके जमींदार समाप्त कर दिए गये हैं, फिर भी हर जगह नये जमींदार पैदा हो गये हैं। उन सभी ने समझ लिया है कि केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के साथ रहने में उनके हितों की सिद्धि हो सकती है आगामी चुनाव— भारत सरकार को इन सभी जमींदारों के हितों की रक्षा करने के लिए बाध्य करते हैं। इसीलिए उन्हें सांविधिक राहतें प्रदान की जा रही हैं। मेरे नेता डा० वलंगार करुणानिधि सभी जन-सभाओं में बार-बार यह बात जोरदार शब्दों में कहते रहे है कि भारत सरकार और बड़े जमींदारी कानूनों द्वारा ऐसी राहतें देकर ही अपने को बनाए रखते हैं। यह वास्तव में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भूमि हदबन्दी कानूनों को केन्द्रीय सरकार की शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार लागू नहीं किया जा रहा है।

मैं यह बता देना चाहता हूं कि बड़े जमींदार और एकाधिकार प्राप्त पूंजीपति अपनी अनु-पार्जित आय को बड़े-बड़े फार्मों और सम्पदाओं में लगा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं क्या इन्हें भी सम्पदाकर से विमुक्त किया जा रहा है। यदि यही बात है तो उनके द्वारा इस प्रकार की फार्मों और सम्पदाओं पर लगाए जा रहे काले धन पर यह पुरस्कार दिया जा रहा है। परन्तु जब एक संयुक्त परिवार का मुखिया मरता है तो, वह संयुक्त परिवार कंगाल हो जाता है, क्योंकि सभी अचल आस्तियों को सरकार की कर देन-दारियों का भुगतान करने के लिए बेचना पड़ता है। सरकार को संयुक्त परिवारों को कर कानूनों की मार से बचाना चाहिये।

गत सत्र के दौरान अपने बजट भाषण में, हमारे भूतपूर्व गृहमन्त्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी, ने मांग की थी कि आयकर को समाप्त कर दिया जाए क्योंकि उनका विश्वास है कि आयकर से होने वाली आय आयकर संग्रहण पर खर्च होने वाली भारी रकम को न्यायोचित नहीं ठहराती है। मैं विपक्ष का सदस्य हूं और फिर भी आयकर की मांग को समाप्त करने की मांग नहीं कर रहा हूं, परन्तु मैं सम्पदा कर को समाप्त करने की मांग कर रहा हूं क्योंकि

[डा० ए० कलानिधि]

गत 37 वर्षों के दौरान इस कर से प्राप्त राजस्व इतना थोड़ा है कि इसे जारी नहीं रखा जाना चाहिए। राजस्व की हानि की कई प्रकार से क्षतिपूर्ति की जा सकती है। ऋण मेलों में 1000 करोड़ रुपये की सरकारी रकम यूं ही बांट दी जाती है। वह पद-दलितों के पास नहीं पहुंचता है। यह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्त्ताओं की जेबों में जाता है। इस विधेयक को पास करने के बजाय, मैं मांग करता हूं कि मन्त्री महोदय सम्पदाकर को समाप्त करने के लिए विधेयक लाएं। इस संशोधन विधेयक से छोटे किसानों और कृषकों को कोई लाभ नहीं होगा, सरकार को सम्पदा कर से केवल कृषि भूमि को ही विमुक्त रखने की बजाय, सम्पदा कर को भी समाप्त कर देना चाहिए। इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति जी, यहां पर प्रस्तुत एस्टेट ड्यूटी बिल, 1984 का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

आपने जो बिल प्रस्तुत किया है, वह निश्चित तरीके से स्वागत योग्य है। आपको जो एस्टेट ड्यूटी मिलती है, वह करीब एक-डेढ करोड़ रुपए के आसपास है और इसके कलैक्शन पर भी काफी खर्चा होता है। इस हिसाब से आपने जो इसके एबोलिशन के सम्बन्ध में बात कही है, वह निश्चित तरीके से वाजिब है। एस्टेट ड्यूटी आप स्टेट गवर्नमेंट को सुपुर्द करने जा रहे हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में इस प्रकार के लोग हैं, चाहे विरोधी दल की सरकार हो या हमारी तरफ की सरकार हो, सत्तर-अस्सी परसेंट एग्रीकल्चरीस्ट्स हैं, उनका प्रभाव निश्चित तरीके से गवर्नमेंट पर होता है। भारत सरकार का डायरैक्टली ताल्लुक बहुत कम पड़ता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्टली कन्सर्न पड़ता है और स्टेट गवर्नमेंट कभी भी एग्रीकल्चरीस्ट्स पर ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकती है। उनके लिए लगा पाना सम्भव ही नहीं है। इस वजह से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक ऐसा बिल का नमूना स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजें; जिससे तमाम स्टेट गवर्नमेंट अपनी आमदनी को बढ़ाने में कारगर हों। जैसा कि अभी सतीश अग्रवाल जी और दूसरे साथियों ने भी कहा देश के अन्दर ऐसे लोग भी हैं, जिनके पास बहुत बड़ी तादाद में जमीनें हैं। बहुत से लोगों ने इसके सम्बन्ध में भी आग्रूमेंट दिया कि सीलिंग का कानून लागू होने के बाद भी बड़े-बड़े लोगों के पास जमीनें किस तरीके से ज्यादा हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि आपने सीलिंग का कानून लगाया है, आप कृपा करके स्टेट गवर्नमेंट्स को आदेश दीजिए कि उस सीलिंग के अन्दर जो लोग आए हैं, उनकी जमीनों के सम्बन्ध में या जो उन्होंने छोड़ी है, या उन्होंने जो ट्रांसफर की है, उन सब की काम्प्रिहैंसिव जांच कराई जाए। जाच करने ने आपको मालूम पड़ जाएगा कि सीलिंग के तहत जो जमीनें आई हैं, वह कितनी आई हैं और फ्राड्यूलैंट एक्ट से जरिये जो उन्होंने जमीनें ट्रांसफर की हैं, ऐसी कितनी जमीनें हैं। चार परसेंट देश के जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनके पास 31 परसेंट जमीनें हैं, चाहे वे राजा हों या महाराजा, पूंजीपति या बड़े-बड़े लोर्ड हों। यदि आप इसकी ठीक प्रकार से जांच करवा दें तो आपको पता चल जाएगा कि सीलिंग का कानून ठीक प्रकार से लागू हुआ है या नहीं।

सारे देश में गरीबी दूर करने की जो आप की नीति है, जो लेंडलेस लेबर है या अन्य प्रकार के लोग हैं जिनको जमीन देकर पांव पर खड़ा करने की कांग्रेस की नीति है, उससे भी इसका

बड़ा गहरा सम्बन्ध है । जिन लोगों ने फ्राडुलैंट एक्ट किए हैं उनके बारे में सरकार को पूरी जानकारी हो जायेगी, जो बेनामी ट्रांसफर्ज हुए हैं उनके विरुद्ध सरकार कदम उठा सकेगी और जो ऐसी जमीन सरकार के पास आयेगी उन को गरीबों में बांट कर आप हजारों लाखों लोगों को अपने पांव पर खड़ा कर सकेंगे । इस लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं—इस प्रकार के जो चार परसेन्ट लोग हैं उनके लिए आप एक माडल बिल बनायें और उस बिल को आप तमाम स्टेट्स को भेजिए ताकि वे इस कानून पर सही तरीके से अमल कर सकें । आप इसको स्टेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि इस में बहुत थोड़ा पैसा आता है, लेकिन अगर स्टेट्स सही तरीके से इस कानून को इम्प्लीमेंट करेंगी तो इससे उन को बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है ।

मैंने पहले भी निवेदन किया था—इस तरह के जितने कानून हैं, जैसे एस्टेट डयूटी, प्रापर्टी टक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, आदि इन से सब मिला कर 180 करोड़ रुपये की आमदनी होती है और इस को भी लोग गलत तरीके से, फ्राडुलैंट एक्ट से बचाने की कोशिश करते हैं । मेरा यह कहना है—आज हर जगह कम्प्यूटराइजेशन की चर्चा है, आप इस सम्बन्ध में भी कम्प्यूटराइजेशन के जरिये कुछ ऐसी व्यवस्था निकालिये, जिससे पता चल सके कि बड़े-बड़े पूंजीपति किस तरीके से टैक्स को एवाएड करते हैं और उनके पास कितनी-कितनी सम्पत्ति हैं। अगर इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने की आप कोई व्यवस्था करें तो इससे भारत सरकार को बहुत लाभ होगा ।

सभापति महोदय, जिस मकसद से इस कानून को लागू किया गया था उस के पीछे यह भावना थी कि जिन लोगों के पास पूंजी की शक्ति बढ़ रही है उसको रोका जाय । इसको रोकने के लिए ही यह कानून बना और वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, एस्टेट डयूटी टैक्स तथा अन्य प्रकार के टैक्स लगाये गये । लेकिन इतने टैक्स लगने के बाद भी जो परिणाम सामने आना चाहिए था, वह नहीं आया । हर जगह कुछ न कुछ लूपहोल्ज रह गये । अभी पिछले दिनों में एस्टीमेट्स कमेटी के साथ बम्बई गया था, वहां हम ने एक्साइज डयूटी के बारे में जानकारी प्राप्त की चेष्टा की । हम ने यह जानकारी प्राप्त की कि ऐसे कितने केसैज हैं जिन में एक्साइज डयूटी कम लगी है, मालूम हुआ कि ऐसे हजारों कैसेज हैं जिनमें कम लगी है और इस तरह से करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है । हमने यह भी मालूम किया कि जिन्होंने कम डयूटी लगाई है, उनके खिलाफ क्या कार्य-वाही की गई । मालूम हुआ—किसी का इन्क्रीमेंट रोक दिया गया, किसी को शो-काज नोटिस दे दिया गया, किसी को रेप्रिमैण्ड कर दिया गया । सरकार का करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया, लेकिन उन को जो सज़ा मिली वह आप के सामने है । इस तरह के मामलों में तो कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए थी लेकिन कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की गई । एक तरह से ऐसे मामलों में लीपा-पोती कर दी गई । इसके सम्बन्ध में निश्चित तरीके से कोई न कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कानून ठीक प्रकार से लागू किए जा सकें ।

भारत सरकार ने बहुत सारी कमेटियां नियुक्त की हैं, उन्हीं में एक राज कमेटी का जिक्र भी आता है । उस कमेटी ने सिफारिश की थी कि एग्रीकल्चर पर इन्कमटैक्स लगाना चाहिए । ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको जमीनों से लाखों रुपयों की आमदनी है । दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

जिन के पास 5, 7 या 10 बीघे जमीन है और जमीन की आमदनी से उनकी पूर्ति नहीं होती है। मगर ऐसे लोग भी हैं जिनको लाखों रुपयों की आमदनी जमीनों के जरिये से होती है। ऐसे लोगों से टैक्स लेने से वंचित रह जांए और सारा लाभ उनको ही मिल जाए, यह ठीक नहीं है। न उन पर इन्कम टैक्स लगता है और न एस्टेट ड्यूटी भी आपने बन्द कर दी और अन्य प्रकार का कोई टैक्स उनसे वसूल नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को छोड़ने का मकसद क्या है? हमारा मकसद तो यही है कि गरीब लोगों को टैक्स से छोड़ा जाए और बड़े लोगों से टैक्स वसूल करके डेवलमेंट के काम में लगाया जाए। इसलिए मेरा कहना यह है कि कायदे-कानून ऐसे बनने चाहिए जिन से बड़े लोग छूट सकें। अभी जैसा कि श्री सतीश अग्रवाल ने कहा था कि हमारे देश में बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने ट्रस्ट बना लिए हैं और इस तरह से वे करोड़ों रुपया टैक्स का बचा लेते हैं। पिछले साल हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने एक छोटा सा कदम उठाया था कि इनकी 30 परसेंट आमदनी पर टैक्स लगेगा मगर 70 परसेन्ट आमदनी तो अब वैसे ही जा रही है और यह जो 30 परसेन्ट पर टैक्स लगाने की बात की गई थी, उसमें कितना पैसा वसूल हुआ है, इसके सम्बन्ध में तो फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ही बता सकते हैं। कानूनों में कमजोरी की वजह से लूपहोल्स होने की वजह से, सारा लाभ बड़े लोग उठा रहे हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि इसके लिए कोई माकूल व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सारा काम ठीक से चल सके और ज्यादा से ज्यादा पैसा टैक्सों के रूप में वसूल हो सके। इस प्रकार के कानून बनाए जाएं, जिनसे पैसा ठीक प्रकार से वसूल हो सके और उनमें किसी प्रकार की की कमी न रहे और जो हमारा मकसद था कि बड़े-बड़े लोगों से, जो कि ज्यादा आमदनी करते हैं, ज्यादा टैक्स लिया जाए, वह पूरा हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कानून बनाने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे कानून की आवश्यकता है, जिससे बड़े-बड़े लोगों से ज्यादा पैसा टैक्स के रूप में वसूल किया जा सके और उस पैसे को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए और गरीब लोगों के उत्थान में लगाया जा सके और हम अपनी योजनाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल कर सकें। जैसा कि अभी विरोधी दल के एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि बहुत से पूंजीपति ऐसे हैं, जिनके पास इतना पैसा है और जिनकी इतनी आमदनी है कि उनको यह मालूम नहीं कि इस पैसे को किस तरह से खर्च करें और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनको दो वक्त भी भोजन नहीं मिलता। इसलिए हम को छोटे और बड़े लोगों की आमदनी में जो फर्क है, इस को कम करना पड़ेगा और इस के लिए सरकार उन पर ऐसे टैक्स लगाए, जिनसे उनसे ज्यादा पैसा वसूल हो सके। इस प्रकार की भावना से काम करने की आवश्यकता है। हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने जो स्टेट ड्यूटी छोड़ी है, उसका कोई विशेष लाभ भारत सरकार को नहीं था और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए वह कोई ऐसा मोडल बिल बना कर दें, जिससे बड़े-बड़े भू-पतियों और लैंडलोर्ड्स से टैक्स वसूला जा सके। उस टैक्स से हम वंचित न रह सकें और स्टेट गवर्नमेंट्स को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके, जिस को वह गरीब लोगों के उत्थान के लि लगा सके।

इन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय सम्पदा कर (संशोधन) विधेयक, 1984 लेकर आए हैं। इस विधेयक में मन्त्री महोदय ने "कृषि भूमि" को सम्पदा कर सीमा से बाहर रखने का प्रस्ताव रखा है। महोदय जब सम्पदा कर विधेयक पास किया गया था तो

तत्कालीन वित्त मन्त्री महोदय ने उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा था कि आय और धन की असमानता को कम करने हेतु सम्पदा कर लगाया जाना चाहिए और उसके पश्चात् "कृषि भूमि" को उपयुक्त संशोधन के द्वारा सम्पदा कर की सीमा में रखा गया था। परन्तु अब सरकार "कृषि भूमि" को सम्पदा कर की सीमा से निकालने के लिए इस विधेयक को लेकर आगे आई है।

किन्तु उसमें विस्तारपूर्वक और अधिक कारण नहीं बताये गए हैं। इसलिए मैं, माननीय मंत्री जी से इस सदन के समक्ष इन कारणों को बताने के लिये कहूंगा जिनसे उन्हें इस विधेयक को लाने की प्रेरणा मिली है।

मैं इसके बारे में इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सम्पदा शुल्क लगाना किन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित होता है और वे सिद्धान्त ऐसे हैं जिनसे आय और सम्पत्ति की असमानता में उत्तरोत्तर कमी होती जाये। इतना ही नहीं है। इस देश के विकास के लिए संसाधन जुटाने के लिए यह भी आवश्यक था। देश में बढ़ती हुई मुद्रा स्फीति के सम्मान को नियन्त्रित करने के लिए भी सम्पदा शुल्क लगाना आवश्यक समझा गया। इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन से कारण हैं अथवा देश में ऐसे कौन से कारण पैदा हो गए हैं जिन्होंने माननीय मंत्री जी को कृषि भूमि पर सम्पदा शुल्क समाप्त करने के लिए प्रेरित किया है। विधेयक में, अथवा उद्देश्य और कारण के कथन में ऐसा कोई कारण नहीं दिया गया है।

मुझे जब भी अवसर मिलता है, तभी मैं सरकार का ध्यान अपने संविधान में दिये गए राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों को दिलाता हूं। उन दिनों, जिन लोगों के संविधान का निर्माण किया था, उन लोगों ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि देश की सामाजिक स्थिति ऐसी हो जाएगी जिसमें समाजवाद लाना सम्भव हो सकेगा। किन्तु 1985 में जब संविधान में संशोधन किया था तब उसकी प्रस्तावना में "समाजवाद" शब्द जोड़ा गया था। अपने देश के संविधान में प्रतिष्ठापित निदेशक सिद्धांतों को कार्यान्वित करना सरकार का परम कर्तव्य है। किन्तु जबसे शासन आरम्भ हुआ है, सरकार सहज रूप में इन निदेशक सिद्धान्तों को भूलती रही है। मेरे विचार से, यदि देश में समाजवाद लाना है तो कुछ सीमा तक निदेशक सिद्धान्तों को कार्यान्वित करना ही पड़ेगा। किन्तु मैं देखता हूं कि सरकार निदेशक सिद्धांतों को कार्यान्वित करने से उत्तरोत्तर पीछे हटती जा रही है।

माननीय सदस्य श्री डागा ने कहा था कि समाज के समाजवादी ढ़ांचे को कार्यान्वित करने में देश आगे बढ़ रहा है। सम्भवतः इस शब्द को श्री नेहरू ने अवध के कांग्रेसी सत्र में प्रयोग किया था। किन्तु तदन्तर, समाज के समाजवादी ढ़ांचे के भाव में कुछ परिवर्तन हुआ है और 'समाजवाद" शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिया गया है।

इसलिए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह समाजवाद को पुनः स्थापित न करे। हमें समाजवाद को, सामन्तवाद की हैसियत के साथ और सामन्तवाद के संकट को जमाप्त कर देना चाहिए। यदि यह विधेयक स्वीकृत हो जाता है और कार्यान्वित किया जाता है तो सामन्तवाद पुनः

[श्री सुधीर गिरि]

जीवित हो उठेगा क्योंकि इस विधेयक के कारण जमींदार सम्पदा शुल्क के भार से मुक्त हो जायेंगे।

इसलिये, आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को स्वीकृत न किया जाय क्योंकि ऐसा करने से ग्रामीण क्षेत्र में धन और आय का अन्तर बढ़ जाएगा।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो सम्पदा शुल्क अदा करने की स्थिति में है वे भी अदा करने से कतरा रहे हैं और सरकारी तंत्र जो सम्पत्ति का रक्षक है, निकम्मा और भ्रष्ट है। इस तन्त्र को सक्रिय किया जाना चाहिए। सम्पदा शुल्क के दायरे से बचाने के लिए सम्पत्ति का कम मूल्यांकन करने में होने वाले भ्रष्टाचार को रोका जाना चाहिये।

अन्त में, मैं पुनः यह कहना चाहूंगा कि यदि जमींदारों पर सम्पदा शुल्क नहीं लगाया गया तो उनके पास धन एकत्र हो जाएगा और उससे ग्रामीण क्षेत्र में भेद-भाव बढ़ेगा। ऐसा होने से हमारे देश में समाजवाद विकसित नहीं हो सकेगा।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक को पास न करें।

इन शब्दों के साथ, मैं आप लोगों को धन्वाद देता हूं।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैं एस्टेट ड्यूटी अमेंडमेंट बिल पर अपने विचार रखना चाहता हूं। यह बिल 1985 में बना था। उस समय एक विशाल और महान उद्देश्य को लेकर इस बिल को बनाया गया था। समाजवाद के महान उद्देश्य को लेकर इसको बनाया गया था। हमारी कांग्रेस सरकार की यह कोशिश रही है कि इस देश में जो असमानता है उसको हम अधिक से अधिक दूर करने का प्रयास करें। इसके लिए कदम उठाये गये और यह कानून भी इसी दिशा में एक कदम है। आधुनिक युग में विश्व के सभी विकसित और विकासशील देशों में डायरेक्ट टैक्सेस को पसन्द किया जाता है। इंडायरेक्ट टैक्सेस को पसंद नहीं किया जाता क्योंकि यह कंज्यूमर्स पर लगता है और खासकर गरीब आदमी पर लगता है। इसलिए इस सिद्धांत पर ही इनकम टैक्स, वैल्थ टैक्स और इसी सिद्धांत पर एस्टेट ड्यूटी लगाई गई है। परन्तु अभी जो विधेयक लाया गया है और विशेष तौर पर केन्द्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कृषि क्षेत्र का अधिकार हम राज्य सरकारों को देते हैं। राज्य सरकारें कृषि क्षेत्र एस्टेट ड्यूटी लगाएं। मेरे ख्याल से यही आपका लक्ष्य है परन्तु राज्य सरकारें एस्टेट ड्यूटी लगाएंगे या नहीं, अभी राजस्थान में 50 लाख या 70 लाख रुपया मिल रहा है और एग्रीकल्चर सेक्टर के अन्तर्गत कम राशि होगी। पूरी राशि जो इसके अन्तर्गत आती है वह 21 करोड़ हैं और 93 लाख एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है। इसको देखते हुए यह बहुत ही कम राशि है। राजस्थान प्रांत में इस हिसाब से बहुत ही कम राशि होगी। में यह नहीं समझ पाया कि इतना बड़ा मुल्क है और उसके अन्दर एस्टेट ड्यूटी सिर्फ 21 करोड़ लगे और इतने कम एसेसीज. हों। यह जांच करने का विषय है। अरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। यह देखना पड़ेगा कि जो असेस किया है, वह सही किया है या नहीं ? जो हमें 21 करोड़

रुपए की आय प्राप्त होगी, उससे यह देखना पड़ेगा कि कितने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सीस होते है। मेरे ख्याल से यह आय ग्रॉस इन्कम न होकर नेट इन्कम ही होगी। ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिये कि केन्द्र सरकार तो कृषि के बारे में एक्जेम्प्ट कर दे और राज्य सरकार लगाए नहीं, इससे उन लोगों को बाद में फायदा हो जायेगा जिससे वे अनुचित लाभ उठा लेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन से इस प्रकार के प्रांत हैं, जिन्होंने यह इच्छा जाहिर की है कि वे अलग से इस तरह का टैक्स लगाना चाहते हैं। जिस प्रकार इलैक्ट्रीसिटी के बारे में तय कर दिया है कि यह राज्य सरकारों का विषय है उसी प्रकार इस मामले में भी यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार तय करेगी। कहीं ऐसा न हो कि हम वहां के विकास से वंचित रह जाएं। जब लोक सभा ने एक बात को मंजूर कर दिया है तो ऐसे कौन से प्रांत हैं, जिन्होंने इस प्रकार की इच्छा जाहिर की है। इस देश के अन्दर हमें, समाजवाद लाने के लिये पूरी कोशिश करनी है। इस सम्बन्ध में हम अभी तक भी सफल नहीं हुये हैं। हमने राष्ट्रीय आय बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा है। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि गरीब आदमी की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक होनी चाहिये। ऐसा न हो कि सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा हो। हमारी प्रधान मंत्री का जो बीस सूत्री कार्यक्रम है, उस उद्देश्य की भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। माडल कानून बनाकर स्टेट के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसे कानून होने चाहिएं जिससे वास्तव में समाजवाद के लक्ष्यों की पूर्ति हो। भूमि सुधार के बारे में बहुत से राज्यों ने कदम नहीं उठाए हैं। जिन्होंने उठाये भी हैं तो अच्छी तरह से इम्पलीमेंट नहीं हुए हैं। व्यास जी की इस बात का मैं समर्थन करता हूं कि बहुत से लोग बेनामी ट्रांजेक्शन करके अभी तक उस भूमि का उपयोग कर रहे हैं। पंजाब में इस प्रकार के बहुत से बड़े-बड़े लैण्ड-लार्डस् हैं जो इस तरह से भूमि का उपयोग कर रहे हैं। आजकल के जमाने में जबकि हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं तो कुछ आदमियों के हाथ में जमीन हो, यह भी उचित नहीं है। इसलिये इस बारे में उचित निर्णय लेना चाहिये कि जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें जमीन दें। इसलिये हमें इस प्रकार के क्रान्तिकारी कदम उठाने होंगे, प्रगतिशील कदम उठाने होंगे, समाजवाद की ओर बढ़ना पड़ेगा और इस दिशा में वास्तविक कदम उठाने होंगे, तब जाकर हम समाजवाद की प्राप्ति सच्चे मानों में कर सकेंगे।

इस सम्बन्ध में आपने जो कदम उठाया है, मैं समझता हूं कि जिन लोगों को इस प्रकार की एस्टेट ड्यूटी देनी पड़ रही थी, वे अभी भी इसका लाभ उठा लेंगे और उनको किसी भी प्रकार की एस्टेट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट कब कदम उठायेगी, वह अलग सवाल है। क्योंकि स्टेट गवर्नमैंटस के सामने भी कई बड़ी समस्याएं आयेंगी। खुद हमारी पार्टी में ही कुछ लोग इसका विरोध करेंगे कि इस प्रकार के कदम नहीं उठाने चाहिये क्यों कि वह हमारे हित में नहीं हैं। ऐसी पोजीशन पैदा हुई है और मैंने देखा है। इस प्रकार के प्रगतिशील कदम जब भी उठाये गये है, यदि उससे कोई वर्ग विशेष प्रभावित होता है, कोई पूंजीपति प्रभावित होता है, पूंजीपति किसान प्रभावित होता है तो उनका संगठन इतना प्रभावी और मजबूत होता है कि वह सरकार को कानून पास करने नहीं देता।

जिस तरह का कानून आज आप पास करवाने के लिये इस सदन के सामने लाये हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि आप क्यों ऐसा परिवर्तन चाहते हैं और उसकी क्या आवश्यकता हैं। इस

[श्री वृद्धि चन्द जैन]

परिवर्तन के लिये आप के पास किस राज्य की ओर से मांग आई है। मैं चाहता हूं कि आप इस सम्बन्ध में तमाम जानकारी दें।

इस देश में जिस तरह की स्थिति विद्यमान हैं, उसमें ब्लैकमनी बहुत बढ़ रही है और भारी मात्रा में टैक्स का इवेजन हो रहा है। मेरे कुछ मित्रों ने इस बात को यहां पहले ही कहा है। मैं चाहता हूं कि टैक्स इवेजन के सम्बन्ध में भी हमें कड़े और सख्त कदम उठाने चाहिए। आज तक हम वैसा नहीं कर पाये हैं। यदि हमने कहीं पर छापे भी मारे हैं तो हमें लगभग 10 प्रतिशत ही सफलता हाथ लगी है और 90 प्रतिशत मामलों में हम सक्सैसफुल नहीं हुए हैं और उन मामलों में हमें उन की प्रोपर्टी को वापस करना पड़ा है। इसका कारण यही है कि हमने समय पर सख्त कदम नहीं उठाये और इस कारण उनकी सम्पत्ति जब्त नहीं की जा सकी, उनकी कन्विक्शन नहीं हुई। इस सम्बन्ध में भी ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है ताकि उनकी सम्पत्ति जब्त की जा सके, उनको सबक मिले, उनको पता चल सके कि टैक्स इवेजन या कर चोरी राष्ट्र के प्रति द्रोह हैं। सरकार को इस सम्बन्ध में सख्ती के साथ पेश आना चाहिए। तभी हम समाजवाद की दिशा में सच्चे मानों में आगे बढ़ेंगे।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी): वर्तमान विधेयक, सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1984 इस का एक और प्रमाण है कि सरकार की नीतियां ग्रामीण शोषकों के हित में है। यदि उसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो गांव में शोषण करने वाले, जिनके पास भूमि है, और जो उत्पादन के आधार पर नहीं, अपितु भूमि के मालिक होने के आधार पर, सम्पदा शुल्क से मुक्त हो जायेंगे। उनमें से अनेक ऐसे हैं जो अविद्यमान जमींदार हैं। वे लोग ग्रामीण गरीबों का शोषण करके तथा उन पर हमेशा सामाजिक अत्याचार करके, ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक दबाव डालते हैं और आर्थिक शोषण करते हैं। इसके बारे में हरिजनों और अन्य भूमिहीन व्यक्तियों के प्रति किये गये अत्याचारों के बारे में इस सदन में अनेक बार चर्चा हुई है। यह वही वर्ग है जिसे इस विधेयक के माध्यम से छूट दी जा रही है।

यह विधेयक कृषि आय पर शुल्क के बारे में नहीं है बल्कि भूमि के स्वामित्व के बारे में है। इसलिए जब कुछ मित्र कृषि क्षेत्र के बारे में बहस करते हैं, तो उससे कृषि उत्पादन को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, बल्कि उस स्वामित्व को प्रोत्साहन मिलेगा, जो कोई उत्पादन नहीं करते हैं, और जो भूमि में काला धन लगाते हैं भूमि में उत्पादन के लिए नहीं लगाते, इसलिए नहीं लगाते कि भूमि उत्पादन का एक स्त्रोत है, अपितु भविष्य की सुरक्षा साधन के रूप में लगाते हैं चाहे उससे पैदा कुछ भी न हो। इसलिए यह अप्रगतिशील कानून है।

जिन राज्यों के नाम उस विधेयक में दिये गये हैं उनमें से केरल को छोड़कर, अन्य सभी राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा कानून लागू नहीं किये गये हैं।

उन्हें पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा ने उसका अभी प्रस्ताव भी नहीं रखा है यही कारण है कि उन्हें छूट मिली हुई है।

टाटा परिवार को जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के प्रभाव से राहत पहुंचाने के लिए बिहार में में 1982 में बिहार भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1982 लाया गया जिससे टाटा परिवार को जमशेदपुर में तथा जमशेदपुर के आस-पास के इलाकों का अन्तवर्ती अधिकार वर्ष 1950 से प्राप्त हुआ।

उस अप्रगतिशील विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और उसे कार्यान्वित किया जा चुका है। यह एक सर्वनाम बात है। अतः महोदय, इतिहास के पीछे छोड़ दिया गया है। पश्चिम बंगाल का भूमि सुधार विधेयक जो मौजूदा भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम में जो कुछ कमियां प्रतीत होती हैं उन्हें दूर करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये भेजा गया है। उस पर उनकी स्वीकृति नहीं मिली है। यही स्थिति तमिलनाडु भूमि अधिकतम सीमा विधेयक की है। मैं आपको केवल उदाहरण दे सकता हूं कि सरकार की नीतियां किस प्रकार शोषणकर्ताओं को सहायता प्रदान करने वाली तथा देश के और जन साधारण के हित के विरोधी हैं।

जहां तक शुल्कों और करों का सम्बन्ध है, मुख्यतः अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से राजस्व प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है। वह राजस्व जनसाधारण से प्राप्त होता है, जिसका एक भाग औद्योगिक क्षेत्र के तथा गांव में धनी व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यय किया जाता है।

यहां नीति ऐसी है। अप्रत्यक्ष करों द्वारा जन-साधारण से धन लो तथा इसका एक भाग शोषणकर्त्ताओं को दे दो। वे चाहे उद्योगपति हों, एकाधिकारवादी, अमीर किसान हों या ग्रामीण धनी। समाजवाद के बारे में बात करने का कोई अर्थ नहीं है। निस्सन्देह यह हमारा सांवैधानिक उद्देश्य है। वह हमारा ध्येय है। सरकार द्वारा पूंजीवादी नीति का अनुसरण किए जाने से मुझे कोई शिकायत नहीं है। यह पूंजीवादी सरकार है और यह उसी वर्ग की सरकार है। लेकिन, यहाँ यह विधेयक उस वर्ग को नहीं छू रहा है। इस विधेयक से अनुपस्थाता वर्ग की भूमि को सहायता दी जा रही है, चाहे इसके मालिक धनी किसान हों। यह विधेयक हमारी स्वीकृत राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध है, यह हमारे सांवैधानिक ध्येय के विरुद्ध जाता है। चार प्रतिशत ग्रामीण धनी, जो तीस प्रतिशत से भी अधिक भूमि के मालिक हैं, समाज तथा देश की कीमत पर लाभ उठाने जा रहे हैं।

तर्क दिए गए हैं कि 21 करोड़ रुपए तक की वसूली की आवश्यकता है। यह तर्क दिया जाता है कि सम्पत्ति शुल्क की वसूली बहुत कम है, वह अधिनियम भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यह भी तर्क दिया जा सकता है कि चूंकि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम को पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है, उसे भी समाप्त कर देना चाहिए।

जहां तक ब्याज खोरी निरोधक अधिनियम का सम्बन्ध है, ऐसा कोई भी गांव या कस्बा नहीं है जहां इस अधिनियम का उल्लंघन न हुआ हो। कोई यह भी कह सकता है कि इस अधिनियम को रद्द कर दिया जाना चाहिए। अपराध होते हैं। यदि आप समाज के उन लोगों की बात मानें तो आप तर्क दे सकते हैं कि अपराध भी वैध कर दिए जाने चाहिएं। मैं बिलकुल स्पष्ट कह रहा हूं कि

[श्री भोगेन्द्र झा]

सरकार की शोषणकारी नीति न केवल संसद में बल्कि समूचे देश में केवल शोषणकर्त्ताओं को लाभ पहुंचा रही है और उनका अन्धाधुंध समर्थन किया जा रहा है। विपक्ष शोषित वर्ग प्रतिनिधित्व करता है। हम विपक्ष में हैं। हम सरकार को हटाना चाहते हैं। लेकिन सत्ताधारी दल के लोग सत्ता में बने रहना चाहते हैं।

जब शोषक वर्ग की बात आती है, तो वे एक हो जाते हैं। और इस प्रकार मेरे मित्र श्री सतीश अग्रवाल ने एक बहुत रोचक भाषण दिया, जब उन्होंने विपक्ष की भूमिका को भूलते हुए स्वाभाविक तौर पर उच्च वर्ग को याद किया। अतएव, शोषक चाहे सत्ताधारी दल के हों या विपक्ष के, एकजुट हो जाते हैं और यह देश के लिए आंखें खोलने वाली बात है।

इसी अर्थ में, मैं यह कहता हूं कि विधेयक में प्रावधान है:

"खंड 5 में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी यह अधिनियम कृषि भूमि से सम्बन्धित सम्पदा शुल्क के उद्ग्रहण पर लागू होगा।"

यदि इसमें कुछ कमियां हैं तो उन्हें दूर करना चाहिए। यदि इसका कार्यान्वयन आंशिक रूप से हो रहा है तो पूर्ण रूप से होना चाहिए। यदि इसमें ढील है तो सख्ती होनी चाहिए। सदन की यह मांग होनी चाहिए, न कि पूरे अधिनियम को रद्द किया जाना चाहिए।

तभी तो मैं यह कहता हूं कि विधेयक अधोगामी है। देश के हित में इसका अवश्य विरोध किया जाना चाहिए और मैं आपका अधिक समय न लेते हुए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं तथा इस सदन में उपस्थित अपने मित्रों का समर्थन चाहता हूं कि राष्ट्रीय नीति तथा सांवैधानिक ध्येय के हित में और इस देश की जनता के हित में, इस विधेयक का पूरी शक्ति से विरोध किया जाना चाहिए।

धन्यवाद।

प्रो० सत्यदेव सिंह (छपरा) : माननीय सभापति जी, सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 में संशोधन के लिए सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1984 का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं।

सन् 1953 से आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है। जमींदारी उन्मूलन, हदबन्दी कानून, भूमि-सुधार जैसी प्रगतिशील नियमावली के चलते भूमि की सीमा में आज बहुत कमी हुई है और भूमिपति भी कम हुए हैं। उत्पादन व्यय आज बहुत अधिक है लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है। बाढ़, सूखा के साथ ही खाद, बीज और सिंचाई मंहगी होने के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी कठिनाई होती है और उत्पादन बहुत मंहगा पड़ता है। इसलिए भारत की खाद्यान्न के मामले में हरित क्रांति के बाद स्वावलम्बी बनने का सौभाग्य मिला है। इससे हम अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रख सके हैं।

छोटे-छोटे किसान को परिवार के भरण-पोषण के लिए ही खाद्यान्न पर्याप्त न हो, फिर जब

तक अपने उपभोग से अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वालों को इस अलाभकारी कृषि कार्य में सरकारी प्रोत्साहन नहीं देगी तो खाद्यान्न का उत्पादन गिरेगा और ऐसी दशा में भयंकर स्थिति उत्पन्न हो हो जाएगी। कृषि उत्पादन अलाभकारी होने के कारण किसान कृषि कार्य छोड़कर अन्य कामों की ओर चले जाएंगे जिससे खाद्यान्न उत्पादन में ह्रास होगा और तब हमें खाद्यान्न विदेशों से मंगाना पड़ेगा। इससे हमारे पैसे बाहर जाएंगे और इसका हमारी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा। खाद्यान्न पर खर्च के लिए पैसा बाहर जाने से राष्ट्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सरकार को इसे प्रोत्साहन देना आवश्यक है।

हमारे मित्र प्रो० अजित कुमार मेहता ने कहा कि गया में गोली चली और अभी महन्त के पास जमीन है। मैं मानता हूं कि अधिक जमीन महन्त के पास नहीं रहनी चाहिये लेकिन उसके लिए हिंसा की नीति पर उतारू होने का मैं विरोध करता हूं। इस काम के लिए सरकार है, जो शांतिपूर्ण ढंग से उचित कार्यवाही करके मामले को निपटा सकती है।

मैं समझता हूं कि जिन पूंजीपतियों के पास काफी पैसा है, जो आयकर और वाणिज्यकर की चोरी करते हैं, उनका पैसा लिया जाय। भारत सरकार और राज्य सरकारों में बहुत से अधिकारी भ्रष्ट हैं, जो पूंजीपतियों से मिलकर सही मानों में आयकर और दूसरे कर नहीं वसूलते। राज्य सरकारों के वाणिज्य या बिक्रीकर अधिकारी भी करवंचना या करों की चोरी में हिस्सा लेते हैं। अगर सरकार और सरकारी अधिकारी निष्ठावान हो जाएं और ईमानदारी से काम करें, तो पूंजीपतियों से काफी पैसा लिया जा सकता है। आज किसानों की हालत बदतर है, इसलिए मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन और स्वागत करता हूं।

श्री मगनभाई बरोट (अहमदाबाद) : माननीय सभापति महोदय, यद्यपि यह विधेयक मात्र एक संशोधन है फिर भी हमें इस पर कानूनी दृष्टि इसकी कार्य-प्रणाली तथा 1953 से लेकर आज आज तक के इसके कार्य करण को देखना होगा। अगर मैं कहूं कि इसके सभी प्रयासों से इस कानून के अन्तर्गत राजस्व एकत्र करना तथा फिर उसको राज्यों को देना जैसा कि मेरे मित्र श्री सतीश अग्रवाल ने आंकडे दिए हैं इससे केन्द्र को मात्र कुछ करोड़ रुपये मिलते हैं और कुछ लाख रुपये राज्यों को जाते हैं। किन्तु इसके लिए अदायगी कौन करता है ? किस प्रकार यह एकत्र किया जाता है ? छूट के नाम पर हम लोगों को दे रहे हैं ? मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्यों तथा सम्बन्धित प्राधिकरणों को विधेयक के इस अंश के बारे में अधिक जानकारी होनी चाहिए। इस कानून के तहत सबसे ज्यादा हानि मध्यम श्रेणी के लोगों को उठानी पड़ती है। इस अधिनियम के बारे में इस संदर्भ में किसी ने ठीक ही कहा है कि वे सौभाग्यशाली हैं जो निर्धन हैं, अमीर हैं परन्तु उनके लिए अभिशाप है जो कि न तो अधिक निर्धन हैं और ही अधिक अमीर। कहने का तात्पर्य है कि यह मृत्यु दंड है।

सत्ताधारी दल के कुछ माननीय सदस्यों ने अपने आपको करदाता कहा है। सम्पदा शुल्क के अंतर्गत वे करदाता नहीं हैं क्योंकि आदमी सिर्फ एक बार ही मरता है। परन्तु इस समय उसके

[श्री मगन भाई बरोट]

परिवार के सदस्यों का यह शुल्क अदा करना होता है। अब, मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों की क्या हालत होती है ? उदाहरण के लिए भविष्य निधि तथा उपदान की ही बात लीजिए यह भी मृतक के परिवार के सदस्यों को तब तक नहीं मिलता जब तक कि वे लोग सम्पदा शुल्क अदायगी का प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर लेते।

4.57 म०प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

बहुत से उदाहरण हैं और वास्तव में कानून में व्यवस्था है कि कतिपय करों की अदायगी के लिए आप अपनी सम्पत्ति बेच सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप पति के पश्चात विधवा पत्नी को अपना घर बेचना पड़ता है जिसमें उसे जीवन निर्वाह करना था। यहां तक कि यह अन्य चीजों जैसे कि जवाहरात आदि के मामलों में भी दुर्भाग्यपूर्ण है। यह अधिनियम इतना कठोर है कि सम्पदा शुल्क की अदायगी के लिए सभी चल सम्पत्ति की गणना की जाती है। लॉकर में रखे जवाहरात को खोलने की तब तक इजाजत नहीं है जब तक कि किसी भी पक्ष अथवा अदालत की इजाजत न हो। उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र प्राप्त करना कितना कठिन कार्य है। यहां बैठे सभी व्यक्ति जानते हैं कि किस प्रकार उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाता है, किस कीमत पर, क्या-क्या परेशानियां होती हैं और किस प्रकार की यातना से गुजरना पड़ता है। विशेषरूप से हमारे देश की महिलाओं को। अतः मैं माननीय मंत्री जी से धारा 33(i)(ग) को देखने के लिए अनुरोध करूंगा जिसमें छूट का प्रावधान है। इस धारा के एक मद को मैं यहां उद्धृत करूंगा।

5.00 म०प०

मैं धारा 33 (i) (ग) को उद्धृत कर रहा हूं। इसमें कहा गया है :

"घरेलू वस्तुएं जिनमें कारीगरों के औजार, खेती के उपकाम या अन्य औजार जो मृत व्यक्ति द्वारा जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक थे और जिनका मूल्य 2,500 रुपये है।"

यह हमारे समाजवादी समाज की एक धारणा है कि एक व्यक्ति 2500 रुपये के मूल्य से अधिक का सामान घर में नहीं रखेगा। यानि कि उसकी सम्पत्ति का यह कुल मूल्य होगा और अगर वह इससे अधिक मूल्य की रखता है तो उन पर कर लगाया जाना चाहिए ? और मध्यम वर्ग को ही अधिकतम शुल्क देना पड़ता है अमीर व्यक्ति शुल्क नहीं देते। सौभाग्यवश इस कानून से निर्धन व्यक्तियों को शुल्क अदायगी की आवश्यकता नहीं है। परन्तु इस कानून से अमीर व्यक्ति भी शुल्क अदायगी से बच निकलते हैं।

माननीय मंत्री जी को कहने दीजिए, गत 30 वर्षों में जब से यह सम्पदा शुल्क चला आ रहा

है, बड़े-बड़े उद्योग घरानों, बड़े उद्योग पतियों, अत्यधिक आयकर देने वालों तथा सम्पत्ति कर देने वालों मे से कितने लोगों ने सही और उचित तरीके से अपनी सम्पत्ति के अनुसार यह शुल्क दिया है ? वास्तव में किसी ने ऐसा नहीं किया । यह राशि अभी तक विधवाओं, मध्यम वर्ग तथा पेंशन भोगियों से ही वसूल की जाती रही है यद्यपि पेंशन स्वयं ही इससे मुक्त है ।

इस धारा 33(i)(ग) में ही कहा गया है कि इन चीजों के बारे में हमारी परिभाषायें पुरानी हैं । एक ओर क्या हम लोगों को टेलीवीजन खरीदने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, और दूसरी ओर कहते हैं कि टेलीविजन रखने पर सम्पत्ति शुल्क देना होगा ? सम्पत्ति के वितरण के बारे में हमारा सिद्धांत क्या है ? सम्पत्ति का संकेन्द्रण न होने देने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है ? आप जमीन का सामान्यीकरण क्यों करते हैं और इसके आकार को ध्यान में न रखते हुए इसे क्यों कर मुक्त कर देते हैं ?

मैं मंत्री जी से उद्देश्यों एवं कारणों के कथन को पढ़ने का अनुरोध करूंगा । मैंने कभी भी इतना अस्पष्ट कथननहीं देखा है । यह इस प्रकार शुरू होता है :

> "इस विधेयक में सम्पदा शुल्क की वसूली से कृषि भूमि को पृथक कर सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ।"

"कृषि भूमि को पृथक करने की दृष्टि से" शब्दों से क्या तात्पर्य है ? कितने एकड़ जमीन ? क्या यह एक एकड़, दो एकड़ अथवा 200 एकड़ जमीन है, यह एक सम्पत्ति है । क्या हम सभी कुछ एक ही तराजू से तोल रहे हैं और कहते हैं कि हम समाज की भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं ?

श्री डागा ने स्कूल मास्टर की तरह हम से उत्तर देने को कहा है कि क्या हम समाजवाद का समर्थन करते हैं अपना नहीं और उन्होंने यह पूछ कर इसको सम कृत किया कि हम सम्पदा शुल्क के पक्ष में हैं अथवा विरोध में हैं ।

अगर यह समानतावादी समाज की ओर ले जाता है । अगर यह वास्तव में सम्पत्ति का बराबर बंटवारा करवाता है, तो इस विधेयक का स्वागत है, किन्तु अगर यह ऐसा नहीं करता, तो निश्चित रूप में यह सम्पूर्ण कानून पर पुर्नविचार करने का समय है। ऐसा कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो कि विद्यमान कानून अथवा उसके कार्यकरण का विरोध करता है, वह अवश्य ही सम्पत्ति के संकेन्द्रण पर शुल्क लगाए जाने के विचार का विरोध करता है

प्रश्न यह है कि क्या आपने उद्देश्य प्राप्त कर लिया है अथवा कानून के क्रियान्वयन करने में सफलता प्राप्त कर ली है । यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति सम्पदा शुल्क देने के उदेश्य से बीमा योजना करवाता है तो आप उसे इजाजत दे देते है और जैसे

[श्री मगन भाई बरोट]

ही उसकी मृत्यु हो जाती है अर्थात् कितनी भी रकम की इजाजत दे दी जाती है । किन्तु अगर वही व्यक्ति अपने शेष जीवन की सुरक्षा अथवा संरक्षक के लिए बीमा पालसियों में पैसा लगाता है तो इसके लिए 5000 रुपए की सीमा है । आप इन दोनों में कैसे तुलना करेंगे आप अपने अधिकारों की रक्षा सिर्फ राजस्व वसूलने के लिए कर रहे हैं । किन्तु आप नागरिकों को परेशानी से नहीं बचा रहे हैं।

इस अनुभव के आधार पर कि यह कानून किस प्रकार निश्चित किया जा रहा है, मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा परेशानी मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को होती है, और जो लोग आसानी से इससे बच जाते हैं, वे हैं अमीर व्यक्ति । क्या हमें इस पहलू पर विचार नहीं करना चाहिए। क्या हमें हजारों एकड़ जमीन चाय बागान तथा काफी बागानों को यह कह कर करमुक्त कर देना चाहिए कि कृषि भूमि कर मुक्त है । और फिर कहें कि इस नीति से कृषकों को प्रोत्साहन मिलता है। कौन से कृषकों को ? अतः मेरा निवेदन है कि यह विशेष संशोधन कानून पर गौर करने के लिए एक अवसर है । इस विधेयक के इस आदर्श और प्रशंसनीय उद्देश्य से कि हम इस धन का वितरण राज्यों में कर रहे हैं, इसका विरोध करना कठिन है किन्तु किन-किन राज्यों को कितनी रकम दी जा रही है इसमें भी भेद-भाव किया जा रहा है । क्या यह केवल उन राज्यों के लिए है जहां बम्बई, कलकत्ता, और मद्रास जैसे बड़े नगर हैं । इन्हें कुछ रकम मिलेगी । लेकिन हमें छोटे-छोटे राज्यों पर्वतीय राज्य और उन राज्यों के बारे में विचार करना चाहिए जहां ऐसी बड़ी सम्पत्ति वाले शहर नहीं हैं और ऐसे लोग नहीं हैं जिन पर कर लगने का अनुमान है उन्हें कितनी राशि मिलेगी । यदि आप 11 करोड़ रुपया भारत के 20 राज्यों में वितरित करें और इसमें से केन्द्र के लिए भी कुछ रकम आरक्षित करें तो राज्यों को अधिक नहीं मिलेगा । अतः केवल इस बात से कि राज्यों को कुछ मिलेगा । इसके अस्तित्व का औचित्य नहीं है ।

इस विषय पर बारीकी से पुनःविचार करने की आवश्यकता है । एक ओर तो हम लोगों से अपने लिए मकान बनाने की बात कहते हैं और उन्हें सहकारी समितियों से सम्पर्क करने के लिए कहते हैं किन्तु दूसरी ओर यह प्रावधान किया जा रहा है कि सहकारी समिति की सहायता से निर्मित मकान अथवा भवन, सम्पदा शुल्क के अधीन कर योग्य सम्पदा की श्रेणी में आता है । आपका अभिप्राय क्या है । समाजवाद की क्या यही परिभाषा है कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन-भर झुग्गी-झोंपड़ी में जिन्दगी गुजारता रहे या उसकी स्थिति में सुधार का हम प्रयत्न कर रहे हैं । यदि हम उसके जीवन में सुधार लाना चाहते हैं तो हमें व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हर समय हमारी यह चिन्ता न बनी रहे कि इस प्रकार के अनुचित कानून के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी चाहिए ।

माननीय सदस्य श्री डागा ने यह कहते हुए हमें चेतावनी दी है कि यदि आपने कभी यह मामला न उठाया हो कि किसी व्यक्ति ने राजस्व भुगतान आदि की चोरी की है तो इस कानून के विरुद्ध कुछ न कहें । उसका मैं उत्तर दे रहा हूं । यह बात सत्ताधारी दल के एक बहुत जिम्मेदार सदस्य ने कही है । मैंने इस सदन के सदस्य के नाते दो वर्ष पूर्व इस सरकार को लिखा था कि मेरे शहर में मारे गए एक आयकर के छापे में 80 लाख रुपए बेनामी नाम में मिले थे । चूंकि मैंने व्यक्ति का नाम

लिख दिया था, इसलिए इस सदन के सदस्य को उत्तर देने का सामान्य शिष्टाचार भी नहीं निभाया गया। 50 लाख रुपए तो उनके दल के एक सदस्य से पकड़े गए, जो मेरे राज्य में मंत्री हैं। वे यह कहें कि वे इस मामले को नहीं उठा रहे हैं। क्या उन्हें हमें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? यह उत्तर नहीं देना चाहिए? क्या उन्हें हमें इसका रूखा उत्तर नहीं देना चाहिए? कहिए कि ऐसा नहीं है। इसलिए बेहतर यह होगा कि हम पर कीचड़ उछालने से पहले सत्ताधारी दल के सदस्य हमसे यह जान लें कि जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उनका उत्तर नहीं दिया जाता, और यही कारण है कि हमें यह बात आज सदन में कहनी पड़ रही है।

धन्यवाद।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में एस्टेट ड्यूटी बिल पर बहस चल रही है, इस पर मैं कुछ अपने ख्यालात आपके सामने रखना चाहता हूं। इस सिलसिले में मेरी कुछ अपनी रिजर्वेशन्स हैं। वे यूं हैं। देश मे एग्रीकल्चरल लैंड की होल्डिंग्स वाले बहुत हैं। अगर सारे देश में ऐग्रेरियन रिफार्म एक्ट को सख्ती से लागू किया जाए, सीलिंग मुकर्रिर की जाए, तो अच्छी बात है। देश में बहुत सारे जमींदार ऐसे हैं, जिनके पास काफी होल्डिंग्स हैं। अगर यह एग्रेरिअन एक्ट सख्ती से लागू हो जाय, तब तो एस्टेट डयूटी हटाई जाय और यह ठीक भी होगा, वरना बहुत सारे ऐसे जमींदार हैं जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है और वे लाखों रुपए कमा रहे हैं। अभी भी कुछ लीगल लैकयूना की बिना पर हमारे जो एग्रेरियन एक्ट्स हैं उनको लागू नहीं होने दिया जा रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर एस्टेट ड्यूटी को माफ करना मैं जायज नहीं समझता हूं।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं—हमारी जो 20 नुक्यातो प्रोग्राम है या गवर्नमैन्ट आफ इण्डिया की बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जिनमें इन्सेन्टिव दिया जाता है, जो फर्टिलाइजर हैं जो सब्सिडाइज्ड रेट पर दिया जाता है—इन सब चीजों का फायदा बड़े-बड़े जमींदार उठाते हैं। जिनके लिए इन स्कीमों को जारी किया गया है, जो छोटी होल्डिंग्ज वाले हैं उनको इसका बैनिफिट नहीं मिलता है। इसलिए अगर फिलहाल किसी वजह से एग्रेरियन एक्ट्स को या कोर्ट के डायरेक्टिव के तहत वक्ती तौर पर लागू नहीं कर सकते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप कोई लिमिट मुकर्रिर कर दें कि 20-25 या 30 एकड़ वाले जो लोग हैं उन पर एस्टेट ड्यूटी नहीं, लेकिन बड़ी होल्डिंग वाले लोग हैं उन पर।

मेरे ख्याल में मिनिस्टर साहब को इस बिल के बारे में फिर से री-थिंकिंग करनी चाहिए, एक काम्प्रीहैन्सिव बिल यहां पर लाने की जरूरत है। अब जहां तक टैक्स कलैक्शन का सवाल है—आप जानते हैं, रोज आपके रेड्स होते हैं और खबर आती है कि इतनी ब्लैक-मनी अन-अर्द हुई, लेकिन बाद में उन केसेज का क्या होता है कुछ पता नहीं चलता। पिछले दिनों जम्मू-काश्मीर में आपने रेड्स करवाये थे और कहा गया कि कम से कम 5 करोड़ का ब्लैक मनी पकड़ा गया, लेकिन बाद में उस केस का क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला। जहां तक रेड करवाने की जरूरत है, आप जम्मू काश्मीर में रेड्स करवाइये, वहां मैक्सिमम ब्लैक-मनी है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी जानकारी के अनुसार वहां अत्यधिक काला धन है ।

श्री पी० नामग्याल : यह मंत्री महोदय के ध्यान में ला दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय को नाम दे दीजिए ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह अब आपकी जिम्मेदारी है ।

श्री पी० नामग्याल : यह उनकी जिम्मेदारी है ।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप जो अहलकार हैं उनको ज्यादा इख्तियारात देकर ज्यादा से ज्यादा रेड्स करवा कर ब्लैक-मनी को अन-अर्द करवायें । लेकिन साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि हमारे जम्मू-काश्मीर में जो पहले रेड्स हुए उनका क्या हश्र हुआ ?

इन चन्द अलफाज के साथ मैं अर्ज करूंगा कि इस बिल के बारे में थोड़ी सी री-थिंकिंग की जरूरत है । यह बिल तो हमें पास करना ही है, लेकिन अगर और कोई और अमेण्डमेन्ट लाने की जरूरत है, तो उसे जल्दी लाना है ।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1984 पर बहस हो रही है । यह सन् 1984 का संशोधन विधेयक और इससे पूर्व एक संशोधन विधेयक 1982 में भी लाया गया था । सन् 1982 में जो संशोधन विधेयक लाया गया था, उसमें कर निर्धारण की सीमा को बढ़ाकर अधिक कर दिया गया था और वह बिल जो लाया गया है, उसमें मुख्य रूप से एक ही बात स्पष्ट की गई है और वह यह है कि जो कृषि भू-स्वामी हैं, उनको इस कर से मुक्त रखा जाए ।

श्रीमान्, बड़े खेद के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि इस देश की जनता करों के बोझ से लदी चली जा रही है । अगर गिनाया जाए कि सारे के सारे कितने कर लगाए गये, तो उनका नाम लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और वह एक किताब बन जाएगी । मैं दो-चार का नाम ले रहा हूं । हमारे वित्त राज्य मंत्री बैठे हुए हैं, मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि जब वे जवाब दें तो यह बतलाएं कि जो कर उनकी सीमा के अन्तर्गत आते हैं, उन करों की वसूलयाबी की स्थिति क्या है, कितने परसेन्ट कौन सा कर उनको मिल पाया है । मैं एक कर का नाम लूंगा कि वास्तव में यह कर लगाया गया लेकिन उसका एक नया पैसा किसी राज्य में वसूल नहीं हुआ और अगर नहीं हुआ, तो मंत्री जी यह बतलाएं कि उसकी वसूलयाबी और खर्च को कैसे दिखाया गया । मैं कुछ करों का नाम गिना रहा हूं, सम्पत्ति कर, सम्पदा कर, वृत्ति कर, आय कर, बिक्री कर, उत्पादन कर, गृह कर, मृत्यु कर, जल कर, हैसियत कर और न मालूम कितने और कर हैं । अगर उनको गिनते चले जाएं, तो कम से कम 50-51 से कम नहीं होंगे । इतने कर इस देश की जनता पर थोपे गए हैं । अगर इनसे पूछा जाए कि इन करों की वसूलयाबी की क्या स्थिति है, तो कुछ में ये कहेंगे कि 30 परसेन्ट है,

किसी में 40 परसेन्ट है और किसी में 10 परसेन्ट है और मैं गारन्टी के साथ कहना चाहता हूं कि कुछ कर ऐसे भी हैं, जिनमें ये जीरो परसेन्ट ही वसूल कर पाए हैं। मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक कर लगा है पंचायत कर और उस पंचायत कर का उत्तर प्रदेश में एक नया पैसा भी आज तक नहीं वसूला गया। होता क्या है कि इनके यहां कागजों में टोटल वसूलयाबी दिखा दी जाती है और टोटल खर्चा दिखा दिया जाता है। यह जालसाजी का काम उत्तर प्रदेश की सरकार का वित्त विभाग करता है और संभवतः इसकी रिपोर्ट इनके पास भी आती होगी। इतना करों का बोझ आप लादते जा रहे हैं और कर देता कौन है और करों की चोरी कौन करता है। आजादी से पहले सम्भवतः जहां तक ज्ञान है, सन् 1947 से पहले शायद दो करोड़पति इस देश में थे। एक का नाम था टाटा और दूसरे का नाम था बिरला और इनकी पूंजी लगभग 25-30 करोड़ रुपये के इर्द-गिर्द रही होगी। अभी पिछले महीने मैं एक अखबार पढ़ रहा था, जो लखनऊ से निकलता है। पूरे आंकड़े उसमें दिये थे और उसमें लगभग 105 परिवारों के नाम दिये थे, जिनकी हैसियत करोड़ों रुपयों से ऊपर पहुंच गई है। अब उनमें इन दोनों की हैसियत क्या है। कहा जाता है कि जो लिखा-पढ़ी के आंकड़े हैं, जो कागजों में दर्ज हैं, उनके अनुसार बिरला की सम्पत्ति दो हजार सौ करोड़ रुपये है। और टाटा की सम्पत्ति दो हजार चार सौ करोड़ रुपए है। इनका नारा क्या है ? उधर से जितने भाषण हुए उनमें कहा गया है कि जिनके पास ज्यादा पैसा है, उन पर कर लगाए जाएं और उनका जो पैसा बढ़ रहा है उस पर रोक लगाई जाए और समाज के निचले वर्ग के लोगों को ऊपर उठाया जाए, समाजवाद आए और आर्थिक विषमता दूर हो। हम टैक्स लगायें लेकिन उन पर लगायें जो लोग ज्यादा पैदा करते जा रहे हैं। ये टैक्स किसलिए लगाए जाते हैं ? इसलिए लगाए जाते हैं कि लोगों में समानता बढ़े।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त राज्य मन्त्री जी यह बताएं कि उन्होंने जो 35 सालों में टैक्स लगाए, उनका क्या परिणाम निकला। यह परिणाम निकला कि गरीब गरीब रहा, एक लंगोटी वाला एक लंगोटी वाला ही रहा लेकिन बिरला जिसकी कि आजादी के समय 20-25 करोड़ की हैसियत थी, उसकी हैसियत अब दो हजार करोड़ की हो गई और टाटा की हैसियत दो हजार चार सौ करोड़ रुपये की हो गई। इस देश में कम से कम 132 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी सैकड़ों करोड़ रुपयों की सम्पत्ति है। क्या आपके टैक्स लगाने का यही परिणाम होना चाहिए था ?

श्रीमन् जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े-बड़े व्यापारी हैं, जो काला धन कमाते हैं, उस काले धन को पकड़ने का आपने कानून बनाया था लेकिन आप उसको पकड़ने में फैल हो गए, इसी काले धन से वे आजकल छोटे-छोटे किसानों की जमीनें खरीदकर बड़े-बड़े फार्म बना रहे हैं। अभी हमारे शास्त्री जी बता रहे थे कि बिहार राज्य के एक मंत्री हैं जिनके पास 18 हजार एकड़ जमीन है। श्रीमन् हमारे उत्तर प्रदेश में भी ऐसे बड़े-बड़े भूपति हैं। आपके सीलिंग कानून का यह परिणाम है।

एक जमाने में बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। उन्होने भूचोरों से जमीन निकालने के लिए और उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस पर

[श्री राम लाल राही]

भूचोरों ने साजिश की जिससे दिल्ली का सिंहासन हिल गया और बहुगुणा जी को कुर्सी से हटना पड़ा।

मेरा साफ कहना है कि आप कानून बनाएं, लेकिन अपनी नीयत भी साफ रखें। हम इस हाउस से बहुत से कानून पास करते हैं। मगर उन पर जैसा अमल होना चाहिए वैसा नहीं होता। मैं वित्त मंत्री महोदय से लेकर, इस कोने से उस कोने के सभी लोगों से कहता हूं कि जो भी आप नीति बनाइये वह बनाइये लेकिन अपनी नीयत भी साफ बनाइये। आप नीति बनाते हैं, वह नीति अच्छी भी लगती है क्योंकि इस देश के 70 फीसदी लोग अनपढ़ हैं। वे यह समझते हैं कि ये शब्द भगवान के शब्द हैं और इनसे अब हमारा उद्धार होगा लेकिन वे शब्द सबके लिए जहर बन जाते हैं, वही शब्द उनके विनाशकारी हो जाते हैं। इसी विनाश की वजह से गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और अमीरी का जीवन-यापन करने वालों के पास पैसा बढ़ता जा रहा है। आप उनकी आय बढ़ने पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं।

मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप यह संशोधन विधेयक लाये हैं। लेकिन मुझे इससे भी अधिक प्रसन्नता तब होती जब आप 10, 15 एकड़ से या 20-25 एकड़ से नीचे भूमि रखने वालों को तो मुक्त रखते और जो लोग व्यापार करते हैं, उद्योग चलाते हैं और भूमि भी रखते हैं उनको इस सम्पदा कर से मुक्त नहीं रखते। अगर आप बिल में इस चीज को शामिल करते तो हम समझते कि आपकी नीयत साफ है और आप बड़े-बड़े व्यापारियों, उद्योगपतियों, बड़े-बड़े जमाखोरों जो कि काली कमाई करते हैं, उनको आप सम्पदा शुल्क से मुक्त नहीं रखना चाहते हैं। इस बिल के द्वारा आपने सभी को सम्पदा शुल्क से मुक्त कर दिया है जिसको कि मैं कतई पसन्द नहीं करता हूं। इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

आपकी नीति अच्छी है, नीयत साफ नहीं है। अगर नीयत साफ होती तो जो परिणाम आज 35 सालों में दिखाई पड़ रहे हैं वे दिखाई नहीं पड़ते। जो आपका झूठा व्यवहार रहा है। सन् 1971 में प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था कि गरीबी हटाएंगे, लेकिन वह नारा झूठा निकला। हमें आपकी बात पर विश्वास नहीं है। इस देश की जनता को आपकी बात पर विश्वास नहीं है। आप चाहे जो कानून लाएं, चाहे जितने संशोधन लाएं, जनहित के कानून बनाएं, लेकिन जब तक आपकी नीयत साफ नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। जब आप नीयत साफ करके बनाएंगे तो सारा विरोधी-पक्ष एक मत होकर आपका समर्थन करेगा। अन्यथा आप जितने भी कानून बनाएंगे, उनमें नीयत साफ नहीं होगी तो निरन्तर हम आपका विरोध करते रहेंगे।

***श्री एस० टी० के० जक्कायन** (पेरियाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल अखिल भारतीय अण्णा द्रविड़ मुनेत्र कणगम की ओर से सम्पदा शुल्क संशोधन विधेयक पर कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कृषि भूमि को सम्पदा शुल्क से दी जा रही छूट का मैं स्वागत करता हूं। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह अधिक कृषि उत्पादन के लिए एक प्रोत्साहन होगा। यहां हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि बड़े जमींदार इस कानून से सर्वाधिक लाभ उठाएंगे। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों को सारे देश में समान रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया है यद्यपि जमींदारी उन्मूलन कानून को कठोरता से लागू किया गया है, तथापि सभी जगह नए जमींदार उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों के कार्यान्वयन में ढिलाई बरती गयी है तथा इन कानूनों को पूरी तरह कार्यान्वित करने से ही ग्रामीण समता आ सकती है।

कुछ दिन पहले माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि राष्ट्रीय आय का 40% भाग कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है और इस पर आयकर नहीं लगता है। महोदय, छोटे किसान आयकर दाताओं के वर्ग में नहीं आते। सरकार केवल बड़े जमींदारों से ही आयकर वसूल कर सकती है। इसलिए, यह कहना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगा कि कृषि भूमि पर सम्पदा शुल्क में छूट देने से बड़े जमींदारों को अधिक लाभ होगा।

मैं इस अवसर पर माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि उन्हें शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सहायता करनी चाहिए। लम्बे समय से चली आ रही एक मांग यह है कि शहरी क्षेत्रों में सम्पदा शुल्क के लिए न्यूनतम छूट सीमा 5 लाख रुपए होनी चाहिए। इस सदन की प्राक्कलन समिति ने इस सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया है और मेरा सुझाव है कि इस प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली जानी चाहिएं और उन्हें कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

हमारे नेता पुरात्ची थालायवारा डा० एम० जी० रामचन्द्रन ने राज्य में लघु तथा मझौले किसानों को मुफ्त बिजली सप्लाई करने की एक योजना तैयार की है। इस पर तमिलनाडु सरकार को प्रति वर्ष 300 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। हमारे मुख्य मंत्री, जो अन्तरात्मा से कृषकों के कल्याण के लिए समर्पित हैं उनकी भलाई के लिए इस योजना को कार्यान्वित करने पर विचार कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि काफी लम्बे समय से लम्बित राज्य के अधिकतम भूमि सीमा कानून को तुरंत राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान की जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : आनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार ने जो टैक्सेस लगाए हैं उसका मकसद जहां तक मैं समझता हूं यह है कि अमीरों और गरीबों का जो अन्तर है, बड़े सरमाएदारों में, सरमाएकारों में, साहूकारों में और गरीब के बीच में जो अन्तर है, इसको खत्म किया जाए। चाहे इनकम टैक्स हो, एक्साइज टैक्स हो, या अन्य टैक्सेस हों। हमारे कांस्टीट्यूशन के डायरेक्टव प्रिंसीपल्स में भी यही है और हमारी हुक्मरान जमात कांग्रेस ने

[श्री अब्दुल रशीद काबुली]

1975 में संविधान में तब्दीली की और उसके मुताबिक इस मुल्क को सोशलिस्ट स्टेट बनाया जाए।

टैक्सेज का होना लाज़िमी है। बड़े-बड़े लोगों से ज्यादा टैक्स वसूल किया जाए और उन टैक्सज का इस्तमाल गराब, और पिछड़े लोगों के लिए किया जाए। इस बिल का ज्यादा फायदा बड़े-बड़े जमींदार लोगों को मिलेगा जिनकी यू० पी० और बिहार जैसी जगहों में बड़ी-बड़ी जमीनें हैं। अभी तक इस मुल्क के अन्दर ऐसे गरीब लोग हैं जो बगैर जमीन के तड़प रहे हैं और जमीनों पर खून-खराबा हो रहा है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार हरिजनों के साथ कत्लेआम हो रहा है और किस तरह से उनको जमीन से बेदखल किया जा रहा है। आए दिन इस तरह के वाक्यात हो रहे हैं। विधान इन तमाम बातों से वाकिफ है। इस मुल्क की 80 परसेंट पापुलेशन गांवों में रहती है। इसलिए जब तक हम गरीब किसानों के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक सही मायनों में हिन्दुस्तान में स्वराज्य नहीं आ सकेगा।

यह, मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि इस मुल्क के स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने लाहौर में कांग्रेस सम्मेलन में कहा था कि इस मुल्क के लोगों को सही आजादी तब तक नहीं मिलेगी जब तक उनको इकौनामिक फ्रीडम नहीं दी जाती। इक्तसादी आजादी पिछले 37 वर्षों में इस मुल्क को नहीं मिली है। यह काम बड़े जोखिम का है, इसके लिए हिम्मत चाहिए आपका इस मुल्क के कारोबार को चलाने का जो मन्सूबा है उससे आपको गरीब तबके को ऊपर उठाना होगा। जब जनता पार्टी की सरकार इस मुल्क में कायम हुई थी तो वह भी एक कदम आगे नहीं बढ़ी। बड़े-बड़े पूंजीपतियों का इस मुल्क की इकोनामी पर असर है। हमारी जम्मू कश्मीर की एक बहुत छोटी और गरीब रियासत है लेकिन, 1984 में शेख-साहब की रहनुमाई में 'लैंड टू दी टीलर' नाम का कानून पास हुआ। डोगरा साहब जो इस समय ऑनरेबल मैम्बर पार्लियामेंट हैं, वे भी उस सरकार के मैम्बर थे।

श्री राम प्यारे पनिका (रर्षट्सगंज) : महोदय, ऐसा नहीं है। जम्मू एवं कश्मीर में ऐसे कई किसान हैं, जिन्हें भूमि का अधिकार नहीं दिया गया है। जो बाहर भी रह रहे हैं, उन्हें भी स्वामित्व का अधिकार है। वास्तव में, जोतने वाले उन जमीनों पर अधिकार प्राप्त नहीं कर रहे हैं। जम्मू एवं कश्मीर में यह स्थिति है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मैं, समझ नहीं पाया कि आप क्या कहना चाहते हैं ? मैं यह कहना चाहूंगा कि 1984 में जम्मू-कश्मीर में यह कानून पास हुआ। बिना किसी कंपनसेशन के कोई कीमत नहीं चुकाई गई। जब गवर्नमेंट फैसला करे तो सख्ती से अमल करे यह नीयत हो कि इससे लोगों को फायदा देना है।

जम्मू और कश्मीर में लैंड टू दी टिलर हुआ और लाखों किसान, जिसमें हरिजन भी शामिल हैं, आजाद हो गए, जिनका खून चूसा जा रहा था, जिनकी इज्जत-आबरू पर भी बड़े-बड़े जागीरदार और जमींदार हाथ डालते थे। जैसा कि आज कल

यू०पी० मध्यप्रदेश और बिहार में रहा है। लिहाजा मैं यह बताना चाहूंगा कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने स्वराज हासिल करने के बाद इस मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की, उसके बाद हमारे यहां एग्रेरियन रिफार्मर्स हुए और हमने कोशिश की कि जहां तक कानून में कमियां हैं उनको ठीक किया जा सके और हम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मामले में बड़ी तब्दीली इंकलाबी कार्यवाही की जरूरत है।

हमारे यहां छोटी-छोटी लैंड सीलिंग है, ताहम हम मखसूस किस्म के जमींदारों को रियायतें देते हैं, वैसी हालत यू०पी०और बिहार में मिलती है। मैंने वहां कई लोगों और रहनुमाओं से पूछा उन्होंने कहा कि लैंड सीलिंग नाम की चीज सिर्फ नाम की है और असल में बड़े-बड़े जमींदारों के पास हजारों एकड़ जमीन है, जो उनके रहमो-करम पर है। लेकिन दो बातें नहीं हो रहीं हैं? पहली तो यह कि इस मुल्क में जहां हम पैदावार बढ़ाना चाहते हैं? वह बढ़ नहीं सकती। क्योंकि जिस ढंग से इसका जमींदार एक्सप्लायटेशन करते हैं, उसमें बड़े-बड़े जमींदारों का अपना इंटरैस्ट इन्वाल्व रहता है और उसका इस्तेमाल वे अपने तरीके से करना चाहते हैं। इससे हमारे पूरे मुल्क की जरूरयात पूरी नहीं होतीं। क्योंकि जब किसानों के हाथ में जमीन होगी तो वह उस पर जोरदार मेहनत करेगा अपने फायदे के लिए, और उसके साथ मुल्क का भी फायदा होगा दूसरी बात यह है कि आज वहां पर सोश्यो-बैकवर्डनैस पैदा हो रही है, उसको भी आप भुला नहीं सकते। क्योंकि जब किसान गुलाम होगा, बड़े जमींदार और जागीरदार जमीनों के मालिक रहेंगे, उसकी सोश्यो-इकानामिक तबाही होती है और उसकी आने वाली नस्लों की तबाही होती है, उसको हम भुला नहीं सकते। यह हिन्दुस्तान की बहुत बड़ी ट्रैजडी है कि हमारे मुल्क में इस वक्त तक वह रिवौल्यूशन नहीं आ सका जिसके तमन्नाई थे वे हजारों शहीद जिन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी के लिए जंग लड़ी। जिनमें भगत सिंह भी शामिल थे। उन सबका यही कहना था कि हिन्दुस्तान की आजादी गरीब और किसान की आजादी के साथ जुड़ी है लेकिन वह आजादी उसको अभी तक नहीं मिल पाई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब तक आप मखसूस किस्म के जागीरदारों के लिए उसमें सीलिंग या रुकावट पैदा नहीं करते तो बड़े बड़े पूंजीपत्तियों का शहरों की ओर से गांवों की ओर जाना बदस्तूर जारी रहेगा, जहां वे बड़ी-बड़ जमीनें कायम करके और्चार्डस (Orchards) के नाम से रखना चाहते हैं।

वह खतरा हमें भी हो रहा है और सारे हिन्दुस्तान में बढ़ रहा है। जिन लोगों के पास पैसा आया, वे लोग उससे गांवों में जाकर जमीनें खरीद रहे हैं, कारखाने बना रहे हैं। किसी न किसी तरीके से गांवों में जमीनें हासिल करना चाहते हैं। हमारे स्टेट में भी यही हाल हो रहा है जहां लोगों ने आकर बड़े-बड़े बागात बना लिए हैं, बड़ी-बड़ी जमीनें कायम की हैं हासिल कर ली हैं और इस कारण गरीब किसानों पर दबाव बढ़ रहा है कि वे अपनी जमीन को रफ्ता-रफ्ता उनके हवाले कर दें और उसको वे फ्रूट के बागात में बदल दें। खुद हमारे स्टेट में यह खतरा हम महसूस कर रहे हैं। आपने देखना है कि किस तरह से हम इस मुसीबत का मुकाबला करें और इसको हल करें।

मैं समझता हूं कि आनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, इसका हल सिर्फ ऐसे हो सकता है कि लैंडलार्डस का कम्पलीटरी एबौलीशन हो और उनकी इजारेदारी खत्म और जमीनों का बंटवारा

[श्री अब्दुल रशीद काबुली]

हो। वह आम किसानों को मिले, वे उसके मालिक हों, वे उसको लगायें और उसका इस्तेमाल करें।

हमारे देश में पैरेलल इकानामी कायम करने की कोशिश की जा रही है। जिनके हाथों में ब्लैक मनी जमा है, जिनके पास शहरों और गांवों में जमीनें हैं, उनका अपना पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन कायम है उनके साथ इस वक्त तक आपने जो तरीका अपनाया है, उससे उनकी ताकत को कम नहीं किया है। आपको उस शक्ति को तोड़ना होगा। तभी कुछ मसला हल हो पाएगा वर्ना छोटे-छोटे कानून लाकर फायदे के बजाए नुकसान ही होने जा रहा है मौजूदा नीति की वजह से आपको उनके साथ कम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है क्योंकि आपको उन वेस्टेड इंटरैस्टस को काफी कन्सेशन्स देनी पड़ती हैं।

जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, यह हमारे मकसद को पूरा नहीं करता। इसलिए मेरी राय होगी कि आप वाइडर परस्पैक्टिव में जाकर देखें और कोई कास्प्रीहैन्सिव बिल नहीं, बल्कि एवान को एतमाद् में लेकर लैंडलार्डस इज्म का कम्पलीट एबौलीशन करें और साथ ही ब्लैकमनी को खत्म करने के लिए भी इंकलाबी कदम उठायें।

श्री विष्णु प्रसाद (कलिया बोर) : मैं, वित्त मंत्री द्वारा मूल सम्पदा शुल्क अधिनियम में लाए गए संशोधन का समर्थन करता हूं। यह अधिनियम 1953 में लागू किया गया था। इस अधिनियम का ढांचा यू० के० ऐस्टेट ड्यूटी एक्ट एण्ड इन्हेरिटैन्स एक्ट के आधार पर तैयार किया गया था। वास्तव में मंत्री को हमारे देश में हुए वर्तमान सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के अनुकूल, मूल अधिनियम में कुछ और परिवर्तन लाने चाहिएं थे। मंत्री द्वारा जो संशोधन लाया गया है वह वास्तव में बहुत ही सराहनीय है क्योंकि अब भूमि कुछ व्यक्तियों के हाथ में ही नहीं है। समय था जब भूमि जमींदारों के पास थी किंतु असम जैसे राज्य में जमींदारी अन्मूलन अधिनियम और भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम के पारित होने के बाद भूमि की अधिकतम सीमा 50 बीघे हो (17 एकड़) हो गई है यदि हम यह कहते है कि जमींदार हैं अथवा उनके पास बहुत अधिक भूमि है तो हमें आपने आपको ही दोष देना होगा। देश में इन कानूनों के पारित होने के बाद जमींदार अर्थात वेलोडा जिनके पास 50 बीघे से अधिक भूमि है नहीं रह गए हैं। यह स्थिति सभी राज्यों में है। यह विधान सभी राज्यों में संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही पारित किया गया है और मैं मंत्री द्वारा लाए गए संशोधन का इसलिए समर्थन करता हूं कि स्थायित्व और रोजी के लिए बहुत आवश्यक है यदि हमें कृषि भूमि पर भी सम्पदा शुल्क देना पड़ता है तो इससे लोगों को, विशेष रूप से हमारे देश के ग्रामीण लोगों को, बहुत कठिनाई होगी।

मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि सम्पदा शुल्क अधिनियम के अधीन वसूली करने के लिए जो मंत्रालय के पास तंत्र हैं, उसे सुदृढ़ किया जाए। यदि वह कमजोर होगा तो, वह उस राजस्व वसूल नहीं कर पाएगा, जो मंत्रालय को देय है।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि मूल अधिनियम में कर मुक्ति की सीमा, 50,000 रुपये थी

वर्ष 1981 के संशोधन द्वारा इसे 1,50,000 रुपए कर दिया गया है। आपको यह ध्यान देना चाहिए कि भूमि का मूल्य किस तरह बढ़ गया है। यह हीरे से भी अधिक मंहगी है। दिल्ली जैसे शहर में भूमि वर्ग फुटों के हिसाब से बेची जाती है। असम जैसे पिछड़े राज्य में एक कठा भूमि का मूल्य 50,000 रुपये है। यदि मकान बनाया जाए तो इस पर 2,00,000 रुपये से कम की लागत नहीं आएगी 150,000 रुपये की वर्तमान सीमा को बढ़ाया जाए इससे कमी को पूरा करने के लिए यदि आवश्यक हो तो, सरकार को वर्तमान कर की सीमा को 10% से बढ़ाकर 12% करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आर० एल० पी० वर्मा।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, सम्पदा कर (संशोधन) विधेयक जो आया है, मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर आवश्यकता है तो चुनाव के मद्देनजर से बड़े लोगों का रियायत देने की दृष्टि से यह बिल लाया गया है। इसके उद्देश्य और कारण में नहीं बताया गया है कि यह बिल किसलिए लाया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि इससे समाजवादी समाज के लिए या समाज के गरीब तबके के लोग लाभान्वित होंगे जिसके लिए इस बिल को लाने की आवश्यकता पड़ी, यह बात भी इससे साफ नहीं होती है।

कई मित्रों ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, उस दृष्टिकोण से भी मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता राष्ट्रीय हित में इस समय नहीं थी। देश में समाज के 15 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास 60-70 फीसदी लैंड है और समाज के शेष 1, 2, 5, 10 एकड़ वाले लोगों की संख्या 80 प्रतिशत है। उनके हित में अगर कोई बात होती तो अच्छा होता, जैसे कि जनता सरकार ने साढ़े 7 एकड़ तक की मालगुजारी माफ कर दी थी और उससे समाज के दुर्बल लोगों को रियायत मिली थी।

इस सम्पदा शुल्क के अन्तर्गत गिफ्ट टैक्स, वैल्थ टैक्स और एस्टेट ड्यूटी, तीनों को मिलाकर जो आमदनी अब तक हो रही है, कहा जाये कि 120, 125 करोड़ के लगभग होती है, तो वह नगण्य है।

राजधानी दिल्ली में पार्लियामैंट हाउस के 50 किलोमीटर के रेडिप्स में जो अट्टालिकाएं और बिल्डिंग बनी हैं, उनको देखा जाये तो वह क्या टैक्स देती हैं। अगर इन चारों तरफ की बिल्डिंगों से ईमानदारी से वैल्थ टैक्स वसूल किया जाये तो मैं समझता हूं कि 500 करोड़ की आमदनी हो सकती थी, लेकिन वह वसूल नहीं होता है। मेरे ख्याल में 10, 12 करोड़ की आमदनी ऐस्टेट ड्यूटी और गिफ्ट टैक्स से मिलती होगी। इस संशोधन से, जो कुछ लाभ अब तक होता था, मैं समझता हूं कि वह समाप्त कर दिया गया है। इसके द्वारा जो बड़ी-बड़ी सम्पदा के मालिक हैं, जैसे कि बहुत से लोग यहां अपनी एस्टेट बनाए हुए हैं, कुछ चाय बागान के रूप में या टैबको की कंपनियों के पास हजारों-हजारों एकड़ के घेराव में जमीन हैं, अगर उनकी एस्टेट ड्यूटी समाप्त हो जाए एग्रीकल्चर लैंड करके, इसका मतलब यह है कि आप गरीबों की भलाई नहीं कर रहे हैं बल्कि पूंजीपतियों की मदद कर रहे हैं।

[श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा]

संविधान की प्रस्तावना में जो समानता, एकता का जस्टिस की बात कही गई है, अभी तक 37 बरस की आजादी के बावजूद भी वह नहीं दिखाई देती है। हमारे मित्रों ने कहा कि आज ढाई और 3 हजार करोड़ की आमदनी वाले सैंकड़ों लोग देश में हो गए। आजादी से पहले 30 करोड़ की आमदनी वाले मुट्ठी भर होते थे, लेकिन आज उनकी संख्या सैंकड़ों और हजारों की ओर चली गई है। इसका कारण यह है कि हमारे जितने भी कानूनों बनते हैं वह डिफैक्टिव हैं, दोषपूर्ण और पक्षपातपूर्ण हैं और हम पूंजीपतियों की मदद के दृष्टिकोण से बना रहे हैं। यही कारण है कि आज पूंजी का बंटवारा दूसरे रूप में बदल रहा है और आज जो कानून बनाकर नौकरशाही लाते हैं, उनका अल्टीरियर मोटिव है, वह चाहते हैं कि ऐसे लोगों को बचाया जाए जिनसे उनकी आमदनी बढ़ती है और जिसमें उनका स्वार्थ निहित है। ऐसे लोगों के लिए ही यह बिल बनाया गया है।

यह जो अमैंडमेंट प्रस्तावित है, मैं तो समझता हूं कि ना यह जनहित में है और ना राष्ट्रहित में है और न इससे बहुत उपकार होने वाला है। इसलिए में इसका विरोध करता हूं।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी (आदिलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री आर०एल० पी० वर्मा ने विधेयक पर भाषण देते समय कहा है कि यह विधेयक चुनाव-प्रधान है और उन्होंने यह भी कहा कि इससे बड़े जमींदारों को ही लाभ होगा। यह दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकतीं। यदि यह चुनाव प्रधान है तो हमारी पार्टी को ऐसा विधेयक लाना चाहिए जिससे गरीब जनता को लाभ हो क्योंकि अधिकांश जनता तो गरीब है।

इस विधेयक का उद्देश्य बहुत ही अच्छा है। जहां तक मैं जानता हूं, हमारे देश के 80% लोग किसान हैं और भूमि का मूल्य बढ़ रहा है। यदि आप छोटे से छोटे किसान की भी तुलना करें जिसके पास गांव में 5 एकड़ अथवा 6 एकड़ भूमि है। सम्पदा शुल्क अधिनियम में कम से कम जो राशि रखी गई है वह बहुत ही थोड़ी है। आजकल, किसी भी आम गांव में, जिसमें खेती की जाती है, भूमि का मूल्य 20,000 रुपए से 25,000 रुपए प्रति एकड़ है। यह मूल्य लगभग चार अथवा पांच गुना बढ़ेगा। इसका अर्थ है कि एक छोटा-सा किसान भी सम्पदा शुल्क के अधीन आ जाएगा। अतः हमारी पार्टी तथा हमारी सरकार ने यह विधेयक ठीक ही प्रस्तुत किया है ताकि गांवों में रह रहे निरक्षर, अशिक्षित किसानों को कर-अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली परेशानी से बचाया जा सके। इसी उद्देश्य को लेकर कि 80% गांवों में रहने वाले लोगों को कर-अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली परेशानी से बचाया जा सके, यह विधेयक सभा के सामने लाया गया है।

अब मैं माननीय मंत्री को उनकी जानकारी के लिए कुछ बाते बताना चाहता हूं। आजकल, हमारे देश में भूमि के प्रति भूख-सी है। जितनी भी भूमि बची थी, उसमें से अधिकांश सरकारी भूमि, राज्य सरकारों द्वारा भूमिहीन गरीबों में बांट दी गई है। ऐसा करने से चाहे कुछ भी लाभ हो, परन्तु अन्य दृष्टिकोण से गांवों में रह रहे गरीब लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा।

कृषि भूमि को लगभग सभी करों से मुक्त किया गया है। एक व्यापारी जो लाखों रुपया कमाता है, अपने आपको करों की अदायगी से बचाने अथवा अपने काले धन को छुपाने के लिए किसी भी कृषि भूमि को खरीद सकता है चाहे अधिकतम सीमा का कानून भी बना हुआ है। अतः शहरों के आसपास वह कृषि भूमि खरीद सकता है। इसका अर्थ यह है और मुझे डर है कि ऐसे विधान से एक ऐसी प्रवृत्ति बनेगी कि व्यापारी लोग कृषि भूमि खरीदने लगेंगे। अतः मैं माननीय मंत्री को उनके विचार के लिए एक सुझाव देना चाहूंगा कि क्या कोई एक सीमा निर्धारित की जा सकती है, अर्थात् जिस व्यक्ति की आय एक लाख रुपये अर्थात् 50,000 रुपये, जो भी सरकार उचित समझें, अर्थात् जो व्यक्ति केवल कृषि पर ही निर्भर है, उसे छूट दे दी जाए।

मेरे कहने का अर्थ है कि अन्य साधनों से हुई आय के एक निश्चित स्तर के बाद यदि किसी व्यक्ति को यह प्रोत्साहन दिया जाए कि कृषि भूमि पर करों की यह छूट दी जाए तो संभवतः वह बहुत अधिक भूमि खरीदेगा जिसके कारण गांवों में रहने वाले अन्य आम गरीब लोग, भूमिहीन लोग, भूमि से वंचित रह जाएं। इसलिए मुझे डर है कि सरकार ने जो पहले एक रवैया आरम्भ किया था कि सरकारी भूमि को भूमिहीन व्यक्तियों में बांट कर भूमि को गाँव में रहने वाले निर्धन व्यक्तियों को ही दिया जाए वह उल्टा हो जाएगा। व्यापारी लोग जहाँ कहीं भी चाहे कृषि भूमि को खरीदेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे, यदि अब नहीं तो भविष्य में इस अधिनियम के संशोधन में कहीं न कहीं एक सीमा निर्धारित करें ताकि सभी व्यापारी लोग जिनकी अन्य साधनों से पर्याप्त आय है, कृषि भूमि खरीदने की ओर आकर्षित न हों जिससे गांवों में रह रहे हमारे निर्धन व्यक्ति भूमि से वंचित न रह जाएं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्पदा-शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1984 का जोरदार विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम उम्मीद करते थे कि देहात में जो भूमिपति या बड़े-बड़े जमीन के मालिक हैं, उन पर—और छोटे किसानों पर भी मालगुजारी सिस्टम समाप्त करके ग्रेडिड इनकम टैक्स लगा दिया जाएगा। लेकिन वैसा न करके सरकार भूस्वामियों को इस सम्पदा-शुल्क से बिल्कुल मुक्त कर रही है। इस विधेयक के पारित होने के बाद लगभग डेढ़ दर्जन राज्यों के बड़े-बड़े भूस्वामी सम्पदा-शुल्क देने से मुक्त कर दिए जाएंगे। जो लोग मुक्त किए जाएंगे, मैं उनका जिक्र करना चाहता हूं। इन राज्यों में बिहार की भी गणना की गई है। मेरे पास एक अखबार है **जनयुग**। उसमें एक लेख निकला है। लेखक हैं अली अनवर। 25 जुलाई के जनयुग में यह लेख निकला है। आज 26 जुलाई है। उसका शीर्षक है—भूमि मुक्ति संघर्ष का बिगुल बज चुका है। अब इसको अगर आप पढ़िएगा, मैं तो चाहूंगा कि आपके अधिकारी भी इस लेख को पढ़ें और मंत्री जी तो हिन्दी नहीं जानते होंगे, लेकिन उसको अनुवाद करा कर पढ़ें या पढ़वा सकें तो उनको पता लगेगा, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं कि किन-किन लोगों के पास कितनी जमीन है। कुछ मैं उल्लेख कर देना चाहता हूं। और आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप इन्हीं लोगों को मुक्त करना चाहते हैं क्योंकि यह विधेयक यही कहता है।

[श्री रामावतार शास्त्री]

हमारे यहां बिहार में एक जगह है, परवत्ता। परवत्ता के साहू परिवार के पास 18 हजार एकड़ जमीन है। उसी तरह से आप के बिहार** सरकार के मंत्री, मिनिस्टर, 18** हजार एकड़

उपाध्यक्ष महोदय : नाम का उल्लेख न कीजिए। कृपया नामों का उल्लेख न कीजिए।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : नहीं, नहीं। यह पहले से ही समाचार पत्र में है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। उनके नाम का उल्लेख न कीजिए। वे इस सभा के सदस्य नहीं है। आप कुछ और कह सकते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : पहले कई बार मैंने बहुत से जमींदारों के नाम लिए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह ठीक है। नियमों की बात है। कृपया किसी भी मंत्री का नाम न लीजिए। आप कुछ और कह सकते हैं।

श्री मगन भाई बरोट : वह जमींदार है।

श्री रामावतार शास्त्री : अन्य जमींदारों के नामों का क्या होगा जिनके नामों का मैंने पहले बहुत बार उल्लेख किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : उसमें क्या है ? आप जारी रखें।

श्री रामावतार शास्त्री : पहले मैं अन्य जमींदारों के नाम कैसे बता सकता था ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रोक नहीं पाया। सामान्यतः किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम मत लीजिए जो इस सभा का सदस्य नहीं हैं क्योंकि वह अपना बचाव करने के लिए यहां पर उपस्थित नहीं है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। यदि आप किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं और यदि वह इस सभा में उपस्थित नहीं हैं तो वह अपना बचाव नहीं कर सकता। इसलिए आपको किसी भी ऐसे सदस्य का नाम नहीं लेना चाहिए जो इस सभा का सदस्य नहीं है।

इसके बावजूद भी यदि आप लेते हैं तो मुझे रिकार्ड देखना पड़ेगा और मुझे उस नाम को हटाना पड़ेगा।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यदि श्री रामावतार शास्त्री कुछ जमींदारों के नामों को लेना चाहते हैं तो उन्हें प्रमाण देना पड़ेगा। उन्हें दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। समाचार पत्रों में जो भी छपता है, वह सब सत्य नहीं हो सकता। उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। कि वह व्यक्ति भूमि का स्वामी है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वे किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लेना चाहते हैं जिसके पास भूमि है तो वे मुझे उसका नाम लिखकर बता सकते हैं। आपको नियमों का पालन करना ही होगा। यह एक सामान्य नियम है।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं किसी के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। कृपया नियमों का पालन कीजिए। आप किसी जमींदार परिवार के बारे में कह सकते हैं परन्तु किसी व्यक्ति का नाम न लीजिए।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं केवल तथ्य बता रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप किसी भी जमींदार परिवार अथवा कितने ही जमींदार के परिवारों के बारे में बता सकते हैं परन्तु किसी व्यक्ति का नाम न लीजिए।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि पहले भी कई बार हमने श्री भिंडरावाले के बारे में कहा है और चर्चा की है। वह यहां पर उपस्थित नहीं था। हमने प्रकाश सिंह बादल और अन्य कई बातों के बारे में कहा है। वह यहाँ पर नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री रह चुके हैं और ये सब बाते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं कभी भी उपाध्यक्ष नहीं रहा। यह मेरा सौभाग्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं नियमों को पढ़ूं ? मैं केवल इसलिए कह रहा था कि आप इस देश के प्रत्येक नागरिक के साथ न्याय करें। जब आप उस व्यक्ति का नाम इस सभा में लेते हैं तो वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित हो जाता है।

श्री सतीश अग्रवाल : आप वह नियम पढ़ दीजिए।

श्री मगन भाई बरोट : उनके कथन में आरोप क्या है ?

श्री सतीश अग्रवाल : उच्च पद पर आसीन व्यक्तियों पर मात्र आरोप ही नहीं लगाये जा सकते। उन्हें मंत्री का नाम नहीं लेना चाहिए था। मैं इससे सहमत हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : अब मैं आपकी बात समझ गया हूं।

6.00 **म०प०**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा। श्री रामावतार शास्त्री, आप कुछ कह रहे हैं। क्या आपको विश्वास है कि अमुक जमींदारों के पास अमुक सम्पत्ति है ? **(व्यवधान)** आप ऐसे किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते, जो कि इस सभा का सदस्य नहीं है और अपने बचाव के लिए यहां मौजूद नहीं है। आप इस नियम के बारे में क्या कहते हैं ? ठीक है, श्री रामावतार शास्त्री, जैसा आप चाहें वैसा कीजिये। मैं नियमों को जानता हूं। मैं आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा। मैं नियमों को जानता हूं और मैं नियमों के अनुसार ही कार्यवाही करूंगा।

श्री जी० नरसिंहा रेड्डी : अगर वह कि समाचार-पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार कहते हैं तो

हमें कोई आपत्ति नहीं है···(**व्यवधान**)

श्री रामावतार शास्त्री : यह न्यूज पेपर में दिया है, आप पढ़िए।···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री एक राजनीतिज्ञ हैं और वह इन बातों को यहां कह कर कुछ लाभ उठाना चाहते हैं। ठीक है। मैं कार्यवाही वृत्तान्त देखूंगा।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं कह रहा था था—बिहार के एक···**···मिनिस्टर के पास 18 हजार एकड़ जमीन है। दूसरे **···मिनिस्टर के पास 2.5 हजार एकड़ जमीन है और···**··· के पास 13 हजार एकड़ जमीन है। ···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मुश्किल यही है। मुझे आपको बोलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। आप हर बात को राजनैतिक रंग देना चाहते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने नाम नहीं बताया। मैंने कहा—घन जनरल सैक्रेटरी (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बाद मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं नियमों का पालन करूंगा। इसके बाद मैं अधिक सावधानी बरतूंगा। आप इस तरह अनुचित लाभ नहीं उठा सकते। हमारे सामने संशोधन क्या है ? आप एक वरिष्ठ नेता हैं। या तो आपको सरकार की सहायता करनी चाहिए या इसका विरोध।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं केवल कुछ एक उन व्यक्तियों के उदाहरण दे रहा हूं, जिन्हें कि आप छूट देने जा रहे हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एस० कृष्ण) : श्रीमन, उन्होंने अभी ···**··· इनका जिक्र किया है। संकेत से स्पष्ट हो जाता है कि इनके मन में क्या है। वह दूसरी सभा के एक माननीय सदस्य हैं। मेरा यह निवेदन है कि इसको कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलत न किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा।

श्री रामावतार शास्त्री : आप अपना कर्तव्य निभायें मुझे अपना कर्तव्य निभाने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। आप उन्हें अलग मंच पर मिलें और उनसे निपटें। इस कार्य के लिए, इस सभा का उपयोग क्यों किया जाए ? बाहर आपको यह बातें निर्भीकता से कहनी चाहिएं। इस सभा में आप बहुत सी बातें कह रहे हैं, क्योंकि आपको हर प्रकार का संरक्षण प्राप्त है।···(**व्यवधान**)···

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रामावतार शास्त्री : नवादा हमारे स्टेट की डिस्ट्रिक्ट है। वहां के साम्बे स्टेट के पास 11 हजार एकड़ जमीन है। बुझौली के महंत के पास तीन हजार एकड़ जमीन है। मोतीहारी सुगर मिल के पास 1350 एकड़ जमीन है।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : उन्हें इस जानकारी के स्रोतों के बारे में भी बताना पड़ेगा।

श्री रामावतार शास्त्री : हां यह जानकारी के स्रोतों के बारे में है। आप इस पर चाहे विश्वास न करें, लेकिन मैं विश्वास करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया विषय पर बोलें। अन्यथा मुझे आपको चुप होने के लिए कहना पड़ेगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शास्त्री, क्या आप विषय पर बोलेंगे या नहीं ? आप कई एक आरोप लगा रहे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं इस बात को प्रमाणित करना चाहता हूं कि आप उन लोगों को छोड़ रहे हैं जिनके पास इतनी अधिक मात्रा में जमीन है।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : उन्हें गाँवों के नाम सर्वेक्षण की संख्या आदि बताना चाहिए।

श्री मगन भाई बरोट : आप ऐसी आशा नहीं कर सकते ?

श्री रामावतार शास्त्री : क्या आप ऐसा कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात की सावधानी बरतूंगा। अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं कैसे समाप्त कर सकता हूं ? आप बाधा डाल रहे हैं वह बाधा डाल रहे हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल से आप बोलने वाले दूसरे वक्ता हैं···आप मुझे निर्देश नहीं दे सकते। अगर आप नियमों के विरुद्ध बोलेंगे तो मैं बाधा डालूंगा।

श्री सुधीर गिरि : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया नियमानुसार कार्यवाही करें। ऐसा कहा गया है कि सदस्य कोई अपमानजनक वक्तव्य नहीं देगा।···वह ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा। चर्चा के दौरान माननीय सदस्य को विषय से संबद्ध बातों का ही उल्लेख करना चाहिए। अगर वह संबद्ध बातें नहीं कर रहा है तो पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार है कि वह भाषण को समाप्त करवा दे।

श्री सुधीर गिरि : एक पिछले अवसर पर आपने कहा था कि प्रत्येक सदस्य को अधिकार है कि वह कुछ भी कह सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन जिस विषय पर चर्चा हो रही है वे बातें उससे संबद्ध होनी चाहिए ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संबद्ध बातें ही कह रहा हूं क्योंकि इस विधेयक से उन जमींदारों को छोड़ दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक ही दल से आप बोलने वाले दूसरे वक्ता हैं । आपको इसका यही लाभ है । मैं कहूंगा कि आप इसका राजनैतिक दृष्टि से प्रयोग कर रहे हैं । इससे कोई लाभ नहीं होने जा रहा ।

श्री रामावतार शास्त्री : चाहे कोई लाभ हो या न हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भोगेन्द्र झा पहले ही बोल चुके हैं । एक विशेष मामले के रूप में, चूंकि आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं, इसलिए मैंने आपको बोलने का अवसर दिया है ।

श्री रामावतार शास्त्री : मुझे आपकी दया नहीं चाहिए । मैं तीसरे वाचन के दौरान बोलना चाहता था ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं कैसे समाप्त कर सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने के लिए मना कर सकता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं कह रहा था—मोतिहारी शुगर मिल के पास 1350 एकड़ जमीन है ।...×...के पास 1300 एकड़ भूमि है । ये सब पूर्वी चम्पारन जिले में है । सेमुआपुर मठ के पास 3500 एकड़ जमीन है । अब पश्चिम चम्पारन में लें—हरिनगर चीनी मिल के पास 7 हजार एकड़ जमीन है ।...×...के पास 4 हजार एकड़ जमीन है । सूदादीन शुगर मिल के पास 3500 एकड़ जमीन है । एस० पी० शुगर मिल, मझौलिया, के पास 3 हजार एकड़ जमीन है ।... ×...के पास 2 हजार एकड़ जमीन है ।.....के पास एक हजार एकड़ जमीन है ।

इस प्रकार 29 भूस्वामियों के पास 1 लाख 5 हजार 350 एकड़ जमीन है जिनको आप सम्पदा शुल्क से मुक्त जा रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य : ये तो केवल बिहार में हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले बिहार के जो भूतपूर्व मुख्य मंत्री थे--डा० जगन्नाथ मिश्र—उन्होंने मुख्य मंत्री पद से जाते वक्त कहा था कि 150 जमींदारों,

× कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

भूमिपतियों ने जमीन का रिटर्न दाखिल नहीं किया और जिन लोगों ने दाखिल भी किया तो वह गलत दाखिल किया ।

मेरा यही कहना है कि इस कानून के तहत केवल बिहार में आप कई-सौ जमींदारों, भूस्वामियों को इस सम्पदा शुल्क से मुक्त करने जा रहे हैं—इसका क्या औचित्य है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें विधेयक वापस लेने के लिए कह सकते हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : मेरी समझ में तो यही बात आ रही है कि इस विधेयक के जरिये आम जमींदारों का वोट और उन की लाठी अगले चुनाव में हासिल करना चाहते हैं ।

इसीलिए यह बिल लाया गया है और इसका कोई दूसरा मकसद नहीं है । जमींदार लोग आपसे नाराज हो रहे थे, इसलिए आप इस बिल को लाए हैं... (**व्यवधान**)...हमारे बिहार की हालत आप नहीं जानते ।

तो मेरा यही कहना है कि यह जो विधेयक है, इसको आप वापस लीजिए । आप औद्योगिक क्षेत्र में पूंजीपतियों को छूट देते रहे हैं और अब भू-स्वामियों को भी छूट दे रहे हैं । यह जन-विरोधी कदम है, या किसान-विरोधी कदम है । आप इस तरह से हिन्दुस्तान में अपने चरित्र को साबित कर रहे हैं । इस सरकार का चरित्र पूंजीपतियों और जमीदारों को बड़ावा देने का है । यही मेरा कहना था ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं और आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग भी इसका विरोध कीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री आपके भाषण के बाद बोलें या श्री योगेन्द्र झा के भाषण के बाद ।

श्री रामावतार शास्त्री : इनमें कोई अन्तर्विरोध नही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे । वह चाहते हैं कि वह विधेयक वापस ले लें मंत्री महोदय ।

श्री एस० एम ० कृष्ण : श्रीमन्, वाद-विवाद में कई एक विषयों पर चर्चा की गई । लेकिन इस विधेयक का उद्देश्य सीमित है । चर्चा के दौरान, भूमि सुधारों के कई एक मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष में तर्क दिये गये ।

अपने शुरू के वक्तव्य में, मैंने कहा था कि कृषि भूमि पर सम्पदा शुल्क राज्य का विषय है । तथापि संविधान के सम्बन्धित अनुच्छेद के तरह पारित किये गये संकल्प के अनुसार संसद को

[श्री एस०एम० कृष्ण]

इस विषय पर विधान बनाने का अधिकार दिया गया है। सम्पदा शुल्क अधिनियम में कोई सार्थक संशोधन करना सम्भव नहीं है, यदि इसे पारित भी कर दिया जाये। देश की विभिन्न राज्य विधान सभाओं या विधान मण्डलों द्वारा इस बारे में पारित संकल्पों के पश्चात हमें एक जटिल प्रक्रिया अपनानी होगी।

इस तरह हम सम्पाद शुल्क अधिनियम में सीमित रूप से संशोधन इसलिए कर रहे हैं कि इस जटिल प्रक्रिया से बचा जा सके। अनेक माननीय सदस्यों ने बहुत उपयोगी सुझाव दिये हैं इस सरकार समेत, कोई भी सरकार यह तसल्ली करके नहीं बैठ सकती कि कर वसूली तंत्र द्वारा एक-एक पाई वसूल की जा रही है। सरकार का यह प्रयास रहना चाहिए कि त्रुटियों को दूर करके कानून को कड़ा बनाए और फिर उसके बाद कर वसूल करने वाले सरकारी तन्त्र को चुस्त बनाया जाना चाहिए। इस सरकार का हमेशा ही यह सतत प्रयास रहा है कि कई एक उपायों द्वारा ऐसा किया जाए।

अब आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग ने कई एक सुझाव दिये हैं। लोक लेखा समिति ने भी कुछ सुझाव दिये हैं। जब कभी सरकार सम्पदा-शुल्क अधिनियम में व्यापक संशोधन के लिए विधेयक लायेगी तो इन सभी सुझावों को सरकार ध्यान में रखेगी।

जो संशोधन मैंने सम्मानित सभा के सामने रखा है, अगर वह पारित हो जाता है तो इस प्रक्रिया में कुछ तेजी आ सकती है। इसे सम्पदा-शुल्क 1953 में लागू किया गया था। इसको लागू करने के पीछे हमारा उद्देश्य समतावादी समाज स्थापित करना और अमीर और गरीब के बीच के अन्तर को कम करना है।

ये विचार इस अर्थ में बिल्कुल श्रेष्ठ है कि इनसे सभी सहमत हैं। हमने इस दिशा में संभवत: सभी कदम न उठाए हों परन्तु हम निस्सन्देह इस ओर कुछ अग्रसर हुए हैं।

अन्तिम वक्ता श्री रामावतार शास्त्री ने बिहार के कुछ मामलों का उल्लेख किया है। इस संशोधन को पारित कर, हम क्या कर रहे हैं ? हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि संसद द्वारा कानून बनाये जाने की बजाए यदि बिहार सरकार कानून बनाना चाहे तो वह कानून बना सके।

(व्यवधान)

मैं केवल कानूनी स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं न कि राजनीतिक इच्छा। पार्टियों की ऐसा करने की राजनीतिक इच्छा है या नहीं यह बिल्कुल एक अलग प्रश्न है। कानूनी स्थिति मौजूद है और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : पश्चिम भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक पिछले चार वर्षों से सहमति के लिए विचाराधीन पड़ा है जबकि बिहार भूमि सुधार विधेयक, 1982 को, जिसके अन्तर्गत टाटा बन्धुओं को जमींदारी अधिकार लौटाए जाने हैं राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल चुकी है।

श्री एस० एम० कृष्णा : इससे मैं सभा के समक्ष जो तर्क रख रहा हूं उसका महत्व कम नहीं हो जाता है।

हम प्रतिदिन अधिकारों के विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं। संघीय सरकार के विरुद्ध आरोप लगाए जा रहे हैं कि राज्यों को करों का सीमित क्षेत्र दिया गया है अब यह एक ऐसा मामला है जिसमें संघीय सरकार स्वयं इस क्षेत्र से हट रही है और राज्य सरकारों को इच्छानुसार हर प्रकार का कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर रही है। इससे राज्य सरकारों को उनके करा-धान प्रस्तावों में सहायता मिलती है जिससे वे अपनी योजनाओं के लिए संसाधनों में वृद्धि कर सकें।

मेरे माननीय मित्र श्री सतीश अग्रवाल ने इस विधेयक के कई पहलुओं का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि धन और सम्पदा शुल्क दोनों के लिए सम्पत्ति का मूल्यांकन एक समान रूप से होना चाहिए। मुझे इस प्रकार तर्क समझ में आता है। मुझे स्वयं धन कर और सम्पदा शुल्क हेतु दो भिन्न प्रतिमान तर्कहीन लगते हैं। इस पहलू पर सरकार विचार करेगी और लोक-लेखा समिति की सिफारिशों में भी इसका उल्लेख है।

वास्तव में इस संशोधन को पारित करने से हम संशोधन के अगले चरण में पहुंच जाएंगे जिसमें संभवत: इन सभी पहलुओं को सम्मिलित किया जा सकेगा। किसी सदस्य ने सम्पदा शुल्क की बकाया राशि का उल्लेख किया है। इस शुल्क की प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि इसमें मुकद्दमेबाजी की बहुत अधिक गुंजायश है। इस प्रकार की मुकद्दमेबाजी के कई चरण हैं। और सम्पदा शुल्क की वसूली के अन्तिम चरण तक पहुंचने के लिए समय अन्तर अत्यधिक है परन्तु इसमें कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि न्यायालय में जाने के मूल अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार 75 करोड़ की आबादी वाले इतने विशाल देश में जिसमें लगभग 45 लाख आयकर निर्धा-रिती हों, धन राशि बकाया होने का यह कारण है अत: कर निर्धारण के बारे में और कर वसूली के बारे में बात करते समय हमें इस समस्या की ओर सही दृष्टिकोण अपनाना होगा। लगभग, 423,000 धन कर दाता हैं। लगभग 1,13,000 उपहार कर दाता हैं। लगभग 74,000 सम्पदा शुल्क के मामले होते हैं।अब धन कर की कुल राशि लगभग 93 करोड़ रुपये, उपहार कर लग-भग 8.5 करोड़ रुपये है सम्पदा शुल्क की लगभग 21.48 करोड़ रुपये है। अब यह संभावना है कि इस कर की वसूली के समय कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। परन्तु हम सबका यह प्रयास रहा है कि व्यवस्था को दोषरहित बनाएं ताकि सरकारी खजाने में जो कर की राशि देय हैं, वह अदा की जाए, वसूल हो और इसका लेखा-जोखा रखा जाए।

अब और भी बहुत से सुझाव दिए गए हैं। हम जब आयकर और सम्पदा-शुल्क अधिनियमों में विभिन्न संशोधन करेंगे और जब हम इस अवस्था में पहुंच जाएंगे तब निश्चय ही मैं इस सम्मा-नित सभा में दिये गये सब सुझावों को ध्यान में रखूंगा। मुझे लगाये गये आरोपों का खण्डन करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहना है और वह आरोप यह है कि इस देश में बहुत बड़े पैमाने पर करों की चोरी हो रही है। सरकार ने यह कभी नहीं कहा है कि करों की चोरी नहीं हो रही है। अब मुद्दा यह है कि कर अपवंचन कितने प्रतिशत हुआ है इस बात को स्पष्ट शब्दों में नहीं बताया

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : क्या आपको पता है कि किस पैमाने पर करों की चोरी हो रही है ? यदि आप नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की वर्ष 1982-83 की रिपोर्टों को पढ़ें तो आप देखेंगे कि 70 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में केवल 600 से कुछ अधिक व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये और उससे अधिक दिखाई गई है। 1983-84 की रिपोर्ट में देश में यह संख्या घटकर केवल 500 रह गई है। कर अपवंचन इस पैमाने पर हो रहा है।

श्री एस० एम० कृष्ण : आपने मुझे जो जानकारी दी है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने केवल यह कहा है कि हम यह चाहते हैं कि हमें यह जानकारी मिले कि कर-अपवंचन किस मात्रा में हो रहा है। यह आपका दृष्टिकोण है। एक पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ था कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था में 60 प्रतिशत काला धन है। परन्तु यह प्रमाणित नहीं हो सका है। मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि हमने स्वयं एक समिति के अध्ययन हेतु यह काम एक संस्था को सौंपा है। वे इस बारे में कुछ अनुसंधान कर रहे हैं जिससे पता चल सकेगा कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था में काला धन कितनी मात्रा में है। मैं आप से यह अनुरोध करूंगा कि जब तक कोई दस्तावेज उपलब्ध न हो जाए तब तक आप कोई राय व्यक्त न करें और जब यह दस्तावेज उपलब्ध हो जाएगा तब हम उस पर चर्चा कर सकेंगे। कृपया मुझे यह बताइये कि किस देश में करों की चोरी नहीं होती। ऐसे किसी भी लोकतांत्रिक देश का नाम बताइये जिसमें करों की चोरी न होती हो। जैसा कि श्री बरोट ने कहा है, हम अपने देश के विधि-वक्ताओं से यह जानना चाहते हैं कि करों की चोरी की सीमा कहां समाप्त होती है और करों के नियोजन की सीमा कहां प्रारम्भ होती है अथवा इसके विपरीत। यह सीमा या यह अन्तर प्रतिवेदन कम होता जा रहा है इस प्रकार हम ऐसी कठिनाइयों में काम कर रहे हैं। कानूनी और अन्य दृष्टिकोण से मुझे विश्वास है कि यह एक प्रकार का दोहरा कार्य है और हमें इस पर नियंत्रण रखना होगा।

किसी सदस्य के जम्मू और कश्मीर में काला धन होने का उल्लेख किया था। हम बार-बार कह चुके हैं कि यदि माननीय सदस्य अथवा किसी अन्य के पास कोई सूचना हो और वे यह सूचना सरकार को दे सकें तो देश के कानून के तहत उस पर कार्रवाई होगी। यदि आप में से किसी के पास इस प्रकार की जानकारी है वह चाहे करों की चोरी की हो अथवा काले धन के जमा करने की हो तो वह जानकारी आप निस्सन्देह सरकार को दे सकते हैं।

श्री मगन भाई बरोट : मैं लिखित में दे चुका हूं।

श्री एस०एम० कृष्ण : मैं नहीं जानता कि किन परिस्थितियों में माननीय सदस्य ने लिखा था और मैंने जवाब नहीं दिया।

मैं कह चुका हूं कि यह एक अत्यन्त साधारण विधेयक है। मुझे आशा नहीं थी कि वाद-विवाद इतने लम्बे समय तक चलेगा। यह एक छोटा-सा संशोधन है। मुझे विश्वास है कि इस भाषण के बाद संशोधन बिना किसी रुकावट के पास हो जाएगा और श्री रामावतार शास्त्री विधेयक के अन्तिम वाचन में भाग नहीं लेंगे।

श्री मगन भाई बरोट : हम माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने यह अच्छी बात कही है कि यदि हम अब इस विधेयक को पारित कर देते हैं तो भी राज्यों को कानून में संशोधन करने की अथवा इसे उस रूप में रखने की छूट होगी जिस रूप में यह होना चाहिए। परन्तु इसके विपरीत इनके द्वारा प्रस्तुत संशोधनकारी धारा 2, उप खण्ड (ख) में यह व्यवस्था है कि जिन राज्यों ने इसे स्वीकार नहीं किया है और इससे अब तक सहमत नहीं हुए हैं, बाद में इसे अर्थात् छूट स्वीकार कर सकेंगे। क्या वह यह बताएंगे कि वह यह कैसे सोचते हैं कि न केवल छूट होगी बल्कि संशोधन की भी अनुमति होगी ? मैं इसे समझने में असमर्थ हूं।

श्री एस० एम० कृष्ण : मैं कह चुका हूं कि कृषि राज्य का विषय है। इस प्रकार वे इसके अन्तर्गत कानून बना सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि सम्पदा शुल्क, 1953 में, और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

उपाध्यक्ष महोदय : हम अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 5 विधेयक के अंग बनें।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

खण्ड 1, अधिनियमन सत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री एस० एम० कृष्ण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

जो इसके पक्ष में हैं वे 'हां' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो इसके विपक्ष में हैं वे 'न' कहें ।

कुछ माननीय सदस्य : न ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष में रहा ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : निर्णय विपक्ष में रहा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मत विभाजन कराते हैं । दीर्घाएं खाली कर दी जाएं ।

दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण अध्यक्ष पीठ सहित गणपूर्ति हेतु 55 सदस्य अपेक्षित हैं । इस समय केवल 53 सदस्य उपस्थित हैं इसलिए गणपूर्ति नहीं है, अतः सभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

6.34 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 27 जुलाई, 1984/5 श्रावण, 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

मुद्रक : सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली ।